Central Public Works Department
Office Memorandum
No. DG/CON/Misc./29
ISSUED BY THE AUTHORITY OF DIRECTOR GENERAL, CPWD
Nirman Bhawan, New Delhi Dated : 22.09.2023

Subject: General Conditions of Contract 2023 Maintenance Works.

General Conditions of Contract 2023 Maintenance Works was unveiled by Hon'ble Minister of State for Housing and Urban Affairs on 12.07.2023. This book is effective with immediate effect. The "**General Conditions of Contract 2023 Maintenance Works**" is available on CPWD website under CPWD publications.

"General Conditions of Contract 2023 Maintenance Works" is available from the outlet mentioned below @ Rs. 150/- (Rs. One hundred fifty only). The sale price shall be applicable for Delhi including all taxes. However, for inter-state sales, forwarding charges and postage / freight may be charged extra as per actual and will be directly payable by the purchaser / indenter.

It is requested that necessary directions may please be issued to all NIT approving authorities to obtain physical copies of **General Conditions of Contract 2023 Maintenance Works** against payment from the authorized source. The NIT approving authorities are advised to correlate and check the commercial version with the official version available at CPWD website for accuracy and correctness. It may be noted that for any error creeping in the contract in variance with the official version available at CPWD website, shall be the sole responsibility of the NIT approving authority.

The rights for printing and marketing **General Conditions of Contract 2023 Maintenance Works** has been given to M/s. Jain Book Agency (Central), 4638/21, Ground floor, Ansari Road, Daryaganj, Opp. Fire station, New Delhi-110002. No other agency other than that mentioned above, has any right to print these documents in any form, in part or full.

Outlet:-

M/s. Jain Book Agency (Central), 4638/21, Ground floor, Ansari Road, Daryaganj, Opp. Fire station, New Delhi-110002, email: cp@jainbookagency.com, Mobile: 9868378448, 8810566260,011-43513570, 44556677.

This issues with the approval of DG CPWD.

(V.P. Sahu)
Superintending Engineer(C&M)

Issued from file No. CSQ/CM/17(1)/ 2023 e-file no. 9065066

Copy to:

1. All CPWD/PWD Delhi officers for information and necessary action.

22.09.2023
Superintending Engineer (C&M)

R.K. JAIN 22/9/2023
(EE (Contact)

सत्यमेव जयते

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

General Conditions of Contract

Maintenance Works 2023

Incorporating Amendments upto Circular bearing No. DG/CON/339 dt. 01.08.2023

Percentage Rate / Item Rate Tender & Contract

प्रतिशत दर/मद दर निविदा एवं संविदा

Index / सूची

Sl. No. / क्रम सं	Details / विवरण	Page/ पृष्ठ
1	General Guidelines – सामान्य दिशानिर्देश	2
2	Tender Form CPWD-7/8 – निविदा फार्म के.लो.नि.वि. 7/8	3 – 4
3	General Rules and Directions – सामान्य नियम एवं निदेश	5 – 8
4	Conditions of Contract – संविदा की शर्तें	9 – 11
5	Clauses of Contract – संविदा के खंड	12 – 58
6	CPWD Safety Code – के.लो.नि.वि. सुरक्षा संहिता	59 – 63
7	Model Rules for the Protection of Health and Sanitary Arrangements for Workers – श्रमिकों के लिए स्वास्थय तथा स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आर्दश नियम	64 – 68
8	CPWD Contractor's Labour Regulations – के.लो.नि.वि. ठेकेदार के श्रमिक विनियम	69 – 74
9	Proforma of Registers (Appendix-I to Appendix-XVI) – रजिस्टरों के प्रारूप (परिशिष्ट–1 से परिशिष्ट–XVI)	75 – 94
10	Reference of disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator Appendix - XVII – मध्यस्थ को विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि का संदर्भ। (परिशिष्ट–XVII)	95
11	Notice for appointment of Arbitrator APPENDIX - XVIII – मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना (परिशिष्ट–XVIII)	96
12	Agreement towards waiver of Section 12(5) of Arbitration & Conciliation Act 1996 APPENDIX - XIX – मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12(5) के अधित्ध्याग के लिए समझौता (परिशिष्ट–XIX)	97
13	On non-judicial stamp paper of minimum Rs. 100 – निष्पादन प्रतिभूति न्यूनतम 100 रूपये के नॉन–जुडिसियल पेपर पर	98 – 99
14	Proforma of Schedules A to F – क से च तक अनुसूचियों के प्रारूप	100 – 104
15	Annexure Showing Quantities of Materials for Areas of Surfacing to be Considered for Working out Minimum Period of Road Roller – रोड रोलर की न्यूनतम अविध का पता लगाने के लिए विचाराधीन सर्फेसिंग के क्षेत्रों के लिए सामग्रियों की मात्रा दर्शाने वाला परिशिष्ट	105 – 106

GENERAL GUIDELINES

1. This book of "General Conditions of Contract" is applicable to both types of tenders i.e. "Percentage rate tenders and Item rate tenders". Accordingly, alternative provisions for conditions Nos. 4A, 9 & 10 of the General Rules and Directions are given in this book. The appropriate alternatives will be applicable in specific cases depending on whether this is used for percentage rate tender (CPWD-7) or item rate tender (CPWD-8).

2. CPWD-6, Schedules A to F, special conditions/specifications and drawings etc. will be part of NIT and shall be uploaded.

3. The intending bidders will quote their rates in Schedule A and schedule A to F and performa for registers are only for information and guidance

4. Authority approving the Notice Inviting Tenders (NIT) shall fill up all the blanks in CPWD-6 and in Schedules B to F before issue of Tender Papers.

5. The intending bidders will quote their rates in Schedule A.

6. The proforma for registers and Schedules A to F are only for information and guidance. These are not to be filled in the Standard Form. The Schedules with all blanks, duly filled, shall be separately issued to all intending tenderers.

Note :- In case of any discrepancies between Hindi and English version, English version will prevail.

सामान्य दिशानिर्देश

1. ''ठेके की सामान्य शर्ते'', नामक यह पुस्तिका दोनों प्रकार की निविदाओं अर्थात ''प्रतिशतता दर निविदाओं'' और ''मद दर निविदाओं'', के लिए लागू है। तदनुसार सामान्य नियमों और निर्देशों की शर्ते संख्याओं 4A, 9 और 10 के वैकल्पिक प्रावधान इस पुस्तक में दिए गए हैं। विशिष्ट मामलों में उचित विकल्प लागू होंगे जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि यह प्रतिशतता दर निविदा (के. लो. नि. वि.–7) या मद दर निविदा (के. लो. नि. वि.–8) के लिए इस्तेमाल किया गया है।

2. के. लो. नि. वि.–6, अनुसूचियां 'क' से 'च' तक, विशेष शर्ते/विनिर्देश और नक्शे इत्यादि एन.आई.टी. के अंश होंगे और अपलोड किया जायेगा।

3. इच्छुक निविदाकार अपनी दरें अनुसूची 'क' में बताएंगे। रजिस्टरों और अनुसूची 'क' से 'च' तक के प्रारूप केवल सूचना और मार्गदर्शन के लिए हैं।

4. निविदा कागज जारी करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू) का अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के.लो.नि.वि.–6 तथा 'ख' से 'च' तक की अनुसूचियों में खाली स्थान भरेगा।

5. इच्छुक निविदाकार अपनी दरें अनुसूची 'क' में बताएँगे।

6. रजिस्टरों और अनुसूचियों 'क' से 'च' तक के प्रारूप केवल सूचना और मार्गदर्शन के लिए है। इन्हें मानक फार्म में नहीं भर्ना है। सभी इच्छुक निविदाकारों को सभी खाली स्थान भरे जाकर अनुसूचियाँ अलग से जारी की जाएंगी।

टिप्पणी :– इसके हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर या द्विधार्थकता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

CPWD - 7/8

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Percentage Rate Tender/Item Rate Tender & Contract for Works

(A) Tender for the work of :-

.....

.....

(i) To be uploaded by……. hours on ……. to/upload at

(ii) To be opened in presence of tenderers who may be present at ……. hours on ….....……. in the office of .....

TENDER

I/We have read and examined the notice inviting tender, schedule, A, B, C, D, E & F Specifications applicable, Drawings & Designs, General Rules and Directions, Conditions of Contract, clauses of contract, Special conditions, Schedule of Rate & other documents and Rules referred to in the conditions of contract and all other contents in the tender document for the work.

I/We hereby tender for the execution of the work specified for the President of India within the time specified in Schedule 'F' viz., schedule of quantities and in accordance in all respect with the specifications, designs, drawing and instructions in writing referred to in Rule-1 of General Rules and Directions and in Clause 11 of the Conditions of contract and with such materials as are provided for, by, and in respect of accordance with, such conditions so far as applicable.

I/We agree to keep the tender open for …..... days from the due date of its opening in case of single bid system ….....……. from the date of opening of technical bid in case tenders are invited on 2 /3 bid/ system for specialised work and not to make any modification in its terms and conditions.

I/We have deposited EMD for the prescribed amount in the office of concerned Executive Engineer as per the bid document.

A copy of earnest money deposit receipt of prescribed amount deposited in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee (as prescribed) issued by a Commercial Bank, is scanned and uploaded (strike out as the case may be). If I/We, fail to furnish the prescribed performance performance guarantee within prescribed period, I/We agree that the said President of India or his successors, in office shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely. Further, if I/We fail to commence work as specified, I/ We agree that President of India or the successors in office shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the said performance guarantee absolutely. The said Performance Guarantee shall be a guarantee to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in Clause 12.2 and 12.3 of the tender form.

के. लो. नि. वि.–7/8

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यों के लिए प्रतिशत दर/मद दर निविदा एवं संविदा

(अ) कार्य के लिए निविदाः

.....

.....

(क) दिनांक ..... को ..... बजे ..... के कार्यालय में/ पर अपलोड की जानी है।

(ख) उन निविदाकारों के समक्ष खोली जांएगी जो दिनांक ..... को ..... बजे .... के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

निविदा

मैंने/हमने कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना, अनुसूची–क, ख, ग, घ, ड. और च, लागू विनिर्देश, नक्शे एवं डिजाइन, सामान्य नियम एवं निर्देश, ठेके के उपबंध विशिष्ट शर्तें, दर अनुसूची एवं अन्य कागजात तथा ठेके की शर्तो में दिये गए नियम तथा निविदा कागजात में उल्लिखित अन्य बातों को पढ़ व जांच लिया है।

मैं/हम, एतत्द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुसूची 'च' विनिर्दिष्ट समय के अन्दर विनिर्दिष्ट कार्य, यथा–मात्राओं की अनुसूची तथा विनिर्देशों, डिजाइनों, नक्शों के अनुरूप तथा सामान्य नियमावली के नियम–1 और ठेके की शर्तों के खंड–11 में उल्लिखित लिखित अनुदेश निष्पादन हेतु निविदा देता हूं/देते हैं।

हम निविदा को, इसके खोले जाने की निर्धारित तारीख से यदि निविदायें 1 बोली पद्धति से आमंत्रित की गयी हों..../यदि निविदायें 2/3 बोली/पद्धति से आमंत्रित की गयी हों तो तकनीकी बोली खुलने की तारीख से खुला रखने तथा इसकी शर्तों एवं निबंधनों में, किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए सहमत हैं।

मैंने/हमने बोली दस्तावेज के अनुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित राषि के लिए ईएमडी जमा कर दी है।

एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बीमा जमानत बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर चेक या बैंक गारंटी (जैसा निर्धारित है) के रूप में जमा की गई निर्धारित राषि की बयाना राषि जमा रसीद की एक प्रति स्कैन की जाती है और अपलोड की जाती है (जैसा भी मामला हो बाकी काट दें) यदि मैं/हम निर्धारित निष्पादन गारंटी को निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करनें में असफल रहते हैं तो मैं/हम यह मंजूर करते हैं कि भारत के उक्त राष्ट्रपति या उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त धरोहर राशि जब्त करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम विनिर्दिष्ट कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहते हैं, तो मैं/हम यह मंजूर करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त निष्पादन गारंटी जब्त करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। उक्त निष्पादन गारंटी निविदा कागजात के अनुसार उसमें निहित शर्तों व निबंधनों के अनुसार कार्यों के निष्पादन एवं आदिष्ट विचलनों को अनुसूची 'च' में वर्णित प्रतिशत से अनधिक व निविदा प्रपत्र के खंडों 12.2 व 12.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जाने वाली दरों पर उस सीमा से अधिक के विचलनों के करने के लिए उनके द्वारा गारंटी होगी।

Further, I/We agree that in case of forfeiture of Earnest Money or Performance Guarantee as aforesaid, I/We shall be debarred for participation in the re-tendering process of the work.

I/We undertake and confirm that eligible similar work(s) has/have not been got executed through another contractor on back to back basis. Further that, if such a violation comes to the notice of Department, then I/We shall be debarred for tendering in CPWD in future forever. Also, if such a violation comes to the notice of Department before date of start of work, the Engineer-in-Charge shall be free to forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit/Performance Guarantee.

I/We hereby declare that I/We shall treat the tender documents drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information/derived there from to any person other than a person to whom I/We am/are authorized to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety & integrity of the State.

Dated

Signature of Contractor

Witness:

Postal Address

Address:

Occupation:

ACCEPTANCE

The above tender (as modified by you as provided in the letters mentioned hereunder) is accepted by me for and on behalf of the President of India for a sum of Rs. ……..... (Rupees .....)

The letters referred to below shall form part of this contract agreement:-

(a)

(b)

(c)

For & on behalf of the President of India.

Signatures .....

Dated:

Designation .....

इसके अतिरिक्त मैं/हम सहमत हैं कि उपर्युक्त बयाना राशि या निष्पादन गांरटी जब्त हो जाने के मामले में मुझे/हमें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

मैं वचन देता हूं तथा पुष्टि करता हूं/हम वचन देते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि पात्रता के लिए समान निर्माण कार्य को बैक टू बैक आधार पर एक अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है। इसके अलावा यदि इस प्रकार का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आता है तो मुझे/हमें भविष्य में केलोनिवि में निविदा देने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि कार्य के प्रारंभ होने की तारीख से पहले इस प्रकार का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आता है तो भारसाधक इंजीनियर को बयाना राशि जमा से और कार्य निष्पादन गारंटी की समग्र राशि जब्त करने की स्वतंत्रता होगी।

मैं/हम एतत्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा कागजातों, नक्शों और कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय कागजात के रूप में रखेंगे और उनसे प्राप्त/ली गई जानकारी किसी अन्य को, जिन्हें मैं/हम सूचित करने के लिए प्राधिकृत हों, से भिन्न किसी को, नहीं बताएंगे या जानकारी को किसी ऐसे रूप में प्रयोग नहीं करेंगे जो राज्य की सुरक्षा और अखंडता के लिए प्रतिकूल हो।

तारीख ..... ठेकेदार के हस्ताक्षर

साक्षी : डाक पता

पता :

उपजीविका :

स्वीकृति

मैं भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए रु0 ..... (रूपए ....) की राशि के लिए उपर्युक्त निविदा (अधोलिखित पत्रों के अनुसार परिवर्तित) स्वीकार करता हूं।

नीचे दिए गए पत्र इस ठेका करार का हिस्सा होंगे।

(अ)

(ब)

(स)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए

हस्ताक्षर .....

तारीख पदनाम .....

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

General Rules & Directions

1. All work proposed for execution by contract will be notified in a form of invitation to tender pasted by publication in News papers or posted on website as the case may be. This form will state the work to be carried out, as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work, also the amount of earnest money to be deposited with the tender, and the amount of the security deposit and Performance guarantee to be deposited by the successful tenderer and the percentage, if any, to be deducted from bills. Copies of the specifications, designs and drawings and any other documents required in connection with the work signed for the purpose of identification by the officer inviting tender shall also be open for inspection by the contractor at the office of officer inviting tender during office hours.

2. In the event of tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so, such power of attorney to be produced with the tender, and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act 1952.

3. Receipts for payment made on account of work, when executed by a firm, must also be signed by all the partners, except where contractors are described in their tender as a firm, in which case the receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners, or by some other person having due authority to give effectual receipts for the firm.

Applicable for Item Rate Tender only (CPWD - 8)

4. The rate(s) must be quoted in decimal coinage. Amounts must be quoted in full rupees by ignoring fifty paisa and considering more than fifty paisa as rupee one.

   In case the lowest tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of Individual items) of two or more contractors is same, then such lowest contractors may be asked to submit sealed revised offer quoting rate of each item of the schedule of quantity for all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised quoted rate of each item of schedule of quantity for all sub sections/sub heads should not be higher than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offer.

   If the revised tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) of two or more contractors received in revised offer is again found to be equal, then the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of SE of the circle, or CE of the zone EE(s) in-charge of major & minor component(s) (also DDH in case Horticulture work is also included in the tender), and the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

सामान्य नियम एंव निर्देश

1. ठेके द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों की सूचना निविदा के लिए आमंत्रण के प्रारूप में दी जाएगी जो समाचार पत्रों में प्रकाशित या वैबसाईट पर अपलोड जैसा भी मामला हो, के द्वारा की जाएगी। इस प्रारूप में किए जाने वाले कार्य विवरण के साथ ही निविदाओं को प्रस्तुत करने और उन्हें खोलने की तारीख का और कार्य किए जाने के लिए अनुमत समय का तथा आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले धरोहर धन की रकम का और सफल निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप और निष्पादन गांरटी की रकम और बिलों में से जिस प्रतिशत से कटौती की जाएगी उसका भी विवरण होगा। पहचान के प्रयोजन के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा डिजाइनों और आरेखों की प्रतियां तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज भी निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

2. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा दी जाती है तो वह उस फर्म के हर एक भागीदार द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षरित की जानी चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए जिसके पास उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला मुख्तारनामा हो। ऐसा मुख्तारनामा निविदा के साथ पेश किया जाएगा और उससे यह प्रकट होना चाहिए कि फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम 1952 के अधीन पंजीकृत है।

3. किसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य के बारे में किए गए संदायो की पावतियां भी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिएं किन्तु जहां ठेकेदार अपनी निविदा में फर्म के रूप में वर्णित है, वहां पावतियां किसी एक भागीदार द्वारा या फर्म के लिए प्रभावी पावतियां देने के प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

केवल मद दर निविदा के लिए लागू (केलोनिवि–8)

4. दर (दरें) दाशमिक सिक्का प्रणाली में बताई जानी चाहिए। राशि रूपये में बताई जानी चाहिए पचास पैसे और उससे कम धनराशि छोड़ दी जाएगी और पचास पैसे से अधिक को एक रूपया माना जाएगा।

   यदि दो या दो से अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा राशि (व्यक्तिगत मदों की कोट की गई दर के आधार पर कार्य किया गया है) समान है, तो ऐसे ठेकेदारों से मामले के अनुसार सभी उप अनुभागों/उप शीर्षों के लिए मात्रा की सूची के प्रत्येक मद का संशोधित सीलबंद दर प्रस्ताव मांगा जा सकता है, लेकिन सभी उप खण्डों/उप शीर्षों के लिए मात्रा की सूची के प्रत्येक मद का संशोधित सीलबंद दर प्रस्ताव उनकी अपनी मूल दर से जो की पहले ही निविदा की प्रस्तुति के समय कोट की गई थी अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम निविदा का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

   यदि दो और ठेकेदारों के संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त संशोधित निवेदित राशि पुनः समान पाई जाती है तो ऐसे ठेकेदारों में न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय परिमंडल के अधीक्षण अभियंता अथवा अंचल के मुख्य अभियंता, बड़े एवं छोटे संघटकों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता (यदि उद्यान कार्य भी निविदा में शामिल हो तो उप निदेशक उद्यान भी), परिमंडल के कार्यपालक अभियंता (योजना) अथवा कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय) तथा न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों जिन्होनें अपनी निविदाओं की समान राशि कोट की हैं, की उपस्थिति में ड्रॉ निकाल कर किया जाएगा।

In case of any such lowest contractor in his revised offer quotes rate of any item more than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender, then such revised offer shall be treated invalid. Such case of revised offer of the lowest contractor or case of refusal to submit revised offer by the lowest contractor shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of his earnest money shall be forfeited.

In case all the lowest contractors those have same tendered amount (as a result of their quoted rate of individual items), refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each lowest contractors.

Contractor, whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, or quoting higher revised rate(s) of any item(s) than their respective original rate quoted already at the time of submission of his bid shall not be allowed to participate in the retendering process of the work.

Applicable for Percentage Rate Tender only [CPWD- 7]

4A In case of Percentage Rate Tenders, contractor shall fill up the usual printed form, stating at what percentage below/above (in figures as well as in words) the total estimated cost given in Schedule of Quantities at Schedule-A, he will be willing to execute the work. The tender submitted shall be treated as invalid if :-

I. The contractor does not quote percentage above/below on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.

II. The percentage above/below is not quoted in figures & words both on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.

III. The percentage quoted above/below is different in figures & words on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.

Tenders, which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort including conditional rebates, will be summarily rejected.

4B In case the lowest tendered amount (estimated cost + amount worked on the basis of percentage above/below) of two or more contractors is same, such lowest contractors will be asked to submit sealed revised offer in the form of letter mentioning percentage above/ below on estimated cost of tender including all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised percentage quoted above/below on tendered cost or on each sub section/ sub head should not be higher than the percentage quoted at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offers.

In case any of such contractor refuses to submit revised offer, then it shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of earnest money shall be forfeited.

If the revised tendered amount of two more contractors received in revised offer is again found to be equal, the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of SE of the circle, or CE of the zone EE(s) in-charge of major & minor component(s) (also DDH in case Horticulture work is also included in the tender), & the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders.

In case all the lowest contractors those have quoted same tendered amount, refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each contractor. Contractor(s), whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work.

यदि ऐसा कोई न्यूनतम ठेकेदार अपने संशोधित प्रस्ताव में किसी मद की, अपनी मूल दर जो की पहले ही निविदा की प्रस्तुति के समय लिखी गई थी, से अधिक दर लिखता है, तो ऐसे संशोधित प्रस्ताव अवैध माने जाएंगे। न्यूनतम ठेकेदार के संशोधित प्रस्ताव के ऐसे मामले अथवा न्यूनतम ठेकेदार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना करने के मामले में स्वीकृति से पहले उसकी निविदा का प्रत्याहार तथा उसकी बयाना राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।

यदि सभी न्यूनतम ठेकेदार जिनकी निविदा राशि समान है (उनकी व्यक्तिगत मदों की कोट की गई दर के परिणामस्वरूप), संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना कर देते हैं, तो प्रत्येक न्यूनतम ठेकेदार की बयाना राशि के 50 प्रतिशत जुर्माने के बाद निविदाएं पुनः आंमत्रित की जाएंगी।

ठेकेदार, संशोधित प्रस्ताव के अप्रस्तुतीकरण के कारण जिनकी बयाना राशि पर जुर्माना लगाया गया है, अथवा अपनी मूल दर जो की पहले ही बिड की प्रस्तुति के समय कोट की गई थी, से किसी मद (मदों) की उच्च संशोधित दर (दरों) लिखता है, उसे कार्य की पुनः निविदा आंमत्रित करने की क्रियाविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू (केलोनिवि–7)

4क. प्रतिशत दर निविदाओं के मामले में निविदाकार सामान्य मुद्रित प्रारूप भरेगा, जिसमें वह यह बताएगा कि वह अनुसूची 'क' में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दी गई कुल अनुमानित लागत से कितने कम/अधिक (अंकों और शब्दों दोनों में) प्रतिशत पर निर्माण कार्य संपन्न करना चाहेगा। प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा यदिः

1. ठेकेदार, निविदा की कुल राशि अथवा निविदि के किसी खण्ड/उप शीर्ष पर अधिक/न्यून प्रतिशत नहीं लिखता।
2. अधिक/न्यून प्रतिशत अंकों तथा शब्दों दोनों में निविदा की कुल राशि अथवा निविदि के किसी खण्ड/उप शीर्ष पर नहीं लिखा जाता।
3. निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड/उप शीर्ष पर कोट किया गया अधिक/न्यून प्रतिशत, अंकों तथा शब्दों में भिन्न होता है।

जिन निविदाओं में उक्त निविदा आमंत्रण प्रारूप में उल्लिखित कार्य में या कार्य करने के लिए निर्धारित समय में किसी प्रकार परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया हो या जिसमें सशर्त छूट दिए जाने सहित किसी प्रकार की कोई अन्य शर्त निहित हो, उन्हे रद्द कर दिया जाएगा।

4.ख यदि दो अथवा उससे अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निवेदित राशि (अधिक/कम प्रतिशत के आधार पर निकाली गई अनुमानित लागत् राशि) एक ही हो, तो इस प्रकार न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों से सभी उप खण्डों/उप शीर्षों जैसी भी स्थिति हो, सहित निविदा की अनुमानित लागत पर अधिक/कम प्रतिशत का उल्लेख करते हुए पत्र के रूप में बंद संशोधित पेशकश प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा लेकिन निवेदित लागत पर अथवा प्रत्येक उप खण्ड/उप शीर्ष पर अधिक अथवा कम कोट किया गया संशोधित प्रतिशत निविदा प्रस्तुत करते समय कोट किए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय संशोधित प्रस्तावों के आधार पर लिया जाएगा।

यदि कोई ऐसा ठेकेदार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इंकार करता है तब इसे स्वीकृति के पूर्व अपनी निविदा वापस लेने के रूप में माना जाएगा तथा बयाना राशि का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जाएगा।

यदि दो और ठेकेदारों के संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त संशोधित निवेदित राशि पुनः समान पाई जाती है तो ऐसे ठेकेदारों में न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय परिमंडल के अधीक्षण अभियंता, अथवा अंचल के मुख्य अभियंता, बड़े एवं छोटे संघटकों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता (यदि उद्यान कार्य भी निविदा में शामिल हो तो उप निदेशक उद्यान भी), तथा न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों जिन्होनें अपनी निविदाओं की समान राशि कोट की हैं, की उपस्थिति में ड्रॉ निकाल कर किया जाएगा।

यदि न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदार जिन्होनें समान निवेदित राशि कोट की है, संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से इंकार करता है तब प्रत्येक ठेकेदार की बयाना जमा राशि का 50 प्रतिशत जब्त कर निविदाएं वापस ली जा सकती हैं। ठेकेदार जिसकी बयाना राशि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण जब्त की जाती है को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. The officer inviting tender or his duly authorized assistant, will open tenders in the presence of any intending contractors who may be present at the time.

6. The officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders and will not be bound to accept the lowest or any other tender.

7. The receipt of an accountant or clerk for any money paid by the contractor will not be considered as any acknowledgment or payment to the officer inviting tender and the contractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the officer inviting tender or a duly authorized Cashier.

Applicable for Item Rate Tender only (CPWD - 8)

8. In the case of Item Rate Tenders, only rates quoted shall be considered. Any tender containing percentage below/above the rates quoted is liable to be rejected. Rates quoted by the contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall unless otherwise proved be taken as correct. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rates written either in figures or in words, then the rates quoted by the contractor in words shall be taken as correct. Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally, but the amount is not worked out correctly, the rates quoted by the contractor will unless otherwise proved be taken as correct and not the amount. In event no rate has been quoted for any item(s), leaving space both in figure(s), word(s), and amount blank, it will be presumed that the contractor has included the cost of this/these item(s) in other items and rate for such item(s) will be considered as zero and work will be required to be executed accordingly.

However, if a tenderer quotes nil rates against each item in item rate tender, the tender shall be treated as invalid and will not be considered as lowest tenderer and earnest money deposited shall be forfeited.

Applicable for percentage Rate Tender only (CPWD - 7)

9. In case of Percentage Rate Tenders only percentage quoted shall be considered. Any tender containing item rates is liable to be rejected. Percentage quoted by the contractor in percentage rate tender shall be accurately filled in figures and words, so that there is no discrepancy.

Applicable for Percentage Rate Tender only (CPWD - 7)

10. In Percentage Rate Tender, the tenderer shall quote percentage below/above (in figures as well as in words) at which he will be willing to execute the work. He shall also work out the total amount of his offer and the same should be written in figures as well as in words in such a way that no interpolation is possible. In case of figures, the word 'Rs.' should be written before the figure of rupees and word 'P' after the decimal figures, e.g. 'Rs. 2.15P and in case of words, the word 'Rupees' should precede and the word 'Paisa' should be written at the end.

11. (i) The Contractor whose tender is accepted, will be required to furnish performance guarantee at specified percentage of the tendered amount as mentioned in Schedule 'E' and within the period specified in Schedule F. This guarantee shall be in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee of any Commercial Bank.

(ii) The contractor whose tender is accepted will also be required to furnish by way of Security Deposit for the fulfillment of his contract, an amount equal to 2.5% of the tendered amount of the work. The Security deposit will be collected by deductions from the running bills as well as final bill of the contractor at the rates mentioned above. The Security amount will also be accepted in the shape of Insurance

5. निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक निविदाओं को किन्हीं ऐसे ठेकेदारों की उपस्थिति में खोलेगा जो ठेका लेने का विचार रखते हों और उस समय वहां उपस्थित हों।

6. निविदाएं आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी निविदाओं या उनमें से किन्हीं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और वह निम्नतम निविदा या किसी भी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

7. ठेकेदार द्वारा संदत्त धन के लिए लेखापाल या लिपिक की पावती निविदा आमंत्रक अधिकारी को संदाय की अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी और ठेकेदार की जिम्मदारी होगी कि वह निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी या सम्यक रूप से प्राधिकृत रोकड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित पावती ले।

केवल मद दर निविदा के लिए लागू (केलोनिवि–8)

8. मद दर निविदाओं के मामले में केवल बताई गई दरों पर विचार किया जाएगा। बताई गई दरों से कम/अधिक प्रतिशतता वाली किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। मद दर निविदा में ठेकेदार दरें, अंकों एवं शब्दों में सावधानी से भरेगा ताकि अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में कोई अन्तर न रहे। फिर भी यदि अन्तर पाया जाता है तो ठेकेदार द्वारा आकलित दर के सदृश दरों को, यदि अन्यथा प्रमाणित न हो, सही माना जाएगा। यदि किसी मद की राशि ठेकेदार द्वारा आकलित नहीं की गई है या वह अंकों या शब्दों में लिखी गई दरों के सदृश नहीं है तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में लिखी गई दरों को सही माना जाएगा। जहां ठेकेदार द्वारा अंकों और शब्दों में लिखी गई दरें समान हों लेकिन राशि सही आकलित न की हो तो ठेकेदार द्वारा लिखी गई दरों को, जब तक अन्यथा प्रमाणित न हो, सही माना जाएगा, राशि को नहीं। ऐसी स्थिति में जब किसी मद(मदों) के लिए कोई दर न बताई हो, अंको तथा शब्दों दोनों दोनों में जगह खाली छोड़ दी गई हो और राशि न भरी गई हो तो यह समझा जाएगा कि ठेकेदार ने इस मद/मदों की लागत अन्य मदों में सम्मिलित कर ली है तथा ऐसी मद(मदों) के लिए दर शून्य मानी जाएगी तथा कार्य का निष्पादन तदनुसार किया जाना अपेक्षित होगा।

हालाँकि अगर कोई निविदाकर्ता आइटम दर निविदा में प्रत्येक आइटम के खिलाफ शून्य दर का उद्धरण करता है तो निविदा को अमान्य माना जाएगा और इसे सबसे कम निविदाकार नहीं माना जाएगा और जमा की गई धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू केलोनिवि–7)

9. प्रतिशतता दर निविदाओं के मामले में केवल उल्लिखित प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा। जिस निविदा में मद दरें दी गई होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रतिशत दर निविदाओं में ठेकेदार द्वारा कथित प्रतिशत को सही सही अंकों और शब्दों में भरा जाएगा ताकि उसमें अंकों और शब्दों में लिखी गई प्रतिशतता में कोई विसंगति न होने पाए।

केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू केलोनिवि–7)

10. प्रतिशत दर निविदा में निविदाकर्त्ता उतनी कम/अधिक प्रतिशतता भरेगा (अंकों ओर शब्दों में) जिस पर वह कार्य करने का इच्छुक हो। वह अपनी पेशकश की कुल राशि की गणना भी करेगा और उसे अंकों ओर शब्दों में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनकी जगह कुछ लिखना संभव न हो। अंको के मामले में रूपए के अंको के पहले रूपए शब्द लिखा जाना चाहिए तथा दशमलव अंकों के बाद पैसे शब्द अर्थात् रु. 2. 15 पै. और शब्दों के मामले में रूपए शब्द बाद में लिखा जाना चाहिए तथा शब्द पैसे सबसे अंत में लिखा जाना चाहिए।

11. (i) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अनुसूची श्ईश में उल्लिखित निविदा राशि के निर्दिष्ट प्रतिशत पर और अनुसूची एफ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निष्पुदन गारंटी देनी होगी। यह गारंटी किसी भी वाणिज्यिक बैंक के बीमा जमानत बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में होगी।

(ii) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे भी अपने ठेके की पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में कार्य के निविदा राशि के 2.5 % के बराबर राशि प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति ऊपर उल्लिखित दरों पर चालू बिलों के साथ–साथ ठेकेदार के अंतिम बिल से कटौती करके एकत्र की

Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee from any of the Commercial Banks will be accepted for this purpose provided confirmatory advice is enclosed.

12. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Engineer-in-Charge shall be communicated in writing to the Engineer-in-Charge.

13. GST or any other tax applicable in respect of inputs procured by the contractor for this contract shall be payable by the Contractor and Government will not entertain any claim whatsoever in respect of the same. However, component of GST at time of supply of service (as provided in CGST Act 2017) provided by the contract shall be varied if different from that applicable on the last date of receipt of tender including extension if any.

14. The contractor shall give a list of both gazetted and non-gazetted C.P.W.D. employees related to him.

15. The tender for composite work includes, in addition to building work, all other works such as sanitary and water supply installations drainage installation, electrical work, horticulture work, roads and paths etc.

16. The contractor shall submit list of works which are in hand (progress) in the following form:-

Name of work	Name and particulars of Divn where work is being executed	Value of work progress	Position of works in	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.

जाएगी। प्रतिभूति राशि इस प्रयोजन के लिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक के बीमा जमानत बांड, अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार की जाएगी बशर्ते कि पुष्टिकारी सलाह संलग्न हो।

12. निवदा स्वीकार हो जाने पर ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों), जो भारसाधक इंजीनियर से अनुदेश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, के नाम की लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को दी जाएगी।

13. इस ठेके के संबंध में जी.एस.टी. या कोई भी अन्य कर ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा और सरकार उनके संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगी। हालांकि, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की आपूर्ति (जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 में दिया गया है) के समय पर जीएसटी का घटक विविध होगा यदि विस्तार सहित निविदा के रसीद की अंतिम तिथि पा लागू से वह अलग हो।

14. ठेकेदार के. लो. नि. वि. में कार्यरत अपने रिश्तेदारों, राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों की, सूची देगा।

15. संयुक्त कार्य के लिए निविदा में बिल्डिंग कार्य के अतिरिक्त सभी अन्य कार्य जैसे कि स्वच्छता और जल आपूर्ति संस्थापनाएं, जल निकासी, संस्थापनाएं, वैधुत कार्य, उद्यान कार्य, सड़कें और रास्ते आदि सम्मिलित है।

16. ठेकेदार को निम्नलिखित प्रारूप में चल रहे कार्यों की सूची प्रस्तुत करनी होगीः

कार्य का नाम	नाम तथा विभाग का विविरण जहां कार्य चल रहा हैं	कार्य का मान	कार्य की स्थिति	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.

CONDITIONS OF CONTRACT

Definitions

1. The **Contract** means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the competent authority on behalf of the President of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer-in- Charge and all these documents taken together, shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.

2. In the contract, the following expressions shall, unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assigned to them:-

   (i) The expression **works** or **work** shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, substituted or additional.

   (ii) The **Site** shall mean the land, places on, into or or where work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street or where work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be temporally allotted or used for the purpose of carrying out the contract.

   (iii) The **Contractor** shall mean the individual, firm or company, whether incorporated or not, undertaking the works and shall include the legal personal representative of such individual or the persons composing such firm or company, or the successors of such firm or company and the permitted assignees of such individual, firm or company.

   (iv) The **President** means the President of India and his successors.

   (v) **Government** or **Government of India** shall mean the President of India.

   (vi) The **Engineer-in-charge** means the Engineer Officer who shall supervise and be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President of India as mentioned in Schedule 'F' hereunder .

   (vii) The term **Director General** includes Special Director General/Additional Director General/Chief Engineer.

   (viii) **Accepting Authority** shall mean the authority mentioned in Schedule 'F'.

   (ix) **Excepted Risk** are risks due to riots (other than those on account of contractor's employees), war (whether declared or not) invasion, act of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion revolution, insurrection, military or usurped power, any acts of Government, damages from aircraft, acts of God, such as earthquake, lightening and unprecedented floods, and other causes over which the contractor has no control and accepted as such by the Accepting Authority or causes solely due to use or occupation by Government of the part of the works in respect of which a certificate of completion has been issued or a cause solely due to Government's faulty design of works.

   (x) (a) **Market Rate** shall be the rate as decided by the Engineer-in-Charge on the basis of the cost of materials and labour at the site where the work is to be executed plus the percentage mentioned in Schedule 'F' to cover, all overheads and profits.

ठेके की शर्ते

परिभाषाएं

(1) **ठेके** से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति की ओर से सक्षम प्राधिकारी और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार के दस्तावेजों और उसके साथ उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत ये शर्ते, निर्देश, डिजाइन, आरेख और भारसाधक इंजीनियर द्वारा समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं और ये सभी दस्तावेज एक साथ मिलकर एक ठेका माने जाएंगे और एक दूसरे के पूरक होंगे।

(2) ठेके में निम्नलिखित पदों के, जब तक कि संदर्भ से अन्य अपेक्षित न हो, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके द्वारा क्रमशः दिए गए हैः

(i) **कार्य** पद का अर्थ, जब तक कि विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विरूद्ध कोई बात न हो, किए गए ठेके द्वारा या उस आधार से किए जाने वाला कार्य होगा और माना जाएगा चाहे वे अस्थायी या स्थायी हों, और चाहे वे मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त हों।

(ii) **कार्यस्थल** से अभिप्रेत है वह भूमि/या अन्य स्थान जिस पर, जिसमें या जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो ठेके को कार्यान्वित करने के लिए आबंटित या प्रयुक्त किया जाए।

(iii) **ठेकेदार** से ऐसा व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है जो कार्य का भार अपने ऊपर ले और इसके अन्तर्गत विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कम्पनी गठित करने वाले व्यक्ति या ऐसी फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति या फर्म या फर्मो या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी होंगे।

(iv) **राष्ट्रपति** से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं।

(v) **सरकार** या **भारत सरकार** से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं।

(vi) **भारसाधक इंजीनियर** से वह, इंजीनियर अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका भारसाधक होगा और जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करेगा और यहाँ नीचे अनुसूची 'च' में उल्लिखित हैं अथवा उसके उत्ताराधिकारी।

(vii) **महानिदेशक** पद के अंतर्गत विशेष महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/ मुख्य इंजीनियर भी हैं।

(viii) **स्वीकारकर्ता प्राधिकारी** से अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ix) **क्षम्य जोखिम** वे जोखिम हैं जो दंगों, (ठेकेदार के कर्मचारियों के कारण से होने वालों को छोड़कर) युद्ध, (घोषित और अघोषित), आक्रमण, विदेशी दुश्मनों की कार्रवाई, युद्ध–स्थितियां, गृहयुद्ध, विद्रोह क्रान्ति, उपद्रव, सैन्य या हथियाई गई सत्ता, कोई भी सरकारी कार्रवाई, वायुयान से क्षति, प्राकृतिक प्रकोप, जैसे भूकंप, तड़ित और अभूतपूर्व बाढ़ और अन्य कारणों, जिनपर ठेकेदार का नियंत्रण न हो और जो उसी रूप में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाएं या जो पूरी तरह सरकार द्वारा कार्यो के भाग के प्रयोग या अधिगृहण के कारण हो, जिनके संबंध में कार्यसमापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो या जो सरकार द्वारा पूरी तरह कार्यो की डिजाइन में त्रुटि के कारण हो।

(x) (a) **बाजार दर** वह दर होगी जो भारसाधक इंजीनियर, कार्यस्थल पर, जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, सामग्रियों और श्रम की लागत और उसके सभी ऊपरी खर्चो व लाभों को पूरा करने के लिए अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्रतिशतता को जोडकर आई राशि के आधार पर निश्चित करे।

Provided that no extra overheads and profits shall be payable on the part(s) of work assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract.

(b) Schedule(s) referred to in these conditions shall mean the relevant schedule(s) annexed to the tender documents or the standard Schedule of Rates of the government mentioned in Schedule 'F' hereunder, with the amendments thereto issued upto the date of receipt of the tender.

(xi) **Department** means CPWD or any department of Government of India which invites tenders on behalf of President of India as specified in schedule 'F'.

(xii) **District Specifications** means the specifications followed by the State Government in the area where the work is to be executed.

(xiii) **Tendered value** means the value of the entire work as stipulated in the letter of award.

(xiv) **Date of commencement of work:** The date of commencement of work shall be the date of start as specified in schedule 'F' or the first date of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing if any, as indicated in the tender document.

(xv) **GST** shall mean Goods and Service Tax - Central, State and Inter State.

Scope and Performance

3. Where the context so requires, words imparting the singular only also include the plural and vice versa. Any reference to masculine gender shall whenever required include feminine gender and vice versa.

4. Headings and Marginal notes to these General Conditions of Contract shall not be deemed to form part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the contract.

5. The contractor shall be furnished, free of cost one certified copy of the contract documents except standard specifications, Schedule of Rates and such other printed and published documents, together with all drawings as may be forming part of the tender documents . None of these documents shall be used for any purpose other than that of this contract.

Works to be carried out

6. The work to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, include all labourers, materials, tools, plants, equipment and transport which may be required in preparation of and for and in the full and entire execution and completion of the works. The descriptions given in the Schedule of Quantities (Schedule-A) shall, unless otherwise stated, be held to include wastage on materials, carriage and cartage, carrying and return of empties, hoisting, setting, fitting and fixing in position and all other labours necessary in and for the full and entire execution and completion of the work as aforesaid in accordance with good practice and recognized principles.

Sufficiency of Tender

7. The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates and prices quoted in the Schedule of Quantities, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the Contract and all matters and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.

बशर्ते ठेके के नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अन्य एजेंसी (एजेंसियों) को सौपें गए कार्य के भाग (भागों) कोई भी अतिरिक्त ओवरहेड या मुनाफा देय नहीं होगा।

(b) इन शर्तो में उल्लिखित अनुसूची (अनुसूचियों) का अर्थ, निविदा कागजात अथवा निविदा प्राप्त करने की तारीख तक किए गए संशोधनों सहित यहाँ नीचे अनुसूची 'च' में उल्लिखित सरकार की मानक दर अनुसूची के साथ लगी अनुसूची (अनुसूचियां) हैं।

(xi) **विभाग** का अर्थ के. लो. नि. वि. या भारत सरकार का कोई भी विभाग जो अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदाएं आमंत्रित करता है।

(xii) **जिला विनिर्देशों** का अभिप्राय उन विनिर्देशों से है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्य निष्पादन वाले क्षेत्र में अपनाया जाता है।

(xiii) **निविदित मूल्य** का अर्थ, अवार्ड पत्र में निर्धारित अनुसार, पूरे कार्य का मूल्य है।

(xiv) **कार्य आरंभ करने की तारीखः** कार्य आरंभ करने की तारीख वह तारीख होगी जैसा कि अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट किया गया है अथवा कार्य स्थल को सौंपे जाने की प्रथम तारीख होगी, जो भी बाद में हो, और यह चरणबद्धता यदि कोई हो, के अनुसार होगी जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है।

(xv) **जीएसटी** का अभिप्राय वस्तु एवं सेवा कर होगा– केन्द्रीय, राज्य तथा अंतर्राज्य

विस्तार तथा प्रदर्शन

3. जहां संदर्भ में अपेक्षित हो वहां एकवचन (सिंगुलर) शब्दों में बहुवचन (प्लूरल) और विलोमतः सम्मिलित होंगे। जहां संदर्भ में अपेक्षित हो वहाँ पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और विलोमातः सम्मिलित होंगे।

4. ठेके की इन सामान्य शर्तो के शीर्षकों और हाशिए की टिप्पणियों को उसका भाग नहीं माना जाएगा अथवा निर्माण या निर्वचन करते समय इन्हें ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

5. ठेकेदार को, मानक विनिर्देशों, दरों की अनुसूची और ऐसे अन्य मुद्रित और प्रकाशित कागजातों को छोड़कर, सभी आरेखों, जो निविदा कागजात के भाग हों, सहित ठेका कागजातों की एक प्रमाणित प्रति निःशुल्क दी जाएगी, इन कागजातों में से किसी भी कागजात को इस ठेके के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

किए जाने वाले कार्य

6. इन शर्तो में किसी अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, ठेके के तहत किए जाने वाले कार्य में सभी मजदूरी, सामग्रियां, औजार, संयंत्र, उपकरण और परिवहन सम्मिलित हैं जो कि कार्य की तैयारी में और उसके लिए और कार्य को पूर्ण और समूचे रूप से निष्पादन और पूरा करने के लिए आवश्यक हों। मात्राओं की अनुसूची (अनुसूची क) में दिए गए विवरणों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, यह माना जाएगा कि उनमें, सामग्रियों की छीजन, भाड़ा और ढुलाई, खाली चीजों को ले जाने और लौटाने, ऊँचे चढ़ाने, लगाने, यथा स्थान फिट करने और आबद्ध करने और अन्य मजदूरी जो पूर्वोक्त अनुसार कार्य को अच्छी विधि और मान्य सिद्धातों के अनुसार पूर्ण और समूचे रूप से निष्पादन और पूरा करने में और पूरा करने के लिए आवश्यक हों, आदि सम्मिलित हैं।

निविदा की पर्याप्तता

7. यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए उसकी निविदा की सत्यता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसुची में कथित दरों और मूल्यों को, जो दरें और मूल्य, यदि अन्यथा प्रावधान न हो तो, ठेके के तहत उसमें सभी दायित्वों और कार्यो के उचित प्रकार से समापन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को समांहित करते हैं; के संबंध में अपने आपको संतुष्ट कर लिया है।

Discrepancies and Adjustment of Errors

8. The several documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another, detailed drawings being followed in preference to small scale drawing and figured dimensions in preference to scale and special conditions in preference to General Conditions.

8.1 In the case of discrepancy between the schedule of Quantities, the Specifications and/ or the Drawings, the following order of preference shall be observed:-

(i) Description of Schedule of Quantities.

(ii) Particular Specification and Special Condition, if any.

(iii) Drawings.

(iv) CPWD Specifications.

(v) Indian Standard Specifications of B.I.S.

8.2 If there are varying or conflicting provisions made in any one document forming part of the contract, the Accepting Authority shall be the deciding authority with regard to the intention of the document and his decision shall be final and binding on the contractor.

8.3 Any error in description, quantity or rate in Schedule of Quantities or any omission therefrom shall not vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised therein according to drawings and specifications or from any of his obligations under the contract.

Signing of Contract

9. The successful tenderer/contractor, on acceptance of his tender by the Accepting Authority, shall, within 15 days from the stipulated date of start of the work, sign the contract consisting of:-

(i) the notice inviting tender, all the documents including drawings, if any, forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof together with any correspondence leading thereto.

(ii) Standard C.P.W.D. Form as mentioned in Schedule 'F' consisting of:

(a) Various standard clauses with corrections up to the date stipulated in Schedule 'F' along with annexures thereto.

(b) C.P.W.D. Safety Code.

(c) Model Rules for the protection of health, sanitary arrangements for workers employed by CPWD or its contractors.

(d) CPWD Contractor's Labour Regulations.

(e) List of Acts and omissions for which fines can be imposed.

(iii) No payment for the work done will be made unless contract is signed by the contractor.

विनियमितताएं और त्रुटियों का समायोजन

8. ठेके का भाग बनने वाले सभी प्रकार के कागजातों के विषय में यह माना जाएगा कि वे एक–दूसरे के पूरक हैं, छोटे पैमाने के आरेखों की तुलना में विस्तृत आरेखों को और चित्र में लिखित मापों को पैमाने वाले मापों से और विशेष शर्तो को सामान्य शर्तों से अधिमान दिया जाएगा।

8.1 मात्राओं की अनुसूची, विनिर्देशों और/या आरेखों में कमियों के होने पर अधिमान का निम्नलिखित क्रम अपनाया जाएगा।

(i) मात्राओं की अनुसूची का विवरण

(ii) विशिष्ट विनिर्देश और विशेष शर्ते, यदि हों,

(iii) आरेख

(iv) के. लो. नि. वि. विनिर्देश

(v) भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश।

8.2 यदि ठेके के भाग के किसी कागजात में अलग–अलग या विरोधाभासी उपबंध हों तो स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ऐसे कागजातों के संबंध में विनिश्चायक प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8.3 मात्राओं की अनुसूची में विवरण, मात्रा या दर में किसी त्रुटि या उनमें कोई विलोप होने से ठेका निष्प्रभावी नहीं होगा या ठेकेदार आरेखों और विनिर्देशों के अनुरूप उसमें निहित पूरे कार्य या उसके भाग को निष्पादित करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा या ठेके के तहत अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

संविदा पर हस्ताक्षर

9. स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर सफल निविदाकार/ठेकेदार कार्य शुरू करने की तारीख के 15 दिन के भीतर ठेके पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

(i) निविदा आमंत्रण सूचना, आरेखों, यदि हों, सहित सभी कागजात, जो निविदा आमंत्रित करते समय निविदा के भाग हों, उससे संबंधित पत्राचार सहित उसकी स्वीकृति।

(ii) मानक के. लो. नि. वि. फार्म जैसा कि अनुसूची 'च' में उल्लिखित है जिसमें निम्निलिखित होंगे।

(क) अनुसूची 'च' में निर्धारित तारीख तक के संशोधनों और उनके अनुबंधों सहित विभिन्न मानक खण्ड

(ख) के. लो. नि. वि. सुरक्षा संहिता

(ग) के. लो. नि. वि. या ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वच्छता व्यवस्था के लिए आदर्श नियम,

(घ) के. लो. नि. वि. के ठेकेदारों के श्रमिक विनियमन

(च) कृत्यों और अकृत्यों की सूची जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।

(iii) ठेकेदार द्वारा ठेके को हस्ताक्षरित न किए जाने की स्थिति में किए गए कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

GENERAL CONDITION OF CONTRACT

CLAUSES OF CONTRACT

Clause 1

Performance Guarantee

(i) The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee at specified percentage of the tendered amount as mentioned in Schedule 'E', in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within period specified in Schedule 'F' from the date of issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineer-in-Charge up to a maximum period as specified in schedule 'F' on written request of the contractor stating the reason for delays in procuring the Performance Guarantee, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. This Guarantee shall be in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee from any of the Commercial Banks. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the performance guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

(ii) The Performance Guarantee shall be submitted by the contractor on format as per GCC and shall be initially valid up to the stipulated date of completion plus minimum 6 months beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest. However, in case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/ other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned year wise proportionately.

(iii) The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of:

(a) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full amount of the Performance Guarantee.

(b) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer-in-Charge.

संविदा की सामान्य शर्तें

संविदा के खण्ड

खण्ड 1

निष्पादन गारंटी

(i) ठेकेदार को स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्टी अवधि के भीतर संविदा करार (संविदा के बिना किसी अन्य प्रावधानों के और/या पूर्वाग्रह के बिना) के संबंध में अपने उचित प्रदर्शन के लिए संविदा में कहीं और उल्लिखित अन्य जमा राशि के अलावा, अनुसूची 'ई' में उल्ले्खानुसार निविदा राशि के निर्दिष्टे प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय निष्पादन गारंटी जमा करनी होगी। इस अवधि को अनुसूची (एफ) में निर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक प्रभारी अभियंता द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, जब प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए, निष्पादन गारंटी प्राप्त करने में विलंब का कारण बताते हुए ठेकेदार द्वारा लिखित अनुरोध किया जाए। यह गारंटी बीमा निष्पादन बांड, अदाता खाता डिमांड ड्रफ्ट, सावधि जमा रसीद या किसी भी वाणिज्य बैंकों की बैंक गारंटी के रूप में होगी। यदि किसी बैंक की सावधि जमा रसीद ठेकेदार द्वारा सरकार को निष्पादन गारंटी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जाती है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद के लिए भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होने वाली हानि ठेकेदार को होगी और ठेकेदार घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को मांग पर तत्काल अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ii) निष्पादन गारंटी ठेकेदार द्वारा जीसीसी के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी और शुरू में पूर्ण होने की निर्धारित तिथि और उसके बाद न्यूनतम 6 महीने तक वैध होगी। यदि कार्य पूरा करने के समय में बढ़ोतरी हो जाती है तो ठेकेदार निष्पादन गारंटी की वैद्यता की अवधि को भी बढ़वाएगा ताकि कार्य समापन के लिए समय में हुई बढ़ोतरी कवर हो सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूरा करनें संबंधी प्रमाण पत्र रिकार्ड करने के पश्चात् निष्पादन गारंटी, बिना किसी ब्याज के, ठेकेदार को लौटा दी जाएगी। तथापि, उस भवन के निर्माण और सेवाओं/अन्य कार्य के बाद सेवाओं/अन्य कार्य के अनुरक्षण को शामिल करने वाले ठेकों के मामले में, 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन गारंटी प्रतिभूति राशि के रूप में रख ली जाएगी। उसे आनुपातिक रूप से वर्षवार लौटाया जाएगा।

(iii) भारसाधक अभियंता उन राशियों को छोड़ कर जिनके लिए भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में संविदा के अंतर्गत पात्र है, (संविदा करार के अन्य किसी प्रावधान के होते हुए भी और/या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना), निष्पादन गारंटी में किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा :–

(क) जैसाकि इसमें ऊपर कहा गया है कि यदि ठेकेदार निष्पादन गारंटी की वैद्यता को बढ़ाने में असमर्थ रहता है तो उस परिस्थिति में भारसाधक अभियंता निष्पादन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है।

(ख) यदि ठेकेदार उसके द्वारा करार की गई अथवा करार के किसी खंड/शर्त के आधीन अवधारित किसी राशि का भुगतान, भारसाधक अभियंता द्वारा इस संबंध में दिए नोटिस के 30 दिन के भीतर, भारत के राष्ट्रपति को करने में असमर्थ रहता है।

(iv) In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India.

(v) On substantial Completion of any work which has been completed to such an extent that the intended purpose of the work is met and ready to use, then a provisional Completion certificate shall be recorded by the Engineer-in-Charge. The provisional certificate shall have appended with a list of outstanding balance item of work that need to be completed in accordance with the provisions of the contract.

This provisional completion certificate shall be recorded by the concerned Engineer- in-charge with the approval of Superintending Engineer /Project Manager / Chief Engineer/ Chief Project Manager, if required. After recording of the provisional Completion Certificate for the work by the competent authority, the 80 % of performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest.

However in case of contracts involving Maintenance of building and services /any other work after construction of same building and services/ other work, then 40% of performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest after recording the provisional Completion certificate.

Clause 1A

Recovery of Security Deposit

The person(s) whose tender may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at the rate of 2.5% of the gross amount of each running and final bill till the sum deducted will amount to security deposit of 2.5% of the tendered amount of the work. Such deductions will be made and held by Government by way of Security Deposit unless he/they has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in the form of Government Securities or fixed deposit receipts. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills and the final bill of the contractor at the rates mentioned above.

(iv) यदि संविदा करार के किसी खंड/शर्त के किसी प्रावधान के अंतर्गत अवधारित/मसूख हो जाती है तो उस स्थिति में निष्पादन गारंटी को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा तथा वह आत्यंतिक रूप से, भारत के राष्ट्रपति के व्ययन पर होगी।

(v) किसी भी कार्य के पूरा होने पर जो इस सीमा तक पूरा हो चुका है, कि कार्य का उद्देश्य पूरा हो गया है तथा वह उपयोग के लिए तैयार है, तो एक अनंतिम समापन प्रमाण पत्र भारसाधक अभियंता द्वारा दर्ज किया जाएगा। अनंतिम प्रमाण पत्र के साथ संविदा के प्रावधानों के अनुसार बकाया शेष कार्य के मद की सूची जिन्हे पूरा किया जाना है, संलग्न होगा।

यह अनंतिम प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो तो, अधीक्षण अभियंता/ परियोजना प्रबन्धक/ मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबन्धक के अनुमोदन के साथ संबन्धित भारसाधक अभिंयता द्वारा दर्ज किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के लिए अनंतिम समापन प्रशस्ति पत्र कराने के बाद, निष्पादन गांरटी का 80 प्रतिशत ठेकेदार को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

हालांकि, भवनों के अनुरक्षण तथा सेवाओं/ उसी भवन के निर्माण के बाद किया गया अन्य कार्य तथा सेवाओं/ अन्य कार्य से संबन्धित संविदा के संबंध में, अनंतिम समापन प्रशस्ति पत्र के दर्ज होने के बाद ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के निष्पादन गांरटी का 40 प्रतिशत वापस कर दिया जाएगा।

खण्ड–1(क)

प्रतिभूति जमा की वसूली

जिस व्यक्ति(ओं) की निविदा को स्वीकार किया जा सकता है (इसके बाद ठेकेदार कहा जाएगा) सरकार को संविदा के तहत किए गए कार्य के लिए उसे किसी भुगतान करने के समय सकल राशि के 2.5% की दर से प्रत्येक चालू और अंतिम बिल की राशि की कटौती करने की अनुमति देगा जब तक कटौती की राशि कार्य की निविदा राशि के 2.5% की प्रतिभूति जमा राशि तक न हो। इस तरह की कटौती सरकार द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में की जाएगी और रखी जाएगी जब तक कि उसने/उन्होंने प्रतिभूति राशि को ऊपर उल्लिखित दर पर सरकारी प्रतिभूतियों या सावधि जमा रसीदों के रूप में जमा नहीं किया हो। यदि ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में सरकार को किसी बैंक कीसावधि जमा रसीद प्रस्तुत करता है और बैंक उस सावधि जमा रसीद पर भुगतान न करे तो उससे हुई हानि के लिए ठेकेदार तत्काल घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रतिभूति देगा।

इस ठेके के निबंधनों के अधीन ठेकेदार द्वारा संदय सभी प्रतिकर या अन्य धन–राशियां उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उससे होने वाले ब्याज से, या ऐसी राशियों से जो किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हों या हो जाएं, काटी जा सकेंगी या प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय द्वारा संदत्त की जा सकेंगी, और किन्हीं ऐसी कटौतियों या यथापूर्वोक्त विक्रय के कारण उसके प्रतिभूति निक्षेप के कम हो जाने की दशा में, ठेकेदार दस दिन के भीतर नकद या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या अनुसूचित बैंकों द्वारा निविदत्त सावधि निक्षेप पावती के रूप में या भारसाधक अभियंता के पक्ष में पृष्ठांकित सरकारी प्रतिभूतियों की दशा में रकम (यदि 12 मास से अधिक के लिए जमा की गई हों), किसी राशि या राशियों को, जो उसकी प्रतिभूति निक्षेप से या उसके किसी भाग से कटौती की गई हों या विक्रय से ली गई हों पूरी करेगा। प्रतिभूति निक्षेप ऊपर वर्णित दरों पर ठेकेदार के चालू बिलों एवं अंतिम बिल में से संग्रहित किया जाएगा।

The security deposit as deducted above can be released against bank guarantee issued by a scheduled bank, on its accumulations to a minimum of Rs. 5 lac subject to the condition that amount of such bank guarantee, except last one, shall not be less than Rs. 5 lac. Provided further that the validity of bank guarantee including the one given against the earnest money shall be in conformity with provisions contained in clause 17 which shall be extended from time to time depending upon extension of contract granted under provisions of clause 2 and clause 5.

In case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned year wise proportionately.

Note-1: Government papers tendered as security will be taken at 5% (five per cent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Government paper would be ascertained by the Divisional Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.

Note-2: Government Securities will include all forms of Securities mentioned in Rule No. 274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the observance of the condition mentioned under the rule against each form of security.

Note-3: Note 1 & 2 above shall be applicable for both clause 1 and 1A

Clause 2

Compensation for Delay

If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the work and clear the site on or before the contract or justified extended date of completion as per clause 5 (excluding any extension under Clause 5.5) as well as any extension granted under clauses 12 and 15, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of accepted Tendered Value of the work for every completed day/ month (as determined) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the work remains incomplete.

Compensation for delay of work

(i) With maximum rate 1% (one percent) maximum per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than one year

(ii) With maximum rate 1% (one percent) to 2% (two percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than six months and upto one year

(iii) With maximum rate 2% (two percent) to 5% (five percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is up to six months

उपर्युक्त कटौती के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप को न्यूनतम 5 लाख रूपये के संचयन पर अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के बदले जारी किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी बैंक गारंटी की राशी, अंतिम एक को छोड़कर 5 लाख रूपये से कम नहीं होगी। इसमें आगे यह भी उपबंधित है कि अग्रिम धन के एवज में दी गई गारंटी सहित, बैंक गारंटी की वैद्यता, खंड 17 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी जिसे खंड 2 और खंड 5 के प्रावधानों के अधीन प्रदत संविदा की अवधि बढ़ाये जाने के आधार पर समय–समय पर बढ़ाई जायेगी।

उन भवन के निर्माण और सेवाओं/अन्य कार्य के बाद सेवाओं/अन्य कार्य के अनुरक्षण को शामिल करने वाले ठेकों के मामले में, 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन गारंटी, प्रतिभूति राशि के रूप में रख ली जाएगी। उसे आनुपातिक रूप से वर्षवार लौटाया जाएगा।

टिप्पणी 1 – प्रतिभूति के रूप में निविदित्त सरकारी कागज–पत्रों को उनके बाजार मूल्य अथवा उनके अंकित मूल्य में, जो भी कम हो 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) कम के रूप में लिया जाएगा। सरकारी कागज–पत्र का बाजार मूल्य मंडल अधिकारी द्वारा ब्याज के संग्रहण के समय अभिनिश्चित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रकम सरकारी कागज–पत्र के मूल्य में कमी की सीमा तक रोक ली जाएगी।

टिप्पणी 2 – सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत विश्वस्तता बंध–पत्रों को छोड़कर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 274 में वर्णित सभी प्रारूप और प्रतिभूतियां होंगे। ऐसा इस नियम के अधीन प्रतिभूति के प्रत्येक प्रारूप के सामने वर्णित शर्तों के अनुपालन किए जाने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी 3 – उपर्युक्त टिप्पणियां 1 एवं 2 खण्ड 1 तथा खण्ड 1 क दोनों पर लागू होंगी।

खण्ड–2

विलंब के लिए क्षतिपूर्ति

यदि ठेकेदार खंड– 5 के संबंध में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाता है अथवा खंड 12 और 15 के अंतर्गत दी गई समय विस्तार तथा खंड– 5 के अनुसार (खंड 5.5 के अंतर्गत दिये गए समय विस्तार को छोड़कर) के अनुसार संविदा को अथवा न्याय उचित रूप से बढ़ाई गई पूर्णता की तिथि को अथवा उसके पूर्व कार्य को पूरा नहीं कर पाता है और कार्य स्थल से सारे सामान को हटा नही लेता है तब वह इस प्रकार के उल्लघंन के कारण सरकार को नियम के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार अथवा समाधान के पूर्वाग्रह के बिना नीचे उल्लिखित दरों पर परिकलित राशि सहमत मुआवजा के रूप में भुगतान करेंगा जैसा कि अनुसूची "एफ" में उल्लिखित प्राधिकारी (जिनका लिखित रूप में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा) प्रत्येक पूर्ण दिवस/महीने(यथा निर्धारित) के लिए कार्य के निवेदित मुल्य की राशि के संबंध में निर्णय लेगा कि यह प्रगति खंड 5 में उल्लिखित प्रगति से कम है और यह कि कार्य पूरा नही हुआ।

1. यदि कार्य का निर्धारित समापन एक वर्श से अधिक हो तो ठेकेदार की ओर से हुए विलंब के कारण होने वाली क्षति के प्रत्येक दिन के आधार पर प्रतिमाह 1 प्रतिशत की अधिकतम दर से क्षति की गणना की जाएगी ।

2. यदि कार्य का निर्धारित समापन छः माह से एक वर्श के भीतर हो तो ठेकेदार की ओर से हुए विलंब के कारण होने वाली क्षति के प्रत्येक दिन के आधार पर प्रतिमाह 1–2 प्रतिषत की अधिकतम दर से क्षति की गणना की जाएगी ।

3. यदि कार्य का निर्धारित समापन छः माह के भीतर हो तो ठेकेदार की ओर से हुए विलंब के कारण होने वाली क्षति के प्रत्येक दिन के आधार पर प्रतिमाह 2–5 प्रतिषत की अधिकतम दर से क्षति की गणना की जाएगी ।

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10 % of the accepted Tendered Value of work. In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on final justified extended date of completion. If the Engineer in Charge decides to give further extension of time allowing performance of work beyond the justified extended date, the contractor shall be liable to pay compensation for such extended period. If any variation in amount of contract takes place during such extended period beyond justified extended date and the contractor becomes entitled to additional time under clause 12, the net period for such variation shall be accounted for while deciding the period for levy of compensation. However, during such further extended period beyond the justified extended period, if any delay occurs by events under sub clause 5.2, the contractor shall be liable to pay compensation for such delay.

This is without prejudice to right of action by the Engineer in Charge under clause 3 for delay in performance and claim of compensation under that clause.

In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in Schedule F, after due consideration of justified extension. The compensation for delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after of determination of contract.

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with the Government. In case, the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule F, or the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5.4, the amount shown against that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied as above. With-holding of this amount on failure to achieve a milestone, shall be automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also shall be withheld. However, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.

Compensation for Delay

Clause 2A

For Maintenance Works estimated cost upto Rs. 25 Lacs If the contractor fails to maintain the required progress to complete the work and clear the site on or before the contract period he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of accepted Tendered Value of the work for every completed day/ month (as determined) that the work remains incomplete in the following manners.

(i) If there is no hindrance, compensation shall be levied if work is incomplete.

(ii) If site is not available there will be no compensation.

(iii) If there is partial hindrance then engineer- in - charge will compare amount of work executed in available hindrance free time w.r.t. total time and total work. Compensation will be levied if actual work executed is less than as calculated on pro rata basis.

वशर्ते यह कि इस शर्त के अंतर्गत भुगतान किए जाने के विलंब हेतु मुआवजा की कुल राशि अनुसूची 'एफ' में यथा उल्लिखित कार्य की निवेदित मुल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसके लिए मुल रूप से पूरा करने की अलग अवधि दी गई है।

यदि प्राधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान अनुसूची 'एफ' में किसी मुआवजा को तय नही किया गया है तब यदि कार्य पूरा करने की न्याय उचित बढ़ाई गई तिथि को पूरा नही किया गया हो तब उक्त प्राधिकारी द्वारा मुआवजा लगाने का अधिकार को माफ नहीं किया जाएगा। यदि प्रभारी अभियंता न्याय उचित बढाई गई तिथि के बाद कार्य को पूरा किए जाने की अनुमति देते हुए और अधिक विस्तार देने का निर्णय लेता है तब ठेकेदार को ऐसी बढाई गई अवधि के लिए मुआवजा का भुगतान करना होगा। यदि ठेके की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन न्याय उचित बढाई गई अवधि के बाद ऐसी बढाई गई अवधि के दौरान होता है और ठेकेदार खंड 12 के अंतर्गत अतिरिक्त समय प्राप्त करने का हकदार होता है तब ऐसे परिवर्तन की निवल अवधि की गणना मुआवजा लगाने के लिए अवधि के बारे में निर्णय लेते समय की जाएगी। हालांकि न्याय उचित बढाई गई अवधि के बाद ऐसी आगे बढाई गई अवधि के दौरान, यदि उप खंड 5.2 के अंतर्गत किन्ही घटनाओं के कारण विलंब होता हो तब ठेकेदार को ऐसे विलंब के लिए मुआवजा देना होगा।

यह खंड–3 के तहत निष्पादन में विलंब व मुआवजे के दावे हेतु उस खंड के तहत प्रभारी इंजीनियर द्वारा कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन के किए बिना हैं।

यदि खंड 2 के अंतर्गत कार्रवाई को अंतिम रूप नही दिया गया हो और खंड 3 के अंतर्गत कार्य का निर्धारण किया गया हो, इस खंड के अंतर्गत कार्रवाई का अधिकार संविदा के निर्धारण के बाद तक रहेगा परंतु मुआवजा केवल उन्ही दिवसों के लिए लगाया जाएगा जिसमें प्रगति न्याय उचित विस्तार पर उचित रूप से विचार करने के बाद अनुसूचि 'एफ' में प्राधिकारी द्वारा यथा आकलित निर्धारण की तिथि को समय कार्यक्रम से पीछे हो। यदि संविदा के निर्धारण के पूर्व विलंब के लिए मुआवजा के बारे में निर्णय नही लिया गया हो तब इसके बारे में निर्णय संविदा के निर्धारण के बाद ली जाएगी।

यदि मुआवजे की राशि का समायोजन सरकार के पास इस अथवा किसी अन्य संविदा के अंतर्गत ठेकेदार को देय किसी राशि के विरुद्ध किया जाए। यदि ठेकेदार खंड 5.4 के संबंध में पुनः निर्धारित लक्ष्यों अथवा अनुसूची एफ में उल्लिखित किसी विशेष नही प्राप्त करता है तब उस लक्ष्य के सामने दर्शाई गई राशि को रोक लिया जाएगा और उससे समय विस्तार को अंतिम रूप से दिए जाने पर लगाई गई मुआवजे से समायोजित की जाएगी। इस राशि को लक्ष्य प्राप्त न कर पाने पर ठेकेदार को बिना किसी सूचना के स्वतः रोक लिया जाएगा। हांलाकि ठेकेदार बार्ड के लक्ष्यों के संबंध में कार्य की प्रगति को आगे बढ़ाता है तब रोकी गई राशि जारी कर दी जाएगी। यदि ठेकेदार बाद के लक्ष्यों में विलंब को पूरा नही कर पाता है तब बाद में पूरे न किये गए प्रत्येक लक्ष्य विरूद्ध उल्लिखित राशि को भी रोक लिया जाएगा। हांलाकि ऐसी रोकी गई राशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

खण्ड–2क

अनुरक्षण कार्य लागत 25 लाख तक

विलंब के लिए क्षतिपूर्ति

यदि ठेकेदार कार्य को पूरा करने की अपेक्षित प्रगति बनाए रखने में असफल होता है और ठेके की अवधि तक या पहले कार्यस्थल से हट जाता है, तो वो ऐसे उल्लंघन के संबंध में सरकार के कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय का उल्लंघन किए बिना निम्नलिखित निर्धारित दरों पर गणना की गई राशि का मुआवजा के रूप में भुगतान करेगा जैसा कि अनुसूची 'च' में प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट है, प्रत्येक पूर्ण दिन/माह (जैसा निर्धारित हो) हेतु कार्य के लिए स्वीकृत निविदा मूल्य की राशि के बारे में निर्णय ले सकते हैं कि कार्य निम्नलिखित रूप में अपूर्ण है :

(i) यदि कोई बाधा नहीं हो, तो कार्य अधूरा होने पर पूरा मुआवजा लगाया जाएगा।
(ii) यदि कार्यस्थल उपलब्ध नहीं हो तो कोई मुआवजा नहीं होगा।
(iii) यदि अंशिक बाधा हो तो प्रभारी इंजीनियर कुल समय व कुल कार्य के संबंध में उपलब्ध बाधारहित समय में किए गए कार्य की मात्रा की तुलना करेगा। यदि किया गया वास्तविक कार्य सामानुपातिक आधार पर की गई गणना से कम हो तो मुआवजा लगाया जाएगा।

Compensation for delay of work

(i) With maximum rate 1% (one percent) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than one year.

(ii) With rate 1% (one percent) to 2% (two percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than six month and up to one year.

(iii) With rate 2% (two percent) to 5% (five percent) (maximum) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is up to six month.

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10 % of the accepted Tendered Value of work In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on stipulated date of completion.

This is without prejudice to right of action by the Engineer in Charge under clause 3 for delay in performance and claim of compensation under that clause.

In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in Schedule F. The compensation for delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after determination of contract.

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with the Government.

Clause 3

When Contract can be Determined

Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-Charge may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay, not following safety norms , inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases:

(i) If the contractor having been given by the Engineer-in-Charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or un-workman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.

(ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge.

कार्य के विलंब हेतु मुआवजा

(i) विलंब के प्रति माह पर 1% अधिकतम दर (एक प्रतिशत) के साथ प्रतिदिन के आधार पर गणना की जानी है, जो कि ठेकेदार की ओर से उल्लिखित विलंब के कारण हुई क्षति की मात्रा के आधार पर होगी, यदि निर्धारित कार्य एक वर्ष से अधिक का हो।

(ii) विलंब के प्रति माह पर 1% (एक प्रतिशत) से 2% (दो प्रतिशत) (अधिकतम) दर के साथ प्रतिदिन के आधार पर गणना की जानी है, जो कि ठेकेदार की ओर से उल्लिखित विलंब के कारण हुई क्षति की मात्रा के आधार पर होगी, यदि निर्धारित कार्य छह माह से अधिक व एक वर्ष तक का हो।

(iii) विलंब के प्रति माह पर 2% (दो प्रतिशत) से 5% (पांच प्रतिशत) (अधिकतम) दर के साथ प्रतिदिन के आधार पर गणना की जानी है, जो कि ठेकेदार की ओर से उल्लिखित विलंब के कारण हुई क्षति की मात्रा के आधार पर होगी, यदि निर्धारित कार्य छह माह तक का हो।

हमेशा बशर्ते कि इस शर्त के अधीन भुगतान किए जाने वाले विलंब हेतु मुआवजे की कुल राशि कार्य के स्वीकृत निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी। यदि कार्य की प्रगति के दौरान अनुसूची 'च' में प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया हो और पूरा करने की निर्धारित तिथि पर यदि कार्य अधूरा रहता है, तो उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा मुआवजा लगाने के अधिकार का अधित्याग नहीं होगा।

यह खंड 3 के तहत निष्पादन में विलंब व मुआवजे के दावे हेतु उस खंड के तहत प्रभारी इंजीनियर द्वारा कार्रवाई के अधिकार का उल्लंघन किए बिना है।

यदि खंड 2 के तहत कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया हो और कार्य को खंड 3 के तहत निर्धारित किया गया हो, तो इस खंड के तहत कार्रवाई का अधिकार ठेके के निर्धारण के बाद ही रहेगा, परंतु मुआवजा उन दिनों के लिए लगाया जाएगा जिनमें निर्धारण की तारीख पर अनुसूचित प्रगति कम हुई हो, जैसा कि अनुसूची 'च' में प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित किया गया है। विलंब हेतु मुआवजा यदि ठेके के निर्धारण से पूर्व निर्धारित नहीं किया गया हो तो उसे ठेके के निर्धारण के बाद निर्धारित किया जाएगा।

मुआवजे की राशि को इसके तहत या सरकार के साथ किसी अन्य ठेके के लिए ठेकेदार को देय किसी भी राशि के प्रति समायोजित अथवा निर्धारित किया जा सकता है।

खण्ड 3

जब संविदा का निर्धारण किया जा सकता है

इस खण्ड में दिए गए अन्य प्रावधानों के अध्यधीन भारसाधक इंजीनियर किसी विलंब या घटिया कारीगरी, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, क्षति के किन्ही दावों और/अथवा इस ठेके के किसी अन्य प्रावधान या अन्यथा और चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित सूचना द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी ठेके को पूरे तौर पर अवसान कर सकेगा :–

(i) यदि ठेकेदार, भारसाधक इंजीनियर द्वारा उसे यह लिखित सूचना दिए जाने पर कि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक किया जाए, पुन : सन्निर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुसूचित या कर्मकौशल रहित रीति में किया जा रहा है, ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात् सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

(ii) यदि ठेकेदार बिना किसी तर्कसंगत कारण से कार्य की प्रगति रोक देता है या उचित परिश्रम से कार्य करने में इस सीमा तक विफल रहता है कि भारसाधक इंजीनियर की राय (जो अंतिम और बाध्यकारी होगी) में वह कार्य समाप्ति की तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित नोटिस देने के सात दिन बाद भी उसी स्थिति में रहे।

(iii) If the contractor fails to complete the work or section of work with individual date of completion on or before the stipulated or justified extended date, on or before such date of completion; and the Engineer in Charge without any prejudice to any other right or remedy under any other provision in the contract has given further reasonable time in a notice given in writing in that behalf as either mutually agreed or in absence of such mutual agreement by his own assessment making such time essence of contract and in the opinion of Engineer-in-Charge the contractor will be unable to complete the same or does not complete the same within the period specified.

(iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/ or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge.

(v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in Government service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for Government.

(vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-Charge.

(vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits breach of Integrity Agreement.

(viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.

(ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.

(x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days.

(iii) यदि ठेकेदार अनुबद्ध अथवा तर्क संगत तरीके से बढ़ाई गई तारीख को अथवा उसके पूर्व कार्य की अलग–अलग तिथि में अथवा पूरा करने की ऐसी तारीख को अथवा उसके पूर्व कार्य अथवा उसके किसी भाग को पूरा करने में विफल रहता है और प्रभारी अभियंता संविदा में किसी अन्य अधिकार अथवा किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के या तो सहमति के आधार पर अथवा ऐसे आपसी करार के अभाव में अपने निजी आकलन द्वारा इस ओर लिखित में दी गई प्रस्ताव में और आगे उचित अवधि दी है और ऐसी समय को संविदा का मूल तत्व बनाया हो और प्रभारी अभियंता की राय में ठेकेदार उसे पूरा करने में सक्षम नही होगा और उसे निर्दिष्ट अवधि में पूरा नहीं कर पाता है।

(iv) यदि ठेकेदार ठेके के अन्तर्गत अपने दायित्वों को लगातार नहीं निभाता और/या ठेके की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन करने में त्रुटियां करता है और उसमें सुधार नहीं करता या भारसाधक इंजीनियर द्वारा, दिए गए इस आशय के लिखित नोटिस देने के बाद सात दिन तक उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता।

(v) यदि ठेकेदार सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से इस ठेके या किसी भी अन्य ठेके को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने यान करने या कर चुकने या न कर चुकने की एवज में प्रलोभन या इनाम स्वरूप किसी भी प्रकार की भेंट या प्रतिफल देने का प्रस्ताव रखता है या सहमत होता है।

(vi) यदि ठेकेदार सरकार के साथ कोई ठेका करता है जिसके संबंध में उसके द्वारा या उसकी जानकारी में कमीशन का भुगतान किया जा चुका हो या भुगतान करने की सहमति दी जा चुकी हो, यदि ऐसी किसी भी कमीशन के विवरण या उसके भुगतान के निबंधन पहले से ही प्रभारी अभियंता को लिखित में प्रकट नहीं किए गए हों।

(vii) यदि ठेकेदार सरकार से गलत निविदा द्वारा या प्रतियोगी निविदा करने के किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके द्वारा ठेका प्राप्त करता है या सत्यनिष्ठता अनुबंध को तोडता हैं।

(viii) यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है, या फर्म के रूप में है, तो यदि उसका कोई भागीदार किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाए या आदान आदेश दिए जाए या उसकी सम्पदा के प्रशासन संबंधी आदेश उसके विरूद्ध हों जाए या किसी दिवालियापन अधिनियम, जो उस समय लागू हो, के अंतगर्त उसके द्वारा समापन या संयोजन संबंधी (समामेलन या पुनर्निर्माण के प्रयोजन से किए गए स्वैच्छिक समापन के अलावा) कारवाई आरंभ की जाए या अपने लेनदारों के लाभ हेतु या ऐसा करने के उद्देश्य से वह अपने प्रभावों को व्यक्त करता है या निर्धारित करता है या संयोजन या प्रबंन्ध करता है, या अपनी सम्पदा के पृथक्करण के लिए किसी दिवालियापन अधिनियम जो उस समय लागू हो, के अंतगर्त उसने कोई आवेदन किया हो या अपने लेनदारों के लिए उसके द्वारा कोई न्यास विलेख निष्पादित किया गया हो।

(ix) यदि ठेकेदार, जो कम्पनी हो, यह संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश करता है कि कम्पनी का परिसमापन किया जाए या यदि किसी लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती हैं या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती हैं।

(x) यदि ठेकेदार अपने माल पर कर लगने का नुकसान उठाता है और यह स्थिति 21 दिन की अवधि तक जारी रहती है।

(xi) If the contractor assigns (excluding part(s) of work assigned to other agency(s) by the contractor as per terms of contract), transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without the prior written approval of the Engineer -in-Charge.

(xii) When the contractor has made himself liable for action under any of the aforesaid cases (i) to (xi), the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have powers:

(a) To determine the contract as aforesaid so far as performance of work by the Contractor is concerned (of which determination notice in writing to the If the revised tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) contractor under the hand of the Engineer-in-Charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, the Earnest Money Deposit, Security Deposit already recovered, Security deposit payable and Performance Guarantee under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Government.

(b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work.

In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

Clause 3A

In case, the work cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one months whichever is higher, either party may close the contract by giving notice to the other party stating the reasons. In such eventuality, the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded within 30 days

Neither party shall claim any compensation for such eventuality. This clause is not applicable for any breach of the contract by either party.

Clause 4

Contractor liable to pay compensation even if action not taken under Clause 3

In any case in which any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by Clause3 thereof, shall have become exercisable and the same are not exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of

(xi) यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अन्य एजेंसी (एजेंसियों) को सौंपे गए काम के हिस्से को छोड़कर), स्थानांतरण, उप–किराए (टुकड़े–टुकड़े के आधार पर श्रम की नियुक्ति या ऐसी सामग्री के साथ श्रम की नियुक्ति) सौंपता है कार्य में शामिल किया गया, उप–किराए पर देने के रूप में नहीं समझा जाएगा) या अन्यथा भारसाधक इंजिनियर की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना संपूर्ण कार्य या उसके किसी भी हिस्से के साथ भागों को आवंटित करने, स्थानांतरित करने, उप–किराए पर देने या अन्यथा करने का प्रयास करता है।

(xii) जब ठेकेदार ने उपरोक्त मामला (i) से (xi), में से किसी के तहत खुद को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना लिया है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक इंजिनियर के पास शक्तियां होंगी

(क) जहां तक ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन का प्रश्न है, ठेके का पूर्वोक्त रूप से अवसान कर दे (जिस अवसान की ठेकेदार को भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित निर्धारण सूचना निश्चायक साक्षी होगी)। ऐसे अवसान पर ठेके के तहत, निष्पादन गारंटी, पहले से वसूल प्रतिभूति निक्षेप तथा देय जमानत राषि जब्त किए जाने के दायित्वाधीन होगा और पूर्णतः सरकार के व्ययनाधीन होगा।

(ख) ठेकेदार को सूचना देने के पश्चात् उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह पूरा या शेष या भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दे दिया जाए। जिस ठेकेदार के ठेके का उपर्युक्त के अनुसार अवसान कर दिया गया हो, उसे शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारसाधक अभियंता द्वारा उपर्युक्त मार्ग अपनाए जाने की दशा में ऐसी कोई हानि जो ठेकेदार का ऐसी किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने अथवा कोई वचन कर लिए जाने या कोई पेशगी दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो और यदि पूर्वोक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार इस ठेके के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि भारसाधक इंजीनियर ने ऐसे कार्य का निष्पादन और संदेय मूल्य लिखित रूप से प्रमाणित न कर दिया हो।

खण्ड–3 क

यदि कार्य को कार्य समापन के अनुबंधित समय के 1/8वें समय के भीतर अथवा एक मास, जो भी अधिक हो, उन कारणों से शुरू नहीं किया जा सकता हो जो ठेकेदार के नियंत्रण से परे हों, तो कोई भी पक्ष कारणों का उल्लेख करते हुए अन्य पक्ष को नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार ठेका समाप्त करना चाहता है तो भारसाधक इंजीनियर को नोटिस देगा कि कार्य शुरू न होनें की जिम्मेदारी विभाग की हैं। ऐसी स्थिति में, ठेकेदार की निष्पादन गारंटी को 30 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा ।

कोई भी पक्ष इस प्रकार की घटना के लिए किसी मुआवजा का दावा नहीं करेंगा। यह नियम किसी भी पक्ष द्वारा संविदा के किसी उल्लंघन के लिए लागू नहीं है।

खण्ड– 4

यदि खंड 3 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई हो तब ठेकेदार मुआवजा का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

यदि खंड 3 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई हो तब ठेकेदार मुआवजा का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी किसी दशा में जिसमें इसके खण्ड 3 द्वारा भारसाधक इंजीनियर को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोग–योग्य हो जाए और उसका प्रयोग न किया जाए तो उसका प्रयोग न किया जाना इसकी किन्ही शर्तों का अधित्याग नहीं माना जाएगा और इसके होते हुए भी भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियां प्रयोग की जा सकेंगी और प्रतिकर के लिए ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित होगा। यदि भारसाधक इंजीनियर

the Engineer-in-Charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take possession of (or at the sole discretion of the Engineer-in-Charge which shall be final and binding on the contractor) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-Charge) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof belonging to the contractor, or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work/or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof shall be final, and binding on the contractor, clerk of the works, foreman or other authorized agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge may remove them atthe contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

Clause 5

Time and Extension for Delay

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the work shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site, notified by the Engineer-in-Charge, whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid, the performance guarantee shall be forfeited by the Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal of the Government without prejudice to any other right or remedy available in law.

5.1 (i) As soon as possible but within 7 (seven) working days of award of work and in consideration of

(a) Schedule of handing over of site as specified in the Schedule ' F '

(b) Schedule of issue of designs as specified in the Schedule ' F ',

the Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone. The Engineer-in-Charge may within 7 (seven) working days thereafter, if required modify, and communicate the program approved to the contractor failing which the program submitted by the contractor shall be deemed to be approved by the Engineer-in-Charge. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the Contract documents.

(ii) In case of non-submission of construction programme by the contractor, the program approved by the Engineer-in-Charge shall be deemed to be final.

पूर्वगामी खण्ड के अधीन अपने में निहित सब शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करे तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने कि लिए आशयित उन सब या किन्हीं औजारों, संयंत्र सामान और सामग्री का, जो कार्य में अथवा उसके स्थल पर हों या उनके किसी भाग का उनके लिए ठेके की दरों पर या यदि ये लागू नहीं है तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उसका प्रमाण–पत्र अन्तिम होगा, संदाय करके या लेखे में अनुज्ञात करके ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा (या पूर्णतः भारसाधक इंजीनियर के विवेकानुसार, जो अन्तिम होगा) भाड़े पर प्रयुक्त कर सकेगा (भाड़ा धन की रकम भी अन्तिम रूप से भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा भारसाधक इंजीनियर लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या कार्य पर उसके लिपिक को, फोरमैन को, या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजार, संयंत्र, सामान या सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने के लिए ओदश दे सकेगा और यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहे तो भारसाधक इंजीनियर उनको ठेकेदार के खर्च पर हटवा सकेगा या नीलाम द्वारा या ठेकेदार के लेखे और–सभी दृष्टियों से उनके जोखिम पर नीलाम करके बेच सकेगा और ऐसे किसी हटाए जाने के व्यय के और ऐसी बिक्री से प्राप्त रकम और व्यय के बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाण–पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अन्तिम और निश्चायक होगा।

खण्ड–5

विलंब के लिए समय और विस्तार

अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार कार्य निष्पादन के लिए अनुमत्य समय अथवा इन निबंधनों के अनुसार बढ़ाया गया समय ठेके के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस कार्य का प्रभारी अभियंता द्वारा अधिसूचित निष्पादन, अनुसूची 'च' में उल्लिखित समयावधि या कार्यस्थल सौंपे जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से आरम्भ किया जाएगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्तानुसार कार्य निष्पादन प्रारंभ करने में त्रुटि करता है तो प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य निष्पादन गारंटी जब्त कर लिया जाएगा और` अपने किसी भी अधिकार या कानून के तहत उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्ण रूप से सरकार के पास होगा।

5.1 (i) जैसे ही परंन्तु कार्य सौंपे जाने के सात दिनों के भीतर और निम्नलिखित पर विचार करते हुए

(क) अनुसूची 'च' में यथा उल्लिखित कार्य स्थल सौंपने का समय कार्यक्रम

(ख) अनुसूची 'च' में यथा उल्लिखित आरेख यदि कोई हो, को जारी करने का समय कार्यक्रम

ठेकेदार प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय और प्रोग्राम चार्ट प्रस्तुत करेगाध उसके बाद प्रभारी अभियंता यदि आवश्यक हुआ तो, सात दिनों के भीतर संशोधित करेगा और ठेकेदार को अनुमोदित प्रोग्राम की सूचना देगा अन्यथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम को प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित माना जाएगा। कार्य प्रोग्राम में शेष आरेखनों और निर्णयों जिन्हें उल्लिखित तिथियों के साथ ठेका को पूरा करना है का सभी ब्यौरा शामिल होगा जिसके द्वारा इन ब्यौरों को ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में बिना किसी विलंब के अपेक्षित है। ठेका कागजातों में कार्यमदों को पूरा करने के लिए दिए गए समय के सापेक्ष चार्ट तैयार किया जाएगा। इसमें पहले से ही कार्य प्रारंभ करने और कार्य के भागों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने की तारीखों का उल्लेख होगा और इन्हें ठेका कागजातों में बताई गई समय सीमाओं के अंदर आवश्यकतानुसार भारसाधक इंजीनियर और ठेकेदार के मध्य आपसी करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है

(ii) ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यक्रम को प्रस्तुत न किए जाने के स्थिति में प्रभारी अभियंता के द्वारा अनुमोदित प्रोग्राम को अंतिम माना जाएगा।

(iii) The approval by the Engineer-in-Charge of such programme shall not relieve the contractor of any of the obligations under the contract.

(iv) The contractor shall submit the Time and Progress Chart and progress report using the mutually agreed software or in other format decided by Engineer-in-Charge for the work done during previous month to the Engineer-in-charge on or before 5th day of each month failing which a recovery as per Schedule F to be decided by the NIT approving authority shall be made on per week or part basis in case of delay in submission of the monthly progress report

5.2 If the work(s) be delayed by:-

(i) force majeure, or

(ii) abnormally bad weather, or

(iii) serious loss or damage by fire, or

(iv) civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or

(v) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge in executing work not forming part of the Contract, or

(vi) any other cause like above which, in the reasoned opinion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control.

then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately give notice thereof in writing to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavours to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the works.

The contractor shall have no claim of damages for extension of time granted or rescheduling of milestone/s for events listed in sub clause 5.2.

5.3 In case the work is hindered, by the Department or for any reason / event, for which the Department is responsible, the authority as indicated in Schedule 'F' shall, if justified, give a fair and reasonable extension of time and reschedule the mile stones for completion of work.

Such extension of time or rescheduling of milestone/s shall be without prejudice to any other right or remedy of the parties in contract or in law, provided further that for concurrent delays under this sub clause and sub clause 5.2 to the extent the delay is covered under sub clause 5.2 the contractor shall be entitled to only extension of time and no damages.

5.4 Request for rescheduling of Mile stones or extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the Contractor in writing within fourteen days of the happening of the event causing delay on the prescribed forms i.e. Form of application by the contractor for seeking rescheduling of milestones or Form of application by the contractor for seeking extension of time (Appendix -XVI) respectively to the authority as indicated in Schedule 'F'. The Contractor shall indicate in such a request the period by which rescheduling of milestone/s or extension of time is desired.

(iii) ऐसे कार्यक्रमं के प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुति से ठेकेदार इस संविदा के अंतर्गत किसी दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

(iv) ठेकेदार प्रत्येक माह की 5 तारीख को अथवा उसके पूर्व प्रभारी अभियंता को विगत माह के दौरान किए गए कार्य के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा तय की गई अन्य प्रपत्र में अथवा आपसी रूप में सहमत सॉटवेयर का उपयोग करते हुए समय और प्रगति चार्ट तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके न किए जाने पर वसूली मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति में विलंब के मामले में अनुसूची च के अनुसार एनआईटी सक्षम प्राधिकारी सक्षम प्रधिकारी द्वारा तय प्रतिसप्ताह अथवा पार्ट के आधार पर की जाएगी।

5.2 यदि कार्य/कार्यों में निम्नलिखित में से किसी कारण विलंब हो :–

(i) अपरिहार्य घटना, या

(ii) बहुत खराब मौसम, या

(iii) आग के कारण हानि या क्षति, या

(iv) नागरिक अशान्ति, कर्मकारों की स्थानिक अशान्ति, हड़ताल या तालाबंदी जिसके कारण कार्य से संबंधित किसी भी कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ता हो, या

(v) अन्य ठेकेदारों द्वारा किया गया विलंब या ठेके से अलग, कार्य निष्पादन के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा लगाए गए कामगारों द्वारा किया गया विलंब, या

(vi) उपर्यृक्त जैसा कोई भी अन्य कारण जो भारसाधक इंजीनियर के तार्किक विचार में ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हो।

ऐसी किसी घटना के कारण होने वाले विलंब पर ठेकेदार तत्काल बाधा पंजी में प्रविष्टि के लिए प्रभारी अभियंता को ;अनुसूची 'च' में यथा निर्धारित भौतिक अथवा वेब आधारितद्धे उसका लिखित नोटिस देगा और फिर भी लगातार यह भरसक प्रयास करेगा कि और विलंब न हो या विलंब की भरपाई हो और कार्य को जारी रखने के लिए जैसा भी अपेक्षित होगा वह सब भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टि से करेगा।

ठेकेदार उप धारा 5.2 में सूचीबद्ध घटनाओं के लिए लक्ष्य, यदि कोई हो, का फिर से समय निर्धारित करने अथवा दिए गए समय विस्तार के लिए क्षति का कोई दावा नहीं करेगा।

5.3 यदि कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो तब ठेकेदार की राय में विभाग द्वारा किसी कारण/घटना जिसके कार्य के लिए विभाग जिम्मेदार हो। अनुसूची 'च' में यथा दर्शाए गए प्राधिकारी, यदि उचित हो, समय का सही और उचित विस्तार दे सकता है ।

इस प्रकार का समय विस्तार अथवा लक्ष्यों के लिए समय का पुनः निर्धारण किसी अन्य अधिकार अथवा संविदा में पक्षों का निदान, संविदा में अथवा कानुन में पक्षों का निदान के पुर्वाग्रह के बिना किया जाएगा वशर्ते उसके अलावा यह कि इस उप धारा अथवा उप धारा 5.2 के अंतर्गत उस सीमा तक समवर्ती विलंब जिसे उप धारा 5.2 के अंतर्गत शामिल किया गया हो, के लिए ठेकेदार को केवल समय विस्तार प्राप्त करने और न कि क्षति के लिए हर्जाना प्राप्त करने का हक होगा।

5.4 विचार किए जाने के पात्र लक्ष्यों के लिए पुनः समय निर्धारण अथवा समय विस्तार का अनुरोध ठेकेदार द्वारा उस घटना जिसके कारण विलंब हुआ हो, के होने के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप में निर्धारित प्रपत्र पर अर्थात् लक्ष्यों के लिए समय के पुनः निर्धारण के लिए अथवा समय का विस्तार प्राप्त करने के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन फॉर्म (परिशिष्ट - XVI) किया जाएगा। ठेकेदार उस अवधि के लिए अनुरोध को दर्शाएगा जब तक लक्ष्यों के लिए समय का पुनः निर्धारण अथवा समय विस्तार वांछित हो।

With every request for rescheduling of milestones, or if at any time the actual progress of work falls behind the approved programme by more than 10% of the stipulated period of completion of contract, the contractor shall produce a revised programme without causing any delay in execution of the work. A recovery as specified in Schedule 'F' shall be made on per day basis in case of delay in submission of the revised programme.

5.4.1 In any such case the authority as indicated in Schedule 'F' may give a fair and reasonable extension of time for completion of work or reschedule the mile stones. E-in-C shall finalize/ reschedule a particular mile stone before taking an action against subsequent mile stone. Such extension or rescheduling of the milestones shall be communicated to the Contractor by the authority as indicated in Schedule 'F' in writing, within 21 days of the date of receipt of such request from the Contractor in prescribed form. In event of non application by the contractor for extension of time E-in-C after affording opportunity to the contractor, may give, supported with a programme (as specified under 5.4 above), a fair and reasonable extension within a reasonable period of occurrence of the event.

5.5 In case the work is delayed by any reasons, in the opinion of the Engineer-in-Charge, by the contractor for reasons beyond the events mentioned in clause 5.2 or clause 5.3 or clause 5.4 and beyond the justified extended date, without prejudice to right to take action under Clause 3, the Engineer-in-Charge may grant extension of time required for completion of work without rescheduling of milestones. The contractor shall be liable for levy of compensation for delay for such extension of time.

Time is the essence of the contract

Clause 5A
For Maintenance Works estimated cost upto Rs. 25 Lacs

The time allowed for execution of the work as specified in the Schedule 'F' shall be the essence of the Contract i.e. the contract period will not be extended. The execution of the work shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F'. If the contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid the performance guarantee shall be forfeited by the Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal of the Government without prejudice to any other right or remedy available in law.

Computerized Measurement Book (CMB)/ Electronic Measurement Book (EMB) through CPWD ERP portal

Clause 6
Engineer-in-Charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract.

All measurements and levels of work done during the period covering latter half of the preceding calendar month and first half of the calendar month shall be recorded by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book (CMB) / Electronic Measurement Book (EMB) through CPWD ERP portal / Computerized Level Book (CLB) respectively having pages of A-4 size as per the format of the department so that a complete record is obtained of all the items of works executed under the contract during the said period. The proforma Computerised Measurement and level books (along with soft copy) shall be submitted in triplicate through letter of transmittal to the Engineer-in-charge giving details of number of CMBs / CLBs and their number of pages by 20th day of every calendar month.

लक्ष्य के समय पुनः निर्धारण के लिए प्रत्येक अनुरोध के साथ अथवा यदि किसी समय कार्य की वास्तविक प्रगति संविदा के पूरा होने की निर्धारित अवधि के 10 प्रतिशित से अधिक तक अनुमोदित कार्यक्रम पीछे चल रहा हो, तब ठेकेदार एक संशोधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगा जिसमें संविदा को पूरा करने के लिए लंबित आलेखनों तथा निर्णयों का ब्यौरा और लक्ष्य तिथियों जब तक ये ब्यौरे कार्य के निष्पादन में बिना किसी विलंब उत्तन्न किए उपलब्ध होगा, शामिल होगा। अनुसूची 'च' में यथा उल्लिखित वसूली संशोधित कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में विलंब के मामले में प्रतिदिन आधार पर किया जाएगा।

5.4.1 ऐसे किसी भी मामले में अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कार्य पूरा करने के लिए समय में उचित एवं औचित्यपूर्ण वृद्धि तथा लक्ष्यों को दोबारा अनुसूचित कर सकता है। भारसाधक अभियंता लक्ष्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व निर्धारित लक्ष्य को अंतिम रूप/ पुनर्निर्धारित करेगा। अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार से निर्धारित फॉर्म में इस आशय का अनुरोध प्राप्त करने की तारीख के 21 दिनों के भीतर को ऐसी वृद्धि अथवा लक्ष्यों की समय सीमा का पुनर्निर्धारण क्रमशः की लिखित सूचना दी जाएगी। समय में वृद्धि के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन न करने पर प्रभारी अभियंता ठेकेदार को अवसर देने के बाद (उपर्युक्त 5.4 के अंतर्गत यथा उल्लिखित) कार्यक्रम के साथ घटना के होने की एक उचित अवधि के भीतर सही एंव उचित समय विस्तार दे सकता है।

5.5 किन्ही कारणों से यदि कार्य में विलंब होता है तब प्रभारी अभियंता की राय में, धारा 5.2 और धारा 5.3 अथवा धारा 5.4 में उल्लिखित घटनाओं के बाद और न्याय उचित रूप से बढ़ाई गई तिथि के बाद के कारणों से ठेकेदार द्वारा ; धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, प्रभारी अभियंता लक्ष्यों के समय का पुनः निर्धारण किए बिना कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित विस्तार दे सकता है। ठेकेदार ऐसे समय विस्तार के लिए विलंब हेतु मुआवजा लगाने के लिए जिम्मेदार होगा।

खंड 5क

25 लाख तक के अनुरक्षण कार्य

समय ठेके का मूलतत्वज है

अनुसूची 'च'में यथा निर्दिष्टम कार्य के निष्पाअदन हेतु अनुमत समय ठेके का मूलतत्वव रहेगा अर्थात्द ठेके की अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा। कार्य के निष्पारदन की शुरूआत अनुसूची 'च'में यथा उल्लिखित समय अवधि से होगी। यदि ठेकेदार उपर्युक्तग उल्ले्खानुसार कार्य निष्पासदन की शुरूआत करने में चूक करता है तो प्रभारी इंजीनियर द्वारा निष्पावदन गारंटी जब्तय कर ली जाएगी और और कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पक्षपात के बिना सरकार द्वारा निपटान किया जाएगा।

खंड 6

सीपीडब्ल्यूडी ईआरपी पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका (सीएमबी) इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका (ईएमबी)

भारसाघक इंजीनियर, बशर्ते यह अन्यथा प्रावधान न हो, ठेके के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य पैमाइश द्वारा सुनिश्चित/ निर्धारित करेगा।

पूर्ववर्ती कैलेंडर माह के उत्तरार्ध और कैलेंडर माह के पहले भाग को कवर करने वाली अवधि के दौरान किए गए कार्य के सभी माप और स्तर को ठेकेदार द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और सीपीडब्ल्यूडी ईआरपी पोर्टल के माध्यम से संबंधित कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका (सीएमबी)/इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका (ईएमबी)/कम्प्यूटरीकृत लेवल बुक (सीएलबी) विभाग के प्रारूप के अनुसार ए–4 के आकार में संकलित किया जाएगा ताकि उक्त अवधि के दौरान अनुबंध के तहत निष्पादित सभी कार्यों का एक पूरा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। प्रोफार्मा कम्प्यूटरीकृत माप और लेवल बुक (सॉफ्ट कॉपी के साथ) तीन प्रतियों में सीएमबी/कम्प्यूटरीकृत लेवल बुक (सीएलबी) के माध्यम से सीएलबी की संख्या और उनके पृष्ठों की संख्या का विवरण देते हुए भारसाघक इंजीनियर को प्रेषण पत्र के माध्यम से प्रत्येक कैलेंडर माह के 20वें दिन तक प्रस्तुत किया जाएगा।

In case of EMB, the contractor shall record measurement online on ERP Portal and shall raise RFI(Request for Inspection)online for approval by Engineer-in-Charge or his/her authorised representative. The contractor shall create EMB for the approved RFIs and take printout of EMB having pages of A-4 size duly bound with its pages machine numbered. This online printed EMB shall be submitted in triplicate through letter of transmittal to the Engineer-in- Charge giving details of number of EMB and there number of pages by 20th day of every calendar month.

All such monthly measurements and levels recorded by the contractor or his authorized representative from time to time, during the progress of the work, shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-Charge or his/her authorized representative as per interval or program fixed in consultation with Engineer-in-Charge or his/her authorized representative.

In case of CMB/CLB, if after verification by the Engineer-in-charge and/or his/her authorized representative, any change is required, then the same shall be done by the Engineer-in-charge and/or his/her authorized representative in CMB/CLB under the dated initials signature, name and designation of the person seeking the change in all the three copies of proforma CMB/CLB. All changes are to be finally authorized by the Engineer-in-Charge. Thereafter one copy of the corrected and authorized proforma CMB / CLB shall be sent by the Engineer-in-charge to the contractor and another copy shall be sent by the Engineer-in-Charge to his/her authorized representative and the third copy shall be retained by the Engineer-in-charge in his office. The contractor shall then have to submit final CMB / CLB without any corrections to the Engineer-in-Charge who shall get it cross checked from the corrected and authorized proforma CMB / CLB.

In case of EMB, if after verification by the Engineer-in-Charge or his/her authorized representative, any change is required, then Engineer-in-Charge or his/her authorized representative seeking the change shall return the online rejected measurement(s) to the contractor for incorporating the changes. The contractor shall resubmit such measurements online after making necessary changes. All the changes are to be finally authorised by the Engineer- in- Charge or his / her authorised representative. The contractor shall create EMB for the approved RFI, submit printout of the final EMB, having pages of A- 4 size, without any correction and shall get it cross checked from the online record of measurements available on ERP Portal.

Once the Engineer-in-charge is satisfied that CMB / CLB /EMB is free from any corrections, modifications, over-writings, and insertions etc., he shall assign a number in continuation to the existing series of CMB / CLB /EMB of his office as per register of CMBs / CLBs / EMBs maintained in his Division office and intimate the assigned serial number of the CMB / CLB /EMB to the Contractor.

If the contractor fails to submit the CMB /CLB / EMB along with abstract of measurements for the work done continuously for two months, then the Engineer-in-charge shall get the executed work measured ex-parte after giving a notice of seven working days to the contractor in writing either through site order book or any other mode of correspondence. The ex-parte measurements so undertaken by the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the Contractor and shall be outside the purview of Clause 25 of this GCC.

ईएमबी के मामले में, ठेकेदार ईआरपी पोर्टल पर ऑनलाइन माप रिकॉर्ड करेगा और भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आरएफआई (निरीक्षण के लिए अनुरोध) प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अनुमोदित आरएफआई के लिए ईएमबी बनाएगा और ए–4 आकार के पृष्ठों वाले ईएमबी का प्रिंटआउट लेगा, जिसके पृष्ठ मशीन से क्रमांकित होंगे। यह ऑनलाइन मुद्रित ईएमबी प्रत्येक कैलेंडर माह के 20 वें दिन तक, ईएमबी संख्या और पृष्ठों की संख्या का विवरण देते हुए भारसाधक इंजीनियर को प्रेषण पत्र के माध्यम से तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्य की प्रगति के दौरान ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर रिकॉर्ड किए गए ऐसे सभी मासिक माप और स्तर की जाँच ठेकेदार द्वारा भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के परामर्श से निर्धारित कार्यक्रम या अंतराल के अनुसार, भारसाधक इंजीनियर या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से करवाई जायेगी।

सीएमबी/सीएलबी के मामले में, यदि भारसाधक इंजीनियर और/या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापन के बाद किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो भारसाधक इंजीनियर और/या उनके द्वारा सीएमबी/सीएलबी मे परिवर्तन चाहने वाले व्यक्ति का नाम, पद एवं दिनांकित हस्ताक्षर के साथ सीएमबी/सीएलबी की सभी तीन प्रतियों में परिवर्तन की मांग करेगा। सभी परिवर्तनों को अंततः भारसाधक इंजीनियर द्वारा अधिकृत किया जाना है। तत्पश्चात् संशोधित एवं प्राधिकृत प्रोफार्मा सीएमबी/सीएलबी की एक प्रति भारसाधक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को भेजी जायेगी तथा दूसरी प्रति भारसाधक इंजीनियर द्वारा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजी जायेगी तथा तीसरी प्रति भारसाधक इंजीनियर द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी। इसके बाद ठेकेदार बिना किसी सुधार के अंतिम सीएमबी/सीएलबी भारसाधक इंजीनियर को जमा करेगा जिसे भारसाधक इंजीनियर सही और अधिकृत प्रोफार्मा सीएमबी/सीएलबी से क्रॉस चेक करवाएगा।

ईएमबी के मामले में, यदि भारसाधक इंजीनियर या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापन के बाद, किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो भारसाधक इंजीनियर या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि इस परिवर्तन को समाविष्ट करने की मांग करते हुए ऑनलाइन अस्वीकृत माप (मापों) को ठेकेदार को वापस कर देंगे। ठेकेदार इस तरह के आवश्यक परिवर्तन करने के बाद मापों को ऑनलाइन फिर से जमा करेगा। सभी परिवर्तनों को अंतिम रूप से भारसाधक इंजीनियर या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधिकृत किया जाना है। ठेकेदार अनुमोदित आरएफआई के लिए ईएमबी ए–4 आकार के पृष्ठों वाली अंतिम ईएमबी का प्रिंटआउट बिना किसी सुधार के जमा करेगा और ईआरपी पोर्टल पर उपलब्ध मापों के ऑनलाइन रिकॉर्ड से इसका प्रति परीक्षण करवाएगा।

एक बार जब भारसाधक इंजीनियर संतुष्ट हो जाते हैं कि सीएमबी/सीएलबी/ईएमबी किसी भी सुधार, संशोधन, ओवर–राइटिंग और प्रविष्टि आदि से मुक्त है, तो वह सीएमबी/सीएलबी/ईएमबी मंडल कार्यालय में बनाए गए सीएमबी/सीएलबी/ईएमबी के रजिस्टर के अनुसार, मौजूदा श्रृंखला के क्रम में एक संख्या प्रदान करेगा तथा ठेकेदार को सीएमबी/सीएलबी/ईएमबी की निर्दिष्ट क्रम संख्या की सूचना देंगा।

यदि ठेकेदार दो माह तक लगातार किए गए कार्य के माप सार सहित सीएमबी/सीएलबी/ईएमबी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो भारसाधक इंजीनियर साइट ऑर्डर बुक या पत्राचार के किसी अन्य माध्यम से लिखित रूप में ठेकेदार को सात कार्य दिवसों का नोटिस देकर निष्पादित कार्य की एकपक्षीय माप कराएंगे। भारसाधक इंजीनियर द्वारा इस तरह किया गया एकपक्षीय माप अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और यह जीसीसी के खंड 25 के दायरे से बाहर होगा।

Resources deployed by the Engineer-in-charge for ex-parte measurements, subject to minimum of Rs 7500.00 per such two-monthly cycle of ex-parte measurement, shall be at the risk and cost of the contractor and shall be recovered from his bill. A copy of such ex-parte measurements shall be sent to the contractor for his record.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements/levels by the Engineer-in-Charge or his/her representative.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his/her authorized representative in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and/or test checking the measurement of any work in order that the same may be checked and/or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-Charge or his/her authorized representative in charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurements without such notice having been given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-Charge or his/her authorized representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements/levels recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements/ levels of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

भारसाघक इंजीनियरद्वारा एकपक्षीय माप के लिए लगाए गए संसाधन, ठेकेदार के जोखिम और लागत पर होंगे, एकपक्षीय माप के ऐसे दो–मासिक चक्र के न्यूनतम 7500.00 रुपये ठेकेदार के बिल से वसूल किए जाएंगे। . ऐसे एकपक्षीय माप की एक प्रति ठेकेदार को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी।

ठेकेदार, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क, भारसाघक इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि द्वारा मापध्स्तर की जांच के लिए आवश्यक हर उपकरण, श्रम और अन्य चीजों के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

मूल्यांकन की प्रासंगिक मानक पद्धति या किसी सामान्य अथवा स्थानीय पद्धति में कोई अन्यथा प्रावधान होने के बावजूद भी मूल्यांकनों को विनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि कार्य के किसी सामान्य या विस्तृत विवरण में स्पष्टतया उक्त प्रक्रिया के विपरीत उल्लेख किया गया हो। उन मदों, जो विनिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आती हैं, के मामले में मूल्यांकन भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जारी मूल्यांकन की प्रासंगिक मानक पद्धति के अनुसार किए जाएंगे और यदि किसी मद विशेष के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में आपसी सहमति से तय पद्धति को अपनाया जाएगा।

ठेकेदार किसी कार्य की पैमाइश को कवर अप करने या उसे चेकिंग (जांच) और अथवा टेस्ट चेकिंग से अन्यथा बाहर रखने से पहले भारसाधक इंजीनियर या उसके कार्य के प्रभारी प्राधिकृत प्रतिनिधि को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा ताकि उसकी जांच और/या टेस्ट चेकिंग की जा सके और कवर अप करने या पैमाईश की चेकिंग/टेस्ट चेकिंग करने से पहले उसका सही परिमाण लिया जा सके तथा वह ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर या उसके कार्य के प्राधिकृत प्रभारी प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना किसी कार्य की पैमाइश को कवर अप नहीं करेगा और पैमाइश से बाहर नहीं रखेगा और संबंधित भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सात दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि भारसाधक इंजीनियर की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना कोई कार्य कवर अप किया जाएगा या पैमाईश की जांच/या टेस्ट चेकिंग से बाहर रखा जाएगा तो इसे ठेकेदार के खर्चे पर संसाधित किया जाएगा और खर्च न देने पर ऐसे निष्पादित कार्य या उसमें लगी सामग्री के लिए उसे कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा दर्ज की गई मापों/स्तरो की स्वयं या विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा जांच करा सकते हैं और इसमें ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान मापों या तल मापन की ऐसी जांच पर भी लागू होंगे।

इस ठेके में यह भी शर्ते है कि माप बही में कार्य की किसी भी मद की माप/स्तर की चेकिंग और /या टेस्ट चेकिंग होने या अंतरिम, लेखागत अथवा अंतिम बिल में उसका भुगतान होना इस बात का एकमेव प्रमाण नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई कार्य या सामग्री संतोषजनक है और इसके तहत ठेकेदार किसी अधिक पैमाइश या त्रुटि दायित्व अवधि समाप्त होने तक पाई गई त्रुटियों के दायित्व से मुक्त नहीं होगा

Payment on intermediate certificate to be regarded as Advances

Clause 7

No payment shall be made for work, estimated to cost Rs. Five lac or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. For works estimated to cost over Rs. Five lac, the interim or running account bills shall be submitted by the contractor for the work executed on the basis of such recorded measurements in the format of the Department in triplicate on or before the 7th day of every calendar month of the measurements recorded upto previous month as per clause 6. The contractor shall not be entitled to be paid any such interim payment if the gross work done together with net payment/ adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment is less than the amount specified in Schedule 'F', in which case the interim bill shall be prepared on the appointed date of the month after the requisite progress is achieved.

An amount of ad-hoc payment not less than 75% of the net amount of the bill under check, shall be made within 10 working days of submission of the bill by the Contractor to the Engineer-in-Charge or his Authorized Engineer together with the account of the material issued by the department, or dismantled materials, if any. The remaining payment is also to be made after final checking of the bill within 28 working days of submission of bill by the contractor.

Engineer-in-Charge shall arrange to have the bill verified by taking or causing to be taken, where necessary, the requisite measurements of the work.

If the contractor fails to submit the bill for the work done upto defined date continuously for two months, then the Engineer-in-charge shall get the bill prepared ex-parte after giving a notice of seven working days to the Contractor in writing either through site order book or any other mode of correspondence. The ex-parte bill so prepared by the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the Contractor and shall be outside the purview of Clause 25 of this GCC. In the event of preparing the bill by the Engineer-in-Charge, no claims whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be admissible to contractor.

Resources deployed by the Engineer-in-charge for ex-parte preparation of bill, subject to minimum of Rs 5000.00 per such two monthly cycle of ex-parte bill, shall be at the risk and cost of the contractor and shall be recovered from his bill. A copy of such ex-parte bill shall be sent to the contractor for his record.

In the event of the failure of the contractor to submit the bills, no claims whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be payable to the contractor.

All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances against final payment only and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-Charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract.

खण्ड 7

अन्तरिम प्रमाण पत्र पर भुगतान को अग्रिम के रूप में माना जाएगा

पाँच लाख रूपए अथवा इससे कम की प्राक्कलित लागत वाले कार्य के लिए कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संपूर्ण कार्य पूरा न हो जाए और पूरा होने का प्रमाण पत्र न दे दिया गया हो। पाँच लाख रूपए से अधिक की प्राक्कलित लागत वाले कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के लिए इस प्रकार दर्ज मापों के आधार पर विभाग के प्रपत्र पर खण्ड 6 के अनुसार पिछले महीने तक दर्ज माप तीन प्रतियों में अंतरिम या चल लेखा बिल, प्रत्येक माह के 7 वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि, पिछले ऐसे भुगतान के बाद किए गए शुद्ध भुगतान/एकत्र की गई सामग्रियों यदि हों, के लिए अग्रिमों के समायोजन सहित कुल किया गया कार्य अनुसूची (च) में निर्दिष्ट राशि से कम हो तो ठेकेदार किसी भी अंतरिम भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा और ऐसे मामले में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के बाद माह की निश्चित तारीख को अंतरिम बिल तैयार किया जाएगा।

जांच के तहत बिल की शुद्ध राशि के न्ध्यूनतम 75 प्रतिशत की राशि का तदर्थ भुगतान ठेकेदार द्वारा भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत अभियंता को बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर विभाग द्वारा जारी सामग्री, या नष्ट की गई सामग्री, यदि कोई हो के खाते के साथ किया जाएगा। शेष भुगतान भी ठेकेदार द्वारा बिल जमा करने के 28 कार्य दिवसों के भीतर बिल की अंतिम जाँच के बाद किया जाना होगा।

भारसाधक इंजीनियर, जहां आवश्यक हो कार्य की आवश्यक माप लेकर/या माप करवा के बिल सत्यापित करेगा।

यदि कॉन्ट्रैक्टर लगातार दो माह तक निर्धारित तिथि तक किए गए कार्य का बिल जमा करने में विफल रहता है, तो भारसाधक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को लिखित रूप में या तो साइट ऑर्डर बुक या पत्राचार के किसी अन्य माध्यम से सात कार्य दिवसों का नोटिस देकर एकपक्षीय बिल तैयार करवाएगा। भारसाधक इंजीनियर द्वारा तैयार करवाया गया ऐसा एकपक्षीय बिल अंतिम होगा एवं कॉन्ट्रैक्टर के लिए बाध्यकारी होगा तथा यह जीसीसी के खंड 25 के दायरे से बाहर होगा। भारसाधक इंजीनियर द्वारा बिल बनाए जाने की स्थिति में भुगतान की देरी के कारण कॉन्ट्रैक्टर ब्याज सहित किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है।

एकपक्षीय माप के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा तैनात संसाधन, जो कि एकपक्षीय माप के ऐसे प्रति दो–मासिक चक्र के लिए न्यूनतम 5000.00 रुपये के अधीन है, कॉन्ट्रैक्टर के जोखिम और लागत पर होगा और उसके बिल से वसूल किया जाएगा। ऐसे एकपक्षीय माप की एक प्रति कॉन्ट्रैक्टर को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी।

यदि ठेकेदार बिल प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो भारसाधक इंजीनियर बिल तैयार करेगा या करवाएगा और भुगतान में विलम्ब के कारण ठेकेदार को ब्याज के दावे सहित, किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के प्रति अग्रिमों के रूप में भुगतान माना जाएगा और इससे खराब, दोषपूर्ण और अपूर्ण या अकुशल कार्य को अस्वीकृत/हटाने और ले जाने की और उसका पुनः सन्निर्माण करने या उसे फिर से स्थापित करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा। ऐसे भुगतान के भाग के रूप में किए गए कार्य या दी गई सामग्रियों के संबंध में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को बाद के किसी भी प्रमाण पत्र (पत्रों) या अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा संशोधित या सुधार किया जा सकता है और यह अपने आप में इस बात का एकमेव प्रमाण नहीं होगा कि कोई कार्य या सामग्रियां, जिनसे वह संबंधित हो, ठेका और विनिर्देशों के अनुरूप हैं। ऐसा कोई भी अंतरिम भुगतान या उसका कोई भाग, ठेके के तहत भारसाधक इंजीनियर की शक्तियों को किसी भी रूप में पर्यवसित, समाप्त या प्रभावित नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी भुगतान को लेखाओं का अंतिम परिनिर्धारण और समायोजन माना जाएगा या न किसी अन्य रूप में ठेके में फेरबदल या उसको प्रभावित करेगा।

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority.

The Engineer-in-Charge in his sole discretion on the basis of a certificate from the Asstt. Engineer to the effect that the work has been completed up to the level in question make interim advance payments without detailed measurements for work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent interim bills to be submitted by the contractor within 10 days of the interim payment. In case of delay in submission of bill by the contractor a simple interest @ 10% (ten percent) per annum The Engineer-in-Charge in his sole discretion ……. contractor a simple interest @ 10% (ten percent) per annum on the advance payment made to the contractor, shall be paid to the Government from the date of expiry of prescribed time limit.

Payments in composite Contracts

In case of composite tenders, running payment for the major component shall be made by EE of major discipline to the main contractor. Running payment for minor component shall be made by the Engineer-in-Charge of the discipline of minor component directly to the main contractor.

In case main contractor fails to make the payment to the contractor associated by him within 15 days of receipt of each running account payment, then on the written complaint of contractor associated for such minor component, Engineer in charge of minor component shall serve the show cause to the main contractor and if reply of main contractor either not received or found unsatisfactory, he may make the payment directly to the contractor associated for minor component as per the terms and conditions of the agreement drawn between main contractor and associate contractor fixed by him. Such payment made to the associate contractor shall be recovered by Engineer-in-charge of major or minor component from the next R/A/ final bill due to main contractor as the case may be.

Clause 7A

No Running Account Bill shall be paid for the work till the applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW Welfare Board, whatever applicable are submitted by the contractor to the Engineer-in-Charge.

Clause 7B

Payment to third party

If the exigencies of the work so demand, the engineer-in-charge may allow payment to a third party, who is creditor to the contractor, after fulfilling the following conditions.

(a) The contractor gives an authority letter addressed to the engineer-in-charge on a non-judicial stamp paper of Rs.100 in the format given below.

I/We authorize the Executive Engineer, ... Division, CPWD to pay directly on my/our behalf to ..... (name of the third party) an amount of Rs.....(Rupees .....in words) for the work done or supplies made by ..... (name of the third party). I/We shall be responsible for the quality and quantity of the same under the provisions of agreement number.....

Signature of the contractor

कार्य समापन की तारीख में वृद्धि विचाराधीन होते हुए भी इसमें दिए गए अनुसार अंतरिम भुगतान किया जाता रहेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य समापन की तारीख में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती है तो कार्य समापन में विलंब के लिए इस ठेके की शर्तों के तहत कार्रवाई करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सहायक इंजीनियर द्वारा दिए गए इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर, कि प्रसंगाधीन कार्य अपेक्षित स्तर तक पूरा कर लिया गया है, भारसाधक इंजीनियर अपने स्वयं के निर्णयनुसार सरदल स्तर (सन शेड आदि सहित) और स्लैब स्तर तक किए गए कार्य (नींव और संपूर्ति मदों के अन्तर्गत आने वाली मदों को छोड़कर) की विस्तृत माप लिए बिना हर मंजिल के लिए आकलित मूल्य का 75 प्रतिशत अंतरिम अग्रिम भुगतान कर सकता है। इस प्रकार अनुमत्य अग्रिम भुगतान को उनकी विस्तृत माप लेकर बाद के अंतरिम बिल में समायोजित किया जाएगा और इसे ठेकेदार द्वारा अंतरिम भुगतान के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा बिल को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ हो तब ठेकेदार को किये गये अग्रिम भुगतान पर निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने की तिथि से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज का भुगतान सरकार को किया जाएगा।

संयुक्त संविदाओं में भुगतान

संयुक्त निविदाओं के मामले में कार्य के बड़े हिस्से के लिए चालू भुगतान मुख्य हिस्से के कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्य ठेकेदार को किया जाएगा। लघु अवयवों के लिए चालू भुगतान लघु भाग के भारसाधक इंजीनियरद्वारा मुख्य ठेकेदार को सीधे ही कर दिया जाएगा।

यदि मुख्य ठेकेदार उसके द्वारा संबंद्ध ठेकेदार को प्रत्येक चालू खाता भुगतान की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कार्य के छोटे हिस्से के लिए संबंद्ध ठेकेदार की लिखित शिकायत पर लघु भाग के प्रभारी अभिंयता, मुख्य ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और यदि मुख्य ठेकेदार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है या संतोष जनक नहीं पाया जाता है, तो वह लघु हिस्से के लिए सम्बद्व ठेकेदार को उस करार की उन शर्तो और निबंधनों पर सीधे ही भुगतान कर सकता है जो मुख्य ठेकेदार और उसके द्वारा निर्धारित संबंद्व ठेकेदार के बीच तैयार की गई थी। संबद्व ठेकेदार को किया गया यह भुगतान मुख्य या छोटे हिस्से के भारसाधक इंजीनियर द्वारा मुख्य ठेकेदार के अगले चालू खाता/अंतिम बिल, जैसा भी मामला हो, से वसूल लिया जाएगा।

खण्ड 7 क

कार्य के लिए किसी भी सक्रिय खाता बिल का भुगतान नही किया जाएगा जब तक लागू श्रम लाइसेन्स, ईसीआइसी, तथा वेलफेयर बोर्ड के साथ पंजीकृत, जो भी लागू हो ठेकेदार द्वारा भारसाधक अभियंता को दिया जाता।

खण्ड 7 ख

तीसरे पक्ष को भुगतान

यदि कार्य की अत्यावश्कताएं ऐसी मांग करती है, तो प्रभारी अभियंता निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने के बाद किसी तीसरे पक्ष को, जो ठेकेदार का ऋणदाता है, भुगतान की अनुमति दे सकता है ।

(क) ठेकेदार नींचे दिए गए प्रारुप के अनुसार 100 रुपये के नॉन–जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रभारी अभियंता को संबोधित एक अधिकार पत्र देता है ।

मैं/हम कार्यपालक अभियंता .....मंडल, केलोनिवि को मेरी/हमारी ओर से ..... (तीसरे पक्ष का नाम) को..... रुपये की राशि..... (रुपये ..... शब्दों में)..... (तीसरे पक्ष का नाम) द्वारा किए गए कार्य या आपूर्ति के लिए सीधे भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं । मैं/हम करार संख्या..... के प्रावधानों के तहत उसकी गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार हूँ/है ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(b) The total payment to third party (or parties) shall not exceed 10% of the agreement cost of the work.

Clause 8

Completion Certificate

Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-Charge and within thirty days of the receipt of such notice, the Engineer-in-Charge shall inspect the work and if there is no defect in the work, shall furnish the contractor with a final certificate of completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued. But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floor or other parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution; thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-Charge. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of work, the Engineer-in-Charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof

Clause 8A

Contractor to keep Site Clean

When the annual repairs and maintenance of works are carried out, the splashes and droppings from white washing, colour washing, painting etc., on walls, floor, windows, etc shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done: without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements of this clause, the Engineer-in Charge shall have the right to get this work done at the cost of the contractor either departmentally or through any other agency. Before taking such action, the Engineer-in Charge shall give ten days notice in writing to the contractor.

Clause 9

Payment of Final Bill

The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within three months of physical completion of the work or within one month of the date of the final certificate of completion furnished by the Engineer-in-Charge whichever is earlier. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payment of those items of the bill in respect of which there is no dispute, and for those items which are in dispute on account

(ख) तीसरे पक्ष (या पार्टियों) को कुल भुगतान कार्य की करार लागत के 10% से अधिक नही होगा ।

खण्ड 8

पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता नक्शे

कार्य के पूरा होने के दस दिन के भीतर ठेकेदार ऐसे पूरे होने की सूचना भारसाधक इन्जीनियर को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर भारसाधक इन्जीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई दोष न हो तो ठेकेदार को अंतिम समापन प्रमाण पत्र देगा अन्यथा ऐसे दोष (क) जो ठेकेदार द्वारा ठीक किए जाने हैं और या (ख) जिनके लिए संदाय घटी हुई दरों पर किया जाएगा, उपदर्शित करते हुए भौतिक रूप में कार्य पूरा होने का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से, जिस पर कार्य निष्पादित किया गया है, सब पाड़, बचा हुआ सामान, कूड़ा–करकट और सभी झोपड़ियां तथा सफाई व्यवस्थाएं, जो ठेकेदार (रों) कर्मकारों के लिए स्थल पर कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में अपेक्षित हों और उसके/उनके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हों, हटा न दे और जब तक सभी काष्ठ की चीजों, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्शों या भवन के, जिसमें, जिस पर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह उनके कब्जे में रहा हो, अन्य भागों से गन्दगी साफ न कर दे और जब तक भारसाधक इन्जीनियर द्वारा कार्य की माप न करली गई हो तब तक पूरा होने का, अन्तिम प्रमाण–पत्र न तो जारी किया जाएगा और न कार्य ही पूरा हुआ माना जाएगा। यदि ठेकेदार कार्य के पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व यथापूर्वोक्त पाड़ तथा बचे हुए सामान और कूड़ा–करकट और सभी झोपड़ियों तथा सफाई व्यवस्था को हटाने के और गन्दगी साफ करने के सम्बन्ध में इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहेगा तो भारसाधक इन्जीनियर ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा–करकट आदि हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका निपटान कर सकेगा और ऐसी गन्दगी की सफाई कर सकेगा और ठेकेदार का, यथापूर्वोक्त, ऐसे पाड़, बचे हुए सामान के बारे में, उसकी बिक्री द्वारा वस्तुत : प्राप्त किसी राशि के सिवाय कोई दावा नहीं होगा।

खण्ड 8 क

ठेकेदार को कार्य स्थल को साफ रखना होगा

जब वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य पूरा हो जाए तब दीवारों, फर्शों, खिड़कियों आदि पर गिरी हुई सफेदी, रंग रोगन आदि और उसके छींटो को हटाया जाएगा तथा ठेके के कार्य की अन्य सभी मदों का वास्तव में समापन किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, अलग–अलग कमरों, क्वार्टरों अथवा परिसरों आदि में, जहां उक्त कार्य किया गया है, कार्य की इन मदों को पूरा करने के साथ–साथ सतह साफ की जाएगी। यदि ठेकेदार इस खण्ड' की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहेगा तो भारसाधक इन्जीनियर को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के व्यय पर विभाग अथवा किसी भी अन्य अभिकरण के माध्यम से उस कार्य को करा ले। भारसाधक इन्जीनियर ऐसी कार्यवाही करने से पूर्व ठेकेदार को दस दिन की लिखित सूचना देगा।

खण्ड 9

अंतिम बिल का भुगतान

ठेकेदार द्वारा अंतरिम बिलों में निर्दिष्ट अनुसार, कार्य के भौतिक समापन के तीन माह के भीतर या भारसाधक इन्जीनियर द्वारा दिए गए कार्य समापन के अंतिम प्रमाण पत्र की तारीख के एक माह के भीतर, जो भी पहले हो, अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम बिल प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार कोई और दावा प्रस्तुत नहीं करेगा और सब दावों को निरस्त या समाप्त माना जाएगा। बिल की जिन मदों के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जो मदें विवादित हैं, भारसाधक इंजीनियार द्वारा अनुमोदित मात्राओं और दरों के अनुसार , उनका

of quantity and/or rates shall be paid at approved quantity and/or rates by the Engineer-in-Charge, within three months period reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer in- Charge or his authorized Assistant Engineer, complete with account of materials issued by the Department and dismantled materials.

If the final bill is submitted by the contractor within the period specified above and payment of final bills is made by the deptt. after prescribed time limit , a simple interest @ 5 % per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit, provided the final bill submitted by the contractor is found to be in order.

Payment of Contractor's Bills to Banks

Clause 9A

Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions instead of direct to him provided that the contractor furnishes to the Engineer-in-Charge (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the bank; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claim preferred against Government before settlement by the Engineer-in-Charge of the account or claim by payment to the bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions. While the receipt given by such banks; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the contractor shall whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bank, registered financial, co operative or thrift societies or recognized financial institutions.

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions any rights or equities vis the President of India.

Materials to be provided by the Contractor

Clause 10A

The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the works other than those which are stipulated to be supplied by the Government.

The contractor shall, at his own expense and without delay; supply to the Engineer-in-Charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in-Charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge that the materials so comply. The Engineer-in-Charge shall within thirty days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in Charge shall be issued after the test results are received.

भुगतान, विभाग से जारी की गई सामाग्रियों और तोड़ फोड़ से प्राप्त सामग्रियों के लेखा सहित भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत सहायक इंजीनियर द्वारा बिल की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के अंदर कर दिया जाएगा।

यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त विशिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाता है, एवं अंतिम बिल सही पाया जाता है तथा विभाग द्वारा किए गए अंतिम बिलों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के बाद किया जाता है, तो निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने की तिथि से ठेकेदार को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज देय होगा।

खण्ड 9क

बैंकों को ठेकेदार के बिलों का भुगतान

ठेकेदार को देय भुगतान, यदि वह चाहे, तो सीधे उसको किए जाने की बजाय उसके बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को किए जा सकते हैं बशर्ते ठेकेदार, प्रभारी इन्जीनियर को (1) मुख्तारनामा जैसा विधि मान्य दस्तावेज जिसमें बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानको भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो और (2) उस राशि की सत्यता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जो सरकार से उसको मिलने वाली राशि बताई गई है अथवा प्रभारी इन्जीनियर द्वारा लेखे या दावे के बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। यद्यपि ऐसे बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई अभिस्वीकृति संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त प्रमाण होगी तथापि ठेकेदार को, जहां तक संभव हो, विधिवत रूप से पावतीयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान की मार्फत प्रस्तुत करना होगा।

इसमें सम्मिलित कोई बात भारत के राष्ट्रपति बनाम बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान के पक्ष में कोई अधिकार या साम्या सूचित नहीं करेगी।

खण्ड 10क

ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री

सरकार द्वारा प्रदाय करने के लिए निश्चिय की गई सामग्रियों को छोड़कर कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां ठेकेदार अपने खर्चे पर उपलब्ध कराएगा।

ठेकेदार अपने खर्चे पर कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों के नमूने अविलंब भारसाधक इंजीनयर को भेजेगा और इन्हे पहले अनुमोदित कराएगा। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ये सभी सामग्रियां ठेके में दिए गए या उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप होंगी। यदि भारसाधक इंजीनियर चाहे तो ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टि के अनुरूप, सामग्रियों के विनिर्देशों के अनुरूप होने का प्रमाण देगा। नमूने भेजने के तीस दिन या आगे की ऐसी अवधि जिसमें वह चाहे, के भीतर भारसाधक इंजीनियर लिखित रूप में ठेकेदार को सूचित करेगा कि नमूने अनुमोदित कर दिए गए हैं या नहीं? यदि नमूने अनुमोदित नहीं किए जाते हैं तो ठेकेदार तत्काल ठेके में दिए गए विनिर्देशों के अनरूप नए नमूने भारसाधक इंजीनियर को अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा। जब सामग्रियों का परीक्षण विनिर्देशों के अनुरूप किया जाना हो तब परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद भारसाधक इंजीनियर का अनुमोदन जारी किया जाएगा।

The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-Charge. The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials.

The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities as the Engineer-in-Charge may require for collecting, and preparing the required number of samples for such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-Charge and bear all charges and cost of testing unless specifically provided for otherwise elsewhere in the contract or specifications. The Engineer -in- Charge or his authorized representative shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.

The Engineer-in-Charge shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-Charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-Charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the Contractor.

The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site for conducting routine field tests. The lab shall be equipped at least with the testing equipment as specified in schedule F.

Clause 10 B

Secured Advance on Materials

(i) The contractor, on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer in-Charge, shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work up to 75% of the assessed value of any materials or an amount not exceeding 75% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of the work, whichever is lower, which are in the opinion of the Engineer-in- Charge nonperishable, non-fragile and non-combustible and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of such advance shall be recovered/ deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

Such secured advance shall also be payable on other items of perishable nature, fragile and combustible with the approval of the Engineer-in-Charge provided the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such materials. The decision of the Engineer- in-Charge shall be final and binding on the contractor in this matter. No secured advance, shall however, be paid on high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel etc.

परीक्षण या विश्लेषण किए जाने वाली सामग्रियों के नमूने ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर प्रस्तुत करेगा और किसी भी सामग्री का, जिसका नमूना भेजा गया हो, प्रयोग या कार्य में शामिल तब तक नहीं करेगा जब तक अपेक्षित परीक्षण या विश्लेषण न कर लिया गया हो और भारसाधक इंजीनियर द्वारा उसे अंतिम रूप से स्वीकार न कर लिया गया हो। सामग्रियों के परीक्षण के कारण और उसके परिणामस्वरूप कार्य में किसी विलंब या किए जाने वाले अपेक्षित किसी सुधारात्मक उपाय के लिए ठेकेदार किसी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

ऐसे परीक्षण, यथा–स्थान और यथा–समय या भारसाधक इंजीनियर द्वारा यथा निर्दिष्ट स्थान पर आवश्यक संख्या में नमूने एकत्रित करके व तैयार करने के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर करेगा और परीक्षण के सभी प्रभार और सभी लागत वहन करेगा! यदि ठेका या विनिर्देशों में कहीं भी विशेष तौर पर अन्यथा उल्लेख न हो, भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वह कर्मशालाओं, सभी वर्कशापों और ऐसे स्थानों को, जहां कार्य तैयार किया जा रहा हो या जहां से कार्य के लिए सामग्रियों की निर्मित मदें या मशीनरी प्राप्त की जाती हैं, देख सकता है और ठेकेदार इस सम्बन्ध में हर सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएगा।

भारसाधक इंजीनियर को पूरा अधिकार होगा कि वह उन सामग्रियों को जो उसकी राय मे विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, कार्यस्थल से हटवा सकता है और यदि ऐसा नहीं होता तो भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार के खर्चे पर किसी अन्य व्यक्ति को इन्हें हटाने के लिए नियोजित कर सकता है और ऐसी सामग्रियों को यदि कोई हानि या क्षति होती है या होगी उसके लिए भारसाधक इंजीनियर जिम्मेदार नहीं होगा। भारसाधक इंजीनियर को उनके स्थान पर अन्य समुचित सामग्री प्रतिस्थापित कराने का पूरा अधिकार भी होगा और ऐसा न करने पर भारसाधक इंजीनियर स्वयं उसकी आपूर्ति करवा सकता है और सामग्री हटाने और प्रतिस्थापित करने की सभी लागतें ठेकेदार द्वारा वहन की जाएंगी।

ठेकेदार नेमी फील्ड परीक्षण करने के लिए कार्यस्थल पर अपने खर्च पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराएगा। प्रयोगशाला को अनुसूची 'च' में यथा विर्निदिष्ट परीक्षण उपकरणों से अवश्य सुसज्जित किया जाएगा।

खण्ड 10ख

सामग्री पर प्रतिभूतित अग्रिम

(i) ठेकेदार, भारसाधक इंजीनियर द्वारा निदिष्ट किए गए फार्म में मांगपत्र पर हस्ताक्षर करके कार्य की प्रगति के दौरान किन्हीं भी सामग्रियों के, जो भारसाधक इंजीनियर की राय में अनश्वर, मजबूत और अप्रज्वलनशील और ठेके के अनुरूप हों, और जो कार्यस्थल पर उसी निमित्त लाई गई हों और समुचित रूप से भंडारण और मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित हों लेकिन जिन्हें अग्रिम के समय कार्य में शामिल न किया गया हो प्राक्कलित मूल्य का 75 प्रतिशत तक भुगतान पाने का हकदार होगा अथवा कार्य की समाप्त मद की निविदा दर में सामग्री तत्व राषि के 75 प्रतिषत से कम की राषि, जो भी कम हो, इस उपखण्ड के तहत जिन सामग्रियों के लिए अग्रिम दिया गया हो, उन्हें जब कार्य में शामिल कर लिया गया हो तो ऐसे अग्रिम की राशि इस ठेके के किसी भी खण्ड या खण्डों के तहत किए गए अगले भुगतान से वसूल/काट ली जाएगी।

ऐसा प्रतिभूत अग्रिम भारसाधक इंजीनियर के अनुमोदन से अन्य नाशवान प्रकृति, कमजोर और प्रज्वलनशील मदों के लिए भी दिया जा सकेगा बशर्ते ठेकेदार ऐसी सामग्रियों की पूरी लागत के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा दे। इस मामले में भारसाधक इंजीनियर का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। फिर भी, अत्यंत जोखिम वाली सामग्रियों जैसे साधारण काँच, रेत, पैट्रोल, डीजल आदि के लिए कोई प्रतिभूत अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

Payment on Account of Increase in Prices/ Wages due to Statutory Order(s)

Clause 10 C

If after submission of tender, if the price of any marital in corporate in the work and/ or wages of labour increases as a direct result of the coming into force of any fresh ,law or statutory rule or order (but not due to any variation of rate in GST applicable on such material(s) being considered under this clause) beyond the prices/wages prevailing at the time of the last stipulated date of receipt of tenders including extensions, if any, for the work during contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, then the amount of the contract shall accordingly be varied.

If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the works (excluding the materials covered under Clause 10CA and/or wages of labour as prevailing at the time of last stipulated date of receipt of tender including extensions, if any, is decreased as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rules or order (but not due to any variation of rate in GST applicable on such material (s) being considered under this clause), Government shall in respect of materials incorporated in the works and/or labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor, such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of the materials and/or wages as prevailed at the time of the last stipulated date for receipt of tenders including extensions if any for the work and the prices of materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule or order. This will be applicable for the contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2.

Engineer-in-Charge shall call books of account and other relevant documents from the contractor to satisfy himself about reasonability of increase in prices of materials and wages.

The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such materials and/or wages of labour, give notice thereof to the Engineer-in-Charge stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in position to supply.

For this purpose, the labour component of 85% of the value of the work executed during period under consideration shall not exceed the percentage as specified in Schedule F, and the increase/decrease in labour shall be considered on the minimum daily wages in rupees of any unskilled Mazdoor, fixed under any law statutory role and order. The cost of work for which escalation is applicable (W) is same as cost of work done worked out as indicated in sub-para (ii) of clause 10 CC except the amount of full assessed value of secured Advance.

Payment due to Increase / Decrease in Prices/ Wages after Receipt of Tender for Works

Clause 10CC

If the prices of materials and/or wages of labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices and wages shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2. No such compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of completion is equal to or less

खण्ड–10ग

प्रशासनिक आदेश के कारण कीमतों/मजदूरी में वृद्धि के कारण भुगतान

यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद कार्यों में समाविष्ट किसी सामग्री (खंड 10ग क के अंतगर्त समाविष्ट सामग्री को छोड़ कर और जो उसके खण्ड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भण्डार में से प्रदाय की गई सामग्री नहीं हैं), मूल्य में और या श्रमिकों की मजदूरी में किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश (लेकिन इस खंड के अंतर्गत विचार किए जाने वाले ऐसी सामग्रियों पर लागू जीएसटी में दर के किसी परिवर्तन के कारण नहीं) के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के दर में किसी तबदीली के कारण नहीं) वृद्धि हो जाती है और ऐसी वृद्धि कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के लिए अंतिम निर्धारित तारीख के समय विद्यमान मूल्य और/या मजदूरी से अधिक होती है जिसमें संविदा अविध के दौरान काम के लिये की गई समय वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ खंड 2 में बिना किसी कार्रवाई के, संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अधीन बढ़ाई गई तर्क संगत समय वृद्धि भी सम्मिलित है,

यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री (खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्री को छोड़कर और जो उसके खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) और/अथवा श्रमिकों की मजदूरी निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तारीख जिसमें समय वृद्धि, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है किसी नई विधि, सांविधिक नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के परिणाम स्वरूप (परन्तु विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के दर में परिवर्तनों के कारण नहीं) कम हो गई है, तो सरकार कार्य में समाविष्ट सामग्रियों (खंड 10ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्रियों को छोड़कर और खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) और/अथवा कार्य के निष्पादन में ऐसी विधि, सांविधिक नियम या आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् से, नियोजित श्रमिकों की बाबत ठेकेदार को देय रकमों में से ऐसी रकम काटने की हकदार होगी जो कार्य के लिए समय वृद्धि, यदि हो, सहित निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तारीख के समय विद्यमान सामग्री के मूल्य और/या मजदूरी ऐसी विधि, सांविधिक नियम या ओदश के प्रवृत्त हो जाने पर सामग्रियों के मूल्य और/या श्रमिकों की मजदूरी के बीच अन्तर के बराबर होगी। यह खंड 2 के अंतर्गत कोई कार्रवाई किये बिना संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत बढ़ाई गई तर्कसंगत अवधि सहित सविदा अवधि पर लागू होगी।

भारसाधक अभियंता ठेकेदार से लेखा बहियों और अन्य संबंद्ध दस्तावेजों की मांग करेंगा ताकि वह सामग्री तथा मजदूरी में वृद्धि की तर्कसंगतता के संबंध में आश्वस्त हो सके।

ठेकेदार किसी ऐसी सामग्री के मूल्य और/या श्रमिक मजदूरी में किसी परिवर्तन के पता लगने के युक्तियुक्त समय के भीतर भारसाधक इंजीनियर को यह लिखते हुए नोटिस देगा कि वह उससे सम्बद्ध समस्त जानकारी, जो वह देने की स्थिति में है, इस शर्त के अनुसरण में दे रहा है।

इस प्रयोजन के लिए, विचाराधीन अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य का 85 प्रतिशत श्रम घटक उस अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य का उस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो 'अनुसूची च' में दर्शाई गई है तथा श्रम में वृद्धि/कमी पर विचार किसी कानून, सांविधिक नियम अथवा आदेश के अंतर्गत अकुशल व्यस्क पुरूष मजदूर की रूपयों में निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जाएगा। कार्य की लागत जिसके लिए एस्केलेशन या वृद्धि लागू है, खंड ग ग के सब पैरा (ii) में संकेतित कार्य की लागत के समान है, सिवाय सुरक्शित अग्रिम के पूर्ण मूल्यांकन के मूल्य की राशि को छोड़कर।

खण्ड 10गग

कार्य के लिए निविदा प्राप्त होने के बाद कीमतों/मजदूरियों में कमी/वृद्धि के कारण भुगतान

यदि सामग्री के मूल्यों और या कार्य के निश्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी में वर्ष्द्धि हो जाती है तो नीचे बताए गए उपबन्धों के अनुसार ऐसी वर्ष्द्धि के लिए ठेकेदार को प्रतिकर दिया जाएगा और संविदा की राषि में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा। यह इस षर्त के अधीन रहते हुए होगा कि मूल्यों तथा मजदूरी में वर्ष्द्धि के लिए ऐसा प्रतिकर केवल उस कार्य के लिए दिया जाएगा जो संविदा की अनुबद्ध अवधि के अन्तर्गत हो जिसमें खंड 2 के अनुसार कोई कार्रवाई किए बिना संविदा के खण्ड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत बढ़ाई गई समंजित अवधि षामिल है। ऐसे किसी कार्य

than the time as specified in Schedule F. Such compensation for escalation in the prices of materials and labour, when due, shall be worked out based on the following provisions:-

(i) The base date for working out such escalation shall be the last stipulated date of receipt of tenders including extension, if any.

(ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as below :

(a) Gross value of work done up to this quarter : (A)

(b) Gross value of work done up to the last quarter : (B)

(c) Gross value of work done since previous quarter (A-B) (C)

(d) Full assessed value of Secured Advance fresh paid in this quarter : (D)

(e) Full assessed value of Secured Advance recovered in this quarter : (E)

(f) Full assessed value of Secured Advance for which escalation Payable in this quarter (D-E): (F)

(g) Advance payment made during this quarter: (G)

(h) Advance payment recovered during this quarter: (H)

(i) Advance payment for which escalation is payable in this Quarter(G-H): (I)

(j) Extra items/deviated quantities of items paid as per Clause 12 Based on prevailing market rates during this quarter: (J)

Then, M = C+F+I-J

N = 0.85 M

Cost of work for which escalation is applicable:

W = N

(iii) Components for materials (except cement, reinforcement bars, structural steel, POL) labour, etc. shall be pre-determined for every work and incorporated in the conditions of contract attached to the tender papers included in Schedule 'F'. The decision of the Engineer-in-Charge in working out such percentage shall be binding on the contractors.

(iv) The compensation for escalation for other materials shall be worked as per the formula given below:- Adjustment for civil component / electrical component of construction 'Materials'

$$Vm = \frac{W \times Xm}{100} \times \frac{MI - MI_0}{MI_0}$$

Vm = Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered.

कि लिए ऐसा कोई प्रति कर संदेय नहीं होगा जिसके पूरा किए जाने की अनुबंधित अवधि अनुसूची 'च' में उल्लेखित के अनुसार या उससे कम हैं। सामग्री के मूल्यों और श्रमिकों की मजदूरी में वर्षद्धि के लिए ऐसे प्रतिकर की संगणना देय होने पर निम्नलिखित उपबंधों के आधारपर की जाएगी।

(i) ऐसी वृद्धि की संगणना करने के लिए जिस तारीख, को आधार माना जाएगा वह निविदा प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख, समय वृद्धि, यदि कोई हो, उसके सहित होगी।

(ii) कार्य की लागत, जिस पर वृद्धि संदेय होगी, नियमानुसार मानी जाएगी–

(क) इस तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (अ)

(ख) पिछली तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (आ)

(ग) पिछली तिमाही से लेकर अब तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (क–ख) (इ)

(घ) इस तिमाही में दिए गए सुरक्षित अग्रिम (इसमें खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्रियां शामिल नहीं हैं) का पूर्ण निधारित मूल्य (ई)

(ड.) इस तिमाही में वसूल किए गए सुरक्षित (इसमें खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्रियां शामिल नहीं हैं) का पूर्ण निर्धारित मूल्य (उ)

(च) सुरक्षित अग्रिम का, जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि संदेय है पूर्ण निर्धारित मूल्य (घ–ड.) (ऊ)

(छ) इस तिमाही में की गई अग्रिम अदायगी (ए)

(ज) इस तिमाही में वसूल की गई अग्रिम की राशी (ऐ)

(झ) अग्रिम अदायगी, जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि संदेय है (ज–झ) (ओ)

(ञ) इस तिमाही के दौरान बाजार की विद्यामान दरों पर खण्ड 12 के अनुसार अदा की गई अतिरिक्त मदें/मद की विचलित मात्राएं। (औ)

तब एम = इ + ऊ + ओ–औ

एन = 0.85 x एम

कार्य की लागत, जिसके लिए वृद्धि लागू है

डब्ल्यू = एन

(iii) सामग्री (सीमेंट, प्रबलन छड़ें, ढांचागत स्टील, पी.ओ.एल. को छोड़कर) श्रम आदि के घटक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्व निष्चित किए जाएंगे और निविदा की अनुसूची 'ड़' में सम्मिलित का गज–पत्रों के साथ लगी संविदा की षर्तें में सम्मिलित किए जाएंगे तथा ऐसी प्रतिषत की गणना करने में भारसाधक इंजीनियर का विनिष्चय ठेकेदारों पर बाध्यकारी होगा।

(iv) अन्य सामग्रियों की वृद्धि के लिए प्रतिकर की नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार संगणना की जाएगी :

निर्माण कार्य सामग्री के लिए सिविल घटक/वैद्युत घटक का समायोजन

$$\text{वी एम} = \text{डब्ल्यू} \times \frac{\text{एक्स एम}}{100} \times \frac{\text{एम आई} - \text{एम आई}_0}{\text{एम आई}_0}$$

वी एम = सामग्री की लागत में घट–बढ़ अर्थात दी जाने वाली या वसूल की जाने वाली रकम के रुपयों में वृद्धि या कमी।

= Cost of Work done worked out as indicated in sub-para (ii) of Clause 10CC.

Xm = Component of 'materials' (except cement, structural steel, reinforcement bars POL) expressed as percent of the total value of work.

MI = All India Wholesale Price Index for civil component/electrical component* of construction material as worked out on the basis of All India Wholesale Price Index for Individual Commodities/ Group Items for the period under consideration as published by Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying weightages to the Individual Commodities/Group Items. (In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the index prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/ tendered cost, shall be considered.) If updated stipulated date of completion as calculated on pro- rata basis does not cover full calendar month then indices will be considered or restricted to previous month.

MI_0 = All India Wholesale Price Index for civil component/electrical component* of construction material as worked out on the basis of All India Wholesale Price Index for Individual Commodities/Group Items valid on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any, as published by the Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying weightages to the Individual Commodities/ Group items.

*Note: relevant component only will be applicable.

(v) The following principles shall be followed while working out the indices mentioned in para (iv) above.

(a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills paid during the three calendar months of the said quarter. The dates of preparation of bills as finally entered in the Measurement Book by the Assistant Engineer/ date of submission of bill finally by the contractor to the department in case of computerized measurement books shall be the guiding factor to decide the bills relevant to the quarterly interval. The first such payment shall be made at the end of three months after the month (excluding the month in which tender was accepted) and thereafter at three months' interval. At the time of completion of the work, the last period for payment might become less than 3 months, depending on the actual date of completion.

(b) The index (MI/FI etc.) relevant to any quarter/period for which such compensation is paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the three calendar months. If the period up to date of completion after the quarter covered by the last such installment of payment, is less than three months, the index MI and FI shall be the average of the indices for the months falling within that period.

डब्ल्यू = किए गए कार्य की लागत जिसकी संगणना खंड 10 गग के उप–पैरा (ii) में बताए अनुसार की गई है।

एक्स एम = कार्य के (सीमेंट, ढांचागत स्टील, प्रबलन छड़ें, पीओ एल को छोड़कर) कुलमूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त सामग्री का घटक है।

एम आई = अलग–अलग वस्तुओं/समूह मदों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्माण कार्य सामग्री के सिविल घटक/वैद्युत घटक के लिए निर्धारित अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा विचाराधीन अवधि के लिए प्रकाशित किया गया हो और अलग–अलग वस्तुओं/समूह मदों को महत्व दिया गया हो। {(संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढ़ाई गई न्यायोचित अवधि के संबंध में खंड–2 के अंतर्गत कोई कार्यवाही न करते हुए, कार्य समापन की अद्यतित निर्धारित तिथि (अतिरिक्त कार्य की लागत ग निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत, के रूप में अनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली अतिरिक्त अवधि)को लागू सूचकांक अपनाया जाएगा।)} यदि यथानुपात के आधार पर जैसा कि गणना की गई अद्यतन निर्धारित समाप्ति की तिथि पूर्ण कैलेंडर माह को कवर नहीं करती है तो पिछले माह के सूचकांक पर विचार किया जाएगा या उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

एम आई0 = अलग–अलग वस्तुओं/ समूह मदों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्माण कार्य सामग्री के सिविल घटक/वैद्युत घटक के लिए निर्धारित अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया गया हो और जैसा कि निविदाओं को प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख पर, समय वृद्धि सहित, यदि हो, विधिमान्य हो और अलग–अलग वस्तुओं/समूह मदों को महत्व दिया गया हो।

टिप्पणी : केवल सम्बंधित घटक लागू होगा।

(v) उपर्युक्त पैरा (iv) में उल्लिखित सूचकांक, निकालते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा :–

(क) वृद्धि के लिए प्रतिकर की संगणना त्रैमासिक अंतरालों पर की जाएगी और वह पिछले तीन मास के दौरान भुगतान किए गए बिलों के अनुसार किए गए कार्य की लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी। त्रैमासिक अंतराल के लिए प्रासगिंक बिल की तिथि माप पुस्तिका में सहायक इंजनियर द्वारा अंतिम रूप से बिल बनानें की दर्ज की गई तिथि/ठेकेदार द्वारा विभाग को (कम्प्युटराइस्ड माप पुस्तिका की दशा) में अतंरिम बिल जमा करने की तिथि के अनुसार मार्गदर्शक कारक होगीं। ऐसा पहला संदाय उस मास के (उस माह को छोड़कर जिसमें निविदा स्वीकार की गई थी) बाद, जो तीन मास के अन्त में और तत्पश्चात तीन मास के अन्तराल पर किया जाएगा। कार्य समापन के समय भुगतान के लिए अन्तिम अवधि तीन मास से कम हो सकती है, जो कि कार्य समापन की वास्तविक तारीख पर निर्भर करेगी।

(ख) सूचकांक (एम आई/एफ आई आदि) उस तिमाही/अवधि से संबंधित सूचकांक होगा जिस तिमाही के लिए प्रतिकर दिया जाता है उससे संबंधित सूचकांक, संबंधित तीन माह के सूचकांक का गणितीय औसत होगा। अन्तिम ऐसी किस्त के भुगताने के बाद यदि कार्य समापन की तारीख तक अवधि तीन माह से कम है तो सूचकांक एम आई और एफ आई उस अवधि में पड़ने वाले माह के सूचकांकों का औसत होंगें।

(vi) The compensation for escalation for labour shall be worked out as per the formula given below:-

$$VL = W \times \frac{Y}{100} \times \frac{LI - LI_O}{LI_O}$$

VI : Variation in labour cost i.e. amount of increase or decrease in rupees to be paid or recovered.

W : Value of work done, worked out as indicated in sub-para (ii) above. •

Y : Component of labour expressed as a percentage of the total value of the work.

LI : Minimum wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter previous to the one under consideration. (In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the minimum wage prevailing on the last date of quarter previous to the quarter pertaining to updated stipulated date of Completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered cost, shall be considered.) If updated stipulated date of completion as calculated on pro-rata basis does not cover full calendar month then indices will be considered or restricted to previous month.

LI_0 : Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any.

(vii) The following principles will be followed while working out the compensation as per sub para (vi) above.

(a) The minimum wage of an unskilled Mazdoor mentioned in sub-para (vi) above shall be the higher of the wage notified by Government of India, Ministry of Labour and that notified by the local administration both relevant to the place of work and the period of reckoning.

(b) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid under this clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters;

(c) Irrespective of variations in minimum wages of any category of labour, for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled Mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation compensation payable on the labour component.

(vi) श्रम की वृद्धि के लिए प्रतिकर की नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार संगणना की जाएगी :

$$\text{वी एल} = \text{डब्ल्यू} \times \frac{Y}{100} \times \frac{LI - LI_0}{LI_0}$$

वी एल = श्रम लागत में घट–बढ़ अर्थात् दी जाने वाली या वसूल की जाने वाली रकम की रूपयों में वृद्धि या कमी।

डब्ल्यू = किए गए कार्य की लागत जिसकी संगणना उपर्युक्त उप–पैरा (पप) में बताए अनुसार की गई है।

वाई = श्रम घटक जो कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो।

एल आई = विचाराधीन तिमाही के पहले की तिमाही में अन्तिम दिन लागू किसी भी कानून सांविधिक नियम या आदेश के तहत निश्चित की गई अकुशल वयस्क पुरूष मजदूर की रुपयों में न्यूनतम मजदूरी। (संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढ़ाई गई न्यायोचित अवधि के संबंध में खंड–2 के अंतर्गत कोई कार्यवाही न करते हुए, कार्य समापन की अद्यतित निर्धारित तिथि (अतिरिक्त कार्य की लागत ग निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत, के रूप में अनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली अतिरिक्त अवधि) की तिमाही से पहले की तिमाही में अंतिम दिन लागू न्यूनतम मजदूरी अपनाया जाएगा।)घ्यदि यथानुपात के आधार पर जैसा कि गणना की गई अद्यतन निर्धारित समाप्ति की तिथि पूर्ण कैलेंडर माह को कवर नहीं करती है तो पिछले माह के सूचकांक पर विचार किया जाएगा या उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

एल आई$_0$ = निविदा स्वीकार करने की अन्तिम निर्धारित तारीख तक, समय वृद्धि सहित, यदि हो, किसी भी कानून सांविधिक नियम या आदेश के तहत निश्चित की गई अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर की रुपयों में न्यूनतम दैनिक मजदूरी।

(vii) उपर्युक्त उप पैरा–(अप) के अनुसार प्रतिकर की गणना के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाएगा–

(क) उपर्युक्त उप पैरा–(अप) में उल्लिखित, एक अकुशल पुरुष मजदूर की न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी हो, जो दोनों कार्य के स्थान एवं गणना अवधि से संगत हों, इन दोनों मजदूरियों में से उच्चतर होगी।

(ख) इस खण्ड के तहत् सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण किए गए भुगतान के अनुसार ही श्रमिकों को वृद्धि के लिए उन्हीं तिमाही अन्तरालों में भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसी तिमाही अन्तराल में न्यूनतम मजदूरी में ऐसा कोई संशोधन होता है तो वृद्धि–प्रतिकर केवल संशोधित दरों पर उसके बाद की तिमाही में किए गए कार्य के लिए देय होगा।

(ग) श्रमिकों विभिन्न वर्गों की न्यूनतम मजदूरी में अन्तर होने के बावजूद, इस खण्ड के प्रयोजन से, श्रम घटक को दिए जाने वाले वृद्धि प्रतिकर की गणना, अकुशल, वयस्क पुरुष मजदूर की दरों के अंतर के आधार पर की जाएगी।

(viii) In the event the price of materials and/or wages of labour required for execution of the work decrease/s, there shall be a downward adjustment of the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the formula herein before stated under this Clause 10CC shall mutatis mutandis apply, provided that:

(a) no such adjustment for the decrease in the price of materials and/or wages of labour aforementioned would be made in case of contracts in which the stipulated period of completion of the work is equal to or less than the time as specified in Schedule 'F'.

(b) the Engineer-in-Charge shall otherwise be entitled to lay down the procedure by which the provision of this sub-clause shall be implemented from time to time and the decision of the Engineer-in-Charge in this behalf shall be final and binding on the contractor.

(ix) Provided always that:-

(a) Where provisions of clause 10CC are applicable, provisions of clause 10C will not be applicable.

(b) Where provisions of clause 10CC are not applicable, provisions of clause 10C will become applicable.

Note: Updated stipulated date of completion (period of completion plus extra time for extra work) for compensation under clause 10C and 10 CC.

The factor of 1.25 taken into account for calculating the extra time under clause 12.1 for extra time shall not be considered while calculating the updated stipulated date of completion for this purpose in clause 10C and clause 10CC.

Clause 10 D

Dismantled Material Govt. Property

The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work, etc. as Government's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of Government according to the instructions in writing issued by the Engineer-in-Charge

Clause 11

Work to be Executed in Accordance with Specifications, Drawings, Orders etc.

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer-in-Charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents together with specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of Central Public Works Department specified in Schedule 'F' or in any Bureau of Indian Standard or any other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed publication referred to elsewhere in the contract.

(viii) यदि सामग्री का मूल्य और/या कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरियां, कम हो जाती हैं तो कार्य की लागत का अधोगामी समायोजन किया जाएगा जिससे सामग्री के ऐसे मूल्य और/या श्रमिकों की ऐसी मजदूरियों की इस संविदा के अधीन कार्य की लागत से कटौती की जाएगी और इस बारे में इस खण्ड 10 ग ग के अधीन यहां पहले बताया गया फार्मूला यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा परन्तु :

(क) उन संविदाओं की दशा में, जिनमें कार्य पूरा करने की नियत अवधि अनुसूची 'च' में उल्लेखित के अनुसार या इससे कम है, सामग्री का मूल्य और/या ऊपर वर्णित श्रमिकों की मजदूरियों में कमी के लिए ऐसा कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) भारसाधक इंजीनियर को अन्यथा अधिकार होगा कि वह ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें जिससे इस उपखण्ड का उपबंध समय–समय पर कार्यान्वित किया जाएगा और इस निमित्त भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चत अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(ix) (क) जहाँ खंड 10गग के प्रावधान लागू होंगे वहां खंड 10ग के प्रावधान लागू नही होंगे।

(ख) जहाँ खंड 10गग के प्रावधान लागू नहीं होंगे वहां खंड 10ग के प्रावधान लागू होंगे

नोट : खण्ड 10ग, 10गग के अन्तर्गत मुआवजा हेतु अद्यतित निर्धारित समापन तिथि (निर्धारित समापन तिथि +अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त समय)

खण्ड 12.1 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य के कारण अतिरिक्त समय की गणना के लिए निर्धारित 1.25 का घटक, को खण्ड 10क, 10गग के अन्तर्गत अद्यतित निर्धारित समापन तिथि की गणना के लिए मान्य नहीं होगा।

खण्ड 10घ

तोड़ी गई सामग्री सरकारी संपत्ति

ढांचे को तोड़ने फोड़ने, कार्यस्थल की खुदाई आदि के दौरान प्राप्त सभी सामग्रियों को ठेकेदार सरकार की सम्पत्ति के रूप में मानेगा और ऐसी सामग्रियों को भारसाधक इंजीनियर के लिखित अनुदेशों के अनुसार सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए निपटाएगा।

खण्ड 11

विनिर्देशों, आरेखनों, आदेशों आदि के अनुरूप किया जाने वाला कार्य

ठेकेदार सामग्रियों और अन्य हर तरह से पूरे कार्य और कार्य के प्रत्येक भाग को पूरी तरह विनिर्देशों के अनुरूप, सुदृढ़ और कारीगरीपूर्ण ढंग से निष्पादित करेगा। ठेकेदार अभिकल्प, आरेखों और भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित कार्य के सम्बन्ध में लिखित अनुदेशों को सही तरह से, पूर्णत : और निष्ठा से पालन करेगा और ठेकेदार को ठेका कागजात की एक प्रति जिसमें विनिर्देश, अभिकल्प आरेख और ऐसे अनुदेश जो अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक विनिर्देश में शामिल न हों या किसी भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य प्रकाशित मानक या संहिता या दर अनुसूची या ठेके में अन्यत्र उल्लिखित कोई अन्य मुद्रित प्रकाशन में न हों, उनके सहित बिना शुल्क दिए जाएंगे।

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.

Clause 12

Deviations/ Variations Extent and Pricing

The Engineer-in-Charge shall have power (i) to make alteration in, omissions from, additions to or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works in case of non-availability of a portion of the site or for other reasons and the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instruction given to him in writing signed by the Engineer-in-Charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do the main work except as hereafter provided. The completion cost of any agreement for maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration should not exceed two times the contract amount. Deviation upto 1.25 times of contract amount shall be approved by Engineer-in-Charge with recorded reasons. Deviation beyond 1.25 times upto 1.50 times of contract amount shall be approved by SE/CE (as applicable) with recorded reasons. In exceptional case, ADG/SDG (as applicable) shall have power to approve the deviation beyond 1.50 times upto 2.0 times of contract amount with recorded reasons and take suitable corrective action.

12.1 The time for completion of the work shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value, be extended if requested by the contractor, as follows:

(i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus

(ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-Charge.

12.2 Deviation, Extra Items and Pricing

Extra items are those which are not available in the contract.

For percentage rate tenders, the extra item(s) which are available in the standard schedule of rates specified in Schedule F, shall be paid as per the said schedule rate plus cost index (considered in the estimated cost put to tender) plus/minus percentage above/ below quoted on estimated cost put to tender.

ठेकेदार ठेके के प्रावधानों का पालन करेगा ओर कार्य का निष्पादन और अनुरक्षण पूरी सावधानी और परिश्रम से करेगा और सभी कार्यों को मापने और पर्यवेक्षण के लिए, श्रमिक और सामग्रियां, औजार एवं संयंत्रों, संरचनात्मक प्लान और निष्पादन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्थायी और अस्थायी प्रकृति की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगा यदि इन्हें उपलब्ध कराना निर्दिष्ट हो या ठेके में ऐसा समुचित अभिप्राय हो। ठेकेदार निर्माण की विधियों और सभी कार्यों की पर्याप्तता, उपयुक्तता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

खण्ड 12

विचलन/परिवर्तन की सीमा और कीमत निर्धारण

भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा कि वह (i) मूल विनिर्देशों, आरेखों, अभिकल्पों, और अनुदेशों में ऐसे परिवर्तन, विलोप, परिवर्द्धन, प्रतिस्थापन कर सकता है जो वह कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक अथवा उचित समझे। और (ii) कार्यस्थल के किसी भाग के अनुपलब्धता या किन्हीं अन्य कारणों से कार्य के किसी भाग को छोड़ सकता है और ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित किसी भी अनुदेशों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा ओर ऐसे परिवर्तन, विलोप, परिवर्द्धन या प्रतिस्थापन ठेके के भाग होंगे और इन्हें यह माना जाएगा कि वे पहले से ही मूलत : ठेके में विद्यमान थे और किसी भी परिवर्तित, अतिरिक्त, प्रतिस्थापित कार्य को कार्य के भाग के रूप में उपयुक्त निर्दिष्ट अनुसार करने का ठेकेदार को निर्देश दिया गया हो तो, ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर मुख्य कार्य के लिए तय किए गए मूल्य सहित हर तरह से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा। उन्नयन, सौन्दर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना/बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए किसी करार की पूर्णता लागत निविदित्त राशि का 2 (दो) गुना से अधिक नहीं होगा। निविदित्त राशि के 1.25 गुना तक की सीमा तक के विचलन होने पर लिखित कारण बताते हुये भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। निविदित्त राशि के 1.25 से 1.5 गुना तक के विचलन होने पर लिखित कारण बताते हुये अधीक्षण/मुख्य इंजीनियर (जैसा भी लागू हो) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। असाधारण मामले में, अपर महानिदेशक/विशेष महानिदेशक (जैसा भी लागू हो) को निविदित्त राशि के 1.5 गुना से 2 गुना तक के विचलन को दर्ज कारण बताते हुये अनुमोदन प्रदान करने व उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12.1 यदि आदेश किए जा रहे विचलन के कारण, स्वीकृत निविदित्त मूल्य राशि से अधिक, अतिरिक्त, लागत होती है तो ठेकेदार के अनुरोध करने पर कार्य पूरा करने का समय निम्नलिखित अनुसार बढ़ाया जाएगा :–

(i) परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत का मूल निविदित्त मूल्य से जो अनुपात हो।

(ii) उपर्युक्त(प) में निकाले गए समय का 25 प्रतिशत या ऐसा अतिरिक्त समय जो भारसाधक इंजीनियर उचित समझे।

12.2 विचलन, अतिरिक्त मदें और कीमत निर्धारण

अतिरिक्त मदें वह हैं जोकि करार में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिशत दर निविदाओं के लिए, अतिरिक्त मद (मदें) जो अनुसूची एफ में निर्दिष्ट दरों के मानक अनुसूची में उपलब्ध हैं, का भुगतान उक्त अनुसूची दर प्लस लागत सूचकांक (निविदा में ली गई अनुमानित लागत में शामिल) निविदा में अनुमानित लागत पर अधिक/कम लगाई गई उद्धृत प्लस/माइनस प्रतिशत के अनुसार किया जाएगा।

For item rate tenders, the extra item(s) which are available in the standard schedule of rates specified in Schedule F, shall be paid as per the said schedule rate plus cost index (considered in the estimated cost put to tender) plus/minus percentage above/ below worked out on the basis of overall contract amount and estimated cost of the work put to tender.

In the case of extra item(s) which are not available in the standard schedule of rates specified in Schedule F, the contractor may within fifteen days of the receipt of order or occurrence of the item(s), submit claim for market rate(s), supported with proper analysis of rate and manufacturer's specification for the work, invoices, vouchers, etc. (as applicable), failing which the rate(s) approved later by the Engineer-in-Charge shall be final and binding. Where the contractor submits claim for market rate(s) in the manner prescribed above, the Engineer-in-Charge shall, within 45 days of the receipt of the claims, after giving consideration to the analysis of rates and other documents submitted by the contractor, determine the rates on the basis of the market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.

The rate(s) of extra items so determined by the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the contractor, and shall not be arbitrable.

12.3 Deviation, Deviated Quantities, Pricing

All the deviated quantities shall be paid at agreement rates.

12.4 The case of any operation incidental to or necessarily has to be in contemplation of tenderer while quoting filing tender, or necessary for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.

Foreclosure of contract due to Abandonment or Reduction in Scope of Work

Clause 13

If at any time after acceptance of the tender or during the progress of work, the purpose or object for which the work is being done changes due to any supervening cause and as a result of which the work has to be abandoned or reduced in scope the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor stating the decision as well as the cause for such decision and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.

The contractor shall be paid at contract rates, full amount for works executed at site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to the full extent in view of the foreclosure;

(i) Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access roads, temporary labour huts, staff quarters and site office; storage accommodation and water storage tanks.

मद दर निविदाओं के लिए, अतिरिक्त मद जो अनुसूची एफ में निर्दिष्ट दरों के मानक अनुसूची में उपलब्ध हैं, को उक्त अनुसूची दर प्लस लागत सूचकांक (निविदा में ली गई अनुमानित लागत में शामिल) प्लस / माइनस कुल अनुबंध राशि एवं कार्य की निविदा के लिये अनुमानित राशि के आधार पर गणना की गई कम/अधिक प्रतिशत के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

अतिरिक्त मद(मदों), जोकि अनुसूची एफ में निर्दिष्ट मानक दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं हैं के मामले में, ठेकेदार आदेश की प्राप्ति या मद(मदों) के घटित होने के पंद्रह दिनों के भीतर कार्य, चालान, वाउचर, आदि के लिए दर और निर्माता के विनिर्देश के उचित विश्लेषण के साथ समर्थित (यथा लागू) बाजार दर के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है, जिसके विफल होने पर बाद में भार साधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित दर अंतिम और बाध्यकारी होगी। जहां ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित तरीके से बाजार दर(ओं) के लिए दावा प्रस्तुत करता है, भार साधक इंजीनियर, दावों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरों और अन्य दस्तावेजों के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, बाजार दरों के आधार पर दरों का निर्धारण करेगा और ठेकेदार को इस प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

भार साधक इंजीनियर द्वारा इस तरह निर्धारित अतिरिक्त मदों की दर, अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगी और मध्यस्थता योग्य नहीं होगी।

12.3 विचलन, विचलित मात्रा, मूल्य निर्धारण

सभी विचलित मात्राओं का भुगतान अनुबंध दरों पर किया जाएगा।

12.4 निविदा में दर भरते समय निविदाकार के विचार में आवश्यक रूप से किसी भी संचालन की लागत या अनुसूची एफ में उल्लिखित मात्रा की अनुसूची और दरों की अनुसूची में शामिल कार्य के मद के उचित निष्पादन के लिए अनिवार्य या आकस्मिक, चाहे मद के विवरण में विशेष रूप से इंगित किया गया हो या नहीं, और प्रासंगिक विनिर्देश, निविदाकर्ता द्वारा कथित दरों या दरों की उक्त अनुसूची में दी गई दर, जैसा भी मामला हो, में शामिल माना जाएगा। ऐसे कार्यकलापों के लिए कुछ भी अतिरिक्त अनुमत्य नहीं होगा।

खण्ड 13

कार्य के क्षेत्र में कमी अथवा परित्याग के कारण संविदा को समय से पहले समाप्त करना

यदि निविदा स्वीकार करने के बाद अथवा कार्य के प्रगति के दौरान, उस उद्देश्य अथवा लक्ष्य जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण से परिवर्तन और जिसके फलस्वरूप कार्य का प्रत्याग किया जाना है अथवा कार्य क्षेत्र में कटौती की जानी है, तो भारसाधक इंजीनियर ठकेदार को निर्णय तथा ऐसे निर्णय के लिए कारण का उल्लेख करते हुए लिखित नोटिस देगा और ठेकेदार मामले में तदनुसार कार्रवाई करेगा। ठेकेदार, किसी भी प्रतिकर के भुगतान या अन्यथा कुछ भी, लाभ या फायदे का, जो उसे समूचा कार्य निष्पादित करने से होता लेकिन समूचे कार्य अथवा उसके भाग के पूर्व समाप्ति के कारण उसे नहीं हुआ, दावेदार नहीं होगा।

ठेकेदार को ठेका दरों पर कार्यस्थल पर निष्पादित कार्य के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा और उसके अतिरिक्त, यहां नीचे उल्लिखित मदों के लिए, जिनका कार्य की पूर्व समाप्ति के कारण कार्य पर पूरा उपयोग नहीं हो सका, के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उचित राशि का भुगतान किया जाएगा।

(i) कार्यस्थल में प्रारम्भिक कार्य जैसे पहुंचने के लिए अस्थायी सड़के, श्रमिकों की अस्थायी झोपड़ियां, स्टाफ क्वार्टर, कार्यस्थल कार्यालय, भण्डार स्थान और जल भंडारण टंकियों पर किया गया खर्च।

(ii) Government shall have the option to take over contractor's materials or any part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however Government shall be bound to take over the materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. For materials taken over or to be taken over by Government, cost of such materials as detailed by Engineer-in- Charge shall be paid. The cost shall, however, take into account purchase price, cost of transportation and deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in the custody of the contractor.

(iii) Reasonable compensation for transfer of T & P from site to contractor's permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not transported to either of the said places, no cost of transportation shall be payable.

(iv) Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and imported labour to the extent necessary.

The contractor shall, if required by the Engineer- in-Charge, furnish to him, books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount payable under this condition.

The reasonable amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at site taken over by the Government as per item (ii) above. Provided always that against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination were recoverable by the Government from the contractor under the terms of the contract.

In the event of action being taken under Clause 13 to reduce the scope of work, the contractor may furnish fresh Performance Guarantee on the same conditions, in the same manner and at the same rate for the balance tendered amount and initially valid up to the extended date of completion or stipulated date of completion if no extension has been granted plus minimum 60 days beyond that. Wherever such a fresh Performance Guarantee is furnished by the contractor the Engineer-in-Charge may return the previous Performance Guarantee.

Clause 14

Carrying out part work at risk & cost of contractor

If contractor:

(i) At any time makes default during currency of work or does not execute any part of the work with due diligence and continues to do so even after a notice in writing of 7 working days in this respect from the Engineer-in-Charge; or

(ii) Commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 7 working days even after a notice in writing is given in that behalf by the Engineer-in-Charge; or Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) so determined, and does not complete them within the period specified in the notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge.

(ii) कार्यस्थल पर लाई गई या जिन्हें ठेकेदार आपूर्तिकर्त्ता से स्वीकार करने के लिए विधित : बाध्य हो (कार्य में शामिल अथवा कार्य के लिए प्रासंगिक) ऐसी सामग्रियों या उसके किसी भाग के अधिग्रहण के लिए सरकार को छूट होगी, लेकिन फिर भी, ठेकेदार जिन सामग्रियों या उनके किसी भाग को नहीं रखना चाहता हो उनके अधिग्रहण के लिए सरकार बाध्य होगी। सरकार द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्रियों की लागत का भुगतान भारसाधक इंजीनियर के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। लागत का निर्धारण, क्रय मूल्य, परिवहन लागत और ठेकेदार की अभिरक्षा में रहते हुए सामग्रियों के क्षरण और उनकी क्षति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(iii) औजार एवं संयंत्रों को कार्यस्थल से ठेकेदार के स्थायी भण्डार तक या किसी अन्य कार्य पर, जो भी कम हो, ले जाने के लिए उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

(v) ठेकेदार के कार्यस्थल स्टाफ और बाहर से लाए गए श्रमिकों की वापसी के लिए यथा आवश्यक उचित प्रतिकर।

यदि भारसाधक इंजीनियर चाहे तो ठेकेदार, उन्हें लेखा बहियां, मजदूरी बही, शीटें और अन्य संबंधित आवश्यक कागजात और प्रमाण प्रस्तुत करेगा ताकि इस शर्त के तहत दी जाने वाली उचित राशि को वह प्रमाणित कर सके।

उपर्युक्त (i), (iv) और (v) मदों की उचित राशि, ठेका बंद होने की तारीख को अपूर्ण शेष कार्य की लागत के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अर्थात् स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्य की निर्धारित लागत में से ठेका के तहत वास्तव में निष्पादित कार्य की लागत और उपर्युक्त (ii) मद के अनुसार सरकार द्वारा ली गई ठेकेदार की कार्यस्थल सामग्रियों की लागत को घटा दिया जाएगा। परन्तु सर्वदा यह कि ठेकेदार को इस निमित या अन्यथा देय कोई भी भुगतान करते समय, ठेकेदार को किसी भी औजार, संयंत्रों, और सामग्रियों के संबंध में दिए गए अग्रिम में से बकाया कोई भी शेष राशि और इस ठेके के निबंधनों के तहत ठेका बंद होने की तारीख को सरकार द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाने वाली किसी भी अन्य राशि को वसूल करने का भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा।

कार्य में कटौती करने के लिए खंड 13 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई की स्थिति में, ठेकेदार शेष निवेदित राशि के लिए उन्ही शर्तों, उसी तरीके से और उसी दर पर तथा यदि 60 से अधिक दिनों के बाद कोई समय विस्तार नहीं दिया गया हो तब पूरा करने की बढ़ाई गई तिथि अथवा पूरा करने की निर्धारित तिथि जो प्रारंभ में वैध हो पर नया कार्य निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेंगा। जहां भी ऐसी नई कार्य निष्पादन गारंटी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाए प्रभारी अभियंता पूर्व की कार्य निष्पादन गारंटी को लौटा सकता है। ऐसी स्थिति में, क्षति, आदि के कारण मुआवजे का, कार्य बंद होने की तिथि पर कार्य की अपूर्ण लागत का 0.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा अर्थात कार्य की कुल निर्धारित लागत में से संविदा के अंतर्गत वास्तव में निष्पादित किए गए कार्य की लागत को घटाकर भुगतान किया जाएगा।

खण्ड 14

यदि ठेकेदार :

ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य के हिस्से को पूरा करना

(1) कार्य निष्पादन के दौरान किसी समय कोई चूक करता है या कार्य के किसी भाग को पूरी कर्मठता से निष्पादित नहीं करता है और इस संबंध मं प्रभारी अभियंता के लिखित नोटिस के 7 दिन के बाद भी उसी स्थिति को जारी रखता है, या

(2) संविदा की शर्तों और निबंधन का अनुपालन करने में चूक करता है तथा इस संबंध मं प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए लिखित नोटिस के 7 दिन के भीतर भी इसमें सुधार नहीं करता है या इसमें सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय नहीं करता है, या

कार्य (कार्यों) या कार्य की मदों को कार्य निष्पादन की विभिन्न तारीखों के मद्देनजर निर्धारित उक्त तारीख (तारीखों) को या इससे पहले पूरा करने में असफल रहता है और इन्हें प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में दिए गए लिखित नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं करता है।

(iii) The Engineer- in-Charge without invoking action under clause 3 may, without prejudice to any other right or remedy against the contractor which have either accrued or accrue thereafter to Government, by a notice in writing to take the part work / part incomplete work of any item(s) out of his hands and shall have powers to :

(a) Take possession of the site and any materials, constructional plant, implements, stores, etc., thereon; and/or

(b) Carry out the part work / part incomplete work of any item(s) by any means at the risk and cost of the contractor.

The Engineer-in-Charge shall determine the amount, if any, is recoverable from the contractor for completion of the part work/ part incomplete work of any item(s) taken out of his hands and execute at the risk and cost of the contractor, the liability of contractor on account of loss or damage suffered by Government because of action under this clause shall not exceed 10% of the tendered value of the work.

In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value of work done in all respect in the same manner and at the same rate as if it had been carried out by the original contractor under the terms of his contract, the value of contractor's materials taken over and incorporated in the work and use of plant and machinery belonging to the contractor.

The certificate of the Engineer-in-Charge as to the value of work done shall be final and conclusive against the contractor provided always that action under this clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not be payable to the contractor.

Any excess expenditure incurred or to be incurred by Government in completing the part work/ part incomplete work of any item(s) or the excess loss of damages suffered or may be suffered by Government as aforesaid after allowing such credit shall without prejudice to any other right or remedy available to Government in law or per as agreement be recovered from any money due to the contractor on any account, and if such money is insufficient, the contractor shall be called upon in writing and shall be liable to pay the same within 30 days.

If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer-in-Charge shall have the right to sell any or all of the contractors' unused materials, constructional plant, implements, temporary building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards the dues recoverable from the contractor under the contract and if thereafter there remains any balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions of the contract.

In the event of above course being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advance on any account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract.

(3) प्रभारी अभियंता खंड 3 के अधीन कार्रवाई का अवलम्ब लिए बिना ठेकेदार के विरूद्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय जो या तो सरकार को प्रोद्भूत हो चुका है या इसके बाद प्रोद्भूत हुआ है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखित नोटिस द्वारा किसी मद (मदों) के कार्य के किसी भाग/अपूर्ण कार्य के भाग को ठेकेदार से ले लेगा और उसे निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होंगीः

(क) कार्यस्थल और किसी सामग्री, निर्माण संबंधी संयंत्र, उपकरण, स्टोर आदि को कब्जे में लेना, उसके आधार पर और/अथवा

(ख) किन्हीं मद (मदों) के कार्य के भाग/अपूर्ण कार्य के किसी भाग का ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी प्रकार से निष्पादन करना

प्रभारी अभियंता ठेकेदार से लिए गए मद (मदों) के कार्य के किसी भाग/अपूर्ण कार्य के भाग को पूरा करने के लिए ठेकेदार से वसूली योग्य राशि, यदि कोई है, का निर्धारण करेगा और इसे ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित करेगा, इस खंड के अधीन कार्रवाई के कारण सरकार द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के कारण ठेकेदार की देयता कार्य के निविदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

राशि के निर्धारण के लिए सभी प्रकार से उसी तर्ज पर और उसी दर निष्पादित कार्य, मानो की इसे मूल ठेकेदार द्वारा उसकी संविदा की शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया था, के मूल्य के साथ ली गई और कार्य में समाविष्ट ठेकेदार की सामग्री के मूल्य तथा ठेकेदार से संबंधित संयंत्र और मशीनरी के उपयोग के लिए धन राशि दी जाएगी।

किये गए कार्य के मूल्य के लिए प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र ठेकेदार के लिए अंतिम और निर्णायक होगा, परंतु यह कि इस खंड के अधीन कार्रवाई ठेकेदार को लिखित नोटिस देने के बाद ही की जाएगी। परंतु यह भी कि यदि विभाग द्वारा किए गए खर्च ठेकेदार को उसके करार दरों पर देय धन राशि से कम हैं, तो इस राशि का अंतर ठेकेदार को देय नहीं होगा।

किन्हीं मदों के कार्य के भाग/अपूर्ण कार्य के भाग को पूरा करने में सरकार द्वारा किये गए या किए जाने वाले किसी अतिरिक्त खर्च या कानून में या करार के अनुसार सरकार के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या सुविधा देने के बाद जैसाकि ऊपर कहा गया है सरकार द्वारा उठाई गई अतिरक्त हानि को ठेकेदार को देय या किसी अन्य कारण से धन राशि से वसूल किया जाएगा और यदि यह धनराशि अपर्याप्त है तो ठेकेदार को लिखित में बताया जाएगा और वह यह रशि 30 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

यदि ठेकेदार अपेक्षित धनराशि को 30 दिन के उक्त अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, प्रभारी अभियंता को ठेकेदार की किसी अथवा सभी अप्रयुक्त सामग्री, निर्माण संबंधी संयंत्र, उपकरणों, कार्य स्थल पर अस्थायी भवन आदि को बेचने का अधिकार होगा तथा इस विक्रय से प्राप्त आगम राशि को संविदा के अंतर्गत ठेकेदार से वसूल करने संबंधी देय राशि के लिए समायोजित करने का अधिकार होगा और यदि इसके बाद धनराशि बकाया रहती है, इसे संविदा के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता द्वारा अपनाई जा रही उपुर्यक्त प्रक्रिया के कारण ठेकेदार को किसी सामग्री को खरीदने या प्राप्त करने या किसी कारण कोई करार करने या कोई अग्रिम मंजूर करने अथवा संविदा के निष्पादन या कार्य के निष्पादन के प्रयोजन से उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ठकेदार का कोई दावा नहीं होगा।

Clause 15

Suspension of Work

15 Suspension of Work

(i) The contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-Charge, (whose decision shall be final and binding on the contractor) suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer-in-Charge may consider necessary so as not to cause any damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for any of the following reasons:

(a) on account of any default on the part of the contractor or;

(b) for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the default of the contractor; or

(c) for safety of the works or part thereof.

The contractor shall, during such suspension, properly protect and secure the works to the extent necessary and carry out the instructions given in that behalf by the Engineer in- Charge.

(ii) If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub-para (i) above:

(a) the contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period of every such suspension PLUS 25%, for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part, and;

(b) If the total period of all such suspensions in respect of an item or group of items or work for which a separate period of completion is specified in the contract exceeds thirty days, the contractor shall, in addition, be entitled to such compensation as the Engineer-in- Charge may consider reasonable in respect of salaries and/or wages paid by the contractor to his employees and labour at site, remaining idle during the period of suspension, adding thereto 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in- Charge within fifteen days of the expiry of the period of 30 days.

(iii) If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-Charge for more than three months at a time, except when suspension is ordered for reason (a) in sub para (i) above, the contractor may after receipt of such order serve a written notice on the Engineer-in-Charge requiring permission within fifteen days from receipt by the Engineer in- Charge of the said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which progress has been suspended and if such permission is not granted within that time, the contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of the works as an omission of such part by Government or where it affects whole of the works, as an abandonment of the works by Government, shall within ten days of expiry of such period of 15 days give notice in writing of his intention to the Engineer-in-Charge. In the event of the contractor treating the suspension as an abandonment of the contract by Government, he shall have no claim to payment of

खण्ड 15

कार्य का स्थगन

(i) भारसाधक इंजीनियर से लिखित आदेश मिलते ही (जिसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा) ठेकेदार, कार्यों या उसके किसी भाग की कार्य प्रगति को उतने समय के लिए और उस स्थिति में रोक देगा जो भारसाधक इंजीनियर आवश्यक समझें ताकि किए गए कार्य को कोई क्षति या हानि न हो या निम्नलिखित में से किन्ही कारणों से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा न हो :–

(क) ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी चूक के कारण या

(ख) ठेकेदार की चूक के अलावा अन्य कारणों से कार्यों या उसके भाग के उचित निष्पादन के लिए

(ग) कार्यों या उसके भाग की सुरक्षा के लिए

ऐसे स्थगन के दौरान ठेकेदार कार्यों को आवश्यकतानुसार उचित प्रकार से ढककर और सुरक्षित रखेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

(ii) यदि स्थगन आदेश उपयुक्त उप–पैरा (i) में ख) व ग) कारणों से दिया गया हो तो

(क) ठेकेदार, कार्यमद या कार्यमदों के समूह को, जिनके लिए ठेके में कार्य समापन की अलग अवधि निर्दिष्ट की गई है और स्थगित कार्य भी उसी ठेके का भाग हो, पूरा करने के लिए, उतनी समय वृद्धि का हकदार होगा जितना ऐसी प्रत्येक स्थगन अवधि में 25 प्रतिशत जोड़कर आए।

(ख) यदि, किसी मद या मदों के समूह या कार्य के संबंध में, जिनके लिए कार्य समापन की अवधि ठेके में अलग से निर्दिष्ट की गई है, ऐसे सभी स्थगनों की अवधि 30 दिन से अधिक हो तो ठेकेदार अतिरिक्त रूप से ऐसे प्रतिकर का भी हकदार होगा जो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार द्वारा स्थगन अवधि के दौरान कार्यस्थल में निष्क्रिय पड़े अपने कार्मचारियों के वेतन और/या श्रमिकों की मजदूरी पर किए गए भुगतान, ठेकेदार के परोक्ष खर्च के लिए 2 प्रतिशत जोड़कर, औचित्यपूर्ण समझे, बशर्ते ठेकेदार 30 दिन की अवधि–समाप्त होने के 15 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को विवरणों सहित अपने दावे प्रस्तुत करे।

(iii) उपर्युक्त उप पैरा (i) के क) में दिए गए कारणों के लिए स्थगन आदेश को छोड़कर, यदि कार्यों या उसके भाग को भारसाधक इंजीनियर के आदेश पर किसी समय तीन माह से अधिक के लिए स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार ऐसे आदेश प्राप्त करने पर भारसाधक इंजीनियर के उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् भारसाधक इंजीनियर को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर उन कार्यों या उनके भागों को, जिनके संबंध में स्थगन आदेश दिया गया है, करने की अनुमति मांगेगा और यदि ऐसी अनुमति उक्त समय के भीतर नहीं मिलती तो ठेकेदार 15 दिन की उस अवधि के समाप्त होने पर 10 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को लिखित नोटिस देगा कि वह स्थगन को, जहां स्थगन कार्यों के केवल भाग को प्रभावित करे वहां, सरकार द्वारा ऐसे भाग का विलोप मानेगा या जहां स्थगन पूरे कार्य को प्रभावित करे वहां, सरकार द्वारा कार्यों का परित्याग मानेगा। यदि ठेकेदार स्थगन को सरकार द्वारा ठेके का परित्याग मानता है तो ठेकेदार किसी भी लाभ या फायदे, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त होते लेकिन जो उसे परित्याग के कारण नहीं मिले, के कारण किसी प्रतिकर के भुगतान का हकदार नही होगा। लेकिन वह ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार द्वारा, परित्याग के कारण कार्यस्थल पर निष्क्रिय पड़े अपने

any compensation on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he could not derive in consequence of the abandonment. He shall, however, be entitled to such compensation, as the Engineer-in-Charge may consider reasonable, in respect of salaries and/or wages paid by him to his employees and labour at site, remaining idle in consequence adding to the total thereof 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within 30 days of the expiry of the period of 3 months .

Clause 16

Action in case Work not done as per Specifications

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-in - charge, his authorized subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance Unit of the Department or any organization engaged by the Department for Quality Assurance and of the Chief Technical Examiner's Office, and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinates in charge of the work or to the Chief Engineer in charge of Quality Assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs. 10 Lac and below except road work) of the completion of the work from the Engineer-in-Charge specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in- Charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in schedule 'F' may consider reasonable during the preparation of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-Charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन और/या मजदूरी के भुगतान के संबंध में, जिसमें ठेकेदार के परोक्ष खर्च के लिए कुल 2 प्रतिशत जोड़ा जाएगा, औचित्यपूर्ण लगे, बशर्ते कि ठेकेदार 3 माह की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर विवरणों के आधार पर अपने दावे भारसाधक इंजीनियर को प्रस्तुत करे।

खण्ड 16

विनिर्देशों के अनुसार कार्य न किए जाने पर कार्यवाई

ठेके के अधीन अथवा उसके निष्पादन के अनुक्रम में अथवा उसके अनुसरण में निष्पादित सब कार्य, हर समय भारसाधक इंजीनियर और उसके प्राधिकृत/अधीनस्थ, जो कार्य के प्रभारी हैं, और विभाग के गुणवत्ता आश्वासन एकक या गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा नियोजित किसी संगठन और मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यालय के सभी उच्चतर अधिकारियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए खुले और सुगम्य रहेंगे तथा ठेकेदार सामान्य कार्य के घंटों के दौरान हर समय तथा अन्य ऐसे सभी समयों पर, जिसके बारे में ठेकेदार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि ऐसे अधिकारी कार्य के देखने के लिए आने का इरादा रखते हैं, या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा अथवा वह उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में सम्यक्तः प्रत्याशित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा। ठेकेदार के अभिकर्ताओं को दिए गए आदेशों को उतना ही प्रभावी माना जाएगा मानों वे स्वंय ठेकेदार को ही दिए गए थे।

यदि भारसाधक इंजीनियर अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को, जो काम का भारसाधक हो अथवा गुणवता आश्वासन के प्रभारी मुख्य इंजीनियर या उसके अधीनस्थ अधिकारी गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा नियोजित संगठन के अधिकारियों या मुख्य तकनीकी परीक्षक को प्रतीत हो कि कोई काम दोषयुक्त, अपूर्ण अथवा अकौशलपूर्ण कार्य कौशल से या यह कि काम के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कोई सामग्री अथवा वस्तु दोषयुक्त है या उस सामग्री अथवा वस्तु से घटिया क्वालिटी की है जिसके लिए ठेका हुआ है अथवा ठेके के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार लिखित रूप में मांग किए जाने पर,जिसे बारह माह के भीतर (सड़क कार्य को छोड़कर 10 लाख रूपये या कम के मामले में छह महीने किया जाएगा) जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस कार्य, सामग्री अथवा वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए, जिसके विरूद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया हो, प्रमाणित कर दिया गया हो और उसके लिए संदाय कर दिया गया हो, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को तुरंत पूर्णतः या अंशतः जैसी उससे अपेक्षा की जाए, सुधारेगा या हटाएगा, और उसका पुनः निर्माण करेगा अथवा यथास्थिति, ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्च पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और भारसाधक इंजीनियर अपनी पूर्वोक्त मांग में जो कालावधि विनिर्दिष्ट करे उसके भीतर यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है तो वह इस चूक के लिए ठेके के खण्ड–2 (कार्य समय पर पूरा न करने के लिए) में दी गई दर से प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे मामले में भारसाधक इंजीनियर ठेके के तहत लागू दरों पर कार्य मद को अस्वीकार कर सकता है लेकिन ऐसी मदों को ऐसी घटी हुई दरों पर स्वीकार कर सकता है जो अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्राधिकारी, लेखा बिल या अंतिम बिल तैयार करने के दौरान, औचित्यपूर्ण समझे, यदि मद की सुरक्षा और उपयोगिता समाप्त हुए बिना मद और संरचना स्वीकार्य हो या यह बिना किसी भुगतान के मद को सीधे अस्वीकार कर सकता है और/या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उसे ओर अन्य संबंधित और आवश्यक मदों के सुधारने या हटाने और पुनर्निष्पादन करा सकता है, भारसाधक इंजीनियर का निर्णय लिखित रूप से सूचित किया जाएगा और ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

Clause 17

Contractor Liable for Damages, defects during defect liability Period

If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road kerb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer in- Charge as aforesaid arising out of defect or improper materials or workmanship the contractor shall upon receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense or in default the Engineer-in-Charge cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor, or from his security deposit or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. The security deposit of the contractor shall not be refunded before the expiry of twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in the case of road work, if in the opinion of the Engineer-in-Charge, half of the security deposit is sufficient, to meet all liabilities of the contractor under this contract, half of the security deposit will be refundable after six months and the remaining half after twelve months of the issue of the said certificate of completion or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.

In case of Maintenance and Operation works of E&M services, the security deposit deducted from contractors shall be refunded within one month from the date of final payment or within one month from the date of completion of the maintenance contract whichever is earlier.

Clause 18

Contractor to Supply Tools & Plants etc.

The contractor shall provide at his own cost all materials, machinery, tools & plants as specified in schedule F. In addition to this, appliances, implements, other plants, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works required for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specifications or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-Charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefore to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting the measurement for examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer-in-Charge at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor, under this contract or otherwise and/or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portions thereof.

खण्ड 17

दोष देयता अवधि के दौरान ठेकेदार क्षति, दोषों के लिए उत्तरदायी है

यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हों, किसी भाग को अथवा उस परिसर में जिसमें उसका कोई कार्य या कार्य का कोई भाग निष्पादित किया जा रहा हो, लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के किनारे (कर्ब), बाड़ अहाते, पानी के नल, केबिल, नालियों, विद्युत या ठेलीफोन के खम्बों या तारों, वृक्षों, घास या घास मे मैदान या जोती गई भूमि को तोड़ेगा, क्षति पहुंचाएगा या नष्ट करेगा अथवा यदि कार्य में उसकी प्रगति के दौरान कोई क्षति किसी भी कारण से हो जाएगी या 12 महीने (सड़ककार्य को छोड़कर) दस लाख तथा उससे कम लागत के कार्य के लिए छः महीने) के भीतर कार्य में कोई खराबी, संकुचना या अन्य कोई दोष, प्रभारी इंजीनियर द्वारा उस कार्य के पूरा होने के अन्तिम या अन्यथा प्रमाण–पत्र के यथापूर्वत दे दिए जाने के पश्चात् प्रकट होते हैं जो त्रुटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्य–कौशल से पैदा हुए हों, तो ठेकेदार उस निमित्त लिखित रूप में सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्च पर ठीक करेगा अथवा व्यतिक्रम होने पर प्रभारी इंजीनियर उसे अपने अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की कटौती किसी ऐसी राशि में से, जो उस समय या तत्पश्चात् किसी सक्षम ठेकेदार को देय हो जाए अथवा उसके प्रतिभूति निक्षेप में से अथवा उसके या पर्याप्त भाग के विक्रय आगम में से कर सकेगा। ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाण–पत्र के दिए जाने के पश्चात् 12 महीने (सड़क कार्य को छोड़कर दस लाख तथा उससे कम लागत के कार्य के लिए छः महीने) की समाप्ति से पूर्व अथवा जब तक अंतिम बिल तैयार और पास न कर दिया जाए, इनमें से जो भी बाद में हो, लौटाया नहीं जाएगा। परन्तु सड़क कार्य की दशा में यदि प्रभारी इंजीनियर की राय में प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग ठेकेदार के ठेक के अधीन दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तो प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग कार्य पूरा होने के उक्त प्रमाण–पत्र के दिए जाने के 6 मास के पश्चात् और बाकी आधा भाग बारह महीने के पश्चात् अथवा अंतिम बिल के तैयार और पास हो जाने के पश्चात् इनमें से जो भी बाद में हो, लौटाया जाएगा।

वैद्युत एवं यांत्रिकी सेवाओं के अनुरक्षण तथा प्रचालन कार्यो के मामलो में ठेकेदार से कटौती किए प्रतिभूति निक्षेप को अंतिम भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर या अनुरक्षण संविदा को पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, वापिस कर दिया जाएगा।

खण्ड 18

ठेकेदार द्वारा उपकरणों तथा प्लांटों की आपूर्ति

ठेकेदार कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपनी लागत पर सभी सामग्रियाँ, अनुसूची 'च' में यथा उल्लिखित मशीनरी, औजार तथा सयंत्र उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त साधित्रों, उपकरणों, अन्य संयंत्र, सीढ़ियों, रस्सों, घिरनियों, पाड़ों तथा अस्थायी निर्माण की व्यवस्था करेगा। ये कार्य चाहे मूल, परिवर्तित अथवा प्रति स्थापित हो और चाहे ठेके के भाग रूप में विनिर्देशों अथवा अन्य दस्तावेजों में सम्मिलित या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हो अथवा नहीं, या जो किसी नए मामले में भारसाधक इंजीनियर की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन से आवश्यक हों, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्य स्थल तक और उससे उनके लाने ले जाने समेत अपेक्षा करने का हकदार है। ठेकेदार साधनों और सामग्रियों सहित अपेक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था निःशुल्क करेगा, जो कार्यों को आरम्भ करने और किसी भी समय और समय–समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तोल और माप या परीक्षण में सहायता देने के लिए आवश्यक हो। उसके ऐसा करने में असफल रहने पर भारसाधक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के खर्चे पर उसकी व्यवस्था की जा सकेगी और जो भी खर्च होगा उसकी, इस ठेके या अन्यथा के अधीन ठेके दारको शोध्य किसी धन से और/या उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उसके पर्याप्त भाग की बिक्री से प्राप्त राशि में से कटौती करके की जा सकेगी।

Clause 18A

Recovery of Compensation paid to Workmen

In every case in which by virtue of the provisions sub- section (1) of section 12 of the Workmen's Compensation Act. 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works , Government will recover from the contractor , the amount of the compensation so paid: and, , without prejudice to the rights of the Government under sub- section(2) of section 12 , of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise. Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub- section (1) of section 12, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.

Clause 18B

Ensuring Payment and Amenities to Workers if Contractor fails

In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act and the rules under Clause 19H or under the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by C.P.W.D. Contractors, Government will recover from the contractor, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Government under sub-section(2) of Section 20, and sub-section (4) of Section 21, of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub-section (1) of Section 20, sub-section (4) of Section 21, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

Clause 19

Labour Laws to be complied by the Contractor

The contractor shall comply with the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971.

The contractor shall also obtain a valid license under the said Act before the commencement of the work, and continue to have a valid license until its completion.

The contractor shall also comply with provisions of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.

The contractor shall also abide by the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

खण्ड 18क

श्रमिकों को दिये गए मुआवजे की वसूली

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 12 की उपधारा (प) के उपबंधों के आधार पर सरकार, ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है। सरकार, इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल करेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (पप) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति–निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार की शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (प) के अधीन इसके खिलाफ किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप जिम्मेदार होगी।

खण्ड 18ख

ठेकेदार के विफल होने पर श्रमिकों के भुगतान तथा सुविधओं को सुनिश्चित करना

उन सभी मामलों में, जिनमें ठेका मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों के कारण यदि सरकार को, निष्पादित कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों को मजदूरी की कोई भी राशि अदा करने की या उक्त अधिनियम और खण्ड 19 ज के अंतर्गत नियम या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियमनों के अंतर्गत या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा नियोजित मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाने वाली कल्याण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किए गए किसी प्रकार के व्यय के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार अदा की गई मजदूरी की राशि को वह ठेकेदार से वसूल करेगी, तथा ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 20 की उप–धारा (2) तथा धारा 21 की उप–धारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी राशि या इसके किसी भाग को प्रतिभूति निक्षेप में से या ठेकेदार को सरकार द्वारा देय किसी भी राशि में से, चाहे वह इस ठेके के अंतर्गत आती हो या किसी अन्य प्रकार से हो, काट ले। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (1) तथा धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी दावे के विरुद्ध लड़ने को तभी बाध्य होगी, जब ठेकेदार लिखित रूप में अनुरोध करे तथा वह सरकार को समस्त खर्च के लिए पूर्ण प्रतिभूति दे जिसके लिए सरकार ऐसे दावों के विरुद्ध लड़ने पर जिम्मेदार हो सकती है।

खण्ड 19

ठेकेदार द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन

ठेकेदार कार्य आरम्भ करने से पूर्व श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रावधानों का पालन करेगा।

ठेकेदार को कार्य शुरू होने से पहले उक्त अधिनियम के तहत एक वैध लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा, और कार्य पूरा होने तक वैध लाइसेंस रखना पड़ेगा।

ठेकेदार अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार विनियम तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों का पालन करेगा।

ठेकेदार बाल एवम् किशोर श्रमिक (निषेध एवम् विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

The contractor shall also comply with the provisions of the building and other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 and the building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

Any failure to fulfill these requirements shall attract the penal provisions of this contract arising out of the resultant non-execution of the work.

Clause 19A

No labour below the age of eighteen years shall be employed on the work.

Clause 19 B

Payment of Wages

(i) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through subcontractors, wages not less than fair wages as defined in the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

(ii) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.

(iii) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Central Public Works Department contractor's Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages recovery of wages not paid and deductions unauthorizedly made, maintenance of wage books or wage slips publication of scale of wage and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour(Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable

(iv) (a) The Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-fulfillment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

(b) Under the provision of Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the contractor is bound to allow to the labours directly or indirectly employed in the works one day rest for 6 days continuous work and pay wages at the same rate as for duty. In the event of default, the Engineer-in-Charge shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly holidays to any labours and pay the same to the persons entitled thereto from any money due

ठेकेदार, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निमार्ण कामगार कल्याण उपकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन भी करेगा।

इन अपेक्षाओं को पूरा न करने की स्थिति में ठेके के दण्ड संबंधी वे सभी उपबंध प्रभावी हो जाएंगे जो कार्य के निष्पादन न होने की स्थिति में होते हैं।

खण्ड 19 क

कार्य पर 18 वर्ष से कम आयु का कोई श्रमिक नियोजित नहीं किया जाएगा।

खण्ड 19 ख

मजदूरी का भुगतान

(i) ठेकेदार अपने द्वारा सीधे ही नियोजित अथवा उप–ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम अदा नहीं करेगा जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक नियम या ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम 1971, इन में जो भी लागू हो, के उपबन्धों में पारिभाषित किए गए हैं।

(ii) ठेकेदार, ठेके के विपरीत कोई उपबन्ध होने के बावजूद भी, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को, जिनमें वे श्रमिक भी शामिल होंगे जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप–ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए हों, यह मानते हुए उचित मजदूरी का भुगतान करेगा मानों उसने श्रमिक हाल ही में कार्य के लिए नियोजित किए हैं।

(iii) इस ठेके में ठेकोदार के भाग के निष्पादन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में ठेकेदार, मजदूरी की अदायगी, मजदूरी की अवधि, मजदूरी से कटौती, अदा नहीं की गई मजदूरी की वसूली तथा अनधिकृत रूप से की गई कोई कटौतियों, मजदूरी पुस्तिका या मजदूरी की पर्चियों का अनुरक्षण, मजदूरी के वेतनमान तथा नौकरी की अन्य शर्तों का प्रकाशन, आवधिक विवरणों का निरीक्षण तथा प्रस्तुत करना तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, सरकार द्वारा समय समयपर बनाए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक नियम या जहां ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970, और ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय अधिनियम, 1971 लागू हो वहां उनमें दी हुई व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करेगा या पालन कराने की व्यवस्था करेगा।

(iv) (क) संबंधित भारसाधक इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय राशियों में से, कोई भी राशि काट सकता है जो कर्मकारों के हित संबंधी ठेके की शर्तों के पालन न करने के कारण मजदूरी की अदायगी नही किए जाने या उसकी अथवा उनकी मजदूरियों से ऐसी कटौतियां करने जो ठेके की शर्तों के अंतर्गत न्यायसंगत नहीं हो या विनियमों की अवहेलना के कारण, कर्मकार अथवा कर्मकारों, द्वारा उठाई गई क्षति को पूरा करने के लिए, अपेक्षित हो अथवा जिसके अपेक्षित होने का अनुमान लगाया गया हो।

(ख) न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम 1950 के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को छः दिन के लगातार कार्य करने के पश्चात् एक दिन का विश्राम देने और उसके लिए कार्य दिवसों की भांति ही मजदूरी देने के लिए बाध्य है। इसमें त्रुटि करने

to the contractor by the Engineer-in-Charge concerned. In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration No.F.12(162)MWO/DAB/ 43884-91, dated 31-12-1979 as amended from time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question of extra payment for weekly holiday would not arise.

(v) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938, Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, Maternity Benefits Act, 1961, and the Contractor's Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, or the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rules made there under from time to time.

(vi) The contractor shall indemnify and keep indemnified Government against payments to be made under and for the observance of the laws aforesaid and the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.

(vii) The laws aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.

(viii) Whatever is the minimum wage for the time being, or if the wage payable is higher than such wage, such wage shall be paid by the contractor to the workmen directly without the intervention of Jamadar and that Jamadar shall not be entitled to deduct or recover any amount from the minimum wage payable to the workmen as and by way of commission or otherwise.

(ix) The contractor shall ensure that no amount by way of commission or otherwise is deducted or recovered by the Jamadar from the wage of workmen.

Clause 19 C

In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provisions as per C.P.W.D. Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty as decided by the authority mentioned in Schedule F for each default and in addition, the Engineer-in- Charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from the contractor.

Clause 19 D

The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-in-Charge, a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively:-

(1) the number of labourers employed by him on the work,

(2) their working hours,

पर भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से उस धनराशि को काट ले, जो किसी भी श्रमिको को साप्ताहिक अवकाश की मजदूरी के कारण न दी गई हो और फिर उसका भुगतान हकदार व्यक्तियों को कर दे।

तथापि, संघराज्य दिल्ली के मामले में दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना सं. एफ 12 (162) एम डब्लू ओ/डी ए बी/4388–91 दि. 31–12–1979, समय–समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम दैनिक मजदूरी में चूंकि साप्ताहित विश्राम के दिन की मजदूरी सम्मिलित है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के लिए अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न पैदा नहीं होगा।

(v) ठेकेदार, मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी देयता अधिनियम 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 तथा ठेकेदार श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 अथवा उनके आशोधनों अथवा उनसे संबंधित अन्य कानून तथा समय–समय पर उनके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों का पालन करेगा।

(vi) ठेकेदार, उपर्युक्त विधियों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों के पालनार्थ तथा उनके अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियों के लिए अपने उप–ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति लेने के संबंध में उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षति से बचाए रखेगा।

(vii) उक्त विधियाँ इस संविदा के भाग के रूप में समझी जाएंगी और उनका कोई भी भंग इस संविदा का भंग माना जाएगा।

(viii) उस समय जो भी न्यूनतम मजदूरी है या यदि संदेय मजदूरी ऐसी मजदूरी से अधिक है, तो ऐसी मजदूरी जमादारों के हस्तक्षेप के बिना ठेकेदारों द्वारा सीधे ही कर्मकारों को संदत्त की जाएगी और यह कि जमादार कर्मकारों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में से दलाली के रूप में या अन्यथा किसी रकम की कटौती करने या वसूल करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जमादार दलाली के रूप में या अन्यथा, कर्मकार की मजदूरी में से न कोई रकम काटे या वसूली करे।

खण्ड 19ग

इस ठेके के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर तैयार सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपने खर्चे पर सुरक्षा साधनों की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी अपने खर्चे पर करेगा। यदि ठेकेदार यथा उपर्युक्त व्यवस्था करने और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रहेगा तो वह हर दोष के लिए शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है और इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर उपर्युक्त व्यवस्था करने और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और इस संबंध में किए गए खर्चे को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

खण्ड 19घ

ठेकेदार प्रत्येक मास की चौथी और उन्नीसवीं तारीख तक भारसाधक इन्जीनियर को क्रमशः पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वार्ध से संबंधित, निम्नलिखित को दर्शाते हुए, एक सही विवरण देगाः–

(1) उसके द्वारा काम पर नियोजित श्रमिकों की संख्या,

(2) उनके काम के घंटे

(3) the wages paid to them,

(4) the accidents that occurred during the said for night showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and

(5) the number of female workers who have been allowed maternity benefit according to Clause 19F and the amount paid to them.

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government, a sum as decided by the authority mentioned in Schedule F for each default or materially incorrect statement. The decision of the Divisional Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor, the amount levied as fine and be binding on the contractor.

Clause 19 E

In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Central Public Works Department and its contractors.

Clause 19F

Leave and pay during leave shall be regulated as follows:-

1. Leave :

   (i) in the case of delivery - maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day,

   (ii) in the case of miscarriage - upto 3 weeks from the date of miscarriage.

2. Pay :

   (i) in the case of delivery - leave pay during maternity leave will be at the rate of the women's average daily earnings, calculated on total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater.

   (ii) in the case of miscarriage - leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date of such miscarriage.

3. Conditions for the grant of Maternity Leave: No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than six months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

4. The contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit) in the Prescribed Form as shown in appendix -I and II, and the same shall be kept at the place of work.

(3) उनको संदत मजदूरी

(4) उक्त पक्ष के दौरान हुई दुर्घटनाएं, जिन में उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया जाए जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके कारण कितना नुकसान हुआ तथा चोटें पहुँची, और

(5) ऐसी महिला कर्मकारों की संख्या जिनकों खण्ड 19–च के अनुसार प्रसूति–सुविधा दी गई हो और वह रकम जो उनको संदत्त की गई।

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक दोष या तात्विक रूप से गलत विवरण के लिए 200 रु. से अनधिक राशि के संदाय का दायी होगा। मण्डल अधिकारी का ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुर्माने के रुप में उदग्रहित रकम की कटौती करने की बाबत विनिश्चय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

खण्ड 19ड.

इस ठेके में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य–संरक्षण और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा।

खण्ड 19च

छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगेः

1. छुट्टीः

   (i) प्रसव की दशा में–8 सप्ताह से अनधिक की प्रसूति छुट्टी जिसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अंतर्गत प्रसव दिन भी है, और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी।

   (ii) गर्भस्त्राव की दशा में–गर्भस्त्राव की तारीख से 3 सप्ताह तक।

2. वेतनः

   (i) प्रसव की दशा में–प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख से जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो की वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रूपए प्रति दिन की दर से, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

   (ii) गर्भस्त्राव की दशा में–छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भस्त्राव होने की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए, जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।

3. प्रसूति छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तेंः

   प्रसूति छुट्टी का लाभ किसी महिला को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिससे वह छुट्टी पर जा रही हो, ठीक पूर्व छः मास से अन्यून की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो।

4. ठेकेदार, प्रसूति (सुविधा) का एक रजिस्टर परिशिष्ट–ए एवं ए में दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में रखेगा और वह रजिस्टर कार्य के स्थान पर रखा जाएगा।

Clause 19G

In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the Central Public Works Department, Contractor's Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and' Rules which is materially incorrect, he/they shall, without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum as decided by the authority mentioned in Schedule F for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs.200/- per day for each day of default subject to a maximum of 5 percent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the parties.

Should it appear to the Engineer-in-Charge that the contractor(s) is/are not properly observing and complying with the provisions of the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour (R& A) Central Rules 1971, for the protection of health and sanitary arrangements for work-people employed by the contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor(s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/ observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Engineer-in-Charge shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor(s). The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/ their own expense and as per approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required for his/their work-people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards, the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodelled and/or reconstructed according to approved standards, and if the contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards within the period specified in the notice, the Engineer-in-Charge shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

Clause 19H

The contractor(s) shall at his/their own cost arrange appropriate accommodation for his/ their labour employed which should have proper doors windows, ventilation, water supply, drainage, & sanitary installation etc.

Clause 19 I

The Engineer-in-Charge may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements. In respect of maintenance/repair or renovation works etc. where the labour have an easy access to the individual houses, the contractor shall issue identity cards to the labourers, whether temporary or permanent and he shall be responsible for any untoward action on the part of such labour.

खण्ड 19छ

यदि ठेकेदार, कर्मकारों के स्वास्थ्य–रक्षण एवं स्वच्छता संबंधी, समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपर्युक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्विक रूप से गलत हो तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर व्यतिक्रम, भंग के लिए या तात्विक रूप से ऐसे गलत विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, फाइल करने के लिए सरकार को राशि संदत्त करेगा जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए घ्घ्घ् किया जा सकेगा जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है। किन्तु उसकी अधिकतम राशि निविदत्त कार्य की प्रक्कलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

यदि भारसाधक इंजीनियर को यह प्रतीत हो कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा ओर स्वच्छता संबंधी व्यवस्था के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियम और आदर्श नियमों तथा ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1971 के उपबंधों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) ठेकेदार उचित रूप से पालन और अनुवर्तन नहीं कर रहा है/कर रहे हैं, तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों को लिखित सूचना देकर उससे/उनसे अपेक्षा करे कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उसमें निर्धारित सूख सुविधाएं सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उचित समय के भीतर, कर्मकारों को दी जाए। यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुवर्तन और अनुपालन करने में और पूर्वोक्त कर्मकारों को सुख–सुविधाऐं देने में असफल रहेगा तो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर, इसमें पूर्व वर्णित सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करने की शक्ति होगी। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्य स्थल पर अपने कर्मकारों के लिए अपेक्षित आवश्यक झोपड़ियों का निर्माण और स्वच्छता व्यवस्था का प्रबंध अपने खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुरूप करेगा और उन्हें बनाए रखेगा तथा यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार उनका निर्माण अथवा सन्निर्माण नहीं कराया गया तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनःप्रतिरूपेण और/या पुनर्निर्माण कराया जाए और यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण करने में असफल रहेगा/रहेंगे तो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण कराने की शक्ति होगी।

खण्ड 19ज

ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्चे पर, भूमि के यथोचित खंड पर जिसे भारसाधक इंजीनियर अनुमोदित करेगा, पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोपड़ियाँ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा/करेंगे।

खण्ड 19झ

भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार से उसके द्वारा काम पर नियोजित ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जो अक्षम हों अथवा अवचार करते हों, पदच्युत करने या कार्यस्थल से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ठेकेदार ऐसी अपेक्षाओं का तुरन्त अनुपालन करेगा। ऐसे अनुरक्षण/मरम्मत या नवीकरण कार्यों के संबंध में, जहाँ मजदूर किसी भी घर मे आसानी से आ जा सकते हों, वहाँ ठेकेदार ऐसे सभी मजदूरों, चाहें वे स्थाई हों या अस्थाई, को पहचान पत्र जारी करेगा तथा इन मजदूरों द्वारा कोई भी अप्रिय कर्रवाई करने पर इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

Clause 19 J

It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under construction is not occupied by anybody unauthorized during construction, and is handed over to the Engineer-in-Charge with vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Engineer-in-Charge shall have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position. Any delay in acceptance on this account will be treated as the delay in completion and for such delay, a levy upto 5% of tendered value of work may be imposed by the Superintending Engineer/ Chief Engineer whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum and be binding on the contractor.

However, the Superintending Engineer/ Chief Engineer, through a notice, may require the contractor to remove the illegal occupation any time on or before construction and delivery.

Employment of skilled/semi skilled workers

Clause 19 K

The contractor shall, at all stages of work, deploy skilled/semi skilled tradesmen who are qualified and possess certificate in particular trade from CPWD Training Institute/Industrial Training Institute/ National Institute of construction Management and Research (NICMAR)/ National Academy of Construction, CIDC or any similar reputed and recognized Institute managed/ certified by State/Central Government. The number of such qualified tradesmen shall not be less than 20% of total skilled/semi skilled workers required in each trade at any stage of work. The contractor shall submit number of man days required in respect of each trade, its scheduling and the list of qualified tradesmen along with requisite certificate from recognized Institute to Engineer in charge for approval. Notwithstanding such approval, if the tradesmen are found to have inadequate skill to execute the work of respective trade, the contractor shall substitute such tradesmen within two days of written notice from Engineer-in- Charge. Failure on the part of contractor to obtain approval of Engineer-in Charge or failure to deploy qualified tradesmen will attract a compensation to be paid by contractor at the rate specified in schedule 'F' per such tradesman per day. Decision of Engineer in Charge as to whether particular tradesman possesses requisite skill and amount of compensation in case of default shall be final and binding.

Provided always, that the provisions of this clause, shall not be applicable for works with estimated cost put to tender being less than Rs. 5 crores.

For work costing more than Rs. 10 Crores, and upto Rs. 50 Crores, the contractor shall arrange on site training as per National Skill Development Corporation (NSDC) norms for at least 20% of the unskilled workers engaged in the project in co-ordination with the CPWD Regional Training Institute & National Skill Development Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi skilled tradesmen.

For work costing more than Rs. 50 Crores, the contractor shall arrange on site training as per National Skill Development Corporation (NSDC) norms for at least 30% of the unskilled worker engaged in the project in coordination with the CPWD Regional Training Institute & National Skill Development Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi skilled tradesmen. The cost of such training as stated above shall be born by the Government. The necessary space and workers shall be provided by the contractor and no claim what so ever shall be entertained.

खण्ड 19ञ

ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात पर ध्यान रखे कि निर्माणाधीन भवनों में कोई अनधिकृत रूप से कब्जा न करें ओर वह खाली तथा पूरा भवन प्रभारी इंजीनियर को सुपुर्द करें। यदि ऐसा भवन पूर्ण होने पर भी अनधिकृत रूप में किसी अन्य के कब्जे में हो तो प्रभारी इंजीनियर को यह विकल्प होगा कि वह ऐसे भवन/भवनों को उस स्थिति में स्वीकार करने से मना कर दे और इस कारण से स्वीकार करने में होने वाले बिलम्ब को निर्माणकालीन विलम्ब के रूप में माना जाएगा जिसके लिए अधीक्षण इंजीनियर/मुख्य अभियंता द्वारा कार्य के निविदित मूल्य के 5 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है और इनका निर्णय औचित्य और परिमाण दोनों दृष्टि से अन्तिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

किन्तु, अधीक्षण इंजीनियर सह परियोजना निदेशक/ मुख्य अभियंता/ मुख्य परियोजना प्रबन्धक सह ई डी सूचना द्वारा ठेकेदार से अनधिकृत कब्जे को, भवन सुपुर्द करने से पहले, हटाने की अपेक्षा कर सकता है।

खंड 19ट

कुशल एवं अर्थ–कुशल श्रमिकों की नियुक्ति

ठेकेदार उन कुशल/अर्धकुशल ट्रेडमेन, जो योग्य है तथा जो के.लो.नि.वि. प्रशिक्षण संस्थान/औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई सी एम ए आर)/राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, सी आई डी सी या किसी समान प्रतिश्ठित तथा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित/प्रमाणित मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेश ट्रेड में अर्हता प्राप्त है और प्रमाण पत्र धारक है, को कार्य के सभी चरणों में कार्य में लगायेगा। ऐसे योग्य ट्रेडमेन की संख्या किसी कार्य के चरण में प्रत्येक ट्रेड में अपेक्षित कुल कुशल/अर्धकुशल कर्मिकों का 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी। ठेकेदार प्रत्येक ट्रेड के संबंध में अपेक्षित मानव दिवस की संख्या, इसके षेड्यूलिंग, मान्यताप्राप्त संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र सहित योग्य ट्रेडमेन की सूची प्रभारी अभियंता को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। ऐसे अनुमोदन के बावजूद यदि ट्रेडमेन के पास संबंधित ट्रेड का कार्य निष्पादित करने की अपर्याप्त कुशलता पाई जाती है तो प्रभारी अभियंता से लिखित सूचना मिलने के दो दिनों के भीतर ठेकेदार ऐसे ट्रेडमेन को बदलेगा। ठेकेदार को प्रभारी अभियंता से अनुमोदन नहीं प्राप्त करने पर या योग्य ट्रेडमेन को काम पर नहीं लगाने पर ठेकेदार से प्रतिदिन अनुसूची च में निर्दिष्ट प्रति ट्रेडमैन की दर से मुआवजा लिया जाएगा। अपेक्षित कुशलता रखने तथा चूक के मामले में मुआवजा की राशि के संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

बशर्ते हमेशा कि इस खंड के प्रावधान, 5 करोड़ रूपये से कम निविदा करने की अनुमानित लागत वाले कार्यों पर लागू नहीं होंगे।

10 करोड़ रूपये से अधिक तथा 50 करोड़ रूपये तक के कार्य के लिए, ठेकेदार राष्ट्रिय कौशल विकास निगम के मानदंडों के अनुसार केलोनिवि क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रिय कौशल विकास निगम के समन्दय के साथ कुशल/अर्थ–कुशल श्रमिक के स्तर पर प्रमाणन के लिए परियोजना में कार्यरत कम से कम 20 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों कि लिए ऑन–साइट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

50 करोड़ रूपये से अधिक कार्यो के लिए ठेकेदार राष्ट्रिय कौशल विकास निगम के मानदंडों के अनुसार केलोनिवि, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रिय कौशल विकास निगम के समन्वय के साथ कुशल/अर्थ–कुशल श्रमिक के स्तर पर प्रमाणन के लिए परियोजना में कार्यरत कम से कम 30 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों के लिए ऑन–साइट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस तरह के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार द्वारा वहाँ किया जाएगा। आवश्यक स्थान तथा श्रमिक को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा कोई भी दावा नहीं माना जाएगा।

Clause 19 L

Contribution of EPF and ESI

The ESI and EPF contributions on the part of employer in respect of this contract shall be paid by the contractor. These contributions on the part of the employer paid by the contractor shall be reimbursed by the Engineer-in-charge to the contractor on actual basis. The verification of deployment labour will be done through biometric attendance system or any other suitable method by the Engineer in Charge. The applicable and eligible amount of EPF & ESI shall be reimbursed preferably within 7 days but not later than 30 days of submission of documentary proof of payment provided same are in order

Clause 20

Minimum Wages Act to be Complied With

The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, amended from time to time and rules framed there under and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.

Clause 21

Work not to be sublet. Action in case of in solvency

The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer-in-Charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor, or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of Government in any way relating to his office or employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have power to adopt the course specified in Clause 3 hereof in the interest of Government and in the event of such course being adopted, the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.

Clause 22

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

Clause 23

Changes in firm's Constitution to be Intimated

Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer-inCharge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern, such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carry out the works hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall ensue as provided in the said Clause 21.

Clause 24

Life Cycle cost

The contractor shall be responsible for safety, quality and soundness of the buildings including structural elements beyond maintenance period. The contractor shall have obligation to rectify such defects minimum up to 5 (five) years from the date of completion of work. The defects have to be rectified within a reasonable time not exceeding forty five days after issue of notice by Engineer- in- Charge. If contractor does not take corrective action within 45 days, then action for debarring of the agency shall be taken by the appropriate authority.

खंड 19ठ

ईपीएफ और ईएसाई का योगदान

इस संविदा के संबंध में रोजगार दाता की ओर से ईएसआई और ईपीएफ अंशदान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा रोजगार दाता की ओर से भुगतान किए गए इन अंशदानों की प्रतिपूर्ति भारसाधक इंजिनियर द्वारा ठेकेदार को वास्तविक आधार पर की जाएगी। श्रमिकों की तैनाती का सत्यापन प्रभारी अभियंता द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली अथवा अन्य किसी उपयुक्त विधि से किया जाएगा । ईपीएफ एवं ईएसआई की लागू की गई तथा पात्र राषि को प्राथमिकता से 7 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए परंतु भुगतान के कागजाती प्रमाण के प्रस्तुतीकरण के 30 दिनों के पष्चात नहीं करनी चाहिए, हालांकि इनके लिए आदेष हों।

खण्ड 20

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन

ठेकेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन), अधिनियम 1970 समय–समय पर यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम तथा ठेका श्रम को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम विधियाँ जिन्हें समय–समय पर लागू किया जा सकता हैं, का पालन करेगा।

खण्ड 21

कार्य को उप–पट्टे पर नहीं देना। दिवालियेपन के मामले में कार्रवाई

भारसाधक अभियंता के लिखित अनुमोदन के बिना ठेका समनुदेशित अथवा उपपट्टे पर नहीं दिया जाएगा और, यदि ठेकेदार अपने ठेके को समनुदेशित करेगा या उप–पट्टे पर देगा अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा दिवालिया हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियां प्रारम्भ करेगा अथवा अपने लेनदारों के कोई प्रशमन करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी सरकारी अधिकारी या सरकार के नियोजन में व्यक्ति को किसी भी रूप से उसके पद अथवा नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान उधार, परिलब्धि, इनाम या धनीय अथवा अन्यथा फायदा पहुंचाएगा, देने का वायदा करेगा या प्रस्थापना करेगा अथवा यदि ऐसा अधिकारी या व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रयत्यक्ष ठेके में हितबद्ध होगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक अभियंता को इसके खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट कार्यवाही, जो सरकार के हित में हो, करने की शक्ति होगी और यदि ऐसी कार्यवाही की जाती है तो उसके उक्त खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट परिणाम होगें।

खण्ड 22

इन शर्तों में से किसी के अधीन प्रतिकर के तौर पर संदेय सभी राशियां वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रति निर्देश के बिना, और चाहे कोई नुकसान हुआ हो अथवा नहीं, सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी।

खण्ड 23

फ़र्म के संविधान मे बदलाव को सूचित करना

यदि ठेकेदार कोई भागीदारी फर्म है तो फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर का लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। यदि ठेकेदार कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कारवारी फर्म हो तो इसी प्रकार से ठेकेदार के किसी ऐसे भागीदारी करार को करने से पूर्व यथा पूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा जिसके अधीन भागीदारी फर्म को उस कार्य को करने का अधिकार होगा जिसके करने का भार ठेकेदार ने एतदद्वारा अपने ऊपर लिया हो। यदि यथा पूर्वोक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो ठेका इसके खण्ड 21 के उल्लंघन में समनुदेशित किया गया समझा जाएगा और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी और उसके वही परिणाम होगे जो उक्त खण्ड 21 में उपबंधित हैं।

खण्ड 24

जीवन चक्र लागत

ठेकेदार अनुरक्षण की अवधि से परे संरचनात्मक तत्वों सहित इमारतों की सुरक्षा, गुणवत्ता तथा सुदृढ़ता के लिए जिम्मेदार होगा।ठेकेदार को कार्य समापन की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों के भीतर संरचनात्मक त्रुटियों को सुधारने की बाध्यता होगी। यह सुधार भारसाधक अभियंता के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद यथोचित समय के भीतर जो कि 45 दिनों से अधिक न हो किया जाना होगा। यदि ठेकेदार 45 दिनों के भीतर कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है, तो एजेन्सी को वंचित करने की कार्रवाई उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

Settlement of Disputes by Conciliation and Arbitration

Clause 25

Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions hereinbefore mentioned and as to the quality of workmanship or materials used in the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or otherwise concerning the works or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the cancellation, termination, completion or abandonment thereof shall be dealt with as mentioned hereinafter.

25.1 Conciliation: If the contractor considers any work demanded of him to be outside the requirements of the contract, or disputes any drawing, record or decision given in writing by the Engineer-in-Charge; or if the Engineer-in-Charge considers any act or decision of the contractor on any matter in connection with or arising out of the contract or carrying out of the work to be unacceptable and disputed; such party may promptly refer such disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator (Special Director General or the Additional Director General concerned with the work, as applicable) in the proforma prescribed in Appendix XVII mentioned in Schedule F, under intimation to the other party. The Conciliator may then request each party to submit to him a brief written statement describing the disputes and the points at issue. Each party shall send a copy of such statement to the other party. At any stage of the conciliation proceedings, the Conciliator may request a party to submit to him such additional information as he deems appropriate. When it appears to the Conciliator that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, he shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the parties for their observations. After receiving the observations of the parties, he may re-formulate the terms of a possible settlement in the light of such observations. If the parties reach agreement on a settlement of the disputes, they may draw up and sign a written settlement agreement on non-judicial stamp paper as per Stamp Act. The Conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each party. The termination of conciliation proceedings shall be in accordance with Section 76 of The Arbitration and Conciliation Act, 1996. No party shall be represented before the said Conciliator by an advocate or legal counsel. The conciliation proceedings shall be completed within 45 days from the receipt of reference. This time may be enlarged by 15 days by the Conciliator. The conciliation proceedings shall be deemed to have been terminated at the end of 60 days from the receipt of reference.

25.2 Arbitration: If the aforesaid conciliation proceedings fail or the Conciliator fails to give proposal for settlement within the aforesaid period, either party may promptly give notice in the proforma prescribed in Appendix XVIII, under intimation to the other party, to the Chief Engineer or the Superintending Engineer concerned with the work (as applicable), hereinafter referred to as the Arbitrator Appointing Authority as indicated in Schedule F, for appointment of Arbitrator.

खण्ड 25

सुलह और मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा

सिवाय जहां अन्यथा संविदा में दिया गया है, यहां पहले से ही उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइन, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद तथा कार्य पर उपयोग की जाने वाली कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, मामला या किसी बात के रूप में जो किसी भी तरह से संविदा, डिजाइन, आरेखनों, विनिर्देशों, अनुमानों, अनुदेशों, आदेशों या अन्यथा निर्माण कार्यों का निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या उसके रद्द होने, समाप्त होने, पूरा होने या छोड़ने के बाद उत्पन्न हो, उनका इसके बाद उल्लिखित अनुसार निपटारा किया जाएगाः.

25.1 सुलह : यदि ठेकेदार अपने द्वारा मांगे गए किसी भी कार्य को संविदा की आवश्यकताओं से बाहर मानता है, या प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित में दिए गए किसी भी चित्र, रिकॉर्ड या निर्णय पर विवाद करता है या यदि प्रभारी अभियंता संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में या कार्य करने के लिए, ठेकेदार के किसी कार्य या निर्णय को अस्वीकार्य मानता है और विवादित होने पर ऐसा पक्ष दूसरे को सूचित करते हुए अनुसूची एफ में उल्लिखित परिशिष्ट ग्टप्प में निर्धारित प्रोफार्मा में ऐसे विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि को सुलहकर्ता (विशेष महानिदेशक या कार्य से संबंधित अपर महानिदेशक, जैसे लागू हो) को तुरंत संदर्भित कर सकता है। सुलहकर्ता तब प्रत्येक पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह विवादों और मुद्दों का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करे। प्रत्येक पक्ष ऐसे वक्तव्य की एक प्रति दूसरे पक्ष को भेजेगा। सुलह की कार्यवाही के किसी भी चरण में, सुलहकर्ता एक पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करे जो उसे उपयुक्त लगती हो। जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि एक समझौते के तत्व मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह संभावित समझौते की शर्तें तैयार करेगा और उन्हें पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करेगा। पक्षों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, वह ऐसी टिप्पणियों के आलोक में संभावित समझौते की शर्तों को फिर से तैयार कर सकता है। यदि पक्षकार विवाद समझौता संबंधी करार पर पहुँच जाता है तब वे स्टाम्प अधिनियम के अनुसार नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता करार तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। सुलहकर्ता समझौता करार को प्रमाणित करेगा और प्रत्येक पक्ष को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा। सुलह कार्यवाही की समाप्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 76 के अनुसार होगी। किसी अधिवक्ता या कानूनी वकील द्वारा उक्त सुलहकर्ता के समक्ष किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। सुलह की कार्यवाही संदर्भ प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। इस समय को सुलहकर्ता द्वारा 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सुलह की कार्यवाही को संदर्भ प्राप्त होने के 60 दिनों के बाद समाप्त माना जाएगा।

25.2 मध्यस्थताः यदि पूर्वोक्त सुलह की कार्यवाही विफल हो जाती है या सुलहकर्ता उक्त अवधि के भीतर समझौता हेतु प्रस्ताव देने में विफल रहता है, तो कोई भी पक्ष तुरंत अन्य पक्ष को सूचना के तहत, कार्य से संबंधित(जैसा लागू हो) मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता को, परिशिष्ट ग्टप्प में निर्धारित प्रोफार्मा में नोटिस दे सकता है। इसके बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुसूची एफ में बताए गए में मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी को संदर्भित किया जाता है।

However, a party may seek appointment of Arbitrator without taking recourse to the process of conciliation mentioned in sub-clause 25.1 above.

In the event of either party giving a notice to the Arbitrator Appointing Authority for appointment of Arbitrator, the said Authority shall appoint Arbitrator as per the procedure given below and refer such disputes to arbitration.

(a) Number of Arbitrators: If the contract amount is less than Rs.100 crore, the disputes may be referred for adjudication by a sole Arbitrator. If the contract amount is Rs.100 crore or more, the disputes may be referred to an Arbitral Tribunal of three Arbitrators.

(b) Qualification of Arbitrators: It is a term of this contract that each member of the Arbitral Tribunal shall be Graduate Engineer with experience in execution of public works engineering contracts, and he should have worked earlier at a level not lower than the Chief Engineer (equivalent to level of Joint Secretary to the Government of India).

The aforesaid educational qualification and work experience shall be mandatory for appointment as Arbitrator.

The age of Arbitrator at the time of appointment shall not exceed 75 years. An Arbitrator may be appointed notwithstanding the total number of active arbitration cases with him.

(c) Parties to select Arbitrator: Based on the criteria specified above, a list of empanelled Arbitrators has been prepared in CPWD, and the parties shall have option to select an Arbitrator from the list sent to them.

25.3 Appointment of Sole Arbitrator: The parties may opt for appointment of the Arbitrator of the Ministry of Housing and Urban Affairs. In such cases, the party seeking arbitration has to submit an express agreement in writing as per Appendix XIX towards waiver of Section 12(5) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 along with the notice for appointment of Arbitrator in the proforma prescribed in Appendix XVIII, under intimation to the other party. The Arbitrator Appointing Authority shall, within 30 days of receipt of the said notice, appoint Arbitrator of the Ministry of Housing and Urban Affairs as Arbitrator in the matter, provided the other party also submits waiver of Section 12(5), ibid in Appendix XIX within 7 days of the receipt of the said notice.

Where any one of the parties does not opt for the Arbitrator of the Ministry of Housing and Urban Affairs, or does not submit the waiver agreement, the Arbitrator Appointing Authority shall propose five Arbitrators from the list of CPWD Empanelled Arbitrators to the party seeking arbitration under intimation to the other party within 15 days of receiving the notice. The party seeking arbitration shall give his choice for one of them within 15 days of receiving the list, and the Arbitrator Appointing Authority shall appoint the chosen person as the Sole Arbitrator within 15 days of the receipt of choice.

हालांकि, कोई पक्ष उपर्युक्त उप खंड 25.1 में उल्लिखित सुलह की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर सकता है।

किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देने की स्थिति में, उक्त प्राधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और ऐसे विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा।

(क) मध्यस्थतों की संख्याः यदि संविदा की राशि 100 करोड़ रुपये से कम है, तो विवादों को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा न्यायनिर्णय के लिए भेजा जा सकता है। यदि संविदा की राशि रु.100 करोड़ या अधिक है, तो विवादों को तीन मध्यस्थों के विवाचक अधिकरण/मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है।

(ख) मध्यस्थतों की अर्हताः इस संविदा की शर्त है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का प्रत्येक सदस्य लोक निर्माण इंजीनियरिंग संविदाओं के निष्पादन में अनुभव के साथ स्नातक अभियंता होगा, और उन्होंने पहले कम से कम मुख्य अभियंता के स्तर (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के बराबर) पर काम किया हो।

मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव अनिवार्य होगा।

नियुक्ति के समय मध्यस्थ की आयु 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्यस्थ को उसके सक्रिय मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या के बावजूद नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) पक्षों द्वारा मध्यस्थों का चयनः ऊपर निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर, केलोनिवि के पैनल में शामिल मध्यस्थों की एक सूची तैयार की गई है, और पक्षों के पास उन्हें भेजी गई सूची में से एक मध्यस्थ का चयन करने का विकल्प होगा।

25.3 **एकल मध्यस्थ की नियुक्तिः** ये पक्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मध्यस्थ की नियुक्ति का विकल्प चुन सकती हैं। ऐसे मामलों में, मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को सूचित करते हुए परिशिष्ट ग्प के अनुसार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) की छूट के साथ–साथ परिशिष्ट ग्टप्प् में निर्धारित प्रोफार्मा में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस के साथ लिखित रूप में एक एक्सप्रेस समझौता प्रस्तुत करना होगा। मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के मध्यस्थ को मामले में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा, बशर्ते कि दूसरा पक्ष भी उक्त नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर परिशिष्ट ग्प में उल्लिखित धारा 12(5) से छूट प्रस्तुत करे।

जहां कोई भी पक्ष आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मध्यस्थ का विकल्प नहीं चुनता है, या छूट समझौता प्रस्तुत नहीं करता है, तो मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को सूचना देते हुए केलोनिवि पैनलबद्ध मध्यस्थों की सूची में से पांच मध्यस्थों को प्रस्तावित करेगा। मध्यस्थता की मांग करने वाला पक्ष सूची प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर उनमें से किसी एक के लिए अपनी पसंद देगा, और मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी पसंद प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चुने हुए व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा।

It is a term of this arbitration agreement that if the parties fail to select, within the period prescribed above, an Arbitrator of their choice from the list of CPWD Empanelled Arbitrators forwarded to them, the Arbitrator Appointing Authority shall himself select and appoint Arbitrator from the said list.

25.4 Appointment of Arbitral Tribunal of three Arbitrators: The Arbitrator Appointing Authority shall prepare two separate lists of five Arbitrators each from the list of CPWD Empanelled Arbitrators, and send one to the party seeking arbitration and other to the responding party, within 15 days of the receipt of notice. The parties will then choose any one Arbitrator from the list provided to them within 15 days of receipt of the list. The Arbitrator Appointing Authority shall then appoint those chosen by the respective parties as Arbitrators and also a third Arbitrator from the list of CPWD Empanelled Arbitrators to act as presiding Arbitrator, within 15 days of receipt of choice from both the parties.

It is a term of this arbitration agreement that if the parties fail to select, within the period prescribed above, an Arbitrator of their choice from the list of CPWD Empanelled Arbitrators forwarded to them, the Arbitrator Appointing Authority shall himself select and appoint Arbitrator from the said list.

25.5 Applicable Law: The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act 26 of 1996) and any further statutory modification or re-enactment thereof shall be applicable. Further, the fast-track procedure for arbitration contained in Section 29B of the said Act shall apply.

25.6 Fee payable to Arbitrator(s): The fee payable to the arbitral tribunal shall be as per CPWD OM No.2/2006/SE(TLC)/CSQ/137 dated 19.11.2019 (or latest amendment), and shall be shared equally by both the parties.

25.7 Place of Arbitration: The place of arbitration shall preferably be as mentioned in Schedule F. However, the Arbitral Tribunal may decide the place in consultation with both the parties.

25.8 Terms of reference:

The Arbitral Tribunal shall adjudicate on only such disputes as are referred to it by the Arbitrator Appointing Authority and give separate award against each dispute referred to him and shall give reasons for the award in all cases where the total amount of the claim by any party exceeds Rs.1,00,000.

25.9 Interest on Arbitration award: It is also a term of this arbitration agreement that where the Arbitral award against any dispute is for the payment of money, no pre-suit and pendent elite interest shall be payable on any part of the Arbitral award.

यह इस मध्यस्थता समझौते की शर्त है की यदि पक्ष ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर, उन्हें प्राप्त केलोनिवि पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची में से अपनी पसंद के एक मध्यस्थ का चयन करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं उक्त सूची में से मध्यस्थ का चयन और नियुक्ति करेगा।

25.4 **तीन मध्यस्थों के मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्तिः** मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी केलोनिवि पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची में से पांच मध्यस्थों की दो अलग–अलग सूचियां तैयार करेगा, और नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एक, मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को और दूसरा प्रतिवादी पक्ष को भेजेगा। इसके बाद पक्ष सूची प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उन्हें दी गई सूची में से किसी एक मध्यस्थ का चयन करेंगे। मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी तब दोनों पक्षों से पसंद प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों द्वारा चुने गए लोगों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा और केलोनिवि पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची में से तीसरे मध्यस्थ को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। यह इस मध्यस्थता करार की एक शर्त है कि यदि पक्षकार ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर, उनको अग्रषित की गई केलोनिवि पैनलबद्ध मध्यस्थों की सूची में से अपनी पसंद के एक मध्यस्थ का चयन करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं उक्ध्त सूची में से मध्यस्थ का चयन और नियुक्ति करेगा।

25.5 लागू नियम : मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 26) के प्रावधान तथा उसका कोई और वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन लागू होगा। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 29 ख में निहित मध्यस्थता के लिए फास्ट–ट्रैक प्रक्रिया लागू होगी।

25.6 मध्यस्थ (ओं) को देय शुल्कः मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देय शुल्क केलोनिवि का.ज्ञा. सं. 2/2006/SE(TLC)/CSQ/137 दिनांक 19.11.2019 (या नवीनतम संशोधन) के अनुसार होगा, और दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

25.7 मध्यस्थता का स्थानः मध्यस्थता का स्थान अधिमानतः अनुसूची एफ में उल्ध्लेखानुसार होगा। तथापि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के परामर्श से जगह निर्धारित कर सकता है।

25.8 संदर्भ की शर्तेंः मध्यस्थ न्यायाधिकरण केवल ऐसे विवादों का निर्णय करेगा जो इसे मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संदर्भित किया गया है और उसे संदर्भित प्रत्येक विवाद के लिए अलग से निर्णय देगा और उन सभी मामलों में निर्णय के लिए कारण देगा जहां किसी भी पक्ष द्वारा दावे की कुल राशि 1,00,000 रुपये से अधिक होगी।

25.9 मध्यस्थता निर्णय पर ब्याजः यह भी इस मध्यस्थता करार की एक शर्त है कि जहां किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थ निर्णय धनराशि के भुगतान के लिए हो, मध्यस्थ निर्णय के किसी भी भाग पर कोई पूर्व–कालीन और वादकालीन ब्याज देय नहीं होगा।

Clause 26

Contractor to indemnify Govt. against Patent Rights

The contractor shall fully indemnify and keep indemnified the President of India against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against Government in respect of any such matters as aforesaid, the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there from, provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-Charge in this behalf.

Clause 27

Lumpsum Provisions in Tender

When the estimate on which a tender is made includes lump sum in respect of parts of the work, the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates as are payable under this contract for such items, or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Engineer-inCharge payable of measurement, the Engineer-in-Charge may at his discretion pay the lump-sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Engineer-inCharge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.

Clause 28

Action where no Specifications are Specified

In the case of any class of work for which there is no such specifications as referred to in Clause 11, such work shall be carried out in accordance with the Bureau of Indian Standards Specifications. In case there are no such specifications in Bureau of Indian Standards, the work shall be carried out as per manufacturers' specifications, if not available then as per state District Specifications. In case there are no such specifications as required above, the work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-Charge

Clause 29

Withholding and lien in respect of sum due from contractor

(i) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in-Charge of the Government or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim.

खण्ड–26

पेटेंट अधिकारों के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा सरकार को क्षतिपूर्ति

ठेकेदार पेटेन्ट या डिजाइन या किन्ही अधिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकारों के अतिलंधन या उपयोग से संबंद्ध किसी अनुयोग, दावा या कार्यवाही के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति की क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किन्हीं स्वामित्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग की बाबत संदेय हो। यथापूर्वोक्त विषयों में से किसी की बावत सरकार के अधीन किए गए किन्हीं दावों या उसके खिलाफ किए गए किसी अनुयोग की दशा में ठेकेदार को उसकी तरुन्त अधिसूचना दी जाएगी और ठेकेदार, अपने खर्चे पर, कोई विवाद तय करने या उससे उत्पन्न होने वाली मुकदमेबाजी का संचालन करने के लिए स्वतन्त्र होगा। परन्तु ठेकेदार भारत के राष्ट्रपति को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि पेटेन्ट या डिजाइन अथवा अभिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन भार साधक इंजीनियर द्वारा इस निमित्त पारित किसी आदेश का सीधा परिणाम हैं।

खण्ड 27

निविदां में एकमुश्त प्रावधान

जब कि उस प्राक्कलन के अंतर्गत, जिस पर निविदा की जाती है, कार्य के भागों की बावत एकमुश्त राशियां हो, तब ठेकेदार अन्तर्वलित कार्य या प्रश्नगत कार्य के भाग की मदों की बावत उन्हीं दरों पर संदाय के लिए हकदार होगा, जो ऐसी मदों के लिए इस ठेके के अधीन संदेय हो, और यदि प्रश्नगत, कार्य का भाग भारसाधक इंजीनियर की राय में माप के योग्य न हो तो भारसाधक इंजीनियर प्राक्कलन में दर्ज एकमुश्त रकम स्वविवेक पर संदेय कर सकेगा और भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन उसे संदेय किसी राशि या राशियों की बावत अन्तिम और निश्चायक होगा।

खण्ड 28

ऐसे कार्य जहां कोई विनिर्देश नहीं है

किसी ऐसे कार्य वर्ग, जिसके लिए खण्ड 11 में यथावर्णित कोई विनिर्देश नहीं हैं, की दशा में ऐसा कार्य भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि भारतीय मानक ब्यूरों में ऐसे कोई विनिर्देश नहीं हैं तो कार्य को निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, यदि ये भी उपलब्ध न हो तो जिला विनिर्देशों के अनुसार। यदि ऐसे विनिर्देश न हों तो कार्य के हर तरह से भारसाधक इंजीनियर के अनुदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

खण्ड 29

ठेकेदार से प्राप्त राशि के संबंध मे रोक और ग्रहणाधिकार

(i) जब भी ठेके से या उसके अधीन ठेकेदार के खिलाफ किसी धनराशि के भुगतान के लिए दावा या दावे हो, भारसाधक इंजीनियर या सरकार को, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से ऐसी राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः रोकने का तथा उसका धारणाधिकार होगा। भारसाधक इंजीनियर या सरकार को जमा प्रतिभूति निक्षेप, यदि कोई हो, को यथास्थिति रोकने का अधिकार होगा और इस पर, ऐसे मामलों के निपटारे या निर्णय होने तक धारणाधिकार होगा। यदि प्रतिभूति, दावा की गई राशि या राशियों से कम हो या ठेकेदार से कोई प्रतिभूति न ली गई हो तो भारसाधक इन्जीनियर या सरकार को उपरिनिर्दिष्ट प्रकार से दावा की गई राशि या राशियां किसी भी ऐसी राशि में से रोकने का तथा धारणाधिकार होगा जो कि ठेकेदार को भुगतान योग्य हो या जो बाद में इसी ठेके में ठेकेदार को तथा भारसाधक इन्जीनियर या सरकार के भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से किसी अन्य ठेके के अधीन किसी भी ऐसे दावे के निर्णय पर लंबित निपटारे में भुगतान योग्य होने वाली हो।

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above by the Engineer-in-Charge or Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or Government till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator(if the contract is governed by the arbitration clause) by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-inCharge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise

(ii) Government shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract, etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed to have been done by him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of over-payment and it shall be lawful for Government to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (i) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government to the contractor, without any interest thereon whatsoever.

Provided that the Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Superintending Engineer or Executive Engineer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Superintending Engineer or the Executive Engineer.

Clause 29A

Lien in respect of claims in other Contracts

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-in-Charge or the Government or any other contracting person or persons through Engineer-in-Charge against any claim of the Engineer-in-Charge or Government or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Engineer- in-Charge or the Government or with such other person or persons. It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-Charge or the Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or the Government or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

ठेके की यह मान्य शर्त है कि उपरिनिर्दिष्ट धारणाधिकार के अधीन भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा इस प्रकार रोकी गई धनराशि या राशियां तब तक रोकी जाऐंगी जब तक ठेके या उसके अधीन दावा मध्यस्थ (यदि ठेके में मध्यस्थता खण्ड हो) या सक्षम न्यायालय द्वारा निश्चित न कर लिया जाए, जैसी भी स्थिति हो, और ठेकेदार किसी भी कारण से उपरिनिर्दिष्ट धारणाधिकार के अधीन रोकी गई किसी ऐसी धनराशि जिसकी सूचना यथाविधि ठेकेदार को दी गई हो, के लिए किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं करेगा। जब ठेकेदार कोई सहभागी फर्म या लिमिटेड कम्पनी हो तो इस खण्ड के प्रयोजन के लिए भारसाधक इंजीनियर या सरकार को इस प्रकार दावा की गई राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः किसी भी ऐसी राशि में से रोकने का प्रतिबन्ध या धारणाधिकार होगा जो किसी सहभागी फर्म लिमिटेड कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, को उसके व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा भुगतान योग्य हो।

(ii) सरकार को यह अधिकार होगा कि कार्यों और ठेकेदार के अंतिम बिलों की, जिनके अंतर्गत सभी समर्थक वाउचर, सार आदि आते हैं, अंतिम बिलों के संदाय के पश्चात् संपरीक्षा और तकनीकी परीक्षा करवाए और यदि ऐसी संपरीक्षा या तकनीकी परीक्षा के परिणामस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या किसी ऐसे कार्य की बावत, जिसके संबंध में उसने दावा किया है, कि ठेके के अधीन उसके द्वारा कार्य किया गया है किन्तु जो निष्पादित किया गया नहीं पाया गया है, किसी राशि का अतिसंदाय किया गया है, तो ठेकेदार अतिसंदाय की रकम का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा और सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उससे उसकी वसूली उपखण्ड (1) में विहित रीति में या वैध रूप से अनुज्ञेय किसी अन्य रीति में करे और यदि यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी कार्य के बावत उसे उससे कम संदाय किया गया है जो ठेके के अधीन उसे शोध्य था, तो ऐसे न्यून संदाय की रकम सरकार द्वारा बिना किसी भी तरह के ब्याज के ठेकेदार को सम्यक रूप से संदत्त की जाएगी।

परन्तु सरकार अतिसंदत्त किसी राशि को वसूल करने के लिए हकदार न होगी और न ठेकेदार न्यून संदत्त किसी राशि के संदाय के लिए हकदार होगा, यदि ठेके के किसी ऐसे निबन्धन के अधीन जो अधीक्षण इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर द्वारा निर्धारण के पश्चात् कार्य के लिए संदाय अनुज्ञात करता हो, ऐसे संदाय के संबंध में एक पक्ष की ओर से अधीक्षण इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर और दूसरी और से ठेकेदार के बीच सहमति हो गई है।

खण्ड 29अ

अन्य संविदाओं में दावों के संबंध में ग्रहणाधिकार

ठेके के अधीन ठेकेदार को देय और भुगतान योग्य कोई धनराशि (जिसमें उसको लौटाया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप भी सम्मिलित है) भारसाधक इंजीनियर या सरकार या भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से ठेका करने वाला कोई दूसरा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के किसी दावे के मद्दे रोकली अथवा धारित करली जाएगी जो भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत उससे निकल रही हो अथवा जिसका भुगतान उसके द्वारा किया जाना हो। ठेके की यह मान्य शर्त होगी कि इस खण्ड के अधीन भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा रोकी या धारित गई धनराशि भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा तब तक रोकी जायेगी जब तक उसी ठेके या किसी अन्य ठेके में उसका दावे पर या तो परस्पर निर्णय हो जाए या मध्यस्थता के खण्ड के द्वारा या सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णत हो जाए, जैसी भी स्थिति हो, और ठेकेदार इस कारण या किसी अन्य कारण से इस खण्ड के अधीन रोकी गई किसी ऐसी धनराशि जिनकी सूचना यथाविधि ठेकेदार को दी गई हो, के लिए किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं करेगा।

Water for Works

Clause 30

The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions.

(i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge.

(ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in- Charge, unsatisfactory.

Hire of Plant & Machinery

Clause 31

The contractor shall arrange at his own expense all tools, plant, machinery and equipment (hereinafter referred to as T&P) required for execution of the work.

Employment of Technical Staff and employees

Clause 32

Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees

(i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work and other technical representative(s) who will be supervising the work. Minimum requirement of such technical representative(s) and their qualifications and experience shall not be lower than specified in Schedule 'F'. Even of the contractor (or partner(s) in case of firm/ company)is himself / herself an Engineers, it is necessary on the part of the contractor to employ principal technical representative / technical representative (s) as per stipulation in Schedule 'F'.

The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative(s) to the contractor. Any such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint another such representative(s) according to the provisions of this clause. Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the contractor in this respect. Such a principal technical representative and other technical representative(s) shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site before start of work.

All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will also be applicable to other technical representative(s) The principal technical representative and other technical representative(s) shall be present at the site of work for supervision at all times when any construction activity is in progress and also present himself/themselves, as required, to the Engineer-in-Charge and/or his designated representative to take instructions. Instructions given to the principal technical representative or other technical representative(s) shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The principal technical representative

खण्ड 30

कार्य के लिए पानी

ठेकेदार कार्य के लिए अपेक्षित जल के लिए अपना निजी इंतजाम करेगा/करेंगे और उसके लिए कुछ भी अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगाः

(i) ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल, भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टी के अनुसार निर्माण प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा।

(ii) यदि भारसाधक इंजीनियर की राय में ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा जल की प्राप्ति के लिए किया गया इंतजाम संतोषप्रद न हो तो भारसाधक इंजीनियर जलआपूर्ति के लिए ठेकेदार (ठेकेदारों) के जोखिम और व्यय पर वैकल्पिक इंतजाम करेगा।

खण्ड 31

प्लांट और मशीनरी का खर्चा

काये के लिए अपेक्षित साधनों, प्लांट, मशीनरी तथा उपकरणों का खर्चा ठेकेदार द्वारा उठाया जाएगा।

खण्ड 32

कर्मचारियों तथा तकनीकि स्टाफ का रोजगार

ठेकेदार द्वारा अधीक्षण, पर्यवेक्षण, तकनीकी स्टाफ और कर्मचारीगण

(i) ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान और उसके बाद भी ठेके के तहत दायित्वों को समुचित ढंग से निभाने के लिए सभी आवश्यक अधीक्षण की व्यवस्था करेगा।

ठेकेदार निविदा स्वीकृति के पत्र की प्राप्ति के तत्काल बाद और कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, कार्य के प्रभारी प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि (यों) तथा कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) का/के नाम, अर्हताओं, अनुभव, आयु, पता और प्रमाणपत्रों सहित अन्य विवरणों की लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को देगा। ये अर्हताएं और अनुभव, अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट से कम नहीं होंगी। भले ही ठेकेदार (या सहभागी/सहभागियों फर्म/कंपनी के संबंध में) खुद एक इंजीनियर हो, अनुसूची च में निर्धारित शर्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि/तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति आवश्यक है।

भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूचना मिलने के 3 दिन के भीतर ठेकेदार के ऐसे प्रतिनिधि (यों) के संबंध में अपने अनुमोदन या अन्यथा की लिखित सूचना देगा। ऐसा अनुमोदन किसी भी समय वापिस लिया जा सकता है और वापिस लेने पर ठेकेदार इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। इस संबंध में निविदा स्वीकार करने वाली प्राधिकारी का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। भारसाधक इंजीनियर से ऐसा अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद ठेकेदार एक प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करेगा और वह कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेगा।

ऐसे मामले में खण्ड के तहत प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू सभी उपबंध अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) पर भी लागू होंगे। जब कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि हर समय कार्यस्थल पर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए उपस्थित रहेंगे तथा वह/वे भारसाधक इंजीनियर तथा/या उसके जिम्मेदार अभिकर्ता की आवश्यकतानुसार अनुदेश लेने के लिए उपस्थित रहेंगें। प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को दिए गए अनुदेश उतने

and other technical representative(s) shall be actually available at site fully during all stages of execution of work, during recording/checking/test checking of measurements of works and whenever so required by the Engineer-in-Charge and shall also note down instructions conveyed by the Engineer-in-Charge or his designated representative(s) in the site order book and shall affix his/their signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements/checked measurements/ test checked measurements. The representative(s) shall not look after any other work. Substitutes, duly approved by Engineer-in-Charge of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of absence of any of the representative(s) by more than two days.

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (non refundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and the decision of the Engineer-In-Charge as recorded in the site order book and measurement recorded checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the contractor. Further if the contractor fails to appoint suitable technical Principal technical representative and/or other technical representative(s) and if such appointed persons are not effectively present or are absent by more than two days without duly approved substitute or do not discharge their responsibilities satisfactorily, the Engineer-in-Charge shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as suitable other technical representative(s) is/are appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative(s) (in the form of copy of Form-16 or CPF deduction issued to the Engineers employed by him) along with every on account bill/ final bill and shall produce evidence if at any time so required by the Engineer-in-Charge.

(ii) The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.

(iii) For works with estimated cost more than Rs. 10 Crores and stipulated time period more than 6 months :

The contractor shall ensure that at least one deployed technical representative shall be trained in courses related to CPWD specifications, labour laws, safety rules etc. of duration not less than 5 working days either through National CPWD Academy (NCA) or National Institute of Construction Management and Research (NICMAR) or CIDC or any other similar reputed and recognized Institute managed or certified by State/Central Government. The training cost and other cost related to training shall be borne by the contractor. The contractor shall ensure that at least one technical representative is trained within six months of start of work. The time period of six months can be relaxed by the Engineer-in-Charge depending upon the frequency of training course organized by NCA.

If the contractor fails to ensure that at least one technical representative is trained in the above mentioned course till completion of work or one year from start of work, whichever is earlier, then a non-refundable recovery of Rs. 50,000/- shall be made from the bill of the contractor. Decision of Engineer-in-Charge in this regard shall be final and binding on the contractor.

ही प्रभावी माने जाएंगे जितने यदि वे ठेकेदार को दिए जाने पर होते। प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण चरणों तथा, कार्य की माप दर्ज करने/जांच/परीक्षा जांच के दौरान और भारसाधक इंजीनियर की आवश्यकतानुसार अनुदेश लेने के लिए हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। वे भारसाधक इंजीनियर या उसके अभिनामित प्रतिनिधि द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यस्थल आदेश बही में नोट करेगें और साथ ही अनुदेशों को नोट किए जाने के प्रमाण स्वरूप और माप/माप की जांच/माप की परीक्षण जांच स्वीकार करने के प्रमाणस्वरूप उसमें हस्ताक्षर करेगा/करेंगें। प्रतिनिधि (यों) द्वारा किसी अन्य कार्य की देख–रेख नहीं की जाएगी। किसी प्रतिनिधि के दो से अधिक दिन तक अनुपस्थित होने की स्थिति में, उपर्युक्त विधि के समान ही, कार्य के भार–साधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रतिस्थानी की व्यवस्था की जाएगी।

यदि भारसाधक इंजीनियर, जिसका निर्णय इस संबंध में ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, यह समझे कि ऐसा/ऐसे तकनीकी प्रतिनिधि को प्रभावपूर्ण ढंग से नियुक्त नहीं किया गया है या प्रभावपूर्ण ढंग से देखभाल नहीं कर रहा है या इस खण्ड के उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है तो ठेकेदार से अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार वसूली की जाएगी (जिसे लौटाया नहीं जाएगा) और भारसाधक इंजीनियर का निर्णय कार्यस्थल बही में दर्ज अनुसार और माप बही में दर्ज जांचे गए/परीक्षण जांच किए गए माप ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। आगे यह भी कि यदि ठेकेदार उपयुक्त प्रधान तकनीकी प्रतिनिधी तथा/या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त करने में असफल रहता है या यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता या किसी अनुमोदित प्रस्थानी के बिना दो से अधिक दिन तक अनुपस्थित हो या संतोषजनक ढंग से दायित्वों का निर्वाह नहीं करता तो जब तक ऐसे उपयुक्त अन्य प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए कार्य निष्पादन को स्थगित करने का भारसाधक इंजीनियर को पूरा अधिकार होगा और इसके कारण कार्य में विलंब के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठेकेदार प्रत्येक लेखा बिल/निश्चित बिल के साथ तकनीकी प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति का प्रमाण (फार्म–16 की प्रति अथवा उनके द्वारा नियुक्त अभियंताओं को जारी सीपीएफ कटौती के रूप में) पत्र प्रस्तुत करेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा किसी भी समय अपेक्षित हो तो वह प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(ii) ठेकेदार कार्यस्थल पर केवल ऐसे तकनीकी सहायको, जो कुशल और अपने संबंधित क्षेत्र में अनुभवी हों और ऐसे फोरमैन और पर्यवेक्षक स्टाफ, जो कार्य के उचित पर्यवेक्षण में सक्षम हों, की व्यवस्था और नियोजन करेगा।

कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए ठेकेदार यथा आवश्यक कुशल, अर्धकुशल, और अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था और नियोजन करेगा।

भारसाधक इंजीनियर, किसी भी संबंध में आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी व्यक्ति, जो उसकी राय में दुर्वव्यहार करता हो, या अक्षम या अपने कर्तव्य को निभाने में लापरवाह हो, या जिसका नियोजन भारसाधक इंजीनियर अन्यथा अनावश्यक समझें, को कार्य से हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देश दे सकता है। भारसाधक इंजीनियर की अनुमति के बिना ऐसा व्यक्ति पुनः कार्यस्थल पर नहीं लगाया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए व्यक्तियों के स्थान पर यथाशीघ्र सक्षम व्यक्ति लगाए जाएंगे।

(iii) 10 करोड से अधिक अनुमानित लागत और 6 महीने से अधिक निर्धारित समय अवधि वाले कार्यो के लिये :

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम एक तैनात तकनीकी प्रतिनिधि को राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी (एनसीए) या राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन संस्थान या सीआईडीसी या राज्य ध केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित या प्रमाणित कोई अन्य समान प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से कम से कम 5 कार्य दिवसों की अवधि के सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों, श्रम कानूनों, सुरक्षा नियमों आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण लागत और प्रशिक्षण से संबंधित अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि काम शुरू होने के छह महीने के भीतर कम से कम एक तकनीकी प्रतिनिधि प्रशिक्षित हो। एनसीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवृत्ति के आधार पर भारसाधक इंजिनियर द्वारा छह महीने की समयावधि में छूट दी जा सकती है।

यदि ठेकेदार यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि काम पूरा होने तक या काम शुरू होने से एक वर्ष तक, जो भी पहले हो, कम से कम एक तकनीकी प्रतिनिधि उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित है, तो 50,000/–रुपये ठेकेदार के बिल से की गैर–वापसी योग्य वसूली की जाएगी। इस संबंध में भारसाधक इंजिनियर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

Levy/Taxes payable by Contractor

Clause 33

(i) GST, Building and other Construction Workers Welfare Cess or any other tax, levy or Cess in respect of input for or output by this contract shall be payable by the contractor and Government shall not entertain any claim whatsoever in this respect except as provided under Clause 38.

(ii) The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for supply of the red bajri, stone, kankar, etc. from local authorities.

If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the Government of India and does not any time become payable by the contractor to the State Government, Local authorities in respect of any material used by the contractor in the works, then in such a case, it shall be lawful to the Government of India and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor.

Conditions for reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of Tenders

Clause 34

(i) All tendered rates shall be inclusive of any tax, levy or cess applicable on last stipulated date of receipt of tender including extension if any. No adjustment i.e. increase or decrease shall be made for any variation in the rate of GST, Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax, levy or cess applicable on inputs.

However, effect of variation in rates of GST or Building and Other Construction Workers Welfare Cess or imposition or repeal of any other tax, levy or cess applicable on output of the works contract shall be adjusted on either side, increase or decrease. Provided further that for Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax (other than GST), levy or cess varied or imposed after the last date of receipt of tender including extension if any, any increase shall be reimbursed to the contractor only if the contractor necessarily and properly pays such increased amount of taxes/ levies/cess.

Provided further that such increase including GST shall not be made in the extended period of contract for which the contractor alone is responsible for delay as determined by authority for extension of time under Clause 5 in Schedule F.

(ii) The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorized representative of the Government and/or the Engineer-in-Charge and shall also furnish such other information/document as the Engineer-in-Charge may require from time to time.

(iii) The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or levy or cess, or variation or repeal of such tax or levy or cess give a written notice thereof to the Engineer-in-charge that the same is given pursuant to this condition, together with all necessary information relating thereto.

Termination of Contract on death of contractor

Clause 35

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Engineer in Charge on behalf of the President of India shall have the option of terminating the contract without levy compensation to the contractor.

If relative working in CPWD then the contractor not allowed to tender

Clause 36

The contractor shall not be permitted to tender for works in the CPWD circle (Division in case of contractors of Horticulture/Nursery categories) responsible for award and execution of contracts in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Junior Engineer (both

खण्ड 33

ठेकेदार द्वारा देय कर

(i) जीएसटी भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर अथवा कोई अन्य कर, इससंविदा के द्वारा इन्पुट के लिए अथवा आउटपुट के संबंध में वसूली अथवा उपकर ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाएंगे तथा इस संबंध में केवल खंड 34 के अधीन दिए गए के अलावा सरकार कोई दावा नहीं मानेगी।

(ii) ठेकेदार रायल्टी जमा करेगा और लाल बजरी, पत्थर कंकर आदि की आपूर्ति के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेगा।

यदि किसी विधि, अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई रायल्टी, उपकर, या इसी प्रकार की कोई रकम ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किसी सामग्री के बारे में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संदेय हो जाती है और किसी समय ठेकेदार द्वारा संदेय नहीं होती है, तो ऐसी दशा में भारत सरकार के लिए यह विधियुक्त होगा और उसका यह अधिकार होगा तथा वह इस बात के लिए हकदार होगी कि वह यथापूर्वोक्त परिस्थितियों में संदत्त की गई रकम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल कर लें।

खण्ड 34

निविदाओं की प्राप्ति के बाद कर के प्रतिपूर्ति की शर्तें

(i) संविदा के प्राप्त होने की अंतिम निर्धारित तिथि पर लागू की गई वसूली अथवा उपकर कोई भी कर विस्तार यदि हो तो सभी संविदा के दरों में षामिल होंगे। इन्पुटस पर जीएसटी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर अथवा कोई भी कर वसूली अथवा उपकर लागू की कई दर में किसी भी विविधता के लिए कोई भी समायोजन अर्थात बढाया या घटाया नहीं जाएगा।

यद्यपि निर्माण संविदा के आउटपुट पर लागू की गई जीएसटी या भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अथवा किसी भी अन्य कर, वसूली या उपकर के अधिरोपण अथवा निरासित करने के दरों में विविधता के प्रभाव का समायोजन बढाना या घटाना अन्य पक्ष पर किया जाएगा।

इसके आगे यदि निविदा प्राप्त होने के अंतिम तिथि के पष्चात भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर या अन्य कर (जीएसटी के अलावा) के लिए विस्तार सहित वसूली विविध रूप से अथवा अधिरोपित या उपकर को जाती है, तो कोई भी बढी हुई राषि ठेकेदार को तभी प्रतिपूर्ति की जाएगी जब ठेकेदार आवश्यकता के अनुसार तथा उचित रूप से ऐसी बढी हुई करों/वसूली /उपकरों की राषि का भुगतान करना है।

इसके आगे जीएसटी सहित ऐसी बढौतरी का भुगतान ठेके के विस्तृत अवधि में नहीं की जाएगी, जो कि प्राधिकारी के द्वारा निष्चित किए गए अनुसार ठेकेदार एकमात्र ही विलंब के लिए उत्तरदायी है और खंड 5 में अनुसूची 'च' के अधीन समय में विस्तारण दिया गया है।

(ii) ठेकेदार अपने आवश्यकतानुसार इस स्थिति के उद्देश्य के लिए आवश्यक बही खाते तथा अन्य दस्तावेजों को रखेगा तथा सरकार के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि और/अथवा भारसाधक अभियंता द्वारा उसी के निरीक्षण की अनुमति देगा तथा ऐसी अन्य सूचना/दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा जो कि भारसाधक अभियंता को समय–समय पर आवश्यक हो सकती है।

(iii) ठेकेदार ऐसे अन्य आगामी कर अथवा उगाही अथवा उपकर, अथवा ऐसे कर अथवा उगाही अथवा उपकर के परिवर्तन अथवा निरसन के लगाने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भारसाधक अभियंता को उसका एक लिखित नोटिस देगा जो कि संबन्धित सभी आवश्यक सूचना के साथ इस स्थिति के अनुसरण में दिया जाएगा।

खण्ड 35

ठेकेदार की देहांत पर संविदा की समाप्ति

इस ठेके के अधीन या उपचारों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार मर जाता है तो मंडल अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति को ओर से यह विकल्प होगा कि वह ठेकेदार को प्रतिकर दिए बिना ठेके को समाप्त कर दे।

खण्ड 36

यदि कोई रिश्तेदार केलोनिवि में कम करते है तो ठेकेदार को निविदा की अनुमति नही है

ठेकेदार को ठेके दिए जाने और निष्पादन के लिए के. लो. नि. वि. परिमंडल (उद्यान/नर्सरी श्रेणियो के ठेकेदारों के मामले में मंडल) में जिसमें उसका निकट नातेदार मण्डल लेखापाल या अधीक्षण इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर (दोनों को सम्मिलित करते हुए) की श्रेणियों के बीच किसी हैसियत में कोई अधिकारी है, कार्यों के लिए निविदा, करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। वह ऐसे व्यक्तियों के नाम भी प्रज्ञापित करेगा जो उसके साथ किसी भी हैसियत

inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted Officer in the C.P.W.D. or in the Ministry of Housing and Urban Affairs. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this Department. If however the contractor is registered in any other department, he shall be debarred from tendering in CPWD for any breach of this condition.

NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and grandparents, children and grand children, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 37

No Gazetted Engineer to work as Contractor within one year of retirement

No engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in engineering or administrative duties in an engineering department of the Government of India shall work as a contractor or employee of a contractor for a period of one year after his retirement from government service without the previous permission of Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 38

Theoretical consumption of Material

(i) After completion of the work and also at any intermediate stage in the event of Non reconciliation of materials issued theoretical quantity of materials used in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder:-

(a) Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement & bitumen required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule/statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-Charge.

(b) Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorized by Engineerin-Charge, including authorized lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual, each diameter wise, section wise and category wise separately.

(c) Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and cables, pig lead and G.I./M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter wise & category wise.

से कार्य कर रहे हैं या तत्पश्चात् नियोजित किए जाते हैं और जो के.लो.नि. विभाग में या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के निकट नातेदार है। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भंग उसे इस विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटाए जाने के लिए दायी बनाएगा। फिर भी, यदि ठेकेदार किसी अन्य विभाग में पंजीकृत है तो वह इस शर्त के उल्लंघन के लिए के.लो.नि.वि में निविदा देने का पात्र नहीं रहेगा।

टिप्पणी'' निकट नातेदार'' शब्द से पत्नी, पति, माता–पिता और पितामह–पितामही, संतति और पौत्र–पौत्रियाँ, भाई और बहनें, चाचा –चाची ओर चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्संबंधी ससुराली नातेदार अभिप्रेत है।

खण्ड 37

सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर कोई भी राजपत्रित अभियंता ठेकेदार के रूप में काय नहीं करेगा

भारत सरकार के इंजीनियरी विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित श्रेणी का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी निवृति के एक वर्ष की कालावधि तक ठेकेदार/ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह ठेका रद्द किया जा सकता है, यदि किसी समय यह पाया कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिससे यथास्थिति निविदा या ठेकेदार की सेवा में लगने से पूर्व भारत सरकार से यथापूर्वोक्त अनुज्ञा अधिप्राप्त नहीं कर ली थी।

खण्ड 38

सामग्री की सैद्धांतिक सेवन

(i) कार्य पूरा होने के बाद और उसके मध्यवर्ती किसी भी स्तर पर समग्रियों के समाशोधन न होने की दशा में कार्य में प्रयोग सामग्रियों की अनुमान सैद्धान्तिक मात्रा की गणना यहां नीचे दिए गए आधार पर और विधि से की जाएगीः–

(क) सीमेन्ट और बिटुमन की मात्रा की गणना अनुसूची ''च'' में उल्लिखित दरों की अनुसूची में बताए अनुसार कार्य की विभिन्न मदों के लिए अपेक्षित सीमेन्ट और बिटुमन की मात्रा के आधार पर की जाएगी, यदि कोई ऐसी मद निष्पादित की जाती है जिसमें सीमेन्ट और बिटुमन की खपत के लिए मानक स्थिरक उपर्युक्त अनुसूची/विवरणी में नहीं है या उनसे परिकलित नहीं की जा सकती तो ऐसे मामले में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए जाने वाले मानक सूत्र के आधार पर गणना की जाएगी।

(ख) इस्पात पुनर्बलन या संरचनात्मक इस्पात काटों की सैद्धान्तिक मात्रा को यह माना जाएगा कि वह अभिकल्प के अनुसार या भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत अनुसार अपेक्षित मात्रा है। इसमें प्राधिकृत लैपेजेज, कुर्सियां आदि और टुकड़ों में काटने के कारण 3 प्रतिशत छीजन सम्मिलित है। ऐसी सैद्धान्तिक मात्रा का निर्धारण और तुलना व्यास अनुसार, काट अनुसार और श्रेणी अनुसार प्रत्येक अलग–अलग वास्तविक निर्गत से किया जाएगा।

(ग) जस्ती, लोहा और ढलवां लोहा या अन्य नलों, कंड्यूट, तारों और केबलों, पिग लैड और जस्ती, लोहा/मृदु इस्पात सीटों की सैद्धान्तिक मात्रा को वास्तव में अपेक्षित और मापी गई मात्रा माना जाएगा। इसमें टुकड़ों में काटने के कारण 5 प्रतिशत छीजन के लिए जोड़ा जाएगा (जस्ता, लोहा/मृदु इस्पात सीटों के मामले में 10 प्रतिशत) ऐसा निर्धारण और तुलना व्यास अनुसार और श्रेणी अनुसार होगी।

(d) For any other material as per actual requirements.

Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule 'F'Fornon scheduled items, the decision of the Superintending Engineer CE regarding theoretical quantities of materials which should have been actually used, shall be final and binding on the contractor

(ii) The said action under this clause is without prejudice to the right of the Government to take action against the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

Clause 39

Compensation during warlike situations

The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-Charge and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or warlike operation, the contractor shall when ordered (in writing) by the Engineer-in-Charge to remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking or removal of serviceable material and for reconstruction of all works ordered by the Engineer-in-Charge, such payments being in addition to compensation upto the value of the work originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Divisional Officer uptoRs.2,00,000/-- and by the next higher officer concerned for a higher amount. The contractor shall be paid for the damages/destruction suffered and for restoring the material at the rate based on analysis of rates tendered for in accordance with the provision of the contract. The certificate of the Engineer-in-Charge regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all parties to this contract.

Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or warlike operations (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. (Air Raid Precaution) Officers or the Engineer-in-Charge (b) for any material etc. not on the site of the work or for any tools, plant, machinery, scaffolding, temporary building and other things not intended for the work. In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Divisional Officer.

Clause 40

Apprentices Act provisions to be complied with

The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Superintending Engineer may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

(घ) किसी भी अन्य सामग्री के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार।

इस प्रकार परिकलित सामग्रियों की सैद्धन्तिक मात्राओं में अनुसूची ''च'' में निर्दिष्ट अनुसार विचलन अनुमत्य होगा। गैर अनुसूचित मदों के लिए सामग्रियों की सैद्धन्तिक मात्राओं, जिन्हें वास्तव में प्रयुक्त किया जाना चाहिए था, के संबंध में अधीक्षण इंजीनियर सह परियोजना निदेशकध्मुख्य अभियंता ध्मुख्य परियोजना प्रबन्धक सह ईडी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) इस खण्ड के तहत उक्त कार्रवाई से ठेकेदार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप कार्य न करने के लिए ठेके की किसी भी अन्य शर्त के तहत ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खण्ड 39

युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान मुआवजा

जब तक कार्य, भारसाधक इंजीनियर को कार्य परिदत नहीं कर दिया जाता और उससे उस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य (चाहे पूर्णतः निर्मित हो अथवा नहीं) और उससे सम्बन्धित सब मशीनें, औजार और संयंत्र, पाड़, अस्थाई भवन और अन्य वस्तुएं ठेकेदार के जोखिम पर रहेंगी। कार्य या उसमें लगाने के लिए स्थल पर उचित रूप से लाई गई किसी सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति होने अथवा उसके नष्ट होने की दशा में ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलवे को हटाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य से उद्धास्ति काम में आने लायक सारी सामग्री इकट्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगाएगा अथवा उसे भण्डार में ले जाएगा तथा मलवे को कार्यस्थल से साफ करने के काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट समस्त कार्यों को फिर से पूरा करने के लिए इस करार के उपबन्ध के अनुसार ठेके की दरों पर संदाय किया जाएगा और इस प्रकार का संदाय क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के पूर्व मूलतः निष्पादित किए गए किन्तु संदाय न किए हुए कार्य के मूल्य तक, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा। क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऐसे कार्यों की दशा में जिनकी माप न हुई हो ओर जिनके लिए संदाय न किया गया हो का निर्धारण 2,00,000/– रु तक मंडल अधिकारी द्वारा और अधिक राशि के लिए संबंधित अधीक्षण इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को कार्य में हुए नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापत संदाय इस ठेके के उपबंधों के अनुसार निविदत दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की क्वालिटी और मात्रा और किस प्रयोजन से उसे संग्रहीत किया गया था उसके बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाण पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

परंतु सर्वदा यह कि संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के परिणामस्वरूप किसी हानि के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति (क) तब तक संदेय नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसे सभी पूर्वोपाय न किए हों, जो हवाई हमला सुरक्षा आधिकारी या भारसाधक इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझे जाते हों, और (ख) किसी ऐसी सामग्री आदि के लिए जो कार्यस्थल पर नहीं है या किसी ऐसे औजार, संयत्र, मशीनरी, पाड़, अस्थाई भवन और अन्य वस्तुओं के उस कार्य के लिए आशायित नहीं है, संदेय नहीं होगी। ठेकेदार द्वारा, यथापूर्वोक्त पूनर्निर्माण किए जाने की दशा में, उसे उसको पूरा करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा जितना मण्डल अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए।

खण्ड 40

अप्रेंटिस अधिनियम प्रावधनों का अनुपालन

ठेकेदार शिक्षु अधिनियम, 1961 और समय समय पर उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसकी असफलता ठेके का भंग होगी और अधीक्षक इंजीनियर अपने विवेकाधिकार से ठेका रद्द कर सकेगा। ठेकेदार उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अपने द्वारा किसी अधिक्रमण के कारण उद्भूत किन्हीं धन देयताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

Clause 41

Release of Security deposit

The Security Deposit of the work shall be refunded if no labour complaint has been received from the labour officer till the due date of its payment. If a labour complaint is received during this period, the Engineer-in-Charge shall, after issue of notice in this regard to the contractor, deduct the amount required to settle the complaint from his security deposit and refund the balance amount.

Note :- In case of any discrepancies between Hindi and English version, English version will prevail.

खण्ड– 41

जमानत राशि जारी करना

यदि श्रम अधिकारी से भुगतान की नियत तिथि तक कोई श्रमिक शिकायत प्राप्त नहीं होती है, तो कार्य की ज़मानत राशि वापस कर दी जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान कोई श्रमिक शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रभारी अभियंता, ठेकेदार को इस संबंध में नोटिस जारी करने के बाद, उसकी ज़मानत राशि से शिकायत को निपटाने के लिए आवश्यक राशि की कटौती करेगा और शेष राशि वापस कर देगा।

टिप्पणी :– इसके हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर या द्विधार्थकता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

C.P.W.D. SAFETY CODE

1. Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used, an extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well suitable footholds and hand-hold shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than ¼ to 1(¼ horizontal and 1 vertical.)

2. Scaffolding of staging more than 3.6 m (12ft.) above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached or bolted, braced and otherwise secured at least 90 cm. (3ft.) high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends there of with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.

3. Working platforms, gangways and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 3.6 m (12ft.) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (2) above.

4. Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be provided with suitable means to prevent the fall of person or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm. (3ft.)

5. Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m. (30ft.) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm. (11½") for ladder upto and including 3 m. (10 ft.) in length. For longer ladders, this width should be increased at least ¼" for each additional 30 cm. (1 foot) of length. Uniform step spacing of not more than 30 cm shall be kept. Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites or work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit; action or proceedings to any such person or which may, with the consent of the contractor, be paid to compensate any claim by any such person.

6. (a) Excavation and Trenching - All trenches 1.2 m. (4ft.) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30 m. (100 ft.) in length or fraction thereof, Ladder shall extend from bottom of the trench to at least 90 cm. (3ft.) above the surface of the ground. The side of the trenches which are 1.5 m. (5ft.) or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides collapsing. The excavated materials shall not be placed within 1.5 m. (5ft.) of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances, undermining or undercutting shall be done.

   (b) Safety Measures for digging bore holes:-

      (i) If the bore well is successful, it should be safely capped to avoid caving and collapse of the bore well. The failed and the abandoned ones should be completely refilled to avoid caving and collapse;

      (ii) During drilling, Sign boards should be erected near the site with the address of the drilling contractor and the Engineer in-charge of the work;

      (iii) Suitable fencing should be erected around the well during the drilling and after the installation of the rig on the point of drilling, flags shall be put 50m alround the point of drilling to avoid entry of people;

के. लो. नि. वि. सुरक्षा संहिता

1. कर्मकारों के लिए ऐसे छोटी कालावधि वाले कार्यों को छोड़कर, जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस–निर्माण से निरापद रूप से नही किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपबन्ध करना चाहिए। जब सीढ़ी का प्रयोग किया जाए तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त मजदूर नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामान ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति 1 पर 1/4 के अनुपात (1/4 क्षेतिज और 1 उर्ध्वार्धद्ध से अधिक ढालू न होगी।)

2. भूमि या फर्ष से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंची पाड़ या मंच पर जो उर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से सम्ब, वोल्टयुक्त, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी, जो ऐसे पाढ़ या मंच के फर्ष या प्लेटफार्म से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर और सिरों पर सम्पूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होगे जो सामग्री के परिवहन के लिए आवष्यक हो, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जायेगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं।

3. कार्य–प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावष्यक या असमान रूप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्ष स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पास पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए, और उसको ऊपर पैरा (2) में वर्णित यथोचित रूप से बाँधा जाना चाहिए।

4. भवन या कार्य–प्लेटफार्मों में हर द्वार को व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़ या जंगले द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊचाई 90 से.मी. (3 फुट) होगी यथोचित रूप से घिरा होना चाहिए।

5. सभी कार्य–प्लेटफार्मों और अन्य कार्य–स्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबंध होगा। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाहय अकेली सीढ़ी लम्बाई में 9 मीटर (30 फूट) से अधिक न होगी जब कि डण्डो वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौड़ाई 3 मीटर (10 फुट) तक लम्बी सीढ़ी में किसी भी दषा में 29 से.मी. (11 1/2'') से कम न होगी। अधिक लम्बी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लम्बाई के हर एक अतिरिक्त 30 से.मी. (1 फुट) के 1/4'' वर्षद्धि होनी चाहिए। इकसार पैड़ियों के मध्य जगह 30 से.मी.(12 इंच) से अधिक न होगी। विद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां रखी जाएगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवष्यक बाड़ों और प्रकाष की व्यवस्था करेगा। और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर वाद, अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चो का संदाय करने के लिए आम होगा जो ऐसे किन्ही व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिर्णीत किया जाए या जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।

6 (क). उत्खनन और खाई खोदना–1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी सभी खाईयों के लिए सभी समयों पर लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी। सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊपर तक की होगी। 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाईयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काश्ठ के तख्तो की मजबूत रोक लगी होगी ताकि दीवारों के ढहने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर, उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी। कटाई षीर्श से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या कम कटाई न की जाएगी।

(ख). वेध–छिद्रों की खुदाई के लिए सुरक्षा उपायः

1. यदि वेध–कूप सफल हो जाता है, तो इसे वेध–कूप के गुफा बनने तथा इसके ढहने से बचने के लिए सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। असफल और परित्यक्त वेध–कूपों को गुफा बनने तथा ढहने से बचने के लिए पूर्ण रूप से भर देना चाहिए।

2. छेद करने के दौरान कार्य स्थल के निकट साइन बोर्डों को छेद करने वाले ठेकेदार तथा कार्य के प्रभारी अभियंता के पते के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।

3. उपयुक्त चारदीवारी छेद करने के दौरान कूप के पास बनाई जानी चाहिए तथा छिद्रस्थल पर रिग की संस्थापना के बाद लोगों के प्रवेष से बचने के लिए छिद्रस्थल के 50 मीटर के घेरे में झंडे लगाए जाने चाहिए।

(iv) After drilling the borewell, a cement platform (0.50m x 0.50m x 1.20m) 0.60m above ground level and 0.60m below ground level should be constructed around the well casing;

(v) After the completion of the borewell, the contractor should cap the bore well properly by welding steel plate, cover the bore well with the drilled wet soil and fix thorny shrubs over the soil. This should be done even while reparing the pump;

(vi) After the borewell is drilled the entire site should be brought to the ground level.

7. Demolition - Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work,

(i) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.

(ii) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger or a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.

(iii) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.

8. All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer-in-Charge should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned:- The following safety equipment shall invariably be provided.

(i) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.

(ii) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes, shall be provided with protective goggles.

(iii) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eyeshields.

(iv) Stone breaker shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.

(v) When workers are employed in sewers and manholes, which are in active use, the contractors shall ensure that the manhole covers are opened and ventilated atleast for an hour before the workers are allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public. In addition, the contractor shall ensure that the following safety measure are adhered to :-

(a) Entry for workers into the line shall not be allowed except under supervision of the JE or any other higher officer.

(b) At least 5 to 6 manholes upstream and downstream should be kept open for at least 2 to 3 hours before any man is allowed to enter into the manhole for working inside.

(c) Before entry, presence of Toxic gases should be tested by inserting wet lead acetate paper which changes colour in the presence of such gases and gives indication of their presence.

(d) Presence of Oxygen should be verified by lowering a detector lamp into the manhole. In case, no Oxygen is found inside the sewer line, workers should be sent only with Oxygen kit.

(e) Safety belt with rope should be provided to the workers. While working inside the manholes, such rope should be handled by two men standing outside to enable him to be pulled out during emergency.

(f) The area should be barricaded or cordoned of by suitable means to avoid mishaps of any kind. Proper warning signs should be displayed for the safety of the public whenever cleaning works are undertaken during night or day.

4. वेध–कूप की खुदाई करने के बाद जमीनस्तर से 0.60 मीटर ऊपर (0.50 मी X 0.50 मी X 1.20मी) तथा जमीनस्तर से 0.60 मी नीचे कूप के चारों ओर एक सीमेंट का चबूतरा बनाया जाना चाहिए।

5. वेध–कूप के कार्य के समाप्त होने के बाद, स्टील प्लेट को वेल्ड करके ठेकेदार को उचित रूप से वेध–कूप को ढक देना चाहिए, वेध–कूप को खुदी हुई गीली मिट्टी से ढ़ककर उसे कांटेदार झाड़ियों से ढक देना चाहिए। पम्प की मरम्मत के समय पर भी यह सब किया जाना चाहिए।

6. वेध–कूप की खुदाई के बाद पूरे कार्यस्थल को जमीनीस्तर पर लाना चाहिए।

7. ढाना–ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी–

(i) कार्यस्थल के पार्ष्वस्थ सभी सड़के और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(ii) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधित्र जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधित्र विद्युत आवेषित नहीं होगा।

(iii) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जायेगे। भवन के किसी भी फर्ष, छत या भाग, को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जायेगा कि वह असुरक्षित हो जाए।

8. कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवष्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो भारसाधक इन्जीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हो, तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिष्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा।

(i) ऐसफाल्टिक सामग्री, सीमेंट, और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव–चष्में दिए जाएंगे।

(ii) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों को या ऐसी सामग्री को, जो आँखों के लिए हानिकारक हो, मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव–चष्में दिए जाएंगे।

(iii) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईगरों की आंखों की रोषनी के बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कन दिए जाएंगे।

(iv) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव–चष्मे और बचाव–वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठाने की व्यवस्था होगी।

(v) जब कर्मकार ऐसी मल–नालियों और मैन–होलो में नियोजित किए जाएं जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिष्चित करेगा कि मैन–होलों में कर्मकारों के प्रवेष करने के कम से कम एक घंटें पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गए मैन–होलों को, जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिग्नल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ठेकेदार यह सुनिष्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाता है।

(क) लाइन में कर्मचारियों का प्रवेष कनिश्ट इंजीनियर तथा किसी अन्य उच्च अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन के अलावा अनुमेय नहीं किया जाए।

(ख) सिरे के साथ नीचे के कम–से–कम 5 से 6 तक मेनहोल किसी कर्मचारी को भीतर काम करने के लिए मेनहोल में प्रवेष की अनुमति देने से पहले कम से कम 2 से 3 घण्टे तक खुले रखे जाएं।

(ग) प्रवेष से पहले भीगा लैडएसीटेट पेपर डालकर विशैली गैसों की उपस्थिति की जांच की जाए जो ऐसी गैसों की उपस्थिति से रंग परिवर्तन कर लेता है, तथा उनकी उपस्थिति को सूचित कर देता है।

(घ) मेनहोल में अन्वेशी लैम्प डालकर आक्सीजन की विद्यमानता का सत्यापन कर लिया जाए। यदि सीवर लाइन के भीतर आक्सीजन नहीं पाया जाता है तो कर्मचारियों को आक्सीजन किट सहित भेजा जाए।

(ड) कर्मचारियों को रज्जु सहित सुरक्षा पेटी मुहैया की जाये। मेनहोल के भीतर काम करते समय ऐसी रज्जु बाहर खड़े दो व्यक्ति पकड़े रहें ताकि आपातकाल के दौरान उसे खींचा जा सके।

(च) उपयुक्त माध्यमों द्वारा क्षेत्र को घेर दिया जाए अथवा रस्सी का बाड़ा बना दिया जाय ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को दूर किया जा सके। रात्रि अथवा दिन के दौरान जब भी सफाई कार्य किए जाएं, उचित चेतावनी संकेत जनता की सुरक्षा हेतु प्रदर्षित किए जाएं।

(g) No smoking or open flames shall be allowed near the blocked manhole being cleaned.

(h) The malba obtained on account of cleaning of blocked manholes and sewer lines should be immediately removed to avoid accidents on account of slippery nature of the malba.

(i) Workers should not be allowed to work inside the manhole continuously. He should be given rest intermittently. The Engineer-in-Charge shall decide the time up to which a worker may be allowed to work continuously inside the manhole.

(j) Gas masks with Oxygen Cylinder should be kept at site for use in emergency.

(k) Air-blowers should be used for flow of fresh air through the manholes. Whenever called for, portable air blowers are recommended for ventilating the manholes. The Motors for these shall be vapour proof and of totally enclosed type. Non sparking gas engines also could be used but they should be placed at least 2 metres away from the opening and on the leeward side protected from wind so that they will not be a source of friction on any inflammable gas that might be present.

(l) The workers engaged for cleaning the manholes/sewers should be properly trained before allowing to work in the manhole.

(m) The workers shall be provided with Gumboots or non sparking shoes bump helmets and gloves non sparking tools safety lights and gas masks and portable air blowers (when necessary). They must be supplied with barrier cream for anointing the limbs before working inside the sewer lines.

(n) Workmen descending a manhole shall try each ladder stop or rung carefully before putting his full weight on it to guard against insecure fastening due to corrosion of the rung fixed to manhole well.

(o) If a man has received a physical injury, he should be brought out of the sewer immediately and adequate medical aid should be provided to him.

(p) The extent to which these precautions are to be taken depend on individual situation but the decision of the Engineer-in-Charge regarding the steps to be taken in this regard in an individual case will be final.

(vi) The Contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work of painting with products containing lead in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following precaution should be taken:-

(a) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or ready made paint.

(b) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint is dry rubbed and scrapped.

(c) Overalls shall be supplied by the contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during and on the cessation of work.

(vii) Workmen executing work on scaffolds or other structures above specified height shall be provided with full body harness and fall arresters.

9. An additional clause (viii)(i) of Central Public Works Department Safety Code (iv) the Contractor shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with product containing lead in any form, wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following principles must be observed for such use :

(i) White lead, sulphate of lead or product containing these pigment, shall not be used in painting operation except in the form of pastes or paint ready for use.

(ii) Measures shall be taken, wherever required in order to prevent danger arising from the application of a paint in the form of spray.

(छ) सफाई किए जा रहे बन्द मेनहोल के पास धूम्रपान अथवा अग्नि जलाना अनुमेय न किया जाए।

(ज) बन्द मैनहोल अथवा सीवर लाइन की सफाई के कारण प्राप्त मलबे को मलबे की फिसलन के कारण दुर्घटना रोकने के लिए तुरन्त ही हटा दिया जाए।

(झ) कर्मचारियों को मेनहोल के भीतर लगातार काम करने की अनुमति न दी जाए। उसे अन्तरायिक रूप से विश्राम दिया जाये। प्रभारी इंजीनियर वह समय नियत करे जिस तक कि किसी कर्मचारी को मैनहोल के भीतर लगातार काम करने के लिए अनुमेय दिया जाए।

(ञ) आपातकाल मे प्रयोग में लाने के लिए स्थल पर आक्सीजन सिलेण्डरों सहित गैस मास्क रखे जाएं।

(ट) मैनहोल में षुद्ध वायु प्रवाह हेतु जब भी अपेक्षित हो, वायु प्रवाहक उपयोग में लाए जाएं। मैनहोल के वातायनन हेतु सुवहनन वायु प्रवाहकों की सिफारिष की जाती है। इनकी मोटरें वाश्परोधी होनी चाहिए तथा पूर्णतया बन्द होनी चाहिए। चिंगारी विहीन गैस इंजिन भी उपयोग में लाए जा सकते हैं परन्तु वे मुहाने से कम से कम 2 मीटर दूर रखे जाने चाहिए तथा निचली तरफ वायु से सुरक्षित हो ताकि वे विद्यमान किसी भी ज्वलनषील गैस के घर्शण का सोत्र न बन सके।

(ठ) मैनहोल/सीवरों की सफाई के लिए लगाए गए कर्मचारी मेनहोल में काम करने की अनुमति दिए जाने से पहले उचित रूप से प्रषिक्षित किए जाएं।

(ड) कर्मचारियों को गमबूट अथवा अग्निरोधी जूते, लैम्प, हेलमेट तथा दस्तानें अग्निरोधी अवजार सुरक्षा लाइट एवं गैसे मास्क तथा सुवाहन वायु प्रवाहक (जब कभी आवष्यक हो) मुहैया किए जाए। सीवर लाइनो के भीतर काम करने से पहले उन्हें अवयवों पर लगाने के लिए बैरीयर क्रीम दी जानी चाहिए।

(ढ) मैनहोल के नीचे उतरते हुए कर्मचारी को सीड़ी के प्रत्येक डण्डे की सावधानीपूर्वक अपना पूरा वजन रखने से पहले जांच कर लेनी चाहिए ताकि मैनहोल भित्ति में लगे डण्डे के जंग के कारण असुरक्षित फिसलन से बचा जा सके।

(ण) यदि किसी व्यक्ति को षारीरिक चोट लगी हो तो उसे सीवर से तुरन्त ही बाहर निकाला जाए तथा उसे पर्याप्त चिकित्सा सहायता मुहैया की जाए।

(त) एहतियातें किस सीमा तक बर्ती जाएं पष्थक–पष्थक परिस्थिति पर निर्भर करता है परन्तु प्रभारी इंजीनियर का किसी विषेश मामले में इस विशय में किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) ठेकेदार 18 वर्श से कम आयु वाले पुरुशों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विश्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां कहीं 18 वर्श से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं वहां निम्नलिखित पूर्वावधानियां रखी जायेंगीः

(क) सीसा या सीसा उत्पादों को अन्तर्विश्ट करने वाला कोई भी पेन्ट जब तक कि, पेस्ट या तैयार पेन्ट के रूप में न हो उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(ख) जब पेन्ट फुहार द्वारा या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेन्ट षुश्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट का प्रदाय किया जाना चाहिए।

(ग) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्मकारो को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरो के लिए ऐसी यथायोग्य सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बंद रहने के समय धो सके।

9. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुरक्षा संहिता (iv) का अतिरिक्त खण्ड (vii) (i) ठेकेदार 18 वर्श से कम आयु की स्त्रियों और पुरुशों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विश्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां 18 वर्श से अधिक आयु के पुरुश सीसे द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं ऐसे कार्य के लिए निम्नलिखित नियमों का अवष्य पालन किया जाएः

(i) सफेद सीसा, सीसे का सल्फेट या इस रंजक वाले उत्पादन को रंगन काम में तैयार मिश्रण के रूप को छोड़कर अन्य रूपों में काम में नहीं लाना चाहिए।

(ii) स्प्रे के रूप में रंग करने से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाने के लिए आवष्यक उपक्रम करना चाहिए।

(iii) Measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising out of from dust caused by dry rubbing down and scraping.

(iv) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.

(v) Overall shall be worn by working painters during the whole of working period.

(vi) Suitable arrangement shall be made to prevent clothing put off during working hours being spoiled13 by painting materials.

(vii) Cases of lead poisoning and suspected lead poisoning shall be notified and shall be subsequently verified by medical man appointed by competent authority of C.P.W.D PWD(DA).

(viii) C.P.W.D./PWD (DA) may require, when necessary medical examination of workers.

(ix) Instructions with regard to special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

10. When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision, should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be obtained during the course of the work.

11. Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions :-

(i) (a) These shall be of good mechanical construction, sound materials and adequate strength and free from patent defects and shall be kept repaired and in good working order.

(b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength, and free from patent defects.

(ii) Every crane driver or hoisting appliance operator, shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or give signals to operator.

(iii) In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension, the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of a hoisting machine having a variable safe working load each safe working load and the condition under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.

(iv) In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Engineer-in-Charge. As regards contractor's machines the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Engineer-in-Charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer concerned.

12. Motors, gearing, transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards. Hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers are employed on electrical installations which are already energized, insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The worker should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are good conductors of electricity.

(iii) सूखा रगड़ने से जो धूल निकलती है, उससे बचाव के लिए आवष्यक सुविघाएं प्रदान करनी चाहिए।

(iv) रंग लगाने वालों को काम पूरा होने पर धोने के लिए आवष्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

(v) रंगन कार्य करने वाले को काम करते समय ऊपरी कपड़ा पहने रहना चाहिए।

(vi) कपड़ो को रंगन कार्य करते समय खराब हो जाने से बचाने के लिए आवष्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

(vii) सीसे द्वारा विशाक्त या इस प्रकार का सन्देह जहां हो ऐसे लोगों के विशाक्ता प्रमाणत और परिचर्या के लिए के. लो. नि. विभाग द्वारा नियुक्त अधिकष्त वैधिकष्त वैद्यकीय परीक्षक द्वारा परीक्षण होना चाहिए।

(viii) के. लो. नि. विभाग जब जरूरी हो तब काम करने वालो के वैद्यकीय परीक्षण की मांग कर सकता है।

(ix) रंगन काम में लगे कर्मचारियों को रंगन सम्बन्धी स्वास्थ्यात्मक पूर्वरक्षण सूचनाएं वितरित करनी चाहिए।

10. जब काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो, जहां डूबने का जोखिम हो जो सभी आवष्यक उपस्करों का उपबंध होना चाहिए और उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के तत्पर बचाव के लिए सभी आवष्यक कार्यवाहियां की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के तत्पर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य उपबंध किया जाना चाहिए।

11. होइस्टिंग मषीन और टैकाल, का, जिसके अंतर्गत उनकी संलग्न जकड़ और अवलम्ब भी आते हैं, का उपयोग निम्नलिखित मानक या षर्तों के अनुरूप होगा–

(i) (क) यह अच्छी यांत्रिक सनिर्मित के, सुसामग्री युक्त और यथायोग्य दष्ढ़तावान और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होंगी और अच्छी तरह मरम्मत की हुई तथा चालू हालत में रखी जाएंगी।

(ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने या निलम्बन के उपयोग में लाया जाए मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दष्ढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी।

(ii) हर क्रेन चालक या होईस्टिग सापित्र आपरेटर समुचित रूप से अहिंत होगा और 21 वर्श से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मषीन का, जिसके अंतगर्त पाड़ विंच आता हैं भार साधक न होगा नाही आपरेटर को सिग्नल देगा।

(iii) हर होइस्टिंग मषीन और हर चैन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरूप उपयुक्त षैकल स्विवेल और पुली ब्लाक के सुरक्षित कार्यकरण वोझ को यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिष्चित किया जाएगा। ऊपर निर्दिश्ट होइस्टिंग मषीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकरण बोझ साफ साफ चिन्हित होगा ऐसी होइस्टिग मषीन की दषा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ परिवर्तनषील हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण बोझ, उन षर्तों सहित, जिनके अधीन वह लागू होता हो, स्पश्ट रूप से उपदर्षित होगा। इस पैरा में उपरनिर्दिश्ट मषीन या किसी गीयर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से अधिक, परीक्षण के प्रयोजन के सिवाय भारित नहीं किया जाएगा।

(iv) विभागीय मषीनों की दषा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक विद्युत इन्जीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों की मषीनों का सम्बन्ध है, ठेकेदार जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मषीनरी लाए मषीन के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक इन्जीनियर को अधिसूचित करेगा और सम्बन्धित विद्युत इन्जीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा।

12. होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेशण विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागो को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबंध करना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दषा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निम्नलिखित लदान के किसी भी भाग के अक्समात विस्थापित हो जाने की दषा में जोखिम न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां बरती जाएं जबकि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही ऊर्जित हो तो उनके लिए आवष्यकता अनुसार विसंवाही चटाईयां, पहनने वाले वस्त्र अर्थात दस्ताने, बाहें और बूटों का उपबंध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियाँ और घड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियाँ या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हो।

13. All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.
14. These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.
15. To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer or Engineer-in-Charge of the department or their representatives.
16. Notwithstanding the above clauses from (1) to (15), there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rule in force in the Republic of India.

13. सभी पाड़ सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़ सीढ़ी या उपस्कर को, जबकि वह उपयोग में हो, परिवर्तन न किया जायेगा या हटाया न जायेगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुख–सुविधाओं का उपबंध होना चाहिये।

14. सुरक्षा उपबंधी को सभी सम्बन्धितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना चाहिये। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

15. सुरक्षा पूर्वावधानियों से सम्बन्धित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिष्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इन्तजाम, विभाग के श्रम आफिसर, भारसाधक इन्जीनियर या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेगे।

16. खण्ड (1) से लेकर (15) तक के होते हुए भी उसमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवष्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देता।

Model Rules for the Protection of Health and Sanitary Arrangements for Workers Employed by Central P.W.D. or its Contractors

1. APPLICATION

These rules shall apply to all buildings and construction works in charge of Central Public Works Department/ PWD (DA) in which twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in any day during the period during which the contract work is in progress.

2. DEFINITION

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed in connection with construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.

3. FIRST-AID FACILITIES

(i) At every work place, there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, first-aid boxes at the rate of not less than one box for 150 contract labour or part thereof ordinarily employed.

(ii) The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipment:-

(a) For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50- Each first-aid box shall contain the following equipments :-

1. 6 small sterilised dressings.
2. 3 medium size sterilised dressings.
3. 3 large size sterilised dressings.
4. 3 large sterilised burn dressings.
5. 1 (30 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution of iodine.
6. 1 (30 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
7. 1 snakebite lancet.
8. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
9. 1 pair scissors.
10. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India.
11. 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
12. Ointment for burns.
13. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(b) For work places in which the number of contract labour exceed 50.

Each first-aid box shall contain the following equipments.

1. 12 small sterilised dressings.
2. 6 medium size sterilised dressings.
3. 6 large size sterilised dressings.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या उसके ठेके द्वारा नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं के संरक्षण के लिए आदर्श नियम

1. **लागू होना**

यह नियम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन सभी भवन और निर्माण कार्यो पर लागू होगें जिनमें ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन सामान्यतया 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित किए गए हो अथवा करने का प्रस्ताव हो।

2. **परिभाषा**

कार्यस्थल का तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर निर्माण कार्य के लिए ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित हो अथवा करने का प्रस्ताव हो।

3. **प्राथमिक उपचार सुविधाएं**

(i) प्रत्येक कार्यस्थल, में कार्य दिवसों में सुगमता से पहुंचने योग्य किसी स्थान पर प्राथमिक–उपचार के बक्से रखे जाएगे जो सामान्यतया नियोजित 150 ठेके के मजदूरों अथवा उनके किसी, भाग के लिए कम से कम एक बक्से से कम न हो।

(ii) प्राथमिक–उपचार बक्से पर स्पश्ट रूप से सफेद के ऊपर रेड क्रास का निषान होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए जैसे–

(क) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक नहीं है–
प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे–

1. 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ।
2. 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
3. 3 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
4. 3 बड़े आकार की जले पर लगाने की पट्टियाँ।
5. 1 (30 मि.लि.) की बोतल जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिषत अल्कोहल के साथ घुला हो।
6. 1 (30 मि.लि.) की बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल का घोल हो तथा उसके ऊपर मात्रा तथा औशधि सेवन की विधि लिखी हो।
7. सप्रदंष की एक छुरी।
8. पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की (30 ग्राम) एक बोतल।
9. एक कैंची।
10. महानिदेषक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक–उपचार के सम्बन्ध में एक पर्चा।
11. एक शीशी जिसमें एस्पिरिन की (प्रत्येक 5 ग्राम) की 100 टिकियां हो।
12. जले पर लगाने के लिए मरहम।
13. षल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाषक घोल की एक षीषी।

(ख) ऐसे कार्य स्थलों पर जहां ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक हो।
प्रत्येक प्राथमिक–उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होगे।

1. 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ।
2. 6 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
3. 6 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।

4. 6 large size sterilised burn dressings.
5. 6 (15 gms.) packets sterilised cotton wool.
6. 1 (60 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution iodine.
7. 1 (60 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
8. 1 roll of adhesive plaster.
9. 1 snake bite lancet.
10. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
11. 1 pair scissors.
12. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institutes /Government of India.
13. A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
14. Ointment for burns.
15. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(iii) Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary.

(iv) Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First-aid box.

(v) The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.

(vi) A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in First-aid treatment in the work places where the number of contract labour employed is 150 or more.

(vii) In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the works. First-aid posts shall be established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.

(viii) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.

4. DRINKING WATER

(i) In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places, easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.

(ii) Where drinking water is obtained from an Intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.

(iii) Every water supply or storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap door which shall be dust and waterproof.

(iv) A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

4. 6 बड़े आकार की विसंक्रमित जले पर लगाने की पट्टियाँ।
5. विसंक्रमित रुई के 6 (15 ग्राम) पैकेट।
6. आयोडीन की 2 प्रतिषत अल्कोहल घोल की (60 मि.लि.) षीषी।
7. साल्वोलेटाइल की एक षीषी (60 मि.लि.) जिसके लेबल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो।
8. चिपकाने वाला प्लास्टर का एक रोल।
9. सप्रदंष की एक छुरी।
10. पोटाषियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की 1 षीषी (30 ग्राम)
11. एक कैची।
12. महानिदेषक, फैक्टरी परामर्ष सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार का एक पर्चा।
13. एस्पिरिन की 100 टिकियां (प्रत्येक 5 ग्राम) की एक षीषी।
14. जले पर लगाने का मरहम।
15. षल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाषक घोल की एक षीषी।

(iii) वस्तुओं को पुनः भरने की जब कभी आवष्यकता हो, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) प्राथमिक उपचार बक्से में सिवाय निर्धारित वस्तुओ के अन्य कुछ भी नहीं रखा जाएगा।

(v) प्राथमिक उपचार का बक्सा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखा जाएगा जो कि कार्यस्थल पर कार्यसमय के दौरान हमेषा हाजिर रहेगा।

(vi) जिस कार्यस्थल पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 150 से अधिक होगी वहां पर प्राथमिक उपचार के बक्से का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रषिक्षित व्यक्ति होगा।

(vii) ऐसे कार्यस्थलो पर जहां नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 500 तथा इससे अधिक हो तथा अस्पताल कार्यस्थल के नजदीक नहीं हो तो एक प्रषिक्षित कम्पाउन्डर की देखरेख में एक प्राथमिक उपचार केन्द्र खोला जाएगा। कम्पाउन्डर ड्यूटी पर रहेगा तथा जब मजदूर काम पर होगें तो उसकी सेवाएं हर समय उपलब्ध रहेगी।

(viii) यदि कार्यस्थल किसी षहर या कस्बे में नहीं है तो घायल व्यक्तियों अथवा अकस्मात बीमार पड़े व्यक्तियों को समीपवर्ती अस्पताल में ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध रहेगी।

4. **पेय जलः**

(i) प्रत्येक कार्यस्थल में मजदूरों द्वारा सुगमता से पहुचंने योग्य उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।

(ii) जहां पेय जल किसी अन्तर्विरामी सार्वजनिक जल व्यवस्था से प्राप्त किया जाता है वहां प्रत्येक कार्यस्थल पर संचय की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेय जल का संग्रह किया जाएगा।

(iii) संचयन की प्रत्येक जल व्यवस्था किसी षौचालय, नाली या प्रदूशण के अन्य स्रोत से 50 फुट से कम दूर नहीं होगीं। जहां जल किसी ऐसे विद्यमान कुएं से लिया जाना हो जो षौचालय, नाली या प्रदूशण के किसी अन्य स्रोत के काफी निकट हो तो ऐसी स्थिति में कुएं से पीने के लिए जल निकालने से पूर्व उसका उचित रूप से क्लोरीकरण किया जाएगा। ऐसे सभी कुएं पूर्णतः ढके हुए होंगे और उनमें धूल और जल–रोधी छत–द्वार की व्यवस्था की जाएगी।

(iv) प्रत्येक ढके हुए कुएं में एक विष्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। छत द्वार को ताला लगाकर रखा जाएगा और केवल सफाई या निरीक्षण करने के लिए दो मास में कम से कम एक बार खोला जाएगा।

5. WASHING FACILITIES

(i) In every work place adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of contract labour employed therein.

(ii) Separate and adequate cleaning facilities shall be provided for the use of male and female workers.

(iii) Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

6. LATRINES AND URINALS

(i) Latrines shall be provided in every work place on the following scale namely :-

(a) Where female are employed, there shall be at least one latrine for every 25 females.

(b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males.

Provided that, where the number of males or females exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for 25 males or females as the case may be upto the first 100, and one for every 50 thereafter.

(ii) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings.

(iii) Construction of latrines: The inside walls shall be constructed of masonry or some suitable heat-resisting nonabsorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year, Latrines shall not be of a standard lower than borehole system.

(iv) (a) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each block of latrine and urinal, a notice in the language understood by the majority of the workers “For Men only” or “For Women Only” as the case may be.

(b) The notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be.

(v) There shall be at least one urinal for male workers upto 50 and one for female workers upto fifty employed at a time, provided that where the number of male or female workmen, as the case may be exceeds 500, it shall be sufficient if there is one urinal for every 50 males or females upto the first 500 and one for every 100 or part thereafter.

(vi) (a) The latrines and urinals shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times.

(b) Latrines and urinals other than those connected with a flush sewage system shall comply with the requirements of the Public Health Authorities.

(vii) Water shall be provided by means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrines and urinals.

(viii) Disposal of excreta :- Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator. Alternately excreta may be disposed of by putting a layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm. layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn to manure).

(ix) The contractor shall at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Engineer-in-Charge to effect proper disposal of night soil and other conservancy work in respect of the contractor’s workmen or employees on the site. The contractor shall be responsible for payment of any charges which may be levied by Municipal or Cantonment Authority for execution of such on his behalf.

5. **कपड़े धोने की सुविधाएं**

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर कपड़े धोने की सुविधा का प्रबन्ध किया जाएगा तथा उसे वहां नियोजित ठेके के मजदूरो के प्रयोग के लिए रखा जाएगा।

(ii) स्त्री और पुरुश मजदूरों के प्रयोग के लिए उपयुक्त जगह की अलग–अलग और पर्याप्त व्यवस्था होगी।

(iii) ऐसी सुविधांए आसानी से सुलभ होंगी और इन्हें स्वास्थ्य की दर्षश्टि से साफ–सुथरा रखा जाएगा।

6. **शौचालय तथा मूत्रालय**

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर षौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, उदाहरणार्थः–

(क) जहां पर महिलाएं नियोजित की गई है वहां पर प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक षौचालय हो।

(ख) जहाँ पुरुश नियोजित है वहां प्रति 25 पुरुशों के लिए कम से कम एक षौचालय हो।

बषर्ते कि जहां पर पुरुशों तथा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है वहां 100 की संख्या तक प्रत्येक 25 पुरूशों अथवा महिलाओं के लिए एक षौचालय, तत्पष्चात् प्रत्येक 50 की संख्या के लिए एक षौचालय हो।

(ii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होना चाहिए तथा उनका इस प्रकार ब्यवधान हो कि निजी गोपनीयता सुरक्षित रहे तथा षौचालय में दरवाजे तथा चटखनियों की उचित व्यवस्था हो।

(iii) शौचालय का निर्माण भीतरी दीवारें चिनाई या किसी उपयुक्त तापरोधी अनवषोशी पदार्थ द्वारा निर्मित की जाएगी और उनमें वर्श में कम से कम एक बार भीतर और बाहर सीमेंट की पुताई की जाएगी। यह षौचालय बोरहोल तरीके के षौचालयों के मानक से घटिया नहीं होगे।

(iv) (क) जहां पर महिलाएं व पुरुश काम पर लगाए जाएं, वहां पर अधिकांष लोगों द्वारा समझें जाने वाली भाशा में षौचालय तथा मूत्रालयों में केवल पुरुशों के लिए/केवल महिलाओं के लिए जैसी भी स्थिति हो इस प्रकार का एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए।

(ख) इस नोटिस बोर्ड में पुरुश या महिला का जैसी भी स्थिति हो, एक चित्र भी बना हो।

(v) एक ही अवसर पर नियोजित 50 पुरुशों तथा 50 महिलाओं के लिए कम से कम एक एक मूत्रालय होंगे बषर्ते कि जहां पुरुशों तथा महिलाओं की संख्या 500 से अधिक हो वहां पर 500 पर प्रत्येक 50 पुरुशों अथवा महिलाओं के लिए एक पेषाबघर तथा षेश प्रत्येक 100 के लिए एक पेषाबघर उपयुक्त होगा।

(vi) (क) शौचालयों तथा मूत्रालयों में उपयुक्त प्रकाष की व्यवस्था होगी तथा इनको हर समय साफ–सुथरी हालत में रखा जाएगा।

(ख) जो शौचालय तथा मूत्रालय भूमिगत नालियों से जुड़े नहीं होंगे उनके सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(vii) पानी टूटी द्वारा सप्लाई किया जाएगा अथवा पानी ऐसे स्थान पर होगा जो षौचालय तथा पेषाबघर के नजदीक ही होगा।

(viii) मल–मूत्र का निपटानः– जब तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रबन्ध न किया जाए, कार्य स्थल पर भस्मीकरण द्वारा मल–मूत्र के उचित निपटान का प्रबन्ध उचित भस्मक के द्वारा किया जाए। इसके विकल्प के रूप में मल–मूत्र का निपटान इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए पक्के टैंक के तल पर विश्ठा की एक परत रखकर और उसे रद्दी या कूड़े की 15 से.मी. परत से ढकने के उपरान्त उनके ऊपर एक पखवाड़े तक मिट्टी की परत बिछाकर (जबकि वह खाद में परिवर्तित हो जाएगा), किया जा सकेगा।

(ix) कार्यस्थल पर नियोजित ठेकेदार कर्मकारों तथा काम पर लगाए गए आदमियों के सम्बन्ध में सफाई कार्य तथा विश्ठा के उचित रूप से निपटान के सम्बन्ध में प्रभारी इन्जीनियर द्वारा जारी किए गए निर्देषों का पालन ठेकेदार अपने खर्चे पर ही करेगा। ठेकेदार की ओर से नगर–पालिका अथवा केन्टोनमैन्ट प्राधिकरण द्वारा निश्पादित किए गए इस प्रकार के कार्य के लिए उनके द्वारा लगाए गए प्रभारी के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का रहेगा।

7. PROVISION OF SHELTER DURING REST

At every place there shall be provided, free of cost, four suitable sheds, two for meals and the other two for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be less than 3 metres (10 ft.) from the floor level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean and the space provided shall be on the basis of 0.6 sq.m. (6 sft) per head.

Provided that the Engineer-in-Charge may permit subject to his satisfaction, a portion of the building under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.

8. CRECHES

(i) At every work place, at which 20 or more women worker are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One room shall be used as a play room for the children and the other as their bedroom. The rooms shall be constructed with specifications as per clause 19H (ii) a,b & c.

(ii) The rooms shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.

(iii) The contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the bed room.

(iv) The contractor shall provide one ayaa to look after the children in the creche when the number of women workers does not exceed 50 and two when the number of women workers exceed 50.

(v) The use of the rooms earmarked as creches shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.

9. CANTEENS

(i) In every work place where the work regarding the employment of contract labour is likely to continue for six months and where in contract labour numbering one hundred or more are ordinarily employed, an adequate canteen shall be provided by the contractor for the use of such contract labour.

(ii) The canteen shall be maintained by the contractor in an efficient manner.

(iii) The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen, storeroom, pantry and washing places separately for workers and utensils.

(iv) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.

(v) The floor shall be made of smooth and impervious materials and inside walls shall be lime-washed or colour washed at least once in each year.

Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime-washed every four months.

(vi) The premises of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.

(vii) Waste water shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance.

(viii) Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.

(ix) The dining hall shall accommodate at a time 30 per cent of the contract labour working at a time.

(x) The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall not be less than one square metre (10 sft) per diner to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.

7. **विश्राम के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था**

प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरूष तथा महिला श्रमिकों के विश्राम के लिए निःशुल्क चार उपयुक्त षेडों का प्रबंध होगा। दो पुरूषों के लिए तथा दो महिलाओं के लिए अलग–अलग। इन आश्रय–स्थलों की फर्ष से छत के नीचे से नीचे भाग की उंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी, ये स्थान प्रतिव्यक्ति 0.6 वर्ग मीटर के हिसाब से बनाए जाएंगे और उन्हे साफ सुथरा रखा जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए निर्माणधीन भवन का एक भाग तथा अन्य वैकल्पिक स्थान का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि प्रभारी इंजीनियर इस बात से संतुष्ट हो और इसके लिए अनुमति दे दे।

8. **शिशुकक्ष**

(i) प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां पर सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं वहां पर उनके 6 वर्श से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी एक कमरा बच्चों के खेलने के लिए होगा तथा दूसरा कमरा उनके सोने के लिए, ये कमरे पैरा 2 (क,ख,ग,) खण्ड 19 (ज) के आधार पर बनाए जायेंगे।

(ii) कमरों में उपयुक्त प्रकाष तथा रोशनदान की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को साफ रखने के लिए मेहतरों का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

(iii) ठेकेदार खेल के कमरे में उचित संख्या में खिलौने और सोने के कमरे में उपयुक्त चारपाई बिस्तर का प्रबन्ध करेगा।

(iv) 50 तक महिला श्रमिको की संख्या तक, बच्चों की देखरेख के लिए ठेकेदार एक दाई रखेगा तथा 50 से अधिक संख्या पर 2 दाई रखेगा।

(v) षिषु कक्ष के लिए निर्धारित कमरों में केवल बच्चे उनके रखवाले और उनकी माताएं ही आ जा सकेंगी।

9. **कैन्टीन**

(i) ऐसे कार्यस्थलों में, जहां पर नियुक्त ठेके–श्रमिकों की छः मास तक रहने की सम्भावना हो और जहां पर ठेके के श्रमिकों की संख्या सामान्यतया 100 या इससे अधिक हो, वहां पर ऐसे श्रमिकों के लिए ठेकेदार एक उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा।

(ii) इस कैन्टीन को ठेकेदार भली–भांति चलायेगा।

(iii) इस कैन्टीन में कम से कम एक खाना खाने का हाल, रसोई स्टोर होगा और बर्तनों को साफ करने और कर्मकारों के नहाने के लिए अलग–अलग स्थान होगा।

(iv) जब कभी कोई व्यक्ति कैन्टिन में आए तो इसमें उपयुक्त प्रकाष की व्यवस्था होनी चाहिए।

(v) इसका फर्ष चिकना हो और दुर्भेध सामग्री से निर्मित होना चाहिए। और कम से कम एक वर्श में भीतर की दीवारे को चूना अथवा रंग से पुताई होनी चाहिये। षर्त यह है कि रसोई की दीवार पर भीतर से और हर चार महीने में एक बार पुताई की जाएगी।

(vi) कैटीन के स्थान को साफ–सुथरी हालत में रखा जाये।

(vii) गन्दे पानी को एक ढकी हुई नाली के द्वारा बहाया जायेगा और इसे एक स्थान पर एकत्र नहीं होने दिया जायेगा जिससे गन्दगी न हो।

(viii) कूड़ा करकट को एकत्र करने तथा उसको उठाने के लिए उचित प्रबन्ध होगा।

(ix) खाना खाने के हाल में एक समय में ठेके के श्रमिकों की कुल संख्या के 30 प्रतिषत आदमियों के बैठने का स्थान होना चाहिए।

(x) खाना खाने के हाल में, जिसमें सर्विस काउन्टर और फर्नीचर को छोड़कर, जिसमें मेज, कुर्सी षामिल नहीं है, प्रत्येक भोजन खाने वाले के लिए उप–नियम 9 में निधारित के अनुसार एक वर्ग मीटर से कम स्थान नहीं होना चाहिये।

(xi) (a) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women workers in proportion to their number.

(b) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.

(xii) Sufficient tables stools, chair or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.

(xiii) (a) 1. There shall be provided and maintained sufficient utensils crockery, furniture and any other equipments necessary for the efficient running of the canteen.

2. The furniture utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(b) 1. Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained.

2. A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious material.

3. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipments.

(xiv) The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal habits of the contract labour.

(xv) The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 'No profit, No loss' and shall be conspicuously displayed in the canteen.

(xvi) In arriving at the price of foodstuffs, and other article served in the canteen, the following items shall not be taken into consideration as expenditure namely:-

(a) The rent of land and building.

(b) The depreciation and maintenance charges for the building and equipments provided for the canteen.

(c) The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery and utensils.

(d) The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation.

(e) The interest and amounts spent on the provision and maintenance of equipments provided for the canteen.

(xvii) The accounts pertaining to the canteen shall be audited once every 12 months by registered accountants and auditors.

10. ANTI-MALARIAL PRECAUTIONS

The contractor shall at his own expense, conform to all anti-malarial instructions given to him by the Engineer-in-Charge including the filling up of any borrow pits which may have been dug by him.

11. The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form an integral part of the contracts.

12. AMENDMENTS

Government may, from time to time, add to or amend these rules and issue directions - it may consider necessary for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.

(xi) (क) खाना खाने के हाल और सर्विस काउन्टर को महिला श्रमिको के अनुपात के अनुसार विभाजित कर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाये।

(ख) महिलाओं के लिए नहाने व कपड़े धोने का स्थान अलग होना चाहिए तथा उनकी गोपनीयता के बचाव के लिए ओट होनी चाहिए।

(xii) उप–नियम 9 में निर्दिश्ट खाना खाने वालों के लिए मेज, कुर्सी, स्टूल अथवा बैंच उपयुक्त संख्या में विद्यमान रहने चाहिए।

(xiii) (क) (1) कैन्टीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त मात्रा में बर्तन, क्रोकरी, फर्नीचर तथा उसके आवष्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण साफ होने चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।

(ख) (1) कैन्टीन में काम करने वालों को साफ कपड़े दिए जायें तथा उनके कपड़ों को साफ रखा जाए।

(2) सर्विस काउन्टर यदि कोई हो तो उसके ऊपर का भाग साफ–सुथरा तथा अभेद्य सामग्री का बना हो।

(3) बर्तनों तथा उपकरणों को धोने के लिए गर्म पानी के साथ उपयुक्त व्यवस्था होगी।

(xiv) कैन्टीन में दिया जाने वाला खाना तथा अन्य वस्तुएं ठेके के मजदूरों की सामान्य पसन्द के अनुसार होंगे।

(xv) भोजन की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत जो कि कैन्टीन में परोसी या रखी जाए लाभ–हानि रहित आधार पर रखा जाय तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कैन्टीन में रखा जाय।

(xvi) कैन्टीन में रखे पदार्थ का तथा अन्य पदार्थो का मूल्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित मुद्दो के तहत न समझी जाये, जैसे किः

(क) भूमि तथा भवन का किराया,

(ख) भवन का तथा कैन्टीन में रखे गए उपकरणों का ह्रास तथा अनुरक्षण प्रभार,

(ग) उपकरणों जिसमें, फर्नीचर, क्रोकरी, चम्मच तथा बर्तन षामिल हैं, खरीद, मरम्मत तथा बदलाव की कीमत,

(घ) पानी के प्रभार तथा प्रकाष और हवा के लिए खर्च किए गए प्रभार,

(ड) कैन्टीन के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने उनका अनुरक्षण करने में खर्च की गई राशि तथा उसका ब्याज।

(xvii) कैन्टीन से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार पंजीकष्त लेखाकार तथा लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

10. **मलेरिया उन्मूलन के लिए उपाय**

प्रभारी इंजीनियर द्वारा मलेरिया उन्मूलन के बारे में दी गई हिदायतों के अनुसरण के साथ–साथ ठेकेदार अपने ही खर्च पर ऐसे गड्ढों को भी भरेगा जिन्हें उसने खुदवाया हों।

11. उपयुक्त नियमों को निविदा तथा निविदा आमन्त्रण सूचना में षामिल किया जायेगा तथा वह ठेके का एक अंग–भूत माना जायेगा।

12. **संशोधन**

सरकार समय–समय पर इन नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है तथा इन नियमों के प्रशासन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से उपयुक्त दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं।

C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations

1. SHORT TITLE

These regulations may be called the C.P.W.D./PWD (DA) Contractors Labour Regulations.

2. DEFINITIONS

(i) Workman means any person employed by C.P.W.D./PWD (DA) or its contractor directly or indirectly through a subcontractor with or without the knowledge of the Central Public Works Department/PWD (DA) to do any skilled, semiskilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person :-

(a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity : or

(b) Who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested in him, functions mainly of managerial nature: or

(c) Who is an out worker, that is to say, person to whom any article or materials are given out by or on behalf of the principal employers to be made up cleaned, washed, altered, ornamental finished, repaired adopted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employers and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the control and management of the principal employer.

No person below the age of 18 years shall be employed to act as a workman.

(ii) Fair Wages means wages whether for time or piece work fixed and notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time.

(iii) Contractors shall include every person who undertakes to produce a given result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract labour or who supplies contract labour for any work and includes a subcontractor.

(iv) Wages shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act.

3. WORKING HOURS

(i) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day.

(ii) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week, he shall be paid over time for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages.

(iii) (a) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with the provisions of the Minimum Wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.

(b) Where the minimum wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act are not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to the next preceding day, provided he has worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विनियम

1. संक्षिप्त नाम

इन विनियमों को ''केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विनियम'' कहा जायेगा।

2. परिभाषाएं

(i) **कर्मकार** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा या उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी उप–ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ज्ञान या बिना ज्ञान के, किराया या इनाम पर किसी कुषल, अर्ध–कुषल या अकुषल श्रमिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया हो चाहे नौकरी की षर्ते लिखित हो या अन्तनिहित लेकिन इस में निम्नलिखित कोई व्यक्ति षामिल नहीं होगा–

(क) जो मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रषासनिक तौर पर लगाया गया हो, या

(ख) वह जिसे पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया हो और जो 500 रूपए से अधिक मजदूरी प्रतिमास ले रहा हो या मुख्यतया प्रबन्धकीय प्रकार का कार्य या तो कार्यालय में ड्यूटी के प्रकार के कारण या उसे दी गई षक्तियों के कारण करता हों,

(ग) जो बाहर का कर्मकार हो, अर्थात वह व्यक्ति जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा या उसकी और से किसी प्रकार की वस्तुऐं या सामग्री बनाने के लिये, साफ करने के लिये , धोने के लिये, बदलने के लिये, पॉलिष कराने के लिये, मरम्मत के लिये या मुख्य नियोक्ता के व्यापार के उद्देष्य से बिक्री के लिए अन्यथा संसाधन करने के लिए दी गई हों और संसाधन की प्रक्रिया या तो बाहर के कर्मकार के घर में या किसी और स्थान पर किया जाना हो जो केन्द्रीय या मुख्य नियोक्ता के प्रबन्ध परिसर में न हो।

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, कर्मकार की तरह काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जाएगा।

(ii) **उचित मजदूरी** से वह मजदूरी चाहे वह कालनुपाती काम के अथवा मात्रनुपाती काम के लिए हो जो समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निषचित या अधिसूचित की गई हैं।

(iii) **ठेकेदारी** में प्रत्येक वह व्यक्ति षामिल होगा जो ठेका मजदूरी द्वारा वस्तुओं या उत्पादन की वस्तुओं के अतिरिक्त दिए गए कार्य को परिणामार्थ हाथ में ले या जो किसी कार्य के लिए ठेके पर मजदूर सप्लाई करे तथा इसमें उप–ठेकेदार षामिल हैं।

(iv) **मजदूरी** का वही अर्थ होगा जो मजदूरी संदाय अधिनियम में परिभाशित है।

3. काम का समय

(i) सामान्यतः किसी वयस्क कर्मचारी के काम का समय दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये, कार्य दिवस की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि विश्राम का मध्यावकाष, यदि कोई हो, मिलाकर उसका विस्तार किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक न हो।

(ii) यदि किसी वयस्क कर्मकार से किसी दिन 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाए तो उसे कार्य के अतिरिक्त समय के लिए मजदूरी की साधारण दर को दुगनी दर से ''अतिकाल'' संदत्त किया जाएगा। बच्चे से अतिरिक्त समय में काम नहीं कराया जाएगा।

(iii) (क) प्रत्येक कर्मकार को इस बात का विचार किए बिना कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा षामिल होता है, अथवा नहीं, समय–समय पर यथासंषोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली 1960 के उपबन्धों के अनुसार सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी।

(ख) जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की वेतन मजदूरी षामिल नहीं है वहां कर्मकार पिछले दिन को देय मजदूरी की दर पर विश्राम–दिवस की मजदूरी का पात्र होगा बषर्ते उसने उसी ठेकेदार के अधीन निरन्तर 6 दिन कम से कम की अवधि तक कार्य किया हो।

(c) Where a contractor is permitted by the Engineer-in-Charge to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker for the work performed on the normal weekly holiday at overtime rate.

4. DISPLAY OF NOTICE REGARDING WAGES ETC.

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clear and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers giving the minimum rates of wages fixed under Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wage are earned, wages periods, dates of payments of wages and other relevant information as per Appendix 'III'.

5. PAYMENT OF WAGES

(i) The contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable.

(ii) No wage period shall exceed one month.

(iii) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor where less than one thousand such persons are employed shall be paid before the expiry of seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(iv) Where the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated.

(v) All payment of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.

(vi) Wages due to every worker shall be paid to him direct by contractor through Bank or ECS or online transfer to his bank account.

(vii) All wages shall be paid through Bank or ECS or online transfer.

(viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under the Payment of Wages Act 1956.

(ix) A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Engineer-in-Charge under acknowledgment.

(x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages through bank account of labour.

(xi) The contractor shall obtain from the Junior Engineer or any other authorised representative of the Engineer-in-Charge as the case may be, a certificate under his signature at the end of the entries in the "Register of Wages" or the "Wage-cum-Muster Roll" as the case may be in the following form:-

(xii) "Certified that the amount shown in column No ..... has been paid to the workman concerned through bank account of labour on ..... at……"

(ग) जहाँ प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को किसी कर्मकार से सामान्य अवकाष वाले दिन कार्य करवाने की अनुमति दी जाती है तो वह उसको सामान्य साप्ताहिक अवकाष के फौरन पांच दिन पूर्व अथवा पष्चात् के किसी भी दिन को सारे दिन का प्रतिपूर्ति अवकाष देगा तथा ऐसे कर्मकार को सामान्य साप्ताहिक अवकाष के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए समयोपरि दर पर भुगतान करेगा।

4. मजदूरी आदि के सम्बन्ध में नोटिस लगाना

ठेकेदार अपने ठेके का काम प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल के सहज द्रश्टव्य स्थानों पर अंग्रजी में और अधिकांष कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाशा में स्वच्छ और सुबाच्य अक्षरों में ऐसा नोटिस लगाएगा तथा लगाता रहेगा और सही–सही लगाता रहेगा जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निष्चित मजदूरी की न्यूनतम दरें, दी जा रही वास्तविक मजदूरी, ऐसी अर्जित की जाने वाली मजदूरी के कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधि, मजदूरी भुगतान की तिथियां तथा परिषिश्ट 'III' के अनुसार अन्य सम्बन्धित सूचनाओं का उल्लेख होगा।

5. मजदूरी का भुगतान

(i) ठेकेदार ऐसी मजदूरी कालावधियाँ, जिनके बारे में मजदूरी देय होगी, नियत करेगा।

(ii) किसी भी मजदूरी की कालवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऐसी स्थापनाओं में ठेके पर नियोजित अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को जहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या 1000 से कम है मजदूरी संदाय की मजदूरी कालवधि की समाप्ति के अन्तिम दिन के पष्चात् मजदूरी 7 वे दिन से पूर्व तथा अन्य मामलों में 10 वें दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दी जाएगी।

(iv) जब ठेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर्मकार का नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी की अदायगी उसके नियोजन के समाप्त होने के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाएगा।

(v) मजदूरी की सारी अदायगी काम के दिन कार्यस्थल पर तथा कार्यवधि में और पूर्व अधिसूचित तिथि पर की जायेगी और यदि कार्य मजदूरी अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है, अन्तिम अदायगी काम के अन्तिम दिन के पष्चात् 48 घण्टों में की जाएगी।

(vi) प्रत्येक कामगार /कर्मकार को देय मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा उसको सीधे बैंक, ईसीएस अथवा उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट^a^ांसफर के द्वारा किया जायेगा।

(vii) सभी मजदूरी बैक अथवा ईसीएस अथवा ऑनलाइन ट^a^ांस्फर के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए ।

(viii) मजदूरी का भुगतान किसी प्रकार की कटौती के बिना किया जायेगा सिवाय उनके जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य अथवा विषेश आदेषों में निर्दिश्ट की गई हो अथवा जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1956 में ग्राहय है।

(ix) मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय की, सूचना कार्यस्थल पर प्रदर्षित की जाएगी तथा ठेकेदार उसकी एक प्रति प्रभारी इंजीनियर को प्राप्ति स्वीकषति के अधीन भेजेगा।

(x) यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह श्रमिक के बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी के वितरण को सुनिश्चित करे।

(xi) ठेकेदार, कनिश्ठ इंजीनियर अथवा प्रभारी इंजीनियर के किसी अन्य प्राधिकष्त प्रतिनिधि से जो भी हो, उसके हस्ताक्षरों सहित ''मजदूरी रजिस्टर'' अथवा मजदूरी तथा मस्टर रोल'' में जो भी हो, ये प्रविश्टियों के अंत में प्रमाण–पत्र निम्नलिखित रूप में लेगाः

(xii) '' यह प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ न. ..... में दिखाई गई राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मकारों को ..... में दिनांक ..... को श्रमिक के बैंक खाते के माध्यम से किया गया है।

FINES AND DEDUCTIONS WHICH MAY BE MADE FROM WAGES

(i) The wages of a worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the following:-

(a) Fines

(b) Deductions for absence from duty i.e. from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.

(c) Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody or for loss of money or any other deduction which he is required to account, where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.

(d) Deduction for recovery of advances or for adjustment of overpayment of wages, advances granted shall be entered in a register.

(e) Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.

(ii) No fines should be imposed on any worker save in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.

Note :- An approved list of Acts and Omissions for which fines can be imposed is enclosed at Appendix-X

(iii) No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such fines or deductions.

(iv) The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the total wages, payable to him in respect of that wage period.

(v) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalment, or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.

(vi) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

LABOUR RECORDS

(i) The contractor shall maintain a Register of persons employed on work on contract in Form XIII of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix IV)

(ii) The contractor shall maintain a Muster Roll register in respect of all workmen employed by him on the work under Contract in Form XVI of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix V).

(iii) The contractor shall maintain a Wage Register in respect of all workmen employed by him on the work under contract in Form XVII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix VI).

(iv) Register of accident - The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars:

(a) Full particulars of the labourers who met with accident.

(b) Rate of Wages.

(c) Sex

(d) Age

जुर्माने तथा कटौतियाँ जो मजदूरी से की जा सकेंगी

(i) निम्नलिखित को छोड़कर कर्मकार की मजदूरी किसी प्रकार की कटौती किए बिना ही उसको अदा की जाएगी :–

(क) जुर्माने।

(ख) काम से अर्थात उस स्थान या स्थानों से जहां उसके नियोजन की षर्तों द्वारा उससे कार्य करने की अपेक्षा की गई है, अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी।

(ग) नियोजित व्यक्ति को स्पश्ट रूप से अधिरक्षा के लिए सौपें गए माल को हुए नुकसान या हानि या धन की हानि या कोई अन्य कटौती जिसके लिए उससे हिसाब–देने की अपेक्षा की जाती हैं, जहाँ इस प्रकार का नुकसान या हानि प्रत्यक्षतः उसके द्वारा उपेक्षा या व्यतिक्रम करने के फलस्वरूप मानी गई है।

(घ) अग्रिम धन की वसूली के लिए या मजदूरी के अधिक अदायगी का समायोजन करने के लिए कटौती, दिए गए अग्रिम धन का रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(ड.) कोई अन्य कटौती जिसे समय समय पर केन्द्रीय सरकार करने की आज्ञा दे।

(ii) किसी कर्मकार पर उसकी और से ऐसे कष्त्यों और भूलों की बाबत किए गए जुर्माने को छोड़कर, जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया हो, कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा।

टिप्पणीः– कष्त्यों तथा भूलों जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है की अनुमोदित सूची परिषिश्ट (X) में दी गई है।

(iii) कर्मकार पर तब तक कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा और न उसकी मजदूरी में से नुकसान या हानि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि उसे ऐसे जुर्माना या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया जाए।

(iv) किसी कर्मकार पर किसी एक मजदूरी के समय में किए गए जुर्माने की कुल रकम उस मजदूरी की कालाविधि की बाबत उसको देय मजदूरी में एक रूपए पर तीन पैसे से अधिक नहीं होगी।

(v) किसी कर्मकार पर किया गया कोई जुर्माना उससे, किष्तों में, या जुर्माना किए जाने की तारीख से 60 दिन बीतने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह कष्त्य या भूल की गई हो जिससे निमित्त जुर्माना किया गया हैं।

श्रम सम्बन्धी अभिलेख

(i) ठेकेदार, ठेके के काम पर नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियमावली 1971 (परिषिश्ट'IV') के प्रपत्र 13 में रखेगा।

(ii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के सम्बन्ध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन नियम) 1971 में परिपत्र 16 (परिषिश्ट 'V') में मस्टर रोल रजिस्टर रखेगा।

(iii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के सम्बन्ध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 (परिषिश्ट'VI') के परिपत्र 17 में एक मजदूरी रजिस्टर रखेगा।

(iv) ठेकेदार ऐसे प्रपत्र में जो कार्यस्थल पर सुविधाजनक हो दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर रखेगा, जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित बातें होंगीः

(क) उन श्रमिकों के पूरे ब्यौरे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों।

(ख) मजदूरी की दर।

(ग) लिंग।

(घ) आयु।

(e) Nature of accident and cause of accident.

(f) Time and date of accident.

(g) Date and time when admitted in Hospital,

(h) Date of discharge from the Hospital.

(i) Period of treatment and result of treatment.

(j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.

(k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.

(l) Date of payment of compensation.

(m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid.

(n) Authority by whom the compensation was assessed.

(o) Remarks

(v) The contractor shall maintain a Register of Fines in the Form XII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XI)

(vi) The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved list of acts and omissions for which fines can be imposed (Appendix-X)

(vii) The contractor shall maintain a Register of deductions for damage or loss in Form XX of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XII)

(viii) The contractor shall maintain a Register of Advances in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIII)

(ix) The contractor shall maintain a Register of Overtime in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIV)

6. ATTENDANCE CARD-CUM-WAGE SLIP

(i) The contractor shall issue an Attendance card-cum-wage slip to each workman employed by him in the specimen form at (Appendix-VII)

(ii) The card shall be valid for each wage period.

(iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, once at the commencement of the day and again after the rest interval, before he actually starts work.

(iv) The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.

(v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.

(vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.

7. EMPLOYMENT CARD

The contractor shall issue an Employment Card in Form XIV of the CL (R&A) Central Rules 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-VIII).

(ड.) दुर्घटना की प्रकशति और उसका कारण।

(च) दुर्घटना का समय और तारीख।

(छ) अस्पताल में दाखिल होने की तारीख और समय।

(ज) अस्पताल छोड़ने की तारीख।

(झ) उपचार की अवधि और उसका परिणाम।

(ञ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित सामर्थ्य की हानि और निशक्तता की प्रतिषतता।

(ट) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिए जाने वाला अपेक्षित दावा।

(ठ) क्षतिपूर्ति की अदायगी की तारीख।

(ड) संदत्त रकम और उस व्यक्ति का व्यौरा जिसे वह रकम संदत्त की गई।

(ढ) प्रधिकारी जिसके द्वारा प्रतिकार निर्धारित किया गया।

(ण) टिप्पणियां।

(v) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 12 में जुर्माने का एक रजिस्टर रखेगा। (परिषिश्ट–'XI')।

(vi) ठेकेदार कष्त्यों तथा भूलसे जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है, की अनुमोदित सूची कार्यस्थल के सहज द्रश्टव्य स्थान पर अच्छी हालत में प्रदर्षित करेगा (परिषिश्ट–'X')।

(vii) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 20 (परिषिश्ट–'XII') में नुकसान तथा हानियों के लिए कटौतियों का एक रजिस्टर रखेगा।

(viii) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 22 (परिषिश्ट–'XIII') । में एक अग्रिम रजिस्टर रखेगा।

(ix) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 23 (परिषिश्ट–'XIV') में एक समयोपरि रजिस्टर रखेगा।

6. उपस्थिति कार्ड–तथा मजदूरी–पर्ची

(i) ठेकेदार, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को परिषिश्ट 'VII' पर दिए गए नमूना–प्रारूप के अनुसार एक उपस्थिति कार्ड तथा मजदूरी पर्ची देगा।

(ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी–कालवधि के लिए वैद्य होगा।

(iii) ठेकेदार कार्ड पर प्रत्येक कर्मकार की प्रतिदिन दो बार कार्य आरम्भ पर तथा विश्राम मध्यान्तर के पष्चात् उपस्थिति लगायेगा।

(iv) यह कार्ड सम्बन्धित मजदूरी कालवधि के दौरान कर्मकार के कब्जे में रहेगा।

(v) ठेकेदार, सम्बन्धित मजदूरी कालावधि के मजदूरी देने से कम से कम एक दिन पूर्व कार्ड के पीछे मजदूरी पर्ची के भाग को पूर्ण करेगा।

(vi) ठेकेदार मजदूरी देते समय मजदूरी पर्ची पर कर्मकार के हस्ताक्षर लेगा अथवा अगूंठे का निषान लगाएगा तथा कार्ड को स्वयं अपने पास रखेगा।

7. नियोजन कार्ड

ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजन किए जाने कि तीन दिन के भीतर, ठेकेदार श्रमिक नियोजन तथा उन्मूलन केन्द्रीय नियम 1971 के प्रारूप 14 में (परिषिश्ट 'VIII') एक नियोजन कार्ड देगा।

8. SERVICE CERTIFICATE

On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a Service certificate in Form XV of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix-IX)

9. PRESERVATION OF LABOUR RECORDS

All records required to be maintained under Regulations Nos. 6 & 7 shall be preserved in original for a period of three years from the date of last entries made in them and shall be made available for inspection by the Engineer-in-Charge or Labour Officer or any other officers authorised by the Ministry of Urban Development in this behalf.

10. POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY

The Labour Officer or any person authorised by Central Government on their behalf shall have power to make enquires with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of Fair Wage Clauses and the Provisions of these Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or subcontractor in regard to such provision.

11. REPORT OF LABOUR OFFICER

The Labour Officer or other persons authorised as aforesaid shall submit a report of result of his investigation or enquiry to the Executive Engineer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under Clause 13 of these regulations, actual payment to labourers will be made by the Executive Engineer after the Superintending Engineer has given his decision on such appeal.

(i) The Executive Engineer shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report form the Labour Officer or the Superintending Engineer as the case may be.

12. APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other person so authorised may appeal against such decision to the Superintending Engineer concerned within 30 days from the date of decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Executive Engineer concerned but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

13. PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER

(i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by:-

(a) An officer of a registered trade union of which he is a member.

(b) An officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated.

(c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union, connected with the industry in which the worker is employed or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed.

8. सेवा प्रमाण–पत्र

किसी भी कारण से नियोजन के समाप्त होने पर ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्रारूप 15 में (परिषिश्ट 'IX') एक सेवा प्रमाण–पत्र देगा।

9. श्रम अभिलेखों को सुरक्षित रखना

विनिमयन सं. 6 तथा 7 के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित सभी अभिलेखों को उनमें की गई अन्तिम प्रविश्टिकी तिथि से तीन वर्श की अवधि के लिए मूल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा ये प्रभारी इंजीनियर, श्रम अधिकारी अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा सम्बन्ध में प्राधिकष्त किए गए अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएंगे।

10. श्रम अधिकारियों को अन्वेशण या जांच करने संबंधी षक्तियाँ

श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकष्त किसी अन्य व्यक्ति को यह षक्ति होगी कि वह उचित मजदूरी खण्डों और विनियमों के उपलब्धों का सम्यक और उचित अनुपालन अभिनिष्चित करने और प्रवर्तित कराने की दर्षश्टि से जांच करे। वह ठेकेदार या उप–ठेकेदार द्वारा ऐसे उपलब्धों के बारे में की हुई व्यतिक्रम संबंधी किसी षिकायत का अन्वेशण करेगा।

11. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट

श्रम अधिकारी या 'यथापूर्वोक्त प्राधिकष्त अन्य व्यक्ति अपने अन्वेशण या जांच के परिणाम की एक रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा जिसमें वह व्यतिक्रम की जाने वाली सीमा, यदि कोई हो, उपदर्षित करेगा और साथ ही एक टिप्पणी भी देगा कि ठेकेदार के बिल में से आवष्यक कटौतियां कर ली जाएं और संबंधित श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य देय रकमों का भुगतान कर दिया जाए। इन विनियमों के खण्ड 13 के अधीन ठेकेदार द्वारा अपील किए जाने की दषा में अपील अधीक्षण इंजीनियर द्वारा निर्णय दे देने के बाद कार्यपालक इंजिनियर श्रमिकों को वास्तविक रूप से भुगतान करेगा।

(क) कार्यपालक इंजिनियर संबंधित श्रमिकों को श्रम अधिकारी या अधीक्षण इंजीनियर, जैसी भी स्थिति हो, रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेगा।

12. श्रम अधिकारी के विनिष्चय के विरुद्ध अपील

श्रम अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकष्त किसी अन्य व्यक्ति के विनिष्चय और सिफारिषों से कथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के विरुद्ध विनिष्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित अधीक्षण इंजीनियर को अपील कर सकेगा और उसके साथ ही अपनी अपील की एक प्रति संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा किन्तु ऐसी अपील के अधीन, अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

13. वकील के मार्फत अभ्यावेदन के बारे में निशेध

(i) कर्मकार इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेशण या जाँच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा–

(क) किसी ऐसे पंजीकष्त व्यवसाय संघ का अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(ख) व्यवसाय संघों के ऐसे परिसंघ का अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिश्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है।

(ग) जहां नियोजक, किसी पंजीकष्त व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहाँ जिस उद्योग में कर्मकार नियोजित है, उससे संबंधित व्यवसाय के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य कर्मकार द्वारा।

(ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :-

(a) An officer of an association of employers of which he is a member.

(b) An officer of a federation of associations of employers to which association referred to in clause (a) is affiliated.

(c) Where the employers is not a member of any association of employers, by an officer of association of employer connected with the industry in which the employer is engaged or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.

(iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any investigation or enquiry under these regulations.

14. INSPECTION OF BOOKS AND SLIPS

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour records to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Officer or any other person, authorised by the Central Government on his behalf.

15. SUBMISSIONS OF RETURNS

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

16. AMENDMENTS

The Central Government may from time to time add to or amend the regulations and on any question as to the application/Interpretation or effect of those regulations the decision of the Superintending Engineer concerned shall be final.

(ii) नियोजक इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेशण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा–

(क) नियोजक के किसी ऐसे संघ का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(ख) नियोजको के संघ के किसी ऐसे परिसंघ का कोई अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिश्ट संघ संबंद्ध है।

(ग) जहां नियोजक, नियोजकों के किसी संघ का सदस्य नहीं है वहाँ जिस उद्योग में नियोजक लगा हुआ है, उससे संबंधित नियोजक के संवर्ग के किसी अधिकारी द्वारा या उस उद्योग में लगे किसी अन्य नियोजक द्वारा।

(iii) इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेशण या जांच में कोई भी पक्षकार किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा।

14. बहियों और स्लिपो का निरीक्षण

ठेकेदार अपने किसी भी कर्मकार से सम्बन्धित सभी श्रम विलेखों के उसके अधिकर्ता को सम्यक सूचना प्राप्त होने पर किसी सुविधाजनक समय और स्थान पर अनुज्ञात करेगा या श्रम अधिकारी या उसकी ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकष्त किसी अन्य व्यक्ति को भी निरीक्षण करने देगा।

15. विवरणियों को प्रस्तुत करना

ठेकेदार समय–समय पर यथा विनिर्दिश्ट सामयिकी विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

16. संशोधन

केन्द्रीय सरकार समय–समय पर विनियमों का परिवर्तन या संषोधन कर सकेगी और उन विनियमों के लागू होने, निर्विचन या प्रभावी होने के बाद में किसी प्रष्न पर संबंधित अधीक्षण इन्जीनियर का विनिष्चय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट / Appendix 'I'

प्रसूति प्रसुविधाओं का रजिस्टर (ठेके की शर्तो का खण्ड 19–च)

REGISTER OF MATERNITY BENEFITS (Clause 19 F)

ठेकेदार का नाम और पता
Name and address of the contractor.....
कार्य का नाम और स्थिति
Name and location of the work.....

कर्मचारी का नाम Name of the employee	पिता / पति का नाम Father's/ husband's name	नियोजन का स्वरूप Nature of employment	वास्तविक नियुक्ति की अवधि Period of actual employment	तारीख जिसको प्रसवावस्था की सूचना दी गई Date on which notice of confinement given
1	2	3	4	5

तारीख जिसको प्रसूति छुट्टी प्रारम्भ हुई और समाप्त हुई
Date on which maternity leave commenced and ended

प्रसव / गर्भपात की तारीख Date of delivery/ miscarriage	प्रसव की दशा में In case of delivery		गर्भपात की दशा में In case of miscarriage	
	प्रारम्भ हुई commenced	समाप्त हुई Ended	प्रारम्भ हुई Commenced	समाप्त हुई Ended
6	7	8	9	10

कर्मचारी को संदत्त छुट्टी वेतन
Leave pay paid to the employee

प्रसव की दशा में In case of delivery		गर्भपात की दशा में In case of miscarriage		टिप्पणियां Remarks
छुट्टी वेतन की दर Rate of leave pay	संदत्त रकम Amount paid	छुट्टी वेतन की दर Rate of leave pay	संदत्त रकम Amount paid	
11	12	13	14	15

परिशिष्ट / Appendix 'II'

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संकर्मो में ठेकेदारों के श्रमिकों को अनुज्ञेय प्रसूति प्रसुविधा के बारे में रजिस्टर का नमूना प्रारूपं

SPECIMEN FORM OF THE REGISTER, REGARDING MATERNITY BENEFIT ADMISSIBLE TO THE CONTRACTOR'S LABOUR IN CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT WORKS.

ठेकेदार का नाम और पता
Name and address of the contractor.....

कार्य का नाम और स्थिति
Name and location of the work.....

1. स्त्री का नाम और उसके पति का नाम
   Name of the woman and her husband's name.
2. पद नाम
   Designation.
3. नियुक्ति की तारीख
   Date of appointment.
4. मास और वर्षो सहित वह तारीख जिसको उसे नियुक्त किया गया
   Date with months and years in which she is employed.
5. सेवान्मुक्त / पदच्युत किये जाने की तारीख, यदि कोई हो
   Date of discharge/dismissal, if any.
6. गर्भ धारण के बाबत प्रमाण पत्र पेश किए जाने की तारीख
   Date of production of certificates in respect of pregnancy.
7. वह तारीख जिसको स्त्री प्रत्याशित प्रसव के बारे में इत्तिला देती है
   Date on which the woman informs about the expected delivery.
8. प्रसव / गर्भपात / मृत्यु होने की तारीख
   Date of delivery/miscarriage/death
9. प्रसव / गर्भपात / संबंधी प्रमाण पत्र किये जाने की तारीख
   Date of production of certificate in respect of delivery/miscarriage.
10. प्रत्याशित प्रसव से पूर्व संदत्त प्रसूति / मृत्यु प्रसुविधा की रकम और उसकी तारीख
    Date with the amount of maternity/death benefit paid in advance of expected delivery.
11. प्रसूति प्रसुविधा के पश्चातवर्ती संदाय की रकम और उसकी तारीख
    Date with amount of subsequent payment of maternity benefit.
12. स्त्री के मृत्यु के बाद उसकी प्रसूति प्रसुविधा का संदाय प्राप्त करने के लिए उस स्त्री द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम
    Name of the person nominated by the woman to receive the payment of the maternity benefit after her death.
13. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम, जिसको प्रसूति प्रसुविधा की रकम संदत्त की गई, संदाय की तारीख और मास
    If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefit amount was paid, the month thereof and the date of payment.
14. रजिस्टर की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करते हुए ठेकेदार के हस्ताक्षर
    Signature of the contractor authenticating entries in the register.
15. निरीक्षक आफिसर के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तम्भ
    Remarks column for the use of Inspecting Officer.

परिशिष्ट / Appendix 'III'

श्रम बोर्ड
Labour Board

कार्य का नाम.....

Name of work

ठेकेदार का नाम.....

Name of Contractor

ठेकेदार का पता.....

Address of Contractor

के0 लो0 नि0 विभाग के मंडल का नाम व पता.....

Name and address of C.P.W.D. Division

के॰ लो॰ नि॰ विभाग के श्रम अधिकारी का नाम .....

Name of C.P.W.D. Labour Officer

के॰ लो॰ नि॰ विभाग के श्रम अधिकारी का पता.....

Address of C.P.W.D. Labour Officer

श्रम कार्यान्वयन अधिकारी का नाम .....

Name of Labour Enforcement Officer

श्रम कार्यान्वयन अधिकारी का पता .....

Address of Labour Enforcement Officer

क्रम संख्या Sl. No.	श्रेणी Category	न्युनतम निर्धारित मजदूरी Minimum wage fixed	भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी Actual wage paid	वर्तमान संख्या Number present	टिप्पणी Remarks

साप्ताहिक छुट्टी .....

Weekly holiday

मजदूरी की अवधि.....

Wage period

मजदूरी के भुगतान की तारीख .....

Date of payment of wages

काम के घंटे.....

Working hours

आराम का मध्यान्तर.....

Rest interval

फार्म 13 Form-XIII (कृप्या नियम 75 देखें) (See Rule 75)

ठेकेदार द्वारा लगाये गए मजदूरों का रजिस्टर Register of Workmen Employed by Contractor

ठेकेदार का नाम व पता.....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment under which contract is carried on

कार्य का स्वरूप व स्थान .....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता .....
Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No	मजदूर का नाम Name and Surname of workman	आयु तथा लिंग Age and Sex	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	कार्य का स्वरूप/ पद का नाम Nature of employment/ designation	मजदूर का स्थायी गृह पता (गांव व तहसील ताल्लुक और जिला) Permanent home address of the workman (Village and Tehsil, Taluk and District)	स्थानीय पता Local address	नौकरी आरम्भ होने की तारीख Date of commence-ment of employment	मजदूर के हस्तक्षार/अंगूठे का निशान Signature or thumb impression of the workman	नौकरी से बरखास्त करने की तारीख Date of termination of employment	बरखास्त करने के कारण Reasons for terminations	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

फार्म 16 Form-XVI (कृपया नियम 78 (2)(क) देखें) (See Rule 78(2)(a))

मस्टर रोल Muster Roll

ठेकेदार का नाम व पता.....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम और पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment under which contract is carried on

कार्य का स्वरूप व स्थान.....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता..... महीने पक्ष के लिए.....
Name and address of Principal Employer. For the Month of fortnight

क्र. संख्या Sl. No	मजदूर का नाम Name of Workman	लिंग Sex	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	दिनांक Dates					टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5					6
				1	2	3	4	5	

फार्म 17 Form-XVII (कृपया नियम 78 (2)(क) देखें) (See Rule 78(2)(a))

मजदूरी रजिस्टर Register of wages

ठेकेदार का नाम व पता.....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment under which contract is carried on

कार्य का स्वरूप व स्थान.....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता..... मजदूरी की अवधिः मासिक या पाक्षिक
Name and address of Principal Employer..... wages Period: Monthly/Fortnight

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of workman	मजदूरो के रजिस्टर में क्रम संख्या Serial No. in the register of workman	किए गए कार्य का स्वरूप / पदनाम Designation/ nature of work done	जितनें दिन कार्य किया No. of days worked	किए गए कार्य के एकक Units of work done	मजदूरी की दर / पीस रेट Daily rate of wages/ piece rate	की गई मजदूरी की रकम Amount of wages earned					वसूली, यदि कोई हो (वसूली का स्वरूप लिखें Deductions if any (indicate nature)	भुगतान की गई शुद्ध राशि Net amount paid	मजदूर के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान Signature or thumb impression of the workman	ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Initial of contractor or his representative
							मूल मजदूरी Basic wages	महगाई भत्ता Dearness allowances	समयोपरि भत्ता Overtime	अन्य नकद भुगतान (भुगतान के स्वरूप लिखें Other cash payments (Indicate nature)	जोड़ Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

परिशिष्ट / Appendix 'VII'
(सीधी तरफ / Obverse)

मजदूरी कार्ड संख्या / Wage Card No.....

मजदूरी कार्ड Wage Card

ठेकेदार का नाम व पता.....जारी करने की तारीख .....
Name and address of contractor — Date of Issue

कार्य का नाम व स्थान .....पद.....
Name and location of work — Designation

मजदूर का नाम.....मास / पक्ष.....
Name of workman — Month/Fortnight

मजदूरी की दर.....
Rate of Wages

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
प्रातः Morning																														दर Rate	
सायं Evening																														रकम Amount	
हस्ताक्षर Initial																															

.....से अपनी मजदूरी के.....रूपये प्राप्त किए
Received from — the sum of Rs. — on account of my wages

यह मजदूरी कार्ड जारी होने की तारीख से एक मास तक के लिए वैद्य है।
The Wage Card is valid for one month from the date of issue

हस्ताक्षर Signature.

फार्म 19/Form-XIX

(कृप्या नियम 78(2)(ख) देखें)
[See rule 78 (2)(b)]

मजदूरी कार्ड
Wages Slip

ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor.....

मजदूर का नाम तथा उसके पिता / पति का नाम
Name and Father's/Husband's name of workman.....

कार्य का स्वरूप तथा स्थान का नाम
Nature and location of work.....

सप्ताह / पक्ष / मास के लिए
For the Week/Fortnight/Month ending.....

1. जितने दिन कार्य किया
   No. of days worked.....
2. किए गए कार्य के एककों की संख्या (पीस रेट मजदूरों के बारे में)
   No. of units worked in case of piece rate workers.....
3. दैनिक मजदूरी की दर / पीस रेट
   Rate of dailly wages/piece rate .....
4. समयोपरि मजदूरी की रकम
   Amount of overtime wages.....
5. दी जाने वाली कुल रकम
   Gross wages payable.....
6. वसूलियां, यदि कोई हो
   Deduction, if any.....
7. दी गई मजदूरी की शुद्ध रकम
   Net amount of wages paid.....

ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Initials of the contractor or his representative

फार्म 14 / Form-XIV
(कृप्या नियम 76 देख)
[See rule 76]

रोजगार कार्ड
Employment Card

ठेकेदार का नाम व पता
Name and address of contractor----------

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
Name and address of establishment under which contract is carried on----------

कार्य का नाम व स्थान
Name of work and location of work----------

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
Name and address of Principal Employer----------

1. मजदूर का नाम
   Name of the workman----------
2. लगाये गए मजदूरों के रजिस्टर में क्रम संख्या
   SI. No. in the register of workman employed----------
3. रोजगार / पद का नाम
   Nature of employment/designation----------
4. मजदूरी की दर
   (पीस वर्क के बारें में एकक के ब्यौरा सहित)
   Wage rate (with particulars of unit in case of piece work)----------
5. मजदूरी की अवधि
   Wage period----------
6. रोजगार की अवधि
   Tenure of employment----------
7. टिप्पणी
   Remarks----------

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of contractor

फार्म 15 Form-XV (कृपया नियम 77 देखें) (See Rule 77)

सेवा प्रमाणपत्र Service Certificate

ठेकेदार का नाम व पता.....
Name and address of contractor

कार्य का स्वरूप तथा स्थान.....
Nature and location of work

मजदूर का नाम व पता.....
Name and address of workman

आयु अथवा जन्म तिथि.....
Age or date of birth

पहचान चिन्ह .....
Indentification marks

पिता / पति का नाम.....
Father's/Husband's name

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है.....
Name and address of establishment in under which contract is carried on

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता.....
Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No	रोजगार की कुल अवधि Total Period for which employed		किए गए कार्य का स्वरूप Nature of Work Done	मजदूरी दर (पीस वर्क के मामलें में एकक के ब्योरों सहित) Rate of wages (with particulars of unit in case of piece work)	टिप्पणी Remarks
	से From	तक To			
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर / Signature

LIST OF ACTS AND OMISSONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED
ऐसे कार्यों तथा भूलों की सूची जिसके लिए जुर्माने किये जा सकते हैं

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमो के नियम 7 (v) के अनुसार कार्य स्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया जाना।

1. जान बूझ कर अकेले या अन्य के साथ मिल कर अवज्ञा या उल्लंघन।
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य या सम्पत्ति के अतिरिक्त, ठेकों के संबंध मे चोरी धोखाबाजी, बेईमानी करना।
3. घूस या अन्य गैरकानूनी परितोषण लेना या देना।
4. नित्य देर से काम पर आना।
5. शराब पीकर लड़ना, उपद्रवी या बेढंगा या अन्यमनस्क व्यवहार।
6. नित्य लापरवाही।
7. उस क्षेत्रों के आस–पास बीड़ी–सिग्रेट पीना जहां आग पकड़ने वाली या अन्य सामग्री रखी हो।
8. नित्य अनुशासनहीनता।
9. चालू कार्य में अथवा के. लो. नि. वि. या ठेकेदार की संपत्ति को क्षति पहुंचाना।
10. ड्युटी पर सोना।
11. कामचोरी या कार्य को धीरे करना।
12. नाम, आयु, पिता के नाम आदि के बारे में गलत सूचना देना।
13. नियोक्ता द्वारा दिये गये मजदूरी कार्ड को नित्य खो देना।
14. मालिक की उत्पादन की सम्पत्ति का अनधिकृत उपयोग या कार्यस्थल पर अनाधिकृत वस्तुएं बनाना।
15. कुशल कामगारों द्वारा निर्माण तथा अनुरक्षण में अकुशल कारीगरी दिखाना जिसे विभाग स्वीकार नहीं करता जिसके संशोधन के लिये ठेकेदार को बाध्य किया जाता है।
16. गलत शिकायतें लगाना और / या भ्रामक विवरण देना।
17. स्थापनाओं के परिसर के भीतर कोई व्यापार चलाना।
18. कर्मचारियों का अनधिकृत व्यापार कार्य करना।
19. स्थापना के परिसर के भीतर किसी प्रकार का धन एकत्र करना या उसके लिए प्रचार करना जब तक कि मालिक द्वारा अधिकार न दिया गया हो ।

In accordance with rule 7(v) of the CPWD Contractor's Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work both in English and local Language.

1. Wilful insubordination or disobidience, whether alone or in combination with other.
2. Theft fraud or dishonesty in connection with the contractors beside a business or property of CPWD.
3. Taking or giving bribes or any illegal gratifications
4. Habitual late attendance.
5. Drunkenness lighting, riotous or disorderly or indifferent behaviour
6. Habitual negligence.
7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked
8. Habitual indiscipline.
9. Causing damage to work in the progress or to property of the CPWD or of the contractor.
10. Sleeping on duty.
11. Malingering or slowing down work.
12. Giving of false information regarding name, age father's name, etc.
13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
14. Unauthorised use of employer's property of manufacturing or making of unauthorised particles at the work place.
15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Department and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.
16. Making false complaints and/or misleading statements.
17. Engaging on trade within the premises of the establishments.
18. Any unauthorised divulgence of business affairs of the employees.
19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.

20. मालिकों की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के भीतर बैठकें बुलाना।

21. परिसर के भीतर कार्य समय के दौरान किसी कामगार या कर्मचारी को डराना या धमकाना।

20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.

21. Threatening or intimidating any workman or employer during the working hours within the premises.

फार्म 12 Form-XII (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

जुर्मानों का रजिस्टर Register of Fines

ठेकेदार का नाम व पता .....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment in under which contract is carreid on

कार्य का स्वरूप व स्थान .....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता .....
Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employment	वह कार्य/भूल जिसके लिए जुर्माना लगाया गया Act/Omission for which fine imposed	अपराध की तारीख Date of Offence	क्या कर्मकार ने इस जुर्माने के विरुद्ध कोई कारण बताया है Whether workman showed cause against fine	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या सुनी गई Name of person in whose presence employee's explanation was heard	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage period and wages payable	जुर्माना की गई राशि Amount of fine imposed	जुर्माना जिस तिथि को समाप्त हुआ Date on which fine realised	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट / Appendix 'XII'

फार्म 20 Form-XX (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

क्षति / हानि के लिए कटौती का रजिस्टर Register of Deduction for Damage or Loss

ठेकेदार का नाम व पता .....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment in under which contract is carreid on

कार्य का स्वरूप व स्थान .....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता .....
Name and address of Principal Employer

क्र. सख्या Sl.N.	मजदूर का नाम Name of Workman	पिता / पति का नाम Father's/Husbasnd name	नौकरी का स्वरूप / पदनाम Designation/ nature of employment	क्षति अथवा हानि का ब्यौरा Particulars of damage or loss	क्षति अथवा हानि की तारीख Date of damage or loss	क्या कर्मकार ने इस कटौती के विरुद्ध कोई कारण बताया है Whether workman showed cause against deduction	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या सुनी गई name of person in whose presence employee's explanation was heard	लगाई गई कटौती की राशि Amount of deduction imposed	किश्तों की संख्या No.of installments	वसूली की तिथि Date of recovery		टिप्पणी Remarking
										प्रथम किश्त First install-ment	अंतिम किश्त Last install-ment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

फार्म 22 Form-XXII (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

अग्रिम का रजिस्टर Register of Advances

ठेकेदार का नाम व पता .....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment in under which contract is carreid on

कार्य का स्वरूप व स्थान .....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता .....
Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband name	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employment	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage Period and wages payable	दिए गए अग्रिम की तिथि तथा राशि Date and amount of advance given	वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया Purpose(s) for which advance made	किश्तो की संख्या जिनके द्वारा अग्रिम लौटाया जाना है Number of installments by which advance to be repaid	लौटाई गई प्रत्येक किश्त की तिथि तथा राशि Date and amount of each installm-ent repaid	वह तिथि जबकि अन्तिम किश्त लौटाई गई Date and which last installment was repaid	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट / Appendix 'XIV'

फार्म 23 Form-XXIII (कृपया नियम 78(2)(च) देखें) (See Rule 78(2) (e))

समयोपरि रजिस्टर Register of Overtime

ठेकेदार का नाम व पता .....
Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है .....
Name and address of establishment in under which contract is carreid on

कार्य का स्वरूप व स्थान .....
Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता .....
Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of Workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	लिंग Sex	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employement	जिन तारीखों को समयोपरि कार्य किया Date on which Overtime worked	कुल समयोपरि कार्य अथवा पीस रेट के मामले मे उत्पादन Total overtime worked or production in case of piece rated	मजदूरी की सामान्य दर Normal rate of wages	समयोपरि मजदूरी की दर Overtime rate of wages	समयोपरि कमाई Overtime earning	जिस दर पर समयोपरि मजदूरी दी Rate on which overtime paid	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Appendix - XV
(FORM 31)
INDENTURE FOR SECURED ADVANCES
(Referred to in paragraphs 10.2.20 and 10.2.22 of CPW A Code)

(For use in cases in which the contract is for finished work and the contractor has entered into an agreement for the execution of a certain specified quantity of work in a given time)

THIS INDENTURE made the…… day of ……..20……. BETWEEN …… (hereinafter called the Contractor which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his executors administrators and assigns) of the one part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter called the President which expression shall where the context so admits or implies be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS by an agreement dated…….. (hereinafter called the said agreement) the Contractor has agreed AND WHEREAS the Contractor has applied to the President that he may be allowed advances on the security of materials absolutely belonging to him and brought by him to the site of the works the subject of the said agreement for use in the construction of such of the works as he has undertaken to execute at rates fixed for the finished work (inclusive of the cost of materials and labour and other charges) AND WHEREAS the President has agreed to advance to the Contractor the sum of Rupees …… on the security of materials the quantities and other particulars of which are detailed in Accounts of Secured Advances attached to the Running Account Bill for the said works signed by the Contractor on ……and the President has reserved to himself the option of making any further advance or advances on the security of other materials brought by the Contractor to the site of the said works. Now THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rupees ……on or before the execution of these presents paid to the Contractor by the President (the receipt whereof the Contractor doth hereby acknowledge) and of such further advances (if any) as may be made to him as aforesaid the Contractor doth hereby covenant and agree with the President and declare as follows: -

(1) That the said sum of Rupees ……..so advanced by the President to the Contractor as aforesaid and all or any further sum or sums advanced as aforesaid shall be employed by the Contractor in or towards expediting the execution of the said works and for no other purpose whatsoever.

(2) That the materials detailed in the said Account of Secured Advances which have been offered to and accepted by the President as security are absolutely the Contractor's own property and free from encumbrances of any kind and the contractor will not make any application for or receive a further advance on the security of materials which are not absolutely his own property and free from encumbrances of any kind and the Contractor indemnifies the President against all claims to any materials in respect of which an advance has been made to him as aforesaid.

(3) That the materials detailed in the said Account of Secured Advances and all other materials on the security of which any further advance or advances may hereafter be made as aforesaid (hereinafter called the said materials) shall be used by the Contractor solely in the execution of the said works in accordance with the directions of the Divisional Officer ……. Division (hereinafter called the Divisional Officer) and in the term of the said agreement.

(4) That the Contractor shall make at his own cost all necessary and adequate arrangements for the proper watch, safe custody and protection against all risks of the said materials and that until used in construction as aforesaid the said materials shall remain at the site of the said works in the Contractor's custody and on his own responsibility and shall at all times be open to inspection by the Divisional Officer or any officer authorised by

परिशिष्ट – XV
(फार्म–31)
सुरक्षित अग्रिम के लिए करारनामा
(सी पी डब्यू ए कोड के पैराग्राफ 10.2.20 तथा 10.2.22 में संदर्भित)

(उन मामलों में उपयोग के लिए जिनमें ठेका, समाप्तर किए गए कार्य के लिए है तथा ठेकेदार ने एक निश्चित समय में एक निश्चित निर्दिष्ट मात्रा के कार्य के निष्पामदन के लिए समझौता किया है)

यह कारारनामा ..... 2019 के ..... दिन को ..... (इसके पश्चाति ठेकेदार कहा गया है जिसकी अभिव्याक्ति जहां भी संदर्भ इस प्रकार की अनुमति देता हो अथवा आशय संशोधित करता हो, के संबंध में यह माना जाएगा जिसमें उनके कार्यपालक प्रशासक, जिसको यह कार्य सौंपा गया हो को शामिल किया गया है) के एक भाग तथा भारत के राष्ट्रउपति (इसके पश्चारत ठेकेदार कहा गया है जिसकी अभिव्यशक्ति जहां भी संदर्भ इस प्रकार की अनुमति देता हो अथवा आश्यट संशोधि ात करता हो, के संबंध में यह माना जाएगा जिसमें उनके कार्यपालक प्रशासक, जिसको यह कार्य सौंपा गया हो को शामिल किया गया है) के अन्यक भाग के बीच बनाया गया है।

तथापि दिनांक ..... के एक समझौते के द्वारा (जिन्हेंउ इसके बाद उक्त् समझौता कहा गया है) ठेकेदार ने सहमति दे दी है तथापि ठेकेदार ने राष्ट्रअपति को आवेदन किया है कि उन्हेंि उससे संबंधित सामग्रियों की सुरक्षा जो उनके द्वारा कार्यस्थथलों पर लाई गई है पर अग्रिमों की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के कार्यों के निर्माण में उपयोग के लिए उक्तक समझौते के विषय के रुप में वह समाप्त कार्य (सामग्रियों की लागत और श्रम तथा अन्यप शुल्कोंव सहित) के लिए तय की गई दरों पर निष्पा दित करने के लिए किया है तथापि राष्ट्रीपति ने ठेकेदार को सामग्रियों की सुरक्षा पर ..... रुपये की राशि अग्रिम करने पर सहमति व्यकक्तत की है, जिसकी मात्रा तथा अन्यो ब्यौ रे ..... को ठेकेदार द्वारा हस्ता क्षरित उक्त कार्यों के लिए चालू खाते के बिल से जुड़े सुरक्षित अग्रिमों के खातों में विस्तृीत है तथा राष्ट्र–पति ने स्वयं को ठेकेदार द्वारा उक्तक कार्यो की कार्यस्थ ल पर लाई गई अन्यु सामग्रियों की सुरक्षा पर इसके आगे किसी भी अग्रिम बनाने के विकल्पर के लिए आरक्षित किया है। अतः यह करारनामा साक्षी है कि उक्तय समझौते के अनुसरण में और राष्ट्रेपति द्वारा ठेकेदार को भुगतान किए गए इन विलेखों के निष्पानदन की तिथि को या उससे पहले .... रुपये की राशि और इस प्रकार की आगे की अग्रिम राशि (यदि कोई हो) जिसे उन्हेंन भुगतान जिसका ऊपर उल्ले–ख किया गया है किया जा सकता हो पर विचार करते हुए ठेकेदार एतद्वारा यह वचन देते है और राष्ट्र पति के साथ करार करते है तथा निम्नललिखित अनुसार घोषणा करते हैंः

(1) यह कि पूर्वोक्त राष्ट्रापति द्वारा ठेकेदार को उक्त् ..... रुपये की राशि के अग्रिम तथा सभी या उक्तर कोई भी आगे की राशि ठेकेदार द्वारा उक्तो कार्यों के निष्पारदन में तेजी लाने के लिए काम में लगाई जाएगी, न कि अन्यि किसी उद्देश्यत के लिए।

(2) यह कि उक्त सुरक्षित अग्रिमों के खातों में विस्तृकत सामग्रियॉ जिसे राष्ट्रीपति द्वारा सुरक्षा के रुप में पेश किया और स्वी2कार किया गया है, जो ठेकेदार की अपनी सम्पखत्ति है और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्तप है तथा ठेकेदार कोई आवेदन या इसके आगे सामग्रियों, जो ठेकेदार की अपनी सम्पखत्ति नहीं है और जो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्तत है, की सुरक्षा पर अग्रिम प्राप्ते नहीं करेगा तथा ठेकेदार, किसी भी सामग्री जिसके संबंध में उन्हें अग्रिम दिया गया है, के दावों के विरुद्ध राष्ट्र पति को क्षतिपूर्ति करेगा ।

(3) यह कि उक्त सुरक्षित अग्रिमों के खाते में विस्तृवत सामग्रियों तथा अन्यग सभी सामग्रियों जिनकी सुरक्षा के लिए इसके बाद कोई भी अग्रिम दिया जा सकता है (इसके बाद उक्ते सामग्री कहा गया है) ठेकेदार द्वारा पूर्ण रुप से उक्तु कार्यों के निष्पाईदन में विभागीय अधिकारी ..... विभाग (इसके बाद विभागीय अधिकारी कहा गया है) के निर्देशों के अनुसार तथा उक्तप समझौते की अवधि में उपयोग किया जाएगा ।

(4) यह कि ठेकेदार उपर्युक्त सामग्रियों के सभी जोखिमों के प्रति उचित देखभाल, सुरक्षित निगरानी व बचाव के लिए सभी आवश्यक व उपयुक्त व्यवस्थाएँ अपनी लागत पर करेगा और पूर्वोक्तानुसार निर्माण में उपयोग होने तक उपर्युक्त सामग्रियाँ ठेकेदार की निगरानी में और उसकी

him. In the event of the said materials or any part thereof being stolen, destroyed or damaged or becoming deteriorated in a greater degree than is due to reasonable use and wear thereof the Contractor will forthwith replace the same with other materials of like quality or repair and make good the same as required by the Divisional Officer.

(5) That the said materials shall not on any account be removed from the site of the said works except with the written permission of the Divisional Officer or an officer authorised by him on that behalf.

(6) That the advances shall be repayable in full when or before the Contractor receives payment from the President of the price payable to him for the said works under the terms and provisions of the said agreement. Provided that if any intermediate payments are made to the Contractor on account of work done than on the occasion of each such payment the President will be at liberty to make a recovery from the Contractor's bill for such payment by deducting there from the value of the said materials then actually used in the construction and in respect of which recovery has not been made previously, the value for this purpose being determined in respect of each description of materials at the rates at which the amounts of the advances made under these presents were calculated.

(7) That if the Contractor shall at any time make any default in the performance or observance in any respect of any of the terms and provisions of the said agreement or of these presents the total amount of the advance or advances that may still be owing to the President shall immediately on the happening of such default be repayable by the Contractor to the President together with interest thereon at twelve per cent per annum from the date or respective dates of such advance or advances to the date of repayment and with all costs charges, damages and expenses incurred by the President in or for the recovery thereof or the enforcement of this security or otherwise by reason of the default of the Contractor and the Contractor hereby covenants and agrees with the President to repay and pay the same respectively to him accordingly.

(8) That the Contractor hereby charges all the said materials with the repayment to the President of the said sum of Rupees ……and any further sum or sums advanced as aforesaid and all costs charges, damages and expenses payable under these presents PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that notwithstanding anything in the said agreement and without prejudice to the powers contained therein if and whenever the covenant for payment and repayment herein before contained shall become enforceable and the money owing shall not be paid in accordance therewith the President may at any time thereafter adopt all or any of the following courses as he may deem best :-

(a) Size and utilize the said materials or any part thereof in the completion of the said works on behalf of the Contractor in accordance with the provisions in that behalf contained in the said agreement debiting the Contractor with the actual cost of effecting such completion and the amount due in respect of advances under these presents and crediting the Contractor with the value of work done as if he had carried it out in accordance with the said agreement and at the rates thereby provided. If the balance is against the Contractor he is to pay same to the President on demand.

(b) Remove and sell by public auction the seized materials or any part thereof and out of the moneys arising from the sale retain all the sums aforesaid repayable or payable to the President under these presents and pay over the surplus (if any) to the Contractor.

(c) Deduct all or any part of the moneys owing out of the security deposit or any sum due to the Contractor under the said agreement.

खुद की जिम्मेदारी पर उपर्युक्त निर्माण स्थल पर रहेंगी तथा मंडलीय अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय खुली रहेंगी। उपर्युक्त सामग्रियों या इनके किसी भाग के चोरी होने, नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने या उचित उपयोग से ज्यादा मात्रा में खराब होने और उसका प्रयोग होने की स्थिति में ठेकेदार तुरंत उसी गुणवत्ता की अन्य सामग्रियों से उपर्युक्त को बदलेगा या मरमम्त करेगा और मंडलीय अधिकारी द्वारा अपेक्षानुसार उपर्युक्त को सही करेगा।

(5) यह कि मंडलीय अधिकारी या इसके लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति को छोड़कर उपर्युक्त निर्माण स्थल से किसी भी स्थिति में उपर्युक्त सामग्रियों को हटाया नहीं जाएगा।

(6) यह कि उपर्युक्त करार की शर्तों व प्रावधानों के तहत उपर्युक्त निर्माण के लिए ठेकेदार को देय मूल्य का राष्ट्रपति द्वारा भुगतान प्राप्ति पर या पहले अग्रिम प्रतिदेय होगा। बशर्ते कि किए जा चुके किसी कार्य के लिए ठेकेदार को कोई मध्यवर्ती भुगतान किया गया हो तो ऐसे प्रत्येक भुगतान की स्थिति में निर्माण में वास्तव में प्रयोग की गई को उपर्युक्त सामग्रियों के मूल्य से घटाकर ऐसे भुगतान को और पूर्व में जिसके संबंध में भुगतान न किया गया हो, के लिए ठेकेदार के बिल से वसूली करने के लिए राष्ट्रपति को स्वतंत्रता होगी, इस उद्देश्य के लिए मूल्य उन सामग्रियों के प्रत्येक विवरण के संदर्भ में निर्धारित किया जा रहा है जिस दर पर इन विलेखों के तहत किए गए अग्रिमों की मात्रा की गणना की गई थी।

(7) यह कि यदि ठेकेदार उपर्युक्त करार या इन विलेखों की किसी शर्त और प्रावधानों के निष्पादन या पालन में किसी भी समय की चूक करता है तो अग्रिम या अग्रिमों की कुल राशि जो अब भी राष्ट्रपति के ऊपर बकाया हो वो तत्काल रूप से ऐसी चूक होने पर ऐसे अग्रिम या अग्रिमों की तारीख या संबंधित तारीखों से पुनर्भुतान की तारीख तक व सभी लागत प्रभारों, क्षतियों के साथ और राष्ट्रपति द्वारा वहन किए गए व्यय या उसकी वारली के लिए इस प्रतिभूति को लागू करने के लिए अन्यथा रूप से ठेकेदार की चूक के कारण प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत उस पर ब्याज के साथ राष्ट्रपति को ठेकेदार द्वारा प्रतिदेय होगा और एततद्वारा ठेकेदार वाचा और तदनूसार उन्हें क्रमशः पुनः भुगतान करने व भुगतान करने के लिए राष्ट्रपति से सहमत है।

(8) यह कि ठेकेदार एततद्वारा ..... रूपए की उपर्युक्त राशि को राष्ट्रपति को पुनःभुगतान करने के साथ सभी उपर्युक्त सामग्रियों का प्रभार लेता है और पूर्वोक्तानुसार आगे कोई अग्रिम राशि या राशियाँ व लागत प्रभार, क्षतियाँ व इन विलेखों के तहत देय व्यय हमेशा प्रदान किया और एतद्वारा यह सहमत व घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त करार में किसी भी चीज के बावजूद और इसमे निहित शक्तियों का उल्लंघन किए बिना एवं जब कभी भी इसके पूर्व निहित भुगतान व पुनःभुगतान हेतु वाचा लागू होगा और राशि का भुगतान उसके अनुसार नहीं किया जाएगा तत्पश्चात् राष्ट्रपति किसी भी समय सभी निम्नलिखित कार्यप्रणालियों या किसी एक को, जो भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगे, अपना सकते हैं :–

(क) उपर्युक्त निर्माण की पूर्ति में उपर्युक्त करार में सम्मिलित इसके लिए प्रवाधानों के अनुसार ठेकेदार की ओर से उपर्युक्त सामग्रियों या उसके भाग को मापना व उपयोग करना जिसके लिए ऐसी पूर्ति की वास्तविक लागत और इन विलेखों के तहत अग्रिमों के संबंध में देय राशि को ठेकेदार के नामे डालना तथा किए गए कार्य के मूल्य को ठेकेदार के खाते डालना यदि उसने यह उपर्युक्त करार और उसमें दी गई दरों के अनुसार किया था। यदि ठेकेदार के पास कोई शेष हो तो उसे उपर्युक्त का भुगतान माँग पर राष्ट्रपति को करना होगा।

(ख) जब्त सामग्रियों या उसके किसी भाग को हटाना और सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचना तथा बिक्री से आने वाली धनराशि को इन विलेखों के तहत राष्ट्रपति को प्रतिदेय या देय पूर्वोक्तानुसार सभी राशियों को रखना व ठेकेदार को अधिशेष (यदि कोई हो) का भुगतान करना।

(ग) उपर्युक्त करार के तहत ठेकेदार के सुरक्षा जमा या किसी अन्य धनराशि की पूरी या किसी भाग की कटौती।

(9) That except in the event of such default on the part of the Contractor as aforesaid interest on the said advance shall not be payable.

(10) That in the event of any conflict between the provisions of these presents and the said agreement the provisions of these presents shall prevail and in the event of any dispute or difference arising over the construction or effect of these presents the settlement of which has not been herein before expressly provided for the same shall be finally resolved as per provisions of clause 25 of the contract.

In witness whereof the said ……and ……by the order and under the direction of the President have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by…….. the said contractor in the presence of .....

……

Signature ……

Witness Name ……..

Address …….

Signed by……..

by the order and direction of the President in the presence of

Signature ……

Witness Name ……..

Address …….

(9) पूर्वोक्तानुसार ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक होने की स्थिति को छोड़कर उपर्युक्त अग्रिम पर ब्याज देय नहीं होगा।

(10) इन विलेखों व उपर्युक्त करार के प्रावधानों के बीच कोई मतभेद होने की स्थिति में इन विलेखों के प्रावधानों को माना जाएगा तथा निर्माण या इन विलेखों के प्रभाव से किसी विवाद या अंतर होने की स्थिति में जिसका निपटान स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं किया गया तो उपर्युक्त का अंतिम रूप से समाधान संविदा के खंड 25 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

निम्नलिखित गवाह की उपस्थिति में उपर्युक्त ..... व ..... को राष्ट्रपति के आदेश व निदेश से यहाँ अपने हाथों से उपर्युक्त लिखित दिन व वर्ष को लिखा है।

..... की उपस्थिति में उपर्युक्त ठेकेदार ..... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद व सुपुर्द।

.....

हस्ताक्षार .....

गवाह का नाम .....

पता .....

द्वारा हस्ताक्षरित .....

निम्नलिखित की उपस्थिति में राष्ट्रपति के आदेश व निदेश द्वारा

हस्ताक्षार .....

गवाह का नाम .....

पता .....

APPENDIX - XVI
(Refer Clause 5)
FORM OF APPLICATION BY THE CONTRACTOR FOR SEEKING RESCHEDULING OF MILESTONE/EXTENSION OF TIME

1. Name of contractor
2. Name of work as given in the agreement
3. Agreement no
4. Estimated amount put to tender
5. Date of commencement of work as per agreement
6. Period allowed for completion of work as per agreement
7. Date of completion stipulated in agreement
8. Period for which extension of time if has been given by authority in Schedule 'F' previously

letter no. and date	Extension granted	
	Months	Days
(a) 1st extension.....		
(b) 2nd extension		
(c) 3rd extension		
(d) 4th extension		
(e) Total extension previously given		

9. Reasons for which extension have been previously given (copies of the previous applications should be attached)
10. Period for which extension if applied for
11. Hindrances on account of which extension is applied for with dates on which hindrances occurred and the period for which these are likely to last (for causes under clause 5.2/ and 5.3).

Submitted to the Authority indicated in Schedule F With copy to the Engineer-in-charge and Sub Divisional Officer

Signature of Contractor

Dated .....

परिशिष्ट – XVI
(खंड 5 का संदर्भ लें)
मील के पत्थर का पुन निर्धारण समय बढाने की मांग के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन का फार्मध्प्रपत्र

1. ठेकेदार का नाम
2. समझौते में दिए गए कार्य का नाम
3. समझौता संख्याए
4. निविदा के लिए अनुमानित राशि
5. समझौते के अनुसार कार्य शुरू करने की तिथि
6. समझौते के अनुसार कार्य को पूरा करने की अवधि
7. समझौते में निर्धारित पूरा करने की तिथि
8. अवधि जिसके लिए समय सीमा का विस्तानर यदि पूर्व में प्राधिकारी द्वारा अनुसूची 'च' में दिया गया है।

पत्र सं तथा तिथि	स्वी .त विस्तामर	
	माह	दिन
(क) प्रथम विस्तार		
(ख) द्वितीय विस्तार		
(ग) तृतीय विस्तार		
(घ) चतुर्थ विस्ताार		

9. कारण जिनके वजह से पहले विस्ता.र दिया गया है (पूर्व आवेदनों की प्रतियां संलग्नच की जानी चाहिए)
10. अवधि जिसके लिए समय का विस्तार यदि लागू किया गया हो।
11. तिथि जिनमें बाधाएँ आई है साथ ही बाधाएँ जिनके लिए विस्तार का आवेदन किया गया है तथा अवधि जिसके लिए इसके कायम रहने की संभावना है (खंड 5.2ध तथा 5.3 के तहत कारणों के लिए)

उप विभागीय अधिकारी तथा भारसाधक अभियंता को प्रतियों के साथ अनुसूची च में संकेतित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

ठेकेदार के हस्तौक्षर

दिनांक.....

APPENDIX - XVII
Reference of disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator.
[Refer to Clause 25]

To,

The ADG/SDG
..... (Region) ……
.....

Subject: Reference of disputes and amount claimed for each dispute to the Conciliator for settlement of disputes relating to agreement number: …….

Dear Sir,

In terms of clause 25 of the aforesaid agreement, particulars of which are given below, I/We hereby refer my / our disputes and amount claimed for each dispute to you for settlement in your capacity as Conciliator.

1. Name of applicant:
2. Whether applicant is Individual/Proprietorship Firm/Partnership Firm/Company:
3. Full address of the applicant:
4. Name of the work and contract number for which arbitration is sought:
5. Name of the Division which entered into contract:
6. Contract amount:
7. Date of contract:
8. Stipulated date of start of work:
9. Stipulated date of completion of work:
10. Actual date of completion of work (if completed):
11. Total number of claims made:
12. Total amount claimed:
13. Date of intimation of final bill (if work is completed):
14. Date of payment of final bill (if work is completed):
15. Amount of final bill (if work is completed):
16. Date of claim made to Engineer-in-Charge:
17. Date of receipt of decision from Engineer-in-Charge:

I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge. I/We enclose the statement of claims with amount of each claim.

Yours faithfully,

.....

Signature of the applicant

(Only the person/authority who signed the contract should sign here)

Copy to:

1. The Chief / Superintending Engineer ……..
2. The Executive Engineer..... Division

परिशिष्ट – XVII
मध्ध्यस्थ को विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि का संदर्भ। (खंड 25 का संदर्भ लें)

सेवा में,
अपर महानिदेशक / विशेष महानिदेशक
.....(क्षेत्र).....
.....

विषय : करार सं:.....से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए मध्ध्यस्थ को विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि का संदर्भ

महोदय,
पूर्वोक्त करार के खंड 25 के संदर्भ में, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, मैं / हम एतद्वारा मध्ध्यस्थ के रूप में निपटाने के लिए आपको मेरे / हमारे विवादों और प्रत्येक विवाद के लिए दावा की गई राशि संदर्भित करते हैं।

1. आवेदक का नामः
2. क्या आवेदक व्यक्तिगत / स्वामित्व फर्म / साझेदारी फर्म / कंपनी हैः
3. आवेदक का पूरा पताः
4. कार्य का नाम और ठेका संख्या जिसके लिए मध्यस्थता की मांग की गई हैः
5. ठेके शुरू करने वाले मंडल का नामः
6. ठेके की राशिः
7. ठेके की तिथिः
8. कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथिः
9. कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथिः
10. कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (यदि पूर्ण हो तो):
11. किए गए दावों की कुल संख्याः
12. दावा की गई कुल राशिः
13. अंतिम बिल की सूचना की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
14. अंतिम बिल के भुगतान की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
15. अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
16. प्रभारी अभियंता को किए गए दावे की तिथिः
17. प्रभारी अभियंता से निर्णय प्राप्त होने की तिथिः

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं / हम प्रत्येक दावे की राशि के साथ दावों का विवरण संलग्न करते हैं।

भवदीय
.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(केवल ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / प्राधिकरण को ही यहां हस्ताक्षर करना चाहिए)

प्रतिलिपि :
1. मुख्य / अधीक्षण अभियंता.....
2. कार्यपालक अभियंता.....मंडल .....मंडल

APPENDIX - XVIII
Notice for appointment of Arbitrator
[Refer to Clause 25]

To,

The Chief Engineer/Superintending Engineer

..... (Zone or Circle) …….

.....

Subject: Notice for appointment of Arbitrator for adjudication of disputes relating to agreement number: …….

Dear Sir,
In terms of clause 25 of the aforesaid agreement, particulars of which are given below, I/We hereby give you notice to appoint an Arbitrator for adjudication of disputes mentioned below.

1. Name of applicant
2. Whether applicant is Individual/Prop. Firm/Partnership Firm/Ltd. Co.
3. Full address of the applicant
4. Name of the work and contract number in which arbitration sought
5. Name of the Division which entered into contract
6. Contract amount in the work
7. Date of contract
8. Date of initiation of work
9. Stipulated date of completion of work
10. Actual date of completion of work (if completed)
11. Total number of claims made
12. Total amount claimed
13. Date of intimation of final bill (if work is completed)
14. Date of payment of final bill (if work is completed)
15. Amount of final bill (if work is completed)
16. Date of request made to SDG/ADG for conciliation
17. Date of receipt of SDG/ADG's decision
18. *I/We hereby give consent for appointment of Arbitrator of MoHUA. An agreement as per Appendix-XVIII is enclosed.
    Or
    * I/We do not give consent for appointment of Arbitrator of MoHUA.
    I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge. I/We enclose the following documents.
    1. Statement of claims with amount of each claim.
    2. *Agreement of waiver of Section 12(5) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 in Appendix-XIX.
    (*strikeout whichever is not applicable).

Yours faithfully,

.....

Signature of the applicant

(only the person/authority who signed the contract should sign here)

Copy to:
1. The Executive Engineer
   ..... Division

परिशिष्ट – XVIII
मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना
(खंड 25 का संदर्भ लें)

सेवा में,
मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता
.....(अंचल अथवा परिमंडल).....
.....

विषय : करार संख्या..... से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु सूचना

महोदय,
पूर्वोक्त करार के खंड 25 के संदर्भ में, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, एतद्वारा मैं/हम आपको नीचे उल्लिखित विवादों के अधिनिर्णय के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नोटिस देता हूं।

1. आवेदक का नामः
2. क्या आवेदक व्यक्तिगत/स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनी हैः
3. आवेदक का पूरा पताः
4. कार्य का नाम और ठेका संख्या जिसके लिए मध्यस्थता की मांग की गई हैः
5. ठेके शुरू करने वाले मंडल का नामः
6. ठेके की राशिः
7. ठेके की तिथिः
8. कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथिः
9. कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथिः
10. कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (यदि पूर्ण हो तो):
11. किए गए दावों की कुल संख्याः
12. दावा की गई कुल राशिः
13. अंतिम बिल की सूचना की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
14. अंतिम बिल के भुगतान की तिथि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
15. अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
16. सुलह के लिए वि.म.नि./अ.मध.नि. को दिए गए संदर्भ की तिथि, यदि लागू होः
17. सुलह कार्यवाही की समाप्ति की तिथि :
18. *एतद्वारा मैं/हम आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति देते हैं। परिशिष्ट–ग्प के अनुसार अधित्ध्याग समझौता संलग्न है।
    अथवा
    *मैं/हम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति नहीं देते हैं।
    मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं।
    1. प्रत्येक दावे की राशि के साथ दावों का विवरण।
    2. *परिशिष्ट–ग्प में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 12(5) के अधित्ध्याग का करार ।
    (*लागू न होने पर काट दें)

भवदीय

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/प्राधिकरण को ही यहां हस्ताक्षर करना चाहिए)

प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियंता.....मंडल

APPENDIX - XIX
Agreement towards waiver of Section 12(5) of Arbitration & Conciliation Act 1996
[Refer to Clause 25]

1. Whereas certain disputes have arisen between M/S ..……..……..… (claimants) and M/S ……. (respondents) relating to agreement No……...

2. And whereas the parties are aware that Shri …… is on the cadre of CPWD; presently on deputation as Arbitrator, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.

3. I/we agree for the appointment of Shri ……... as the sole Arbitrator for adjudication of the disputes, and we hereby waive the applicability of Section 12(5) of the Arbitration & Conciliation Act,1996.

Signature

(Only the person/authority who signed the contract should sign here)

Name.....

Date: ……..

(The name of the Arbitrator, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India may be enquired from the Engineer-in-Charge, if required.

परिशिष्ट – XIX

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12(5) के अधित्य्याग के लिए समझौता (खंड 25 का संदर्भ लें)

1. जबकि मेसर्स ..... (दावेदार) और मैसर्स ..... के बीच करार संख्या ..... से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं। (प्रतिवादी)

2. और जबकि पक्षकार इस बात से अवगत हैं कि श्री ..... केलोनिवि के संवर्ग में है; वर्तमान में मध्यस्थ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

3. मैं/हम विवादों के अधिनिर्णय के लिए श्री ..... को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हैं, और हम एतद्द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) की प्रयोज्यता का अधित्य्याग करते हैं।

हस्ताक्षर

(केवल ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/प्राधिकरण को ही यहां हस्ताक्षर करना चाहिए)

नाम.....

हस्ताक्षर

दिनांकः.....

(मध्यस्थ के नाम, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरघ्कार की पूछताछ प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्घ्यकता होने पर की जा सकती है।) प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियंता.....मंडल

On non-judicial stamp paper of minimum Rs. 100

(Guarantee offered by Bank to CPWD in connection with the execution of contracts) Form of Bank Guarantee for Earnest Money Deposit /Performance Guarantee/Security Deposit/Mobilization Advance

1. Whereas the Executive Engineer …… (name of division) …….., CPWD on behalf of the President of India (hereinafter called "The Government")has invited bids under ……(NIT number)…… dated ……. for ……. (name of work) …… The Government has further agreed to accept irrevocable Bank Guarantee for Rs. …….…… (Rupees …… only) valid upto …… (date)*…… as Earnest Money Deposit from ……. (name and address of contractor) ……..(hereinafter called "the contractor") for compliance of his obligations in accordance with the terms and conditions of the said NIT.

   OR**

   Whereas the Executive Engineer …….. (name of division) ……., CPWD on behalf of the President of India (hereinafter called "The Government") has entered into an agreement bearing number ……..... with …….....(name and address of the contractor) …….. (hereinafter called "the Contractor") for execution of work ……. (Name of work) ……... The Government has further agreed to accept an irrevocable Bank Guarantee for Rs. …… (Rupees …… only) valid upto …….. (date)..…… as Performance Guarantee/Security Deposit/Mobilization Advance from the said Contractor for compliance of his obligations in accordance with the terms and conditions of the agreement.

2. We, …… (indicate the name of the bank) ……. (herein after referred to as "the Bank"), hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs. …….. (Rupees……. only) on demand by the Government within 10 days of the demand.

3. We, ……(indicate the name of the Bank) ……, do here by undertake to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said Contractor. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. …….. (Rupees …….only)

4. We, …… (indicate the name of the Bank) ……, further undertake to pay the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal, our liability under this Bank Guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this Bank Guarantee shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor shall have no claim against us for making such payment.

5. We, …… (indicate the name of the Bank) ……, further agree that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation here under to vary any of the terms and conditions of the said agreement or to extend time of performance by the said Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the

न्यूनतम 100 रूपये के नॉन–जुडिसियल पेपर पर

(ठेके के निष्पादन के संबंध मे केलोनिवि को बैंक द्वारा दी गई गारंटी)

बयाना राशि जमा/ निष्पादन गारंटी/ प्रतिभूति जमा/ संग्रहण अग्रिम राशि/मील–पत्थर हेतु रोकी गई राशि की वापसी के लिए बैक गारंटी का प्रपत्र

1. जबकि भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) की ओर से कार्यपालक अभियंता ..... (मंडल का नाम) ....., केलोनिवि ने दिनांक ..... को (कार्य का नाम) के लिए ..... (एनआईटी नंबर) ..... के तहत बोलियां आमंत्रित की है। सरकार ने उक्त एनआईटी के नियमों और शर्तो के अनुसार अपने दायित्वों के अनुपालन के लिए ..... (ठेकेदार का नाम और पता). .....(जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है) से बयाना राशि जमा के रूप में ..... (दिनांक) तक वैध.....(रुपये ..... मात्र) रुपये के लिए अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।

या

जबकि भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे "सरकार" कहा गया है) की ओर से कार्यपालक अभियंता, ...(मंडल का नाम), केलोनिवि ने ..... (ठेकेदार का नाम और पता).....(जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है) के साथ .....(कार्य का नाम) के निष्पादन के लिए संख्या ..... का एक करार किया है। सरकार ने आगे करार के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों के अनुपालन के लिए उक्त ठेकेदार से निष्पादन गारंटी/ प्रतिभूति जमा राशि/ संग्रहण अग्रिम राशि के रूप में/मील–पत्थर हेतु रोकी गई राशि की वापसी के लिए ..... (दिनांक) तक वैध .....(रुपये ..... मात्र) रुपये के लिए एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।

2. हम, ... (बैंक का नाम बताएं) ..... (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), सरकार द्वारा मांग किए जाने परमांग के 10 दिनों के भीतर अधिकतम ..... (रुपये ..... मात्र) रुपये की राशि का भुगतान करने का एतदद्वारा वचन देते हैं।

3. हम, ... (बैंक का नाम बताएं) ....., एतद्द्वाराइस गारंटी के तहत देय और भुगतान योग्य राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के, केवल सरकार की मांग पर यह कहते हुए कि दावा की गई राशि उक्त ठेकेदार से देय या संभावित रूप से देय राशि की वसूली को पूरा करने के लिए आवश्यक है, करने का वचन देते हैं। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में निर्णायक होगी। तथापि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता अधिकतम ..... (रुपये ..... . मात्र) रुपये की राशि तक सीमित होगी।

4. हम, ... (बैंक का नाम लिखें) ..... सरकार को यह वचन देते हैं कि ठेकेदार के किन्हीं विवाद या विवादों के संदर्भ में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के बावजूद इस प्रकार मांग किया गया धन सरकार को अदा करेंगे जिसके संबंध में इस विलेख के अधीन हमारी देयता अंतिम और असंदिग्ध है। हमारे द्वारा इस बंधपत्र के अधीन किया गया भुगतान वैध उन्मोचन होगा और इस प्रकार किए गए भुगतान के लिए हमारे विरुद्ध ठेकेदार का किसी प्रकार का दावा नहीं होगा।

5. हम, ... (बैंक का नाम लिखें) ....., सरकार से इस बात पर सहमत हैं कि सरकार समय–समय पर हमारी सहमति के बिना और इस गारंटी बांध पत्र के अधीन हमारी देयताओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त करार के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या उक्त ठेकेदार द्वारा ठेके की मियाद बढ़ाने या उक्त ठेकेदार के संबंध में सरकार को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन्हें समय–समय पर या किसी निश्चित अवधि तक स्थगित करने तथा उक्त करार की किसी भी शर्त को हटाने या लागू करने की पूरी छूट होगी और इस प्रकार कोई शर्त बदले जाने से या उक्त ठेकेदार को अधिक समय दिये जाने से या कोई शर्त हटाए जाने से या

said Contractor or for any forbearance, act of omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. We, …… (indicate the name of the Bank) …….., further agree that the Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank as a principal debtor at the first instance without proceeding against the Contractor and notwithstanding any security or other guarantee the Government may have in relation to the Contractor's liabilities.

7. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor.

8. We, ……. (indicate the name of the Bank) ……., undertake not to revoke this guarantee except with the consent of the Government in writing.

9. This Bank Guarantee shall be valid up to ……. unless extended on demand by the Government. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs. …… (Rupees …….. only) and unless a claim in writing is lodged with us within the date of expiry or extended date of expiry of this guarantee, all our liabilities under this guarantee shall stand discharged.

Date .....

Witnesses:

1. Signature……
   Name and address

Authorized signatory
Name
Designation
Staff code no.

2. Signature …….
   Name and address

Bank seal

*Date to be worked out on the basis of validity period of 90 days where only financial bids are invited and 180 days for two/three bid system from the date of submission of tender.

**In paragraph 1, strike out the portion not applicable. Bank Guarantee will be made either for earnest money or for performance guarantee/security deposit/mobilization advance, as the case may be.

सरकार की किसी भी भूल चूक के कारण या उक्त ठेकेदार को सरकार द्वारा ऐसी कोई ढील दिये जाने से, या प्रतिभूतियों के संबंध में लागू होने वाले कानून के अधीन ऐसी कोई बात या चीज किए जाने से, इस उपबंध के न होने की स्थिति में हम इस प्रकार अपनी देयताओं से मुक्त हो गए होते, हम अपनी देयताओं से मुक्त नहीं होंगे।

6 हम, ... (बैंक का नाम लिखें) .....,आगे सहमत हैं कि सरकार अपने विकल्प पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना और ठेकेदार की देनदारियों के संबंध में सरकार की किसी भी प्रतिभूति या अन्य गारंटी के बावजूद, पहली बार में एक प्रमुख देनदार के रूप में बैंक के विरुद्ध इस गारंटी को लागू करने की हकदार होगी।

7 यह गारंटी बैंक या ठेकेदार के सगठन में हुए परिवर्तन के कारण उन्मोचित नहीं होगी।

8 हम, ... (बैंक का नाम लिखें) ....., यह वचन देते हैं कि सरकार से लिखित सहमति के बिना इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

9 जब तक कि सरकार द्वारा इस मांग का समय विस्तार न किया जाए,यह बैंक गारंटी ..... तक वैध होगी। ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के प्रति हमारी देयता ..... (रुपये ..... मात्र) रुपये तक सीमित है और जब तक इस गारंटी की समाप्ति की तिथि या विस्तारित तिथि के भीतर हमारे पास लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है, इस गारंटी के तहत हमारी सभी देनदारियां समाप्त हो जाएंगी।

दिनांक .....

गवाहः

1. हस्ताक्षर .....
   नाम और पता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम
पद
स्टाफ कोड सं.

2. हस्ताक्षर .....
   नाम और पता

बैंक सील

* निविदा जमा करने की तारीख से 90 दिनों की वैधता अवधि, जहां केवल वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और दो/तीन बोली प्रणाली के लिए180 दिनों की वैधता अवधि के आधार पर तिथि का निर्धारण किया जाएगा।

** पैरा 1 में लागू न होने वाले भाग को काट दें। बैंक गारंटी या तो बयाना राशि के लिए या निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा/संग्रहण अग्रिम राशि/मील–पत्थर हेतु रोकी गई राशि की वापसी के लिए, जैसा भी मामला हो, के लिए दी जाएगी।

PROFORMA OF SCHEDULES

(Separate Performa for Civil, Elect.& Hort. Works in case of Composite Tenders)

SCHEDULE 'A'

Schedule of quantities (as per PWD-3)

SCHEDULE 'D'

Extra schedule for specific requirements/document for the work, if any.

SCHEDULE 'E'

Reference to General Conditions of contract

Name of work: .....

.....

Estimated cost of work: Rs. .....

(i) Earnest money: Rs. ..... (to be returned after receiving performance guarantee)

(ii) Performance Guarantee : 5% of tendered value.

(iii) Security Deposit : 2.5% of tendered value.

SCHEDULE 'F'

GENERAL RULES : & DIRECTIONS

Officer inviting tender .....

Maximum percentage for quantity of items of work to be executed beyond which rates are to be determined in accordance with Clauses 12.2 & 12.3. See below

अनुसूचियों के प्रारूप

(संयुक्त निविदा देने वाले निविदाकार को सिविल, वैधुत व बागवानी प्रभावी अनुसूचियां अलग दी जाएगी)

अनुसूची 'क'

मात्राओं की अनुसूची (लोक निर्माण विभाग–3 फार्म के अनुसार)

अनुसूची 'घ'

कार्य के लिए विषेश अपेक्षाएं/दस्तावेज, यदि कोई हों/ की अतिरिक्त अनुसूची।

अनुसूची 'ङ'

ठेके की सामान्य शर्तों का संदर्भ

कार्य का नाम .....

.....

कार्य की अनुमानित लागत		रू. .....
(i)	धरोहर राशि	रू..... (निष्पादन प्रतिभूति के जमा के बाद लौटा दी जाएगी)
(ii)	निष्पादन गारंटी	निविदित्त मूल्य का 5 प्रतिशत
(iii)	प्रतिभूत निक्षेप	निविदित्त मूल्य का 2.5 प्रतिशत

अनुसूची 'च'

सामान्य नियम	निविदा आमंत्रण करने वाला प्राधिकारी	
एवं	कार्य की मदों की मात्रा के लिए अधिकतम प्रतिषत	
दिशानिर्देश	जिससे अधिक निष्पादित मदों के लिए दरों का	
	निर्धारण खण्ड 12.2 और 12.3 के अनुसार होगा	निम्नानुसार

Definitions:

2(vi)	Engineer-in-Charge	.....
2(viii)	Accepting Authority	.....
2(x)	Percentage on cost of materials and labour to cover all overheads and profits.15%	15%
2(x)(b)	Standard Schedule of Rates	.....
2(xi)	Department	.....
9(ii)	Standard CPWD contract Form GCC 2020, CPWD Form 7/ 8 as modified & corrected upto	.....

Clause 1

(i) Time allowed for submission of Performance Guarantee, programme chart (Time and progress)and applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW welfare board or proof of applying there of from the date of issue of letter of acceptance ..... days

(ii) Maximum allowable extension with late fee @ 0.1% per day of Performance Guarantee amount beyond the period provided in (i) above ..... (1 to 15 days to be filled by NIT approving authority) ..... days

Clause 2

Authority for fixing compensation under clause 2. .....

Clause 2A

Applicable clause 2/ Clause 2A Yes / No

Clause 5

Number of days from the date of issue of letter of acceptance for reckoning date of start Mile stone(s) as per table given below:- ..... day

SI No.	Description of Milestone (Physical)	Time Allowed in days (from date of start)	Amount to be with-held in case of non achievement of milestone
1.			
2.			
3.			
4.			

Time allowed for execution of work. .....

परिभाशाएंः

2(vi) भारसाधक इंजीनियर .....

2(viii) स्वीकारकर्ता प्राधिकारी .....

2(x) अतिरिक्त और लाभों को पूरा करने के लिए सामग्रियों की लागत पर प्रतिशतता 15%

2(x)(b) दरों की मानक अनुसूची .....

2(xi) विभाग .....

9(ii) मानक के. लो. नि. वि. ठेका फार्म 2020, के.लो.नि.वि. फार्म 7/8 तक संशोधित और शोधित .....

खण्ड–1

(i) स्वीकृती पत्र जारी होने की तारीख से निष्पादन गारंटी के प्रस्तुतीकरण, कार्यक्रम चार्ट (समय तथा प्रगति) तथा लागू श्रम लिसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण या वहाँ आवेदन करने के प्रमाण ..... दिन

(ii) उपर्युक्त (i) में दी गई अवधि से आगे कार्यनिष्पादन गारंटी राशि का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क के साथ अधिकतम अनुमेय विस्तार ..... दिन

(1 से 15 दिन – निविदा अनुमोदन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

खण्ड–2

खण्ड 2 के तहत प्रतिकर निश्चित करने वाला प्राधिकारी .....

खण्ड–2क

लागू खण्ड 2/ खण्ड 2क हाँ/ नहीं

खण्ड–5

कार्य आरम्भ की तारीख की गणना के लिए स्वीकृति पत्र के जारी होने की तारीख से दिनों की संख्या ..... दिन

लक्ष्य (मील–पत्थर) नीचे दी गई सारणी के अनुसार

क्रम सं.	लक्ष्य का विवरण (वास्तविक)	अनुमत्य समय, दिनों मे (कार्य आरम्भ की तारीख से)	लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में रोकी जाने वाली राशि
1.			
2.			
3.			
4.			

कार्य निष्पादित करने के लिए अनुमत्य समय .....

Authority to decide:

(i) Extension of time ..... (Engineer in Charge or Engineer in Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)

(ii) Rescheduling of mile stones ..... (Superintending Engineer/ PM/CPM in Charge or Superintending Engineer/ PM/CPM in Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)

(iii) Shifting of date of start in case of delay in handing over of site ..... (Superintending Engineer/ PM/CPM in Charge or Superintending Engineer in Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)

PROFORMA OF SCHEDULES Clause 5 Schedule of handing over of site

Part	Portion of site	Description	Time Period for handing over reckoned from date of issue of letter of intent.
Part A	Portion without any hindrance		
Part B	Portions with encumbrances		
Part C	Portions dependent on work of other agencies		

Clause 5

Applicable clause 5/ Clause 5A

Clause 6 : Computerised Measure Book (CMB) / Electronic Measurement Book (EMB)

Mode of measurement : CMB / EMB

Note:- One option to be kept by NIT approving authority.

Clause 7

Gross work to be done together with net payment /adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment for being eligible to interim payment Rs. .....

Clause 7A

Whether clause 7A shall be applicable Yes/No

Clause 10A

List of testing equipment to be provided by the contractor at site lab.

1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

निर्णायक प्राधिकारी

(1) समय विस्तार ..... (प्रभारी अभियंता या संयुक्त संविदा के मामले में कार्य के मुख्य हिस्से के प्रभारी अभियंता, जैसा भी मामला हो।)

(2) उपलब्धियों का पुनः अनुसूचिकरण ..... (प्रभारी अधीक्षण अभियता/परि प्रबंधक/मु परि प्रबंधक, या संयुक्त संविदा के मामले में कार्य के बड़े अवयव के प्रभारी अधीक्षण अभियंता/परि प्रबंधक/मु परि प्रबंधक, जैसा भी मामला हो।)

(3) कार्य स्थल उपलब्ध कराने में देरी के कारण हेतु कार्य आरम्भ की तिथि में परिवर्तन ..... (प्रभारी अधीक्षण अभियता/परि प्रबंधक/मु परि प्रबंधक, या संयुक्त संविदा के मामले में कार्य के बड़े अवयव के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, जैसा भी मामला हो।)

अनुसूचियों के प्रारूप खंड 5 कार्यस्थल सौपने की अनुसूची

पार्ट	कार्यस्थल का भाग	विवरण	आशय पत्र जारी किए जाने की तिथि से कार्यस्थल सौपने की अवधि
पार्ट क	बाधा–रहित भाग		
पार्ट ख	बाधा–सहित भाग		
पार्ट ग	अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर भाग		

खण्ड–5

लागू खण्ड 5/ खण्ड 5क

खण्ड–6 : कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका (सीएमबी)/ इलेक्ट्रॉनिक मापन पुस्तक (ईएमबी)

माप का तरीकाः सीएमबी/ईएमबी

नोटः– एक विकल्प एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा रखा जाना है।

खण्ड–7

अंतरिम भुगतान के लिए पात्र होने के लिए अंतिम ऐसे भुगतान के बाद कुल भुगतान एकत्रित सामग्रियों के अग्रिमों के समायोजन सहित किया जाने वाला कुल कार्य ..... ₹

खण्ड 7क

क्या खण्ड 7 क लागू होगा .....हाँ/नहीं

खण्ड 10क

कार्यस्थल प्रयोगशाला में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाने परीक्षण उपकरणों की सूची

1 ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

Clause 10B(ii)

Whether Clause 10B (ii) shall be applicable Yes/No

Clause 10C

Component of labour expressed as percent of value of work: = ...%

Clause 10CC **Applicable/ Not Applicable**

Schedule of component of other Materials, Labour etc. for price escalation.

Component of civil (except materials covered under clause 10CA) /Electrical construction value of work. - Xm ..... %

Component of Labour - expressed as percent of total value of work. Y ....%

Note : Xm .....% should be equal to (100) - (materials covered under clause 10CA i.e. Cement, Steel, POL and other material specified in clause 10CA + Component of Labour)

Clause 11

Specifications to be followed for execution of work .....

Clause 12

12.2 Deviation Limit beyond which clauses 12.2 shall apply for building work .....

Clause 16

Competent Authority for deciding reduced rates .....……..

Clause 18

List of mandatory machinery, tools & plants to be deployed by the contractor at site:

1 ..... 2 ..... 3 .....

4 ..... 5 ..... 6 .....

7 ..... 8 ..... 9 .....

Clause 19C …….. authority to decide penalty for each default

Clause 19D ……. authority to decide penalty for each default

Clause 19G ……authority to decide penalty for each default

Clause 19K ……authority to decide penalty for each default

खण्ड–10ख (ii)

क्या खण्ड 10 ख (ii) लागू होगा .....हाँ / नहीं

खण्ड–10ग

श्रम घटक को कार्य के मूल्य के ..... प्रतिशत के रूप में अभिव्युक्त किया गया है।

खण्ड–10 गग लागू /लागू नहीं

मूल्य वृद्धि के लिए अन्य सामग्री, श्रम आदि के घटकों की अनुसूची।

निर्माण कार्य सामग्री के लिए सिविल घटक (खंड 10 ग क के अंतर्गत शामिल सामग्रियों को छोड़कर) ..... Xm

वैद्युत कार्य घटक कार्य में कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित श्रम के घटक ..... %

कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित .....:

नोटः Xm प्रतिशत = 100 – 10 ग क के अंतर्गत आने वाली सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील, पी ओ एल एवम् अन्य सामग्री + श्रम के घटक)

खण्ड–11

कार्य निष्पादन के लिए अनुपालन किए जाने वाले विनिर्देश .....

खण्ड–12

12.2 विचलन सीमा, जिसके परे खंड 12.2 भवन निर्माण कार्य के लिए लागू होंगे .....

.

खण्ड–16

घटी हुई दरें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी .....

खंड– 18

कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाली अनिवार्य मशीनरी, औजार एवं सयंत्रों की सूची

1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

7. ..... 8. ..... 9. .....

खंड– 19 ग ..... प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए प्राधिकारी द्वारा जुर्माना तय करना

खंड– 19 घ ..... प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए प्राधिकारी द्वारा जुर्माना तय करना

खंड– 19 छ ..... प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए प्राधिकारी द्वारा जुर्माना तय करना

खंड– 19 ट ..... प्रत्येक डिफाल्ट / दोष के लिए प्राधिकारी द्वारा जुर्माना तय करना

Clause 25

(i) Conciliator: …….

(ii) Arbitrator Appointing Authority: …….....

(iii) Place of Arbitration: ….....

Clause 32

Requirement of Technical Representative(s) and recovery Rate

Sl No.	Minimum Qualification of Technical Representative	Discipline	Designation (Principal Techincal /Techincal representative)	Minimum Experience	Number	Rate at which recovery shall be made from the contractor in the event of not fulfilling provision of clause 36(i)	
						Figures	Words
1.							
2.							
3.							
4							
5							

Assistant Engineers retired from Government services that are holding Diploma will be treated at par with Graduate Engineers.

Diploma holder with minimum 10 year relevant experience with a reputed construction co. can be treated at par with Graduate Engineers for the purpose of such deployment subject to the condition that such diploma holders should not exceed 50% of requirement of degree engineers.

Clause 38

(i) (a) Schedule/statement for determining theoretical quantity of cement & bitumen on the basis of Delhi Schedule of Rates ..... printed by C.P.W.D.

(ii) Variations permissible on theoretical quantities:

(a)	Cement	
	For works with estimated cost put to tender not more than Rs. 25 lakh.	3% plus/minus.
	For works with estimated cost put to tender more than Rs. 25 lakh..	2% plus/minus.
(b)	Bitumen All Works	2.5% plus & only & nil on minus side.
(c)	Steel Reinforcement and structural steel sections for each diameter, section and category	2% plus/minus
(d)	All other materials.	Nil

खंड– 25

(i) मध्ध्यस्थ्थः.....

(ii) मध्यस्थ नियुक्ति प्राधिकारीः.....

(iii) मध्यस्थता का स्थ्थान :.....

खण्ड–32

तकनीकी प्रतिनिधि (यों) की आवश्यकता तथा वसूली की दर

क्रम सं.	तकनीकी प्रतिनिधि की न्यूनतम योग्यता	विधा	पदनाम (प्रमुख तकनीकी / तकनीकी प्रतिनिधि)	न्यूनतम अनुभव	संख्या	खण्ड 36 (1) के प्रावधानों को पूरा न किए जाने की स्थिति में ठेकेदार से की जाने वाली वसूली की दर	
						अंकों में	शब्दों में
1							
2							
3							
4							
5							

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त वे सहायक इंजीनियर जो डिप्लोमाधारक हों, ग्रेजुएट इंजीनियर के बराबर माने जाएंगे।

डिप्लोमाधारक इंजीनियर को प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनी में कम से कम दस साल के उपयुक्त अनुभव होनें की दशा में ग्रेजुएट इंजीनियर के बराबर माने जाएंगा परंतु ऐसे डिप्लोमाधारक इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर की तैनाती की आवश्यकता के पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

खण्ड–38

(i) (क) के. लो. नि. वि. द्वारा मुद्रित दिल्ली दर अनुसूची क आधार पर सीमेंट और बिटुमन की अनुमानमूल मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुसूची विवरण .....

(ii) अनुमानमूलक मात्राओं में अनुमत्य विचलन

(क)	सीमेंट जिन कार्यो के लिए निविदा में अनुमानित मूल्य रू. 25 लाख से अधिक न हो	3 प्रतिशत अधिक / कम
	जिन कार्यों के लिए निविदा में अनुमानित मूल्य रू. 25 लाख से अधिक हो	2 प्रतिशत अधिक / कम
(ख)	बिटुमन सभी कार्यों के लिए	2.5 प्रतिशत केवल अधिक और कम के पक्ष में शून्य
(ग)	इस्पात प्रत्येक व्यास, कोट और श्रेणी के लिए पुनर्बलन और संरचनात्मक इस्पात काट	2 प्रतिशत अधिक / कम
(घ)	सभी अन्य सामग्रियां	शून्य

Annexure showing quantities of materials for areas of surfacing to be considered for working out minimum period of road roller

Sl. No.	Material of surfacing	Quantity or area
1.	Consolidation of earth subgrade	1860Sq.m
2.	Consolidation of stones soling 15 cm. to 22.5cmthick	170Cu.m.
3.	Consolidation of brick soling 10 cm. to 20cm.thick	230
4.	Consolidationofwearingcoatofstoneballast7.5cmto11.5cmthick	30Cu.m.
5.	Consolidation of wearing coat of brick ballast 10 cm. thick	60Cu.m.
6.	Spreading and consolidation of red bajri6mm.	1860Sq.m.
7.	Painting one coat using stone aggregate 12.5 mm nominal size-	
	(a) @ 1.65 m3 per 100 m2 and paving bitumen A-90 or S-90 @ 2.25 Kg perm2	930 Sq.m.
	(b) 1.50 m3 per 100 m2 and bitumen emulsion or Road tar @ 2.25 Kg per m2	930 Sq.m.
8.	Painting two coats using-	
	(a) For first coat, stone aggregate 12.5 mm nominal size:	
	(i) @ 1.50m3 per 100m2 with paving bitumen A-90 or S-90 @ 2 Kg per m2	
	or	
	(ii) @1.35m3 per 100m2 with bitumen emulsion @ 2 Kg per m2	
	or	
	(iii) @1.25 m3 per 100m2 with roadtar @ 2.25 Kg per m2	600Sq.m
	(b) For 2nd Coat, stone aggregate 10mm nominal size 0.9 Cu.m. per 100 Sq.mwith-	
	(i) 1kg of paving bitumen A-90 or S-90 or bitumen emulsion per Sq.m.	
	or	
	(ii) 1.25 Kg. of road tar,perSq.m.	600Sq.m
9.	Re-painting with stone aggregate 10 mm nominal size 0.9 Cu.m. per 100 Sq.m. with-	
	(a) 1Kg. of paving bitumen A-90 or S-90 per Sq.m.	
	or	
	(b) 1.25 kg of Bitumen emulsion per Sq.m.	1670Sq.m.
10.	2 cm premix carpet surfacing using 2.4 m3 of stone aggregate 10 mm nominal size per 100 m2 and binder including tack coat, the binder being hot cut back bitumen or bitumen emulsion specified quantities.	930 Sq.m.
11.	2.5 cm. premix carpet surfacing using 3m3 of stone aggregate 10 mm nominal size per 100 m2 and binder including tack coat, the binder being hot cut back Bitumenor bitumen emulsion in specified quantities.	930 Sq.m.
12.	4 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 3.8 Cu.m. (60% 20 mm nominal size and 40% 12.5 mm nominal size) per 100 m2 and coarse sand 1.9 Cu.m. per 100 m2 and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	460 Sq.m.

रोड रोलर की न्यूमनतम अवधि का पता लगाने के लिए विचाराधीन सर्फेसिंग के क्षेत्रों के लिए सामग्रियों की मात्रा दर्शाने वाला परिशिष्ट

क्रम सं.	सर्फेसिंग की सामग्री	मात्रा या क्षेत्र
1.	अर्थ उप ग्रेड का समेकन	1860 वर्ग मी.
2.	15 से.मी. से 22.5 से.मी. मोटाई तक स्टोदन सोयलिंग का समेकन	170 घन मी.
3.	10 से.मी. से 20 से.मी मोटाई तक के ब्रिक सोयलिंग का समेकन	230
4.	7.5 से.मी. से 11.5 से.मी. मोटाई तक	30 घन.मी.
5.	10 से.मी. मोटाई की ईंट की गिट्टी के वियरिंग कोट का समेन	60 घन.मी.
6.	6 मी.मी. लाल बजरी का प्रसार तथा समेकन	1860 वग.मी.
7.	12.5 मी.मी. सामान्य माप वाले स्टोोन एग्रीगेट द्वारा की गई एकल कोट पेंटिंग	
	(क) /प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.65 घन मी. तथा पेटिंग बिटुमन ए–90 या एस–90 / प्रति पर 2.25 कि.ग्रा.	930 वर्ग मीटर
	(ख) / प्रति 100 वर्ग मी. पर 1.50 घन मी. तथा बिटुमन इमलषन या रोड टार / प्रति वर्ग मी. पर 2.25 कि.ग्रा.	
8.	दो कोट की पेंटिंग	
	(क) पहले कोट के लिए 12.5 मिमी. साधारण माप का स्टोसन एग्रीगेटः	
	(i) प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.50 घन मीटर पेविंग बिटुमन ए–9.0 के साथ या एस–90/ प्रति वर्ग मीटर पर 2 कि.ग्रा	
	(ii) / प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.35 घन मीटर रोड टार के साथ / प्रति वर्ग मीटर पर 2 किग्रा	
	(iii) / प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.25 घन मीटर रोड टार के साथ / प्रति वर्ग मीटर पर 2.25 कि.ग्रा.	600 वर्ग मीटर
	(ख) द्वितीय कोट के लिए, स्टो.न एग्रीगेट 10 मि.मी. साधारण माप 0.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ	
	(i) 1 कि.ग्रा. पेविंग बिटुमन ए–90 या एस–90 या बिटुमन इमलषन प्रति वर्ग मीटर या	
	(ii) 1.25 कि.ग्रा. की रोड टार, प्रति वर्ग मीटर	600 वर्ग मी.
9.	(क) 10 मी. साधारण माप स्टोबन एग्रीग्रेट के साथ पुनः पेंटिंग प्रति 100 वर्ग मीटर पर 0.9 घन मीटर	
	(ख) 1.25 कि.ग्रा. बिटुमन इमलषन प्रति वर्ग मी.	1670 वर्ग मी.
10.	10 मिमी साधारण 2.4 घन मीटर की माप स्टोरन एग्रीगेट द्वारा की गई 2 से मी प्रिमिक्सम कार्पेट सर्फेसिंग तथा टैक कोट सहित बाइंडर, बाइंडर हॉट कट बैंक बिटुमन होते हुए या निर्दिश्टट मात्रा में बिटुमन इमलषन सहित	930 वर्ग मीटर
11.	2.5 मिमी साधारण 3.8 घन मीटर की माप स्टोहन एग्रीगेट द्वारा की गई 10 मी. मी प्रिमिक्सट कार्पेट सर्फेसिंग तथा टैक कोट सहित बाइंडर, बाइंडर हॉट कट बैंक बिटुमन होते हुए या निर्दिश्ट. मात्रा में बिटुमन इमलषन होते हुए	930 वर्ग मीटर
12.	3.8 घन मीटर स्टोनन एग्रीगेट (60: 20 मि मी. साधारण माप तथा 40: 12.5 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 4 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी रेत 1.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	460 वर्ग मीटर

Sl. No.	Material of surfacing	Quantity or area
13.	4 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 4.8 Cu.m. (60% 25 mm nominal size and 40% 20 mm nominal size) per 100 m2 and coarse sand 2.4 Cu.m per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen	370 Sq.m.
14.	6cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 5.8 Cu.m. (60 % 40 mm. nominal size and 40% 25mm nominal size) per 100 Sq.m. and coarse sand 2.9 Cu.m. per100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen. 280 Sq.m	230 Sqm
15.	7.5cm thick bitumen concrete surfacingusings tone aggregate 7.3 Cu.m.(60% 50mm nominal size and 40% 40mm nominal size) per 100 Sq.m. and coarses and 3.65 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over atack coat of hot cut back bitumen.	750 Sqm
16.	2.5 cm bitumastic sheet using stone aggregate 1.65 Cu.m. (60% 12.5 mm nominal size, 40%10 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 1.65 Cu.m. per100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.	750 Sq.m.
17.	4cm bitumastic sheet, using stone aggregate 2.6 Cu.m. (60%12.5mm nominal size 40%10 mm nominal size) per 100 Sq.m., coarse sand 2.5 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot bitumen.	560 Sqm
18.	Laying full grouted surface using stone aggregate 40 mm nominal size 6.10Cu.m. per 100 Sq.m. with binder, binding with 20mm to 12.5 mm nominal size stone grit. 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size, 1.07Cu.m. per 100 Sq.m., the binder being hot bitumen or tar as specified.	460 Sqm
19.	Laying full grouted surface using stone aggregate 50 mm nominal size 9.14 Cu.m. per 100 sq.m. groutin with binder, with stone grit 20 mm to to 12.5 mm nominal size, 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size 1.07 cu.m /100 Sqm	370 Sqm
20.	4cm. thick premix macadum surfacing using stone aggregate 25mm nominal size 4.57 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m.per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggre gate 10mm nominal size. 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m.	560 Sq.m.
21.	5cm thick premix macadum surfacing with stone aggregate 25 mm nominal size, 6.10 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate10mm nominal size 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m	460 Sq.m.

क्रम सं.	सर्फेसिंग की सामग्री	मात्रा या क्षेत्र
13.	4.8 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 25 मि मी. साधारण माप तथा 40: 20 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 4 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी रेत 2.4 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	370 वर्ग मीटर
14.	5.8 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 40 मि मी. साधारण माप तथा 40: 25 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 6 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी रेत 2.9 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	230 वर्ग मीटर
15.	7.3 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 50 मि मी. साधारण माप तथा 40: 40 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 7.5 सेमी मोटाई की बिटुमन कानक्रीट सर्फेसिंग तथा खुरदुरी रेत 3.6 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	750 वर्ग मीटर
16.	1.65 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 12.5 मि मी. साधारण माप तथा 40: 10 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 2.5 सेमी मोटाई की बिटुमास्टिक षीट तथा खुरदुरी रेत 1.65 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	750 वर्ग मीटर
17.	2.6 घन मीटर स्टो न एग्रीगेट (60: 12.5 मि मी. साधारण माप तथा 40: 10 मिमी साधारण माप) प्रति 100 वर्ग मीटर द्वारा की गई 4 सेमी मोटाई की बिटुमास्टिक षीट तथा खुरदुरी रेत 2.5 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा हॉट कट बैक बिटुमन के टैक कोट के ऊपर हॉट कट बैक बिटुमन	560 वर्ग मीटर
18.	स्टौन एग्रिगेट 40 मिमी साधारण माप 6.10 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर बाइंडर सहित से की गई लेयिंग फुल ग्राउटेड सर्फेस, 20 मिमी से 12.5 मिमी साधारण माप स्टोकन ग्रिट प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.83 घन मीटर तथा बाइंडर का सील कोट और स्टोगन ग्रिट 10 मिमी साधारण माप, प्रति 100 वर्ग मीटर 1.07 घन मीटर, बाइंडर हॉट बिटुमन होते हुए या निर्दिश्टप टार होते हुए स्टोटन एग्रिगेट	460 वर्ग मीटर
19.	स्टोन एग्रिगेट 50 मिमी साधारण माप 9.14 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर बाइंडर सहित की गई लेयिंग फुल ग्राउटेड सर्फेस, स्टो.न ग्रिट 20 मिमी से 12.5 मिमी साधारण माप के साथ, प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.83 घन मीटर तथा बाइंडर का सील कोट और स्टोफन ग्रिट 10 मिमी साधारण माप प्रति 100 वर्ग मीटर पर 1.07 घन मीटर	370 वर्ग मीटर
20.	स्टो न एग्रिगेट 25 मिमी साधारण माप 4.57 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा स्टोन एग्रिगेट 12.5 मिमी साधारण माप 1.52 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ हॉट बाइंडिंग बिटुमन तथा हॉट बिटुमन का सील कोट और स्टो.न एग्रिगेट 10 मिमी साधारण माप 1.07 घन मीट प्रति 100 वर्ग मीटर	560 वर्ग मीटर
21.	स्टोन एग्रिगेट 25 मिमी साधारण माप 4.57 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर तथा स्टोन एग्रिगेट 12.5 मिमी साधारण माप 6.10 घन मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर के साथ हॉट बाइंडिंग बिटुमन तथा हॉट बिटुमन का सील कोट और स्टो.न एग्रिगेट 10 मिमी साधारण माप 1.07 घन मीट प्रति 100 वर्ग मीटर	460 वर्ग मीटर

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
Central Public Works Department
www.cpwd.gov.in

169 Years of Engineering Excellence

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the DG, CPWD. Printing by any other person is strictly prohibited, Any unauthorized person printing and/ or supplying the book will be prosecuted under the law.

Price : Rs. 150.00
Delivery/ Forwarding Charges/ Postage/ Freight Charges Extra

A Government of India Publication
Published by
Director General, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi- 110011.

Printed & Marketed by
JAIN BOOK AGENCY (CENTRAL)
4638/21, Ground Floor, Ansari Road, Daryaganj, Opp. Fire Station, New Delhi-110002
Phone : 011-43513570, 44556677 Mob: 9868378448, 8810566260
E-mail : cp@jainbookagency.com, central@jainbookagency.com